C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XII, Fifth Session, 2021/1943 (Saka)
No. 22, Monday, March 22, 2021 / Chaitra 01, 1943(Saka)

S U B J E C T	P A G E S
OBITUARY REFERENCES	12
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Unstarred Question Nos. 361 to 366	14-55
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 367 to 380	56-97
Unstarred Question Nos. 4141 to 4370	98-591

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 592-601

MESSAGES FROM RAJYA SABHA 610-612

COMMITTEE ON PETITIONS

19th to 22nd Reports 613

STATEMENTS BY MINISTERS 614-615

(i)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Labour on 'Demands for Grants (2019-20)' pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 7th Report of the Standing Committee on Labour on 'Demands for Grants (2020-21)' pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

Shri R.K. Singh 614

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 313th Report of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Education.

Shri Arjun Ram Meghwal 615

NATIONAL BANK FOR FINANCING INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT BILL, 2021	616
INSURANCE (AMENDMENT) BILL, 2021 AS PASSED BY RAJYA SABHA	623-675
Motion to Consider	623
Shrimati Nirmala Sitharaman	623-624, 665-674
Shri Manish Tewari	625-628
Shri Jagdambika Pal	629-636
Shri Magunta Sreenivasulu Reddy	637-639
Shri Sunil Kumar Pintu	640-641
Shri Shyam Singh Yadav	642-643
Shrimati Supriya Sadanand Sule	644-647
Dr. S.T. Hasan	648
Shri B.B. Patil	649-651
Shri Arvind Sawant	652-654
Shri Jasbir Singh Gill	655-656
Shri Ganesh Singh	657-660
Shri Ajay Misra Teni	661-662
Shri Rahul Ramesh Shewale	663-664
Clauses 2 to 4 and 1	675
Motion to Pass	675

MATTERS UNDER RULE 377 676-690

(i) Need to provide adequate funds for Dholpur-Saramthura-Karauli-Gangapur city railway line project

Dr. Manoj Rajoria 676

(ii) Need for development of road connecting NH-08 (Mumbai-Ahmedabad) with NH-03 (Mumbai-Agra) as a National Highway

Shri Kapil Moreshwar Patil 677

(iii) Need to harness the tourism potential of Dausa Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shrimati Jaskaur Meena 677

(iv) Need to set un airport in Maharajganj Parliamentary Constituency, Bihar

Shri Janardan Singh Sigriwal 678

(v) Need to take necessary measures to address the problem of flood and drought situation in North Bihar

Shri Gopal Jee Thakur 678

(vi) Need to ensure benefit of Kisan Samman Nidhi Yojana to all the eligible farmers

Shri Bhanu Pratap Singh Verma 679

(vii) Need to sanction scheme for providing piped natural gas in Jaipur city, Rajasthan

Shri Ramcharan Bohra 679

(viii) Need to develop Patnagarh-Nuapada-Dhamtari road and Junagarh (Kalahandi district)-Deobhog-Raipur road as National Highways

Shri Basant Kumar Panda 680

(ix) Need to develop a waterway connecting Thane-Navi Mumbai-Mumbai

Shri Manoj Kotak 680

(x) Need to set up an Agriculture University in Gorakhpur, Uttar Pradesh

Shri Ravi Kishan 681

(xi) Need to provide wildlife clearance to railway projects in Amreli Parliamentary Constituency, Gujarat

Shri Naranbhai Kachhadiya 682

(xii) Regarding Agriculture Export Policy 2018

Shri Jagdambika Pal 683

(xiii) Need to set up a Potato Board

Shri Mukesh Rajput 684

(xiv) Need to provide houses to people belonging to SC, ST, backward class and economically weaker section in Gadchiroli-Chimur Parliamentary Constituency, Maharashtra

Shri Ashok Mahadeorao Nete 684

(xv) Need to restart training centre of Sports Authority of India in Tikamgarh Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

Dr. Virendra Kumar 685

(xvi) Regarding inclusion of Kunchitiga community under OBC category in Karnataka

Shri G.S. Basavaraj 685

(xvii) Regarding pending dues of co-operative sugar mills

Shri Jasbir Singh Gill 686

(xviii) Regarding setting up of a Central University in Andaman & Nicobar Islands

Shri Kuldeep Rai Sharma 686

(xix) Regarding disinvestment of Vishakhapatnam Steel Plant

Shri Lavu Sri Krishna Devarayalu 687

(xx) Need to enhance pension under EPS – 1995

Shri Dhairyasheel Sambhajirao Mane 687

(xxi) Regarding recommendations of 14th Finance Commission on SDRF

Shri Anubhav Mohanty 688

(xxii) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Jaunpur, Uttar Pradesh

Shri Shyam Singh Yadav 688

(xxiii) Regarding closure of Oriental Insurance Branch in Kamareddy district, Telangana

Shri B. B. Patil 689

(xxiv) Need to construct embankment along the course of Burhi Gandak river in Vaishali Parliamentary Constituency, Bihar

Shrimati Veena Devi 689

(xxv) Regarding allocation of captive mines to Rashtriya Ispat Nigam Limited

Shri Jayadev Galla 690

(xxvi) Regarding allocated share of Yamuna river water to Rajasthan

Shri Hanuman Beniwal 690

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (AMENDMENT) BILL, 2021	**691-739**
Motion to Consider	691
Shri G. Kishan Reddy	691-692, 733-738
Shri Manish Tewari	693-697
Shrimati Meenakashi Lekhi	698-709
Shri Bellana Chandra Sekhar	710
Shri Vinayak Bhaurao Raut	711-712
Kunwar Danish Ali	713-715
Shrimati Supriya Sadanand Sule	715-718
Dr. S.T. Hasan	719-720
Shri Brijendra Singh	721-724
Shri Hasnain Masoodi	725-726
Shri E.T. Mohammed Basheer	727-728
Shri Bhagwant Mann	729-731
Shri Jasbir Singh Gill	732
Clauses 2 to 5 and 1	739
Motion to Pass	739
MARINE AIDS TO NAVIGATION BILL, 2021	**740-764**
Motion to Consider	740
Shri Mansukh L. Mandaviya	740, 758-764

Dr. Bharatiben D. Shyal	741-743
Shri Ramshiromani Verma	744
Shri Rajiv Pratap Rudy	745-749
Shri Magunta Sreenivasulu Reddy	750-751
Shri Shrirang Appa Barne	752
Shri Kaushalendra Kumar	753
Shri Arvind Sawant	754-755
Shri Jasbir Singh Gill	756-757
Clauses 2 to 52 and 1	764
Motion to Pass	764

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Alleged inflated medical bill for a poor patient in Bihar	779-780

***ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions	807
Member-wise Index to Unstarred Questions	808-814

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions	815
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	816

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, March 22, 2021 / Chaitra 01, 1943(Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*]

OBITUARY REFERENCES

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दु:ख के साथ हमारे दो पूर्व साथियों श्री मोहनभाई पटेल और श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी के निधन के संबंध में सभा को सूचित करना है।

श्री मोहनभाई पटेल 7वीं और 8वीं लोक सभा के सदस्य थे, जिन्होंने गुजरात के जूनागढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री पटेल सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री मोहनभाई पटेल का निधन 5 मार्च, 2021 को जूनागढ़ में 88 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी 13वीं, 15वीं और 16वीं लोक सभा के सदस्य थे, जिन्होंने महाराष्ट्र के अहमदनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री गांधी, भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय में वर्ष 2003 से 2004 तक केन्द्रीय राज्य मंत्री थे।

एक योग्य सांसद श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सभापति थे और विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य थे।

श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी का निधन 69 वर्ष की आयु में 17 मार्च, 2021 को गुरुग्राम में हुआ।

हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है।

अब सभा सभी दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़ी रहेगी।

<u>11.03 hrs</u>

The Members then stood in silence for a short while.

… *<u>(Interruptions)</u>*

श्री राकेश सिंह(जबलपुर): माननीय सभापति महोदय, महाराष्ट्र की स्थिति बहुत ही विकट है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विषय को सदन में उठाने की अनुमति दें।

कुछ सदस्यों ने इस पर नोटिस दिया है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: यह 12 बजे के बाद लेंगे।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: हम इसे ज़ीरो ऑवर में ले लेंगे। आप लोग बैठिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, हम सभी को जैसा कि पता है कि हमारे सम्माननीय लोक सभा अध्यक्ष जी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। हम सबकी यह प्रार्थना है कि वह बहुत शीघ्र ही पूरी तरह से स्वस्थ हों और हमारे बीच आकर सदन का नेतृत्व करें।

…(<u>व्यवधान</u>)

11.04 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय सभापति: प्रश्नकाल। क्वेश्चन नम्बर 361.

…(व्यवधान)

(Q. 361)

श्री भगवंत खुबा: माननीय सभापति जी, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आज मैं माननीय लोक सभा अध्यक्ष जी के कोविड पॉजिटिव होने के कारण उनकी अनुपस्थिति में प्रश्न पूछने जा रहा हूँ।

मैं प्रार्थना करता हूँ कि श्री ओम बिरला जी जल्दी स्वस्थ होकर इस सदन का नेतृत्व करें।

आज विश्व जल दिवस है। जल के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी ने बहुत ही सकारात्मक कार्य किए हैं, इस कारण विश्व जल दिवस के निमित्त मैं सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ।

खासकरके आज मैं बिहार वासियों को भी बिहार दिवस के निमित्त शुभकामनाएँ देता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्नों के जवाब काफी विस्तार से दिए हैं। मेरे मूल प्रश्न से थोड़ा हटकर उनके पास जो आंकड़े थे, उन आंकड़ों को लेकर उन्होंने जवाब दिया है, फिर भी मैं दुख के साथ मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनके जवाब में इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन के कौशल के लिए आरक्षण रहना था, लेकिन उनके पास उसकी कोई सुविधा नहीं है और न ही इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन के लिए कोई आधार बनाया है। मैं माननीय मंत्री जी विनती करता हूं कि उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें।

महोदय एक बात और है, मैं उसकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री कौशल योजना में आप कई राज्यों के लिए टारगेट फिक्स्ड करते हैं, लेकिन वे उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हैं। उसका मूल कारण उनकी उदासीनता है और विशेषकर कोविड महामारी के संदर्भ में पिछले एक साल में जो हुआ है, आज युवाओं को कौशल ट्रेनिंग देकर, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देकर, उनको एम्प्लॉयमेंट देने की जरूरत सरकार की भी है और समाज की भी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन के लिए कोविड महामारी के बाद आपने ज्यादा से ज्यादा क्या ध्यान और जोर दिया है?

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय: माननीय सदस्य खुबा जी और माननीय सभापति जी की लोक सभा अध्यक्ष जी के लिए शीघ्र स्वस्थ्य होने की कामना से अपने को जोड़ते हुए मैं कहना चाहूंगा कि माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न उठाए हैं, उनके प्रश्नों में बल है। मैं आपके माध्यम से उनको और पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि हमारी जो यह प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना है और उसके जितने उपक्रम और प्रयत्न हैं, वे बेसिकली एससी/एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर, जो लोग ड्रॉप-आउट्स हैं, जो कमजोर तबके के हैं और हमारा पूरा जो कौशल का तंत्र है, चाहे पीएमकेवाई योजना हो, चाहे आईटीआई सेट-अप हो, चाहे जन शिक्षण संस्थान हों, ये ज्यादातर इन्हीं सैक्शंस पर फोकस करते हैं।

मैं आपके माध्यम से सदन और माननीय सदस्य के संज्ञान में यह तथ्य भी लाना चाहूंगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी माननीय मोदी सरकार ने एक बड़ी क्रांतिकारी पहल की है कि 6वीं से वोकेशनल एजुकेशन पर बल दिया है। हमारा विभाग अब उस पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। ये वही लोग होते हैं, जो किन्हीं कारणों से अपनी पारिवारिक घरेलू परिस्थितियों के चलते स्कूल छोड़ देते हैं। उनमें वीकर सैक्शन, एससी/एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग का भी जो वीकर सैक्शन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, हम इन पर फोकस कर रहे हैं तथा सारी कार्य योजनाएं उन्हीं के हिसाब से बना रहे हैं। कोविड में जो 5-6 जॉब रोल्स ज्यादा आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे रिटेल आउट में असिस्टेंट के रूप में, कंस्ट्रक्शन फील्ड में मेशन के रूप में, ग्रीन जॉब रोल में सफाई

कर्मचारी के रूप में हैं। इस तरह के जो जॉब रोल्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, हमने पीएमकेवाई-3 15 जनवरी को लॉन्च किया है, उस योजना में इन पर बल दे रहे हैं और आगे भी माननीय सदस्य की भावना का सम्मान करते हुए, इन चीजों को एड्रेस किया जाएगा, फोकस किया जाएगा।

श्री भगवंत खुबा: सभापति महोदय, अभी जितने स्किल सेंटर्स इन्होंने खोल रखे हैं, वे दूर-दूर इलाकों में हैं। माननीय मंत्री जी से मेरी विनती है कि अगर हर जिले के अंदर सभी स्किल्स कैटेगरीज के लिए वहां पर सेंटर्स खोले जाएंगे तो जो स्थानीय निरउद्योगी युवा है, उसको वहां पर सुविधा हो जाएगी। मैं यही माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूं।

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और पूरे सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे डिपार्टमेंट और हमारी टीम ने माननीय मोदी जी की अगुवाई में इसका गम्भीरता से अध्ययन किया है। हम लोगों ने पहले यह देखा कि हमारा यह जो स्किलिंग ईको सिस्टम बना है, अब तक का जो सफर माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में तय किया है और वर्ष 2014 के बाद वर्ष 2015-16 में इसको लॉन्च किया गया, लेकिन यह पहले कुछ डिपार्टमेंट्स का पार्ट था, लेकिन अब इसको स्किल मिनिस्ट्री बनाकर बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। इसमें यह पाया गया कि हम आपूर्ति करते थे, हमने दिल्ली या मेट्रोपोलिटन सिटीज में बेस बनाया और जो हमारे 37 स्किल काउंसिल सेंटर्स हैं, उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं। वे जॉब रोल डिजाइन करते थे और हम नीचे भेजते थे। माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, उस चिंता को ही ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी पर इस बार ज्यादा बल दिया है।

मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि माननीय सांसदगण की अध्यक्षता में होने वाली 'दिशा' कमेटी में भी इस विषय को उठाया गया है, उसमें भी इस पर समीक्षा होगी और डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटियां, स्किल गैप की स्टडी करेंगी और ऊपर के इको-सिस्टम को लिंकअप करके, जिन क्षेत्रों में कमियां और असंतुलन है, वहां पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।

मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने कोरोना पीरियड के बारे में अभी जो कहा है, तो हमने अपने 200 करोड़ रुपये के बजट में से बचत करके, कोरोना पीरियड में माइग्रेंट प्रभावित जो 6 राज्य थे, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि उनमें हमने अलग से इन लोगों को जॉब रोल्स में चिह्नित किया। हमने 117 जिलों में अलग से स्किल डेवलेमेंट कोर्सेज़ चलाए, जिससे माइग्रेंट्स को बहुत सपोर्ट मिला। मैं इस अवसर का उपयोग करके बताना चाहूंगा कि जो माइग्रेंट्स बैक हो गए तथा वीकर सेक्शन के लिए हम लोगों ने वहां के डीएम को कॉरेस्पांडेंस किया और कहा कि आप इन्हें भी ट्रेनिंग देकर, स्किल्ड कीजिए, ताकि वे भी रोजगार के अवसर पा सकें। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप माननीय मंत्री जी से बाद में मिल लीजिएगा।

श्री सुनील कुमार सिंह: माननीय सभापति जी**,** मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान में देश में 248 जन शिक्षण संस्थान सक्रिय हैं। माननीय राज्य मंत्री जी ने लोक सभा में 1 जुलाई, 2019 को एक प्रश्न के जवाब में यह बताया था कि 83 नए जन शिक्षण संस्थान मौजूदा वित्त वर्ष 2020 में स्थापित करने की प्रक्रिया में थे। अभी मार्च 2021 समाप्त हो रहा है**,** 83 नए जेएसएस**,** जिसमें मेरे लोक सभा क्षेत्र चतरा**,** लातेहार और पलामू सहित पूरे झारखंड में 14 जेएसएस खोलने थे**,** वे कब तक खोले जाएंगे?

इसके साथ ही कौशल भारत मिशन के तहत प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 2020-21 के घटक 100 टन ट्रेनिंग में 2,20,000 तथा रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग**,** आरपीएल में 5,80,000 यानी कुल 8,00,000 कैंडिडेट्स को प्रशिक्षण देना था। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय: मैं माननीय सांसद जी के प्रश्न के माध्यम से उन्हें और सदन को बताना चाहूंगा कि मैं पहले जेएसएस के बारे में थोड़ा ब्रीफ करूंगा और माननीय सांसदगण से निवेदन भी करना चाहूंगा। जेएसएस, वर्ष 1967 में श्रमिक विद्यापीठ के रूप में शुरू हुई थी। माननीय अटल जी की सरकार ने वर्ष 2000 में इसे विशेष महत्व दिया और इसे जन शिक्षण संस्थान और खासकर

श्रम एरिया, गरीब और वीकर एरियाज़, महिलाओं आदि इन सब पर फोकस करने के लिए इसकी संख्या बढ़ाई गई। माननीय मोदी जी की सरकार का विशेष अभिनंदन है, क्योंकि इस दृष्टि से इसे बहुत आगे ले जाकर 248 तक पहुंचाया और 83 नए जेएसएस खोलने का निर्णय लिया गया। इससे जो क्षेत्र छूट जा रहे हैं, जैसे फैक्ट्रियों में काम करने वाले, जो पढ़ नहीं पाते हैं, बस्तियों में रहने वाले इत्यादि को भी जोड़ा जा सके। माननीय सदस्य ने जिन 83 जेएसएस की चर्चा की है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि उनके गृह राज्य झारखंड में इस समय 3 जेएसएस कार्यरत हैं और 14 नए खुलने वाले हैं। मैं आपको यह अवगत कराना चाहूंगा कि यह माननीय सदस्य के क्षेत्र चतरा में भी है। मैं यह अपेक्षा करता हूं कि कुछ ही दिनों की प्रगति में उन जेएसएस की स्वीकृतियां प्रॉसेस में जारी होने वाली हैं।

मैं माननीय सदन को इस प्रश्न के माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि कोविड पीरियड में मैंने जेएसएस की उपयोगिता देखी है और जेएसएस ने बहुत सेवा की है। हमारा मंत्रालय माननीय मोदी जी की अगुवाई में गंभीरता से विचार कर रहा है कि देश में इसका और विस्तार किया जाए। मैं माननीय सदन का ध्यान चाहूंगा कि माननीय सदस्य इन तबकों पर भी अपना ध्यान फोकस करें, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं।

DR. G. RANJITH REDDY: Thank you very much Sir.

Skill development is definitely the need of the hour. It is because we have so many unemployed graduates in the country. Along with that, we have employment opportunities also. The only connecting link is the skill. So, the way other countries have legal backing like Germany and Korea, why do we not have a legal backing for skill development in this country? Once it is legalized, we can definitely have skill education as Right to Skill Training, the way we have, at present, Right to Education.

The skill development centres are put up in Mumbai, Ahmedabad and Kanpur. So, we request you to please open these centres in South India especially in Hyderabad.

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है, उसमें दक्षिण में भी कई जगहों पर स्किल से जुड़ी संस्थाओं पर फोकस किया गया है। राज्यों को इसके बारे में आग्रह किया गया है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट एक प्रोत्साहन प्रोग्राम है। जो लोग विभिन्न अवसरों से वंचित हैं, उनको इनपुट और ट्रेनिंग देकर रोजगार और उद्यम के लायक बनाने हेतु यह कार्यक्रम है।

इसके लिए अनेक राज्यों ने आग्रह किया है कि उनके यहां भी स्किल के इन्स्टिट्यूशंस बनाए जाएं। हम इस पर विचार कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि दक्षिण में हमारा जो ईकोसिस्टम है, जैसे हम जेएसएस को विस्तार देना चाह रहे हैं। अभी आईटीआई सेटअप ग्रेडिंग में हम लोगों ने पाया है कि हमारे द्वारा स्किलिंग के एक सेटअप आईटीआई में दक्षिण के कुछ राज्य बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। अगर दक्षिण के राज्य सरकारें इस विषय पर आगे आएंगी, तो हमारा मंत्रालय इसे गंभीरता से लेगा और उस पर विचार करेगा।

(Q. 362)

श्री उपेन्द्र सिंह रावत : माननीय सभापति महोदय, लोक सभा अध्यक्ष जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की प्राचीन स्मारकों, प्राचीन किलों और प्राचीन धरोहरों को बचाने के लिए, उनके संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए, विकास के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अलग-अलग नए सर्किल बनाने के लिए क्या कोई नई गाइडलाइन बनाई गई है? इस नई गाइडलाइन में नई सर्किल योजना के अंतर्गत कौन-कौन की नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे उनका वास्तविक स्वरूप भी बचा रहे और पर्यटन की दृष्टि से उनकी सुरक्षा, सौंदर्यता में अत्यधिक विकास हो?

सभापति महोदय, जनपद बाराबंकी में कुछ प्राचीन धरोहरों, किलों और स्मारकों का समुचित रख-रखाव किया जा रहा है । मैं इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय संस्कृति मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाराबंकी में अभी भी महाभारतकालीन कई प्राचीन धरोहरें हैं। इन धरोहरों को भी केन्द्र सरकार को अपने संरक्षण में लेकर उन्हें बचाने की आवश्यकता है। जैसे पारिजात वृक्ष, जो महाभारतकालीन है, उसका ब्यास आज की तारीख में 45 फीट चौड़ा है। लोधेश्वर महादेवा मंदिर भी महाभारतकालीन धरोहर है, जिसका संरक्षण अभी राज्य सरकार के अधीन है।

महोदय, लखनऊ में बिजली पासी का किला आज जीर्णशीर्ण अवस्था में है। इस किले का भी ऐतिहासिक महत्व रहा है। केन्द्र सरकार इसको भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से संरक्षित कर के इस किले के पर्यटकों के लिए विकास करने की कृपा करे। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य**,** आप अपना प्रश्न पूछिए।

…(व्यवधान)

श्री उपेन्द्र सिंह रावत: माननीय सभापति जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन पर्यटक स्थलों के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है?

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: सभापति जी, आपका धन्यवाद। माननीय सदस्य ने दो-तीन बातें की हैं, जो प्रश्न से जुड़ी नहीं हैं, लेकिन मैं उन दो-तीन बातों के बारे में आपके माध्यम से सदन को और माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं।

स्मारकों और धरोहरों का संरक्षण एक सामान्य प्रकिया है, जिसे एएसआई करती है। माननीय सदस्य ने दो-तीन बातों के बारे में अपने प्रश्न में कहा है। कुछ राज्य सरकार के स्मारक हैं, जिन्हें माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनको भारत सरकार, एएसआई अपने संरक्षण में ले ले। एएसआई ने एक अभियान शुरू किया है, जो कि स्मारकों को री-लिस्ट करने का अभियान है। हमारे पास जो पंजीकृत स्मारक हैं, उनकी संख्या लगभग पौने चार हजार है।

हम भी मानते हैं कि देश में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, जो हजारों वर्ष पुराने हैं, पौराणिक काल के हैं, जिनका भारत सरकार की सूचना में स्थान नहीं है। इसलिए, एएसआई ने यह तय किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को पहली बात यह बताना चाहता हूं। दूसरा, माननीय सदस्य ने सर्किल की बात की है। इस विषय का उनके प्रश्न से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में दो नए सर्किलों का निर्माण हुआ है – एक बुंदेलखंड, झांसी में हुआ है, जो कि एक महत्वपूर्ण स्थान है और दूसरा स्थान मेरठ है। पहले मेरठ और झांसी के लोगों को लखनऊ जाना पड़ता था।

पहले मेरठ के लोगों को लखनऊ जाना पड़ता था और झांसी के लोगों को भी लखनऊ जाना पड़ता है। तीसरा, उन्होंने जो कहा है कि बहुत से ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थान हैं, उनकी भारत सरकार पूरी तरह से चिंता करती है। अगर राज्य सरकार का स्मारक है तो हमें राज्य सरकार की सहमति चाहिए। अभी हमारा जो अभियान चल रहा है, उसमें हमारा यह मानना है कि भारत सरकार की केंद्रीय सूची में सारे स्मारक हों। जो राज्य सरकारें अपने पास रखना चाहती हैं, वह हमारी ही लिस्ट की 'बी' सूची में होगा। उस पर हमारा एक्ट लागू नहीं होगा, लेकिन भारत सरकार की सूची में वह होगा। भारत सरकार की यह तैयारी है।

श्री उपेन्द्र सिंह रावत: सभापति महोदय, कोविड काल में तमाम पर्यटक स्थलों में टिकट की पहले जो व्यवस्था थी, उसकी जगह टिकट प्राप्त करने की व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई, जिसमें पर्यटक अपने मोबाइल से ऑनलाइन टिकट बनाएगा, फिर अंदर जाएगा। मैंने दो पर्यटक स्थल 'कुतुब मीनार' और 'हुमायूं का मकबरा' में खुद देखा है कि केवल 25 फीसदी पर्यटक ऐसे हैं, जो अपने मोबाइल से ई-टिकट बना पाते हैं। 75 परसेंट पर्यटक ई-टिकट नहीं बना पाते हैं। वे इधर-उधर भटका करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ लोग इसका अनैतिक लाभ उठाकर उनको अंदर प्रवेश कराते हैं। मैंने यह स्वयं अपनी आंखों से देखा हैं। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इसके लिए कोई व्यवस्था बनाई गई है, जिससे पर्यटकों का टिकट भी बन जाए और जो राजस्व की हानि हो रही है और वह न होने पाए।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : सभापति महोदय, मैं इस प्रश्न के लिए माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। प्रारंभ में ही यह समस्या जानकारी में आई थी। उसी समय दोनों विकल्प दे दिए गए थे। माननीय प्रधान मंत्री जी का यह मानना है कि हम सारी चीजों को ऑनलाइन कर दें। विदेशी पर्यटकों को इस सुविधा से लाभ होता है, लेकिन माननीय सदस्य की बात से मैं सहमत हूं। यह बात मेरे संज्ञान में आई थी और तत्काल यह निर्देश दे दिया गया था कि जो टिकटिंग मान्युमेंट्स हैं, जहां पर ऑनलाइन टिकट का प्रबंध है, वहां पर अब फिजिकली भी टिकट देने का काम करें। उसके बाद भी अगर कोई शिकायत मिलती है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी।

माननीय सभापति: श्री रमेश बिधूड़ी जी - उपस्थित नहीं।

श्री मनीष तिवारी जी।

SHRI MANISH TEWARI: Hon. Chairperson, Sir, thank you very much for giving me this opportunity. The Archaeological Survey of India protects 3686 monuments across the country. The ASI's Budget has been slashed by Rs. 204.70 crore in the current fiscal. In 2020-21 it was Rs. 1246.70 crore; in 2021-22 it has come down to 1042.63 crore.

In the year 2016 -17, the Archaeological Survey of India spent Rs. 305 crore on building their headquarters in Delhi, while in 2017-18, they spent 206.55 crore on monument preservation.

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि न तो एएसआई के पास वह कैपेसिटी है, न मंशा है, न बैंडविड्थ है कि भारत की प्राचीन संस्कृति की वह रक्षा कर सके। मैं मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि भारत की संस्कृति बहुत फैली हुई है। ऐसे बहुत सारे मान्युमेंट्स हैं, जिनको संभालने की जरूरत है। आप हर संसदीय क्षेत्र में सांसदों के नेतृत्व में एक समिति क्यों नहीं गठित करते, जिसका यह उत्तरदायित्व हो कि उस संसदीय क्षेत्र या जिले में लोकल रिसोर्सेज रेज करके एक न एक मान्युमेंट को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जाए। इस तरह से अगले तीन वर्षों में शायद 543 जिलों में आपको 543 ऐसे मान्युमेंट्स मिल जाएंगे, जो पर्यटन का एक बहुत बड़ा साधन बनेंगे। उनकी प्रिजर्वेशन होगी, क्योंकि आपके संस्थान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से तो यह काम होने वाला नहीं है।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ सांसद हैं। मुझे लगता है कि वह अपना दर्द बहुत देरी से बता रहे हैं। एएसआई ऐसी संस्था है, जिसकी हमारे देश में और हमारे देश के बाहर अपनी प्रतिष्ठा है। मुझ इनके कथन पर आपत्ति है। काम करने के तरीके पर बातचीत हो सकती है। बजट पर्याप्त मात्रा में है और उसको हमने उपयोग किया है। हमारे बजट में कभी कमी नहीं हुई। वह खुद भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी बात यह है कि एएसआई को पर्यटन मंत्रालय अपने मदों से भी पैसा देता है। हम जो स्कीम लेकर आए हैं, उसमें 'अपनी धरोहर अपनी पहचान' योजना बाकायदा पिछले चार वर्षों से चल रही है। यद्यपि यह बात सीधे इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, फिर भी मैं इस सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जिले के स्तर पर किसी भी राज्य की पुरातत्व समिति में सांसद होता ही है। उनके राज्य में शायद उनको नहीं बुलाया जाता होगा, या फिर उनको जानकारी नहीं होगी, यह अलग बात है। हमें समिति बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। वहां पर जिले के स्तर पर पुरातत्व की समिति

होती है। उसमें सांसद अनिवार्य रूप से सदस्य होते हैं। अगर एएसआई का कोई मान्युमेंट है या कोई पुरातात्विक स्थान है, तो उसकी जानकारी आप 'दिशा' की बैठक में भी ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी जगह है, जहां से आप जानकारियां प्राप्त नहीं कर सकते।

माननीय सभापति : श्री निहाल चन्द चौहान।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, केवल दो प्रश्न हुए हैं। कृपया कार्यवाही होने दीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : अगला प्रश्न बोला जा चुका है।

…(व्यवधान)

(Q. 363)

श्री निहाल चन्द चौहान: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मेरे लोक सभा क्षेत्र- गंगानगर में है। आज डीजल का भाव 93.43 पैसे और पेट्रोल का भाव 101 रुपये है। गंगानगर में डीजल और पेट्रोल, राजस्थान के जयपुर और जोधपुर में डीजल और पेट्रोल से भी ढाई रुपये ज्यादा महंगा है। मेरा क्षेत्र पंजाब और हरियाणा से जुड़ा हुआ है। पंजाब और हरियाणा में मेरे संसदीय क्षेत्र से 10 रुपये सस्ता डीजल और पेट्रोल है। मेरा आपके माध्यम से यह आग्रह है कि क्या केंद्र सरकार इस फ्यूल पर केवल किसानों के लिए सब्सिडी देने का विचार रखती है? इसके साथ-साथ क्या फ्यूल को जीएसटी में शामिल करने के बारे में केंद्र सरकार विचार कर रही है?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : Sir, Sri Ganganagar receives the fuel through pipelines from Jaipur and Jodhpur. The costs there being different is something which has been worked out through a proper mechanism.

The question was about, how depots have been closed for various reasons and Sri Ganganagar depot had been closed even in 2010-11. So, as a related question, if he is going to ask about pricing because they are far-flung and closer to Punjab, Sir, it is a totally different issue.

श्री निहाल चन्द चौहान : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे सवाल का जवाब सही तरीके से नहीं दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र के किसानों व अन्य उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि यहां राजस्थान और जयपुर से ढाई रुपये और पंजाब व हरियाणा से 10 रुपये महंगा पेट्रोल और डीजल है। मेरा यह प्रश्न है कि हनुमानगढ़ में जो एचपीसीएल का डिपो था, वह 2010-11 में बंद कर दिया गया। वहां से बठिंडा मात्र 80 किलोमीटर दूर है। क्या गंगानगर और हनुमानगढ़ को आप बठिंडा के डिपो से जोड़ने का

विचार कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब में एक्साइज ड्यूटी 16 प्रतिशत है और राजस्थान में एक्साइज ड्यूटी 26 प्रतिशत है। इसकी वजह से तेल और महंगा है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि गंगानगर और हनुमानगढ़ को क्या आप पंजाब से जोड़ने का विचार रखते हैं या फिर हनुमानगढ़ में जो डिपो था, उसको वापस चालू कराने का विचार रखते हैं? वह डिपो हनुमानगढ़ शहर से बाहर है। आपने प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि कई तकनीकी कारणों से डिपो को बंद किया गया, परन्तु डिपो तो शहर से बाहर है। डिपो को पुन: चालू करने के लिए क्या सरकार विचार कर रही है?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, two-three things will have to be clarified to the hon. Member. Even if the connection is going to come from somewhere else, as long as the town or city is within a particular State, the State's relevant taxation will be applied to them. They may be closer to a different State. If logistically it is convenient, they may get a connection from Punjab which the Department will see whether it is feasible. But even if it is brought from there, the State's applicable rates will be applicable.

So, just because the neighbouring State has a better or a different rate of tax, we cannot have that applied even if the connection on logistics for the pipe and other things happen from there. That is one thing I want to clarify to the hon. Member.

Secondly, about the Sriganganagar and Hanumangarh Depots being closed, I would like to inform that they were closed because of several safety-related issues. Before the closure, mitigating steps have been taken or not, that has been considered. Even after considering, it could not be kept open and that is as far back as 2010-11. So, reconsideration, at the moment, to open Sriganganagar or Hanumangarh Depot is not on.

SHRI BRIJENDRA SINGH: Mr. Chairman, Sir, Ambala Oil Terminal has been shut down for all practical purposes; only the Aviation Turbine Fuel Terminal is functional now and all the business has been shifted to Una, Jalandhar and Sangrur. Ambala is a very strategically and conveniently located station. It catered to civilian and Armed Forces requirements and importantly it is a pipeline terminal, not fed by rail or road. Due to the closure of this terminal, livelihood of thousands of persons has been affected who have been dependent on this terminal. Is the Government planning to reconsider shutting down of this very important terminal?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, there is nothing before us.

(Q. 364)

SHRI PRAJWAL REVANNA: Hon. Chairman, Sir, I would like to thank the Minister for the reply to my question.

Sir, we know that Karnataka symbolises the concept of 'Unity in Diversity'. It is endowed with pristine, unparalleled scenic beauty and Karnataka has something to offer to everyone. From the largest monolithic structure of Lord Gomateshwara to world-famous Hampi, Belur, Halebeedu and not to forget the intricate workmanship of Gol Gumbaz. I have two questions. I will just ask one supplementary question. Even though we have a lot of iconic places and heritage sites, why is the identification very minimal? So, I would like to ask the Minister who identifies the sites, and what is the criteria for selection of these places.

Sir, as we all know, tourism is one of the sectors which generates huge employment opportunities to local skilled and unskilled people. Why are we ignoring Karnataka when we know the potential?

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, उसके संबंध में मैं उनको जानकारी देना चाहता हूँ कि जो 19 आइकोनिक साइट्स हैं, उसमें हम्पी को स्थान मिला है। कर्नाटक की ऐतिहासिकता, उसके पुरातत्व के बारे में देश को गर्व है। इसमें कोई संदेह होने का सवाल नहीं पैदा होता है। जो चीजें हमारे मित्र के प्रश्न में पूछी गई हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत सरकार की जो प्रसाद योजना एवं स्वदेश दर्शन स्कीम्स हैं, वर्ष 2016-17 में वहाँ पैसा दिया गया था, लेकिन दो वर्षों में पैसा खर्च नहीं किया गया और वह पैसा ब्याज सहित राज्य सरकार ने वापस किया है।

मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता देता हूँ, क्योंकि वे पूरक प्रश्न पूछेंगे, चार योजनाएं हैं, जो पहले से भारत सरकार के पास हैं और इस बीच में हमने दी हैं। जिन-जिन के बारे में राज्य सरकार ने जानकारी नहीं दी है, अभी जरूर कांसेप्ट नोट दिया गया है। आध्यात्मिक जो परिपत्र है, उसमें जैन स्पिरिचुअल मंदारागिरी, कम्मानाहल्ली और श्रवणबेलगोला, यह प्रस्ताव आया था। इको पर्यटन का है, विरासत का है, चन्नागिरी तालुका में पर्यटन सर्किट का है। ऐसे प्रस्ताव राज्य सरकार ने बाद में दिए थे, जो अभी वापस किए गए हैं, क्योंकि स्वदेश दर्शन की समीक्षा हुई है।

यह मैं सदन के सदस्यों को भी कहना चाहता हूँ। मैं दो ही उदाहरण दूँगा, एक तो कर्नाटक है, जो मैंने बोल दिया है। दूसरा, केरल में हमने सबरीमाला में वर्ष 2015-16 में 100 करोड़ रुपये के आसपास, 99 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा दिया था, लेकिन उन्होंने भी पैसा वापस करने का तीन साल बाद तय किया। उसमें से तीन प्रतिशत पैसा भी खर्च नहीं हुआ। भारत सरकार जब पैसा देती है तो वह कनेक्टिविटी के लिए देती है। मुझे लगता है कि पर्यटन मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जो स्टेक होल्डर्स का है।

सब को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। जब ऐसी कठिनाइयां आती हैं, तब उसकी समीक्षा हुई है। वैसे सरकार ने स्वदेश दर्शन का बजट दिया है और हम जो भी प्रोजेक्ट बुलायेंगे, उसको तेजी के साथ पूरा करेंगे। लेकिन भारत सरकार की नीति बड़ी साफ है, जब आप एक प्रोजेक्ट पूरा करेंगे, तो दूसरे दिन हम दूसरा प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार हैं। अगर कम्पलीशन नहीं होगा, तो यह गतिरोध बना रहेगा।

SHRI PRAJWAL REVANNA: Sir, I want to know about the funds. The Minister was talking about the funds.

माननीय सभापति: आप चाहें तो अपना मास्क हटा कर बैठ कर बोल सकते हैं।

SHRI PRAJWAL REVANNA: As per the latest records, a reply for Unstarred Question was given on 8th March, 2021 and it shows that from 2014, Karnataka has not been funded even Re.1. When it comes to tourism, they are selecting only Hampi. But the other sites have not been identified at all. Except Hampi, other sites have never been identified even though we have so many other heritage sites like Halebeedu, Belur and Lord Gomateshwara statue, which is the tallest idol in the whole of the country. We also have Gol Gumbaz and so many other heritage places.

What I am asking here is that even in the latest reply for which I have got an answer, they say that they have given funds for exhibitions and fairs. Other than that, they have never given any kind of funds for renovation or promotion or branding of any tourism heritage sites.

So, why is Karnataka being ignored in the quantum of funds when it is compared with funds to other States?

Sir, I also want to say one thing that when we are talking about tourism, we can also improvise and promote tourism.

HON. CHAIRPERSON: Please ask your Supplementary.

SHRI PRAJWAL REVANNA: It can also benefit rural economy and also enhance economy of the whole country. My supplementary is that when it comes to quantum of funds, why is Karnataka being neglected?

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : सभापति जी, मैं पढ़ कर सुना देता हूं कि वर्ष 2016-17 में 95.67 करोड़ रुपये दिए गए थे और अगस्त, 2016 में कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम को पहली किस्त के रूप में 19.13 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। लेकिन उसके बाद में कोई प्रगति नहीं होने के बाद

कर्नाटक सरकार ने ब्याज सहित यह पैसा वापस किया है। इसलिए यह मत कहिए कि पैसा नहीं दिया गया, पैसा दिया गया है।

उन्होंने जो दूसरी बात कही है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पहले प्रश्न में भी कहा है कि हम बाकायदा रियलस्टिक के काम में लगे हुए हैं। हम्पी हमारा महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है और हम्पी के अलावा जो स्थान आपने बताये हैं, वे एएसआई के मॉन्यूमेंट्स भी हैं। मुझे लगता है कि कर्नाटक के बहुत सारे माननीय सांसदों ने लगातार पत्र दिए हैं और मैंने जिन योजनाओं का नाम लिया है, अब राज्य सरकार भेजेगी। पहले कैसे काम हुआ है, मैं किसी पर आक्षेप करना नहीं चाहता, लेकिन बानगी मैंने आपको बताई है।

माननीय सभापति : डॉ. उमेश जी. जाधव। यह प्रश्न कर्नाटक स्पेसिफिक है।

DR. UMESH G. JADAV : Sir, the Northern Karnataka is the most neglected place for tourism. A proposal was sent in 2016 regarding Gulbarga heritage development. कर्नाटक से डेवलपमेंट के लिए प्रपोजल आया था। उस पर क्या एक्शन हुआ? मुझे पता नहीं है। हैदराबाद का बॉर्डर जो पंचारम प्लेस है, बहुत बड़ा Ethipothala falls है, उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वहां पर ध्यान दिया जाए। वहां उसमें कुछ फंड लगा कर डेवलपमेंट के लिए, मदद करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : सभापति जी, उन्होंने मांग की है और मैंने पहले ही कहा कि जो विरासत सर्किट है, उसमें विदर्भ, गुलबर्गा और यादगीर पर्यटन सर्किट के विकास के लिए वर्ष 2017 में हमारे पास आया था। यह स्कीम लगभग 88.67 करोड़ रुपये की थी। अभी हमने सारे प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे हैं। इस बार आबंटन के साथ, समीक्षा के बाद जब शुरू होंगे तो प्राथमिकता के साथ उन प्रस्तावों को बुलायेंगे।

डॉ. उमेश जी. जाधव: उसमें बहुत हार्ड कंडीशन्स हैं।

माननीय सभापति : बाद में बात करेंगे।

…(व्यवधान)

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : मुझे लगता है कि शर्तें तो…(व्यवधान)

माननीय सभापति : क्वेश्चन नम्बर 365.

(Q. 365)

माननीय सभापति: श्री राहुल शेवाले जी, प्रथम पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री राहुल रमेश शेवाले: सभापति महोदय, सीएसआर फंड खर्च करने के लिए कंपनियां धर्मार्थ ट्रस्टों का उपयोग करती हैं। बहुत सारी कंपनियों के जो डायरेक्टर होते हैं, वे ही मेंबर होते हैं, वे खुद के ट्रस्ट बनाते हैं, खुद के परिवार के ट्रस्ट बनाते हैं, धर्मार्थ ट्रस्ट बनाते हैं। उस ट्रस्ट के माध्यम से सीएसआर का फंड यूटिलाइज करते हैं। दान किया गया धन वापस कंपनी को दिया जाता है और पैसा वैध बैंकिंग चैनलों के माध्यम से इन ट्रस्टों में प्रवाहित होता है। लेकिन अंतत: कंपनी को नगद या और किसी रूप से वापस कर दिया जाता है। यह सीएसआर निधियों को समाप्त करने का सबसे आसान और पसंदीदा मार्ग है, क्योंकि इस पर सरकार द्वारा बहुत सावधानी से निगरानी नहीं की जाती है और इसमें केंद्रीयक्रत चेक का अभाव ही, जो ऐसे ट्रस्टों की गतिविधियों की निगरानी कर सकता है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि कोई भी कंपनी इस तरह के चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कंपनी अधिनियम 2014 की अनुसूची-7 में उल्लिखित परियोजनाओं पर सीएसआर फंड खर्च करने की अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकती हैं और उन्हें किस तरह सीएसआर फंड का समुचित उपयोग करने के लिए मजबूर किया जा सकता है?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सभापति महोदय, सीएसआर के विषय को ले कर बार-बार इस सदन में कई बार चर्चा होती है और माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न उठाया है, मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि पर ले जाना चाहूंगा। यह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ड्रिवन प्रोसेस है। इसमें कानून के अंतर्गत, 135 के अंतर्गत साफ तौर पर कहा गया है कि कौन-कौन इसको खर्च कर सकता है। बोर्ड की एक इम्पिलिमेंटिंग एजेंसी अपनी भी हो सकती है, कंपनी की या कोई बाहर का सैक्शन-8 कंपनी हो, रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो, एनजीओ हो, वह सब इसकी डीटेल्ड सूची दे रखी है। पचास प्रतिशत पैसा जो है, वह सीधा आउटसाइड इम्पिलिमेंटिंग एजेंसीज़ के माध्यम से खर्च किया

गया है। लगभग 6-8 प्रतिशत वह है, जो इन कंपनीज़ की ही आगे इम्पिलिमेंटिंग ऐजेंसीज है और लगभग 38 प्रतिशत वह है, जो कंपनीज़ ने स्वयं अपनी एक कमिटी बना कर खर्च किया है। अगर आप कुल मिला कर देखेंगे तो जो खर्चा 2014-15 में हुआ, क्योंकि सन् 2013 में यह कानून बना, सन् 2014-15 में कुल मिला कर जो खर्च हुआ, वह लगभग 16,548 से बढ़ कर 24,932 कंपनीज़ हो गई यानि कंपनीज़ की संख्या में भी 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

माननीय सभापति जी, जो खर्चा हुआ है, वह सन् 2014-15 में 10,065 करोड़ रुपये हुआ, जो बढ़ कर 18,655 करोड़ रुपये हुआ। यहां पर शुरू में इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, अगर आप पैसा खर्च नहीं करते हो। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर बैठी हैं। सन् 2019 में हमने इसको कंपाउंडेबल ऑफेंस किया, ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस भी हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनीज़ पैसा खर्च न करें। उनकी जवाबदेही हमने और तय की है। अगर वे पैसा खर्च नहीं करती हैं तो उसके लिए भी प्रावधान बनाया गया है कि किस खाते में उनको अनस्पेंड पैसा डालना है। उसकी भी पूरी जानकारी ली जाती है। एक-एक रुपये के लिए उनको अकाउंटेबल किया जाता है। अगर कोई स्पेसिफिक केस माननीय सांसद महोदय के ध्यान में है तो मैं चाहूंगा कि वे उसकी जानकारी दें, ताकि हम उस पर भी उचित कार्यवाही कर सकें।

श्री राहुल रमेश शेवाले: सभापति महोदय, मेरा सैकेंड सप्लिमेंट्री क्वेश्चन यह है कि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि सीएसआर का फंड 50 पर्सेंट बाहर की संस्था से और 38 पर्सेंट उनकी कंपनी की कमिटी के माध्यम से यूटिलाइज होता है।

मेरे संसदीय क्षेत्र में रिफाइनरीज़ हैं, इंडियन ऑयल हैं, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, ओएनजीसी है, आरसीफ का भी प्लांट है, न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन का भी प्लांट वहां पर है। इन सभी कंपनियों को जब हम सीएसआर फंड के लिए एप्रोच करते हैं, तो सभी का रिप्लाई यही आता है कि हमारा सीएसआर फंड प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को दिया गया है, आपको सीएसआर फंड नहीं मिलेगा। तो अभी मंत्री जी ने अपने रिप्लाई में बताया कि 50 पर्सेंट बाहर की संस्था के माध्यम से यूटिलाइज होता है और 38 पर्सेंट उनकी कंपनी की जो डायरेक्टर बॉडी है,

वह यूटिलाइज करने का निर्णय लेती है, लेकिन हर बार हमें यही रिप्लाई मिलता है। इसके पहले भी, पांच साल पहले जब इन सभी कंपनियों को हमने एप्रोच किया तब भी उन्होंने कहा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टेचू बनाया जा रहा है, वहां पर हमारा सीएसआर फंड यूटिलाइज हुआ है। अभी उनका रिप्लाई आता है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को हमारा सीएसआर फंड यूटिलाइज हो रहा है। कंपनी के नियम के अनुसार जहां पर भी प्लांट है, रिफाइनरी है, वहां के दो किलोमीटर के दायरे में, सीएसआर फंड यूटिलाइज करने का नियम है और प्रॉफिट में से जो 2 पर्सेंट होता है, वह सीएसआर फंड के लिए यूटिलाइज होना चाहिए। यह मेरे संसदीय क्षेत्र के ऊपर अन्याय है। जितनी भी रिफाइनरी कंपनीज हैं, जितने भी प्लांट्स मेरे संसदीय क्षेत्र में हैं, क्या मंत्री जी उनको निर्देश देंगे कि उनका सीएसआर फंड मेरे संसदीय क्षेत्र में यूटिलाइज हो?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय सभापति जी, पूरे देश के सांसदों की तरफ से यह बात बार-बार उठाई जाती है कि अधिकतर पैसे कुछ ही राज्यों में खर्च होते हैं। वैसे तो ये कम्पनीज़ पर निर्भर करता है कि उनका कहां कार्य क्षेत्र है, पर मैं माननीय सांसद जी को कहना चाहूंगा कि अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा ये पैसे खर्च किए गए हैं तो वे महाराष्ट्र में खर्च किए गए, जहां से माननीय सांसद आते हैं। कुल मिलाकर 79,292 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसमें से 12,700 करोड़ रुपये केवल महाराष्ट्र में खर्च हुए। उसके बाद अगर दूसरा सबसे ज्यादा खर्च कहीं हुआ है तो वह 3,926 करोड़ रुपये गुजरात में खर्च हुए हैं। इसमें से आंध्र प्रदेश में 3,542 करोड़ रुपये खर्च हुए, तमिलनाडु में 3,415 करोड़ रुपये और ओडिशा में 2563 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप बैठिए। आप वह बाद में मालूम कर लीजिएगा। अभी उत्तर होने दीजिए। अभी बैठिए।

…(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय सभापति जी, महाराष्ट्र के बहुत सारे सांसद कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में वसूली चल रही है। लेकिन, अगर कोई कहे कि पश्चिम बंगाल में 'कट मनी' चल रहा है

और महाराष्ट्र में वसूली चल रही है तो वह मेरे इस प्रश्न से रिलेटेड नहीं है ।…(व्यवधान) माननीय सांसद कुछ भी कहने के लिए फ्री हैं ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, आप केवल उत्तर दें।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: केवल माननीय मंत्री जी का उत्तर रिकॉर्ड में जा रहा है। कृपया सभी लोग बैठ जाएं।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, आप अपना उत्तर पूरा कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय सभापति जी, मैं देख रहा हूं कि केवल महाराष्ट्र के सांसद ही नहीं, बल्कि देश भर के माननीय सांसद इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो महाराष्ट्र में आरोप लगे हैं, वे बहुत गम्भीर हैं ।…(व्यवधान) इनका दर्द मैं समझ सकता हूं। ये उसे ज़ीरो आवर में उठाएंगे और महाराष्ट्र सरकार उस पर उचित कार्रवाई करेगी और यह होना चाहिए क्योंकि यह कोई छोटा-मोटा आरोप नहीं है ।…(व्यवधान) 100 करोड़ रुपये महीने की वसूली की बात एक बहुत बड़े आरोप की बात है। यह एक चिंता का विषय है, लेकिन इस प्रश्न से उसका लेना-देना नहीं है ।…(व्यवधान) जहां तक सी.एस.आर. के अमाउन्ट की बात कही गई, यह हो सकता है कि वह आपके संसदीय क्षेत्र में न हो रही हो, जिसकी बात कही गई ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: मंत्री जी, आप चेयर की तरफ देख कर उत्तर दें।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय सभापति जी, जैसा कि मैंने कहा, हमने 12,700 करोड़ रुपये केवल और केवल महाराष्ट्र राज्य में खर्च किये हैं तो मैं माननीय सांसद को कहना चाहता हूं कि अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा पैसे खर्च हुए हैं तो वे माननीय सांसद जी के राज्य महाराष्ट्र में खर्च हुए हैं।

माननीय सभापति: श्री हेमन्त पाटिल - उपस्थित नहीं।

श्री रवनीत सिंह: चेयरमैन साहब, पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे स्पीकर साहब जल्दी से जल्दी ठीक हों, हम उनके लिए कामना करते हैं।

माननीय मंत्री जी, वैसे तो 28 मार्च, 2020 से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, पर 28 मार्च, 2020 में आप पी.एम. केयर्स फण्ड लेकर आए। उसके बाद सबमें 'कट' लगने लग गया। जो-जो स्कीम्स सी.एस.आर. में चल रही थीं, आप उनकी हाई लेवल कमेटी रिपोर्ट्स देखें।

चाहे वर्ष 2015 की बात करें या वर्ष 2019 की बात करें, उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट फंडेड स्कीम्स हैं, उनमें कोई भी पैसा सीएसआर का नहीं जाएगा। जो भी स्कीम्स बनी हैं, आप उनके बारे में सोचिए कि अब उनका क्या होगा। आपके फाइनेंस का इतना दिवालियापन है, सीआरएस का पैसा गरीबों के लिए है, उनकी पढ़ाई के लिए है और उनके सैनिटेशन के लिए है। वहाँ थोड़ा-थोड़ा पैसा खर्च करना है। उनके लिए जो प्लान्स बने हुए थे, उनका क्या होगा? आगे उनका जो प्लान बनना था, उसका भी क्या होगा? अब गरीबों के लिए सीआरएस का जो पैसा है, वह पीएम केयर्स फंड में डाल दिया गया।

महोदय, यहाँ से पता चलता है कि अभी सरकार की हालत क्या है। आप गरीबों का पैसा भी पीएम केयर्स फंड में डाल देते हैं। आप चीफ मिनिस्टर को एलाऊ नहीं करते हैं। वहाँ सीआरएस…(व्यवधान) फंड नहीं जा सकता है। यह पैसा पीएम केयर्स फंड में क्यों जाए? हमारे मंत्री जी कृपया इसका सियासी उत्तर न दें, क्योंकि वह काफी सियासी उत्तर दे देते हैं। आज मैं आशा करता हूँ कि वह जरूर इस विषय के ऊपर एक मंत्री के रूप में बात करेंगे।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सर, मैंने न आज से पहले कभी माननीय सांसद को निराश किया है और न ही अब करने वाला हूँ। पहली बात मैं यह कह दूँ कि यह सीआरएस नहीं है, बल्कि यह सीएसआर है- कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सबिलिटी। इसको कौन तय करता है; यह कंपनी का मुनाफा और टर्न ओवर पर तय होता है। उसका कुल 2 प्रतिशत खर्च करना होता है। यह बोर्ड ड्रिवन प्रोसेस है। कंपनी का बोर्ड तय करता है कि किन-किन क्षेत्रों में वह पैसा खर्च करना चाहता

है। अपनी वेबसाइट पर वे सारी जानकारी डालते हैं। यहाँ तक कंपनी को यह भी अधिकार है कि वे किस फंड के लिए प्रोजेक्ट करेंगे।

मैं एक बात सदन के सामने बड़ी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि तीन ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ पर अधिकतर पैसे खर्च किये जाते हैं। वह सबसे बड़ा क्षेत्र शिक्षा का है, जहाँ पर 24, 231 करोड़ रुपये अब तक खर्च किए गए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 13,384 करोड़ रुपये खर्च किए गए। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 8,750 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसी तरह से लाइवलीहुड एन्हैन्स्मेन्ट प्रोजेक्ट है, ताकि आपको रोजगार तथा स्वरोजगार का अवसर मिल सके। उसके ऊपर लगभग 3,261 करोड़ रुपये खर्च किए गए। यह पैसा देश के अलग-अलग भागों में खर्च किया गया।

यह बात सही है कि जहाँ पर खनन ज्यादा है, फैक्ट्री ज्यादा है, उन राज्यों में थोड़ा ज्यादा पैसे खर्च हुए होंगे। जहाँ इंडस्ट्रीज़ कम हैं, कॉरपोरेट हाउसेज़ के अपने ऑफिसेज़ कम हैं, वहाँ पर थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन इसके बावजूद लगातार खर्चा बढ़ा है। अब तक कुल मिलाकर 79,292 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। ये कितने वर्षों में हुए हैं, वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2020-21 तक खर्च हुए हैं।

जहाँ तक माननीय सांसद ने कहा कि आप सरकारी योजनाओं पर पैसा खर्च करें। मैं एक बात को बड़ा स्पष्ट कर दूँ। शेड्यूल 7 में लिखा गया है कि किन-किन चीजों के लिए पैसा खर्च किया जा सकता है। ये जितने भी पैसे अभी तक खर्च हुए, ये गैर सरकारी क्षेत्र में ही खर्च हुए हैं। आप सब लोग इसको भली भाँति जानते हैं। अगर आप इसको घुमा-फिराकर किसी पर डालने का प्रयास करेंगे तो मैं इस पर एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूँ। अगर क्लीन गंगा प्रोग्राम है या कोविड से लड़ने के लिए राज्यों को मदद करने की बात है, उस कोविड की लड़ाई में देश के लोगों ने आगे बढ़-चढ़ कर अपना योगदान दिया। न केवल सीएसआर फंड से, बल्कि जिन लोगों की अपनी कोई जमा पूंजी भी थी, कई लोग तो ऐसे थे, जिनके पास शायद चाय बेच कर या दिहाड़ी

लगाकर एक हजार, दो हजार, पाँच हजार रुपये भी इकट्ठे हुए, ऐसी सैकड़ों स्टोरिज देशभर में छपीं कि देश के लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन उसके लिए दिया कि हम कोविड के खिलाफ लड़ेंगे।

माननीय सांसदों ने भी अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा इसके लिए दिया, ताकि हम महामारी के सामने लड़ सकें। वे यहीं नहीं रूकें, मैं सभी माननीय सांसदों का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, चाहे एमपीलैड फंड हो, अपनी सैलरी की बात हो, आपका यह कंट्रीब्यूशन व्यर्थ नही गया है। दुनिया भर के देशों में अगर देखा जाए कि सबसे कम मृत्यु-दर जिन देशों में हैं और लड़ाई लड़ने में जो सफल हुए हैं, उन देशों में यदि किसी का नाम है तो हमारे भारत का आता है। इसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं राज्यों की सरकारों को इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ।

इसमें एक और बात आई कि सरकारी योजनाओं की क्या स्थिति है। इस बार के बजट में भी आप देखेंगे, पानी किसको चाहिए, पानी हर घर को चाहिए। हर घर को नल से स्वच्छ जल देने के लिए हमने इस साल के बजट में भी 50,110 करोड़ रुपये दिए।

हमें उसमें सीएसआर फंड की आवश्यकता नहीं थी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 94,452 करोड़ रुपये का पिछले साल का बजट था। माननीय मंत्री जी ने इसे 2,23,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़ाकर इस साल किया और 137 पर्सेंट की वृद्धि स्वास्थ्य के क्षेत्र में की। हम सीएसआर फंड से केंद्र की योजनाओं को चलाने का काम नहीं करते हैं। यह केवल निराधार आरोप है, जिसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। अगर शेड्यूल 7 में कुछ ऐसी आइटम्स दी गई हैं, जिससे समाज की भलाई होती है और उससे अगर किसी सरकारी योजना को आगे चलकर कोई फायदा होता है, तो वह अलग बात है। उसको इसमें मेंशन किया गया है, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सरकार के दूसरे फंड को इससे लिया जा रहा है।

(Q. 366)

श्री रितेश पाण्डेय: आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । यह सच है कि आरबीआई ने अभी हाल ही में एक अपनी रिपोर्ट निकाली है, आईडब्ल्यूजी जो एक बॉडी है, उसने एक रिपोर्ट निकाली है । इसके अंतर्गत जो प्राइवेट प्रतिष्ठान हैं, उनको भी बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कहा गया है । यह किसी बम से कम नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे कॉरपोरेट घरानों को, बैंकिंग में मंजूरी देने का जो यह प्रस्ताव है, क्या सरकार उसे मंजूर करने पर विचार कर रही है? यह मेरा पहला प्रश्न है ।

दूसरा, अगर इन प्रतिष्ठानों को मंजूरी मिल जाती है, तो क्या यह कहीं न कहीं समझदारी का कदम होगा कि जिनके साथ हितों का टकराव हो, उनको हम बैंकिंग क्षेत्र में लाकर गरीबों के साथ अन्याय करने जा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट प्रतिष्ठान गरीबों का पैसा लेकर अपने ही बिजनेसेज़ में लगा देंगे? हमारे देश में वैसे ही एनपीएज़ बढ़ते चले जा रहे हैं । जब प्राइवेट संस्थान आकर खुद पैसा मार्केट से उठाकर, लोगों का पैसा अपने धंधे में लगाकर उसको गंवा देने का काम करेंगे, तो यह उचित नहीं होगा । क्या सरकार इस प्रस्ताव को मानने पर विचार कर रही है और क्या इसको स्वीकार करने पर विचार करके, बैंकिंग क्षेत्र में कॉरपोरेट घरानों को अनुमति देने के बारे में सोच रही है?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय सभापति जी, अगर माननीय सांसद महोदय प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे, यह प्रश्न आपका नहीं है, लेकिन आपने सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछा है, इसलिए आपको और ध्यान से पढ़ना चाहिए था । यह प्रश्न एनबीएफसीज़ पर है । **…(व्यवधान)** आप थोड़ा ध्यान से सुनिये । इससे थोड़ा ज्ञानवर्धन होगा । बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ दोनों अलग-अलग हैं । मैं चाहूं तो इस प्रश्न का उत्तर न भी दूं, क्योंकि यह इससे संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी, क्योंकि प्रश्न पूछा है तो मैं इसका उत्तर जरूर देना चाहूंगा ।

सर, इंटरनल ग्रुप्स की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, सुझाव आते हैं। उस पर अंतिम निर्णय आरबीआई क्या करता है, उस पर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। ऐसा नहीं है कि आज के समय में प्राइवेट क्षेत्र में भारत में कोई बैंक नहीं चल रहा है। अगर आप एचडीएफसी जैसे बैंक्स को देखेंगे, आईसीआईसीआई को देखेंगे, एक्सिस बैंक और बाकी सबको देखेंगे, तो उसमें बहुत सारे प्राइवेट सैक्टर का ही इनवेस्टमेंट है और उसमें बहुत सारा इनवेस्टमेंट तो विदेशी कंपनियों का भी है। पहली बात तो आरबीआई ने उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है और दूसरा यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि अगर कोई कॉरपोरेट आएगा, बैंक खोलेगा, तो उस पैसे को अपने यहां पर ही लगा लेगा। सर, जब राष्ट्रीय बैंक आए थे, उसके पहले बैंक कौन चलाता था, किन लोगों ने पूंजी लगाई थी और वे कौन थे? आजादी के पहले की भी अगर आप बात करेंगे और आजादी के बाद की बात भी करेंगे, तो वही सब आपको देखने को मिलेगा। जिस रिपोर्ट की आप बात करते हैं, उस पर आरबीआई ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है, इसलिए उस पर आप चिंतित न हों। आरबीआई इस पर निर्णय करेगा। 138 करोड़ भारतीयों को अच्छी बैंकिंग सुविधा चाहिए, ज्यादा बैंक्स चाहिए। अच्छी बैंकिंग की कंपटीटिव सर्विसेज़ अगर प्राइवेट, पब्लिक सभी में होगी, तो इससे सबसे ज्यादा लाभ देश के उपभोक्ताओं को मिलेगा। आप और हम सब लोग उपभोक्ताओं के ही हित में कदम उठाने के लिए यहां चुनकर आते हैं। हमारी सरकार हो या आरबीआई हो, सारे कदम कंज्यूमर के हित में ही उठाये जायेंगे।

[*]WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 367 to 380)

Unstarred Question Nos. 4141 to 4370)

(Page No. 56-591)

[*] Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

12.00 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर तीन से ग्यारह, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' की ओर से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद [तकनीकी संस्थानों (डिग्री/डिप्लोमा) के शिक्षकों और अन्य अकादमिक स्टाफ के लिए अर्हताओं, वेतनमान, सेवा शर्तों, करियर उन्नयन योजनाओं (सीएएस)/पदोन्नतियों आदि के संबंध में सातवें सीपीसी में कतिपय मुद्दों/विसंगतियों पर स्पष्टीकरण], 2020 जो 29 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.61-3/आरआईएफडी/सातवां सीपीसी/2016-17 में प्रकाशित हुए थे।

(2) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद [तकनीकी संस्थानों (डिग्री/डिप्लोमा) के शिक्षकों और अन्य अकादमिक स्टाफ के लिए अर्हताओं, वेतनमान, सेवा शर्तों, करियर उन्नयन योजनाओं (सीएएस)/पदोन्नतियों आदि के संबंध में सातवें सीपीसी में कतिपय मुद्दों/विसंगतियों पर स्पष्टीकरण], 2020 जो 29 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.27-4 / एआईसीटीई / आरआईएफडी / वेतनमान / 2018-19 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 4094/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं श्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा व्यक्तियों के संघ की अधिसूचना की) षदके अंतर्गत प्रेस परि (3) धारा-की उप 25 नियम (प्रक्रिया, 2021, जो फरवरी 5, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सामें प्रकाशित हुए थे (अ)102.नि.का., की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 4095/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं श्री धर्मेन्द्र प्रधान की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 4096/17/21]

(ख) (एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4097/17/21]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 4098/17/21]

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 4099/17/21]

(4) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सीजीडी की परिवहन दर और सीएनजी की परिवहन दर का निर्धारण) विनियम, 2020 जो 24 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. पीएनजीआरबी/कॉम/1-सीजीडी टैरिफ(1)/2015(पी-2750) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए एक्सेस कोड) विनियम, 2020 जो 24 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. पीएनजीआरबी/ऑथ/1-सीजीडी टैरिफ(16)/2020(पी-2748) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम संस्थापनाओं के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देशन) विनियम, 2020 जो 18 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. पीएनजीआरबी/टेक/7-टी4एसपीआई(1)/2020 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 4100/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं श्री संतोष गंगावर की ओर से अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा जून, 2019 में जिनेवा में आयोजित अपने वें सत्र में हिंसा और उत्पीड़न से संबंधित 108 190 .अंगीकृत आईएलओ अभिसमय संऔर सिफारिश सं 206 .के बारे में विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4101/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं श्री प्रह्लाद सिंह पटेल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 4102/17/21]

(ख) (एक) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 4103/17/21]

(ग) (एक) कुमाराकरूप्पा फ्रंटियर होटल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुमाराकरूप्पा फ्रंटियर होटल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 4104/17/21]

(घ) (एक) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुदुचेरी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुदुचेरी का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 4105/17/21]

(ङ) (एक) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पटना का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 4106/17/21]

(च) (एक) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले 6 विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4107/17/21]

(3) (एक) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टिट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टिट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4108/17/21]

(5) (एक) राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान कला इतिहास, संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान कला इतिहास, संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4109/17/21]

(7) (एक) राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4110/17/21]

(9) (एक) गेडन रेबगेलिंग मोनेस्टिक स्कूल, बोमडिला के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गेडन रेबगेलिंग मोनेस्टिक स्कूल, बोमडिला के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4111/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय**,** मैं श्री राज कुमार सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**:-**

(1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एन्टरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 से 2017-2018 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एन्टरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 से 2017-2018 तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4112/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय**,** मैं संजय शामराव धोत्रे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**:-**

(1) (एक) राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4114/17/21]

(3) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4115/17/21]

(5) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4116/17/21]

(7) (एक) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4117/17/21]

(9) (एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4118/17/21]

(11) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गुजरात काउंसिल ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गुजरात काउंसिल ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4119/17/21]

(13) (एक) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4120/17/21]

(15) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4121/17/21]

(16) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, चित्तूर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, चित्तूर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4122/17/21]

(18) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4123/17/21]

(20) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4124/17/21]

(22) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4125/17/21]

(24) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4126/17/21]

(26) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4127/17/21]

(28) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4128/17/21]

(30) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4129/17/21]

(32) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सरकारी-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत की संविधियां, 2021 जो 3 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 1007(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल की संविधियां, 2021 जो 3 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 1008(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर की संविधियां, 2021 जो 3 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 1009(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला की संविधियां, 2021 जो 3 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1010(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रायचूर की संविधियां, 2021 जो 3 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1011(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[Placed in Library, See No. LT 4130/17/21]

(33) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 जो 4 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.1-1/2020 (डीईबी-1) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4131/17/21]

(34) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या आईजी/एसीडी/7वां सीपीसी/सीएएस/2019-20/06 जो 5 फरवरी, 2021 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार इग्नू में लाइब्रेरियन सहित शिक्षकों की वृत्तिक उन्नति योजना तथा अकादमिकों की व्यवसायिक उन्नति योजना संबंधी अध्यादेश के बारे में हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4132/17/21]

(35) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अधिसूचना संख्या सीयूके/एसटीएटी/संशोधन/12, जो 20 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो कोर्ट के गठन संबंधी केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय की संविधि 10 में संशोधन के बारे में है।

(दो) झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) संविधियां, 2019 जो 20 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.संख्या सीयूजे/संविधि/1/2010 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) संविधियां (पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए), 2020 जो 4 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.संख्या सीयूपीबी/सीसी/19-20/अध्या./2361 में प्रकाशित हुई थी।

(चार) डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय (संशोधन) संविधियां, 2019 की पहली संविधि जो 17 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या डीएचएसजीयू/20/संविधि/7/414 में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) संविधियां (डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय के लिए), 2019 जो 17 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या डीएचएसजीयू/20/संविधि/7/415 में प्रकाशित हुई थी।

[Placed in Library, See No. LT 4133/17/21]

(36) वास्तुकार अधिनियम, 1972 की धारा 45 की उपधारा (3) के अंतर्गत वास्तुकला परिषद (वास्तु कलात्मक शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 7 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.संख्या सीए/193/2020/एमएसएई (विनियम) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4134/17/21]

(37) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (तकनीकी संस्थानों के लिए स्वीकृतियां देना) (पहला संशोधन) विनियम, 2021 जो 24 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.संख्या एबी/एआईसीटीई/आरईजी/2020 (पहला संशोधन, 2021) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4135/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय**,** मैं श्री अश्विनी कुमार चौबे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**:-**

(1) भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 18 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मास्टर ऑफ फार्मेसी (एम.फार्मा) पाठ्यक्रम (संशोधन) विनियम, 2020, जो 12 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 14-136/2019-पीसीआई में प्रकाशित हुए थे।

(दो) फार्मा.डी. (संशोधन) विनियम, 2019, जो 10 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 14-126/2019-पीसीआई में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4113/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय**,** मैं अनुराग सिंह ठाकुर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**:-**

(1) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 से 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले 6 विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4136/17/21]

(3) (एक) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4137/17/21]

(5) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-2021 की पहली छमाही की समाप्ति पर बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय में प्रवृत्तियों की छमाही समीक्षा संबंधी विवरण तथा उक्त अधिनियम के अधीन सरकार के दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने को स्पष्ट करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4138/17/21]

(6) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 4 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आईबीबीआई/2020-21/जीएन/आरईजी.069 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4139/17/21]

(7) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64 के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कारोबार के संचालन के लिए बैठक) संशोधन विनियम, 2021 जो 3 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.संख्या आर-40007/6/विनि.-बैठक/अधि./2021-सीसीआई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4140/17/21]

(8) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत बीमा लोकपाल (संशोधन) नियम, 2021 जो 2 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.147(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4141/17/21]

(9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कंपनी (बोर्ड की बैठक तथा इसकी शक्तियां) तीसरा संशोधन नियम, 2020 जो 28 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) चौथा संशोधन नियम, 2020 जो 28 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.589(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (प्रतिभूतियों का विवरण और आवंटन) संशोधन नियम, 2020 जो 16 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.642(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) पांचवां संशोधन नियम, 2020 जो 18 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.774(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कंपनी (सुलह, प्रबंध और समामेलन) दूसरा संशोधन नियम, 2020 जो 18 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.773(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) कंपनी (शेयर पूंजी और ऋणपत्र) दूसरा संशोधन नियम, 2020 जो 24 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.794(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कंपनी (निगमन) तीसरा संशोधन नियम, 2020 जो 24 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.795(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) चौथा संशोधन नियम, 2020 जो 30 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.806(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) कंपनी (निगमन) संशोधन नियम, 2021 जो 25 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.44(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) कंपनी (निगमन) दूसरा संशोधन नियम, 2021 जो 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.91(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) कंपनी (परिभाषा विवरणों के विनिर्देश) संशोधन नियम, 2021 जो 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.92(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) कंपनी (सुलह, प्रबंध और समामेलन) संशोधन नियम, 2021 जो 1 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.93(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) उत्पादक कंपनी नियम, 2021 जो 11 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.112(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) कंपनी (शेयर पूंजी और ऋणपत्र) संशोधन नियम, 2021 जो 11 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.113(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) कंपनी (परिभाषा विवरणों के विनिर्देश) दूसरा संशोधन नियम, 2021 जो 19 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.123(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 4142/17/21]

(10) प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 की धारा 11 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) 2020 का परिपत्र संख्या 9 जो दिनांक 22 अप्रैल, 2020 का है तथा जो प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के उपबंधों पर स्पष्टीकरणों के बारे में है।

(दो) 2020 का परिपत्र संख्या 18 जो दिनांक 28 अक्तूबर, 2020 का है तथा जो प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के उपबंधों पर स्पष्टीकरणों के बारे में है।

(तीन) 2020 का परिपत्र संख्या 21 जो दिनांक 4 दिसम्बर, 2020 का है तथा जो प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के उपबंधों पर स्पष्टीकरणों के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 4143/17/21]

(11) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर (21वां संशोधन) नियम, 2020 जो 22 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.574(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) चेहराविहीन अपील योजना, 2020 जो 25 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.3296(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ.3297(अ) जो 25 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा चेहराविहीन अपील योजना, 2020 को प्रभावी किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (23वां संशोधन) नियम, 2020 जो 22 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.664(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) चेहराविहीन शास्ति योजना, 2021 जो 12 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.117(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ.118(अ) जो 12 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा चेहराविहीन अपील योजना, 2020 को प्रभावी किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 4144/17/21]

(12) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-ण के अंतर्गत जारी उक्त अधिनियम की धारा 194-ण (4) और धारा 206ग (1-1) के अधीन दिशानिर्देशों वाले 29 सितम्बर, 2020 के परिपत्र संख्या 17/2020 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 4145/17/21]

(13) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) 21 जनवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या 05/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ.446(अ) जो 29 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ.489(अ) जो 2 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) 4 फरवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या 14/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ.562(अ) जो 5 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ.675(अ) जो 15 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) 18 फरवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या 18/2021-सी.शु.(एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि.103(अ) जो 5 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.116(अ) जो 17 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या 57/2000- सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.117(अ) जो 17 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 फरवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या 11/2021- सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 4146/17/21]

(14) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.124(अ) जो 19 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों की सिफारिशों के अनुसार अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क आरोपित करने की तारीख, जो कि 29 जुलाई, 2020, से 5 वर्षों की अवधि के लिए चीन जनवादी गणराज्य

से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित एनिलाईन के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क आरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.137(अ) जो 25 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 14.06.2017 की अधिसूचना संख्या 29/2017-सी.शु.(एडीडी) को संशोधित करना है जिससे कि अभिहीत प्राधिकारी की सिफारिश के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "3 प्रतिशत से कम जल अवशोषण युक्त पालिश की हई अथवा बिना पालिश की तैयार ग्लेज्ड/अनग्लेज्ड पोरसेलेन/विट्रीफाइड टाइलों" पर प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखा जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.138(अ) जो 25 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा शुरू की गई समीक्षा के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित मेलामाइन पर आरोपित प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को 31 मार्च, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, की अवधि के लिए बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.150(अ) जो 3 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा शुरू की गई समीक्षा के अनुसरण में यूरोपीय संघ और सिंगापुर से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित फिनॉल पर आरोपित प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को 7 जून, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, की अवधि के लिए बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि.153(अ) जो 5 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जनवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या एफ.सं.6/6/2020-डीजीटीआर द्वारा अभिहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रतिपाटन शुल्क के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया और चीनी ताइपेई से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'पाउडर फॉर्म में ब्लैक टोनर' के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क आरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 4147/17/21]

(15) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि.160(अ) जो 8 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 2 मार्च, 2020 की अधिसूचना सं.13/2020-केन्द्रीय कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

[Placed in Library, See No. LT 4148/17/21]

12.01 hrs

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

(i) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Wednesday, the 10th March, 2021 adopted the following Motion in regard to the Committee on Public Accounts:-

> "That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate seven Members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts of the Lok Sabha for the term beginning on the 1st May, 2021 and ending on the 30th April, 2022, and do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, seven Members from amongst the Members of the House to serve on the said Committee."

2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance of the above Motion, the following seven Members of the Rajya Sabha have been duly elected to the said Committee:-

1. Shri Rajeev Chandrasekhar
2. Shri Shaktisinh Gohil
3. Shri Bhubaneswar Kalita
4. Dr. C. M. Ramesh
5. Shri Sukhendu Sekhar Ray
6. Dr. M. Thambidurai
7. Shri Bhupender Yadav.'

(ii) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Wednesday, the 10th March, 2021 adopted the following Motion in regard to the Committee on Public Undertakings:-

> "That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate seven Members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Undertakings of the Lok Sabha for the term beginning on the 1st May, 2021 and ending on the 30th April, 2022, and do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, seven Members from amongst the Members of the House to serve on the said Committee."

2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance of the above Motion, the following seven Members of the Rajya Sabha have been duly elected to the said Committee:-

1. Shri Birendra Prasad Baishya
2. Shri Anil Desai
3. Shri Syed Nasir Hussain
4. Shri Om Prakash Mathur
5. Shri Surendra Singh Nagar
6. Shri K. C. Ramamurthy
7. Shri M. Shanmugam.'

(iii) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Wednesday, the 10th March, 2021 adopted the following Motion in regard to the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes:-

> "That this House resolves that the Rajya Sabha do join the Committee of both the Houses on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the term beginning on the 1st May, 2021 and ending on the 30th April, 2022, and do proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, ten Members from

amongst the Members of the House to serve on the said Committee."

2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance of the above Motion, the following ten Members of the Rajya Sabha have been duly elected to the said Committee:-

1. Shri Abir Ranjan Biswas
2. Shri Shamsher Singh Dullo
3. Shrimati Kanta Kardam
4. Shri Naranbhai J. Rathwa
5. Shri Ram Shakal
6. Dr. Sumer Singh Solanki
7. Shri K. Somaprasad
8. Shri Pradeep Tamta
9. Shri Kamakhya Prasad Tasa
10. Shri Ramkumar Verma.'

(iv) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Friday, the 12th February, 2021 adopted the following Motion in regard to the Committee on Welfare of Other Backward Classes (OBCs):-

"That this House resolves that the Rajya Sabha do join the Committee of both the Houses on Welfare of Other Backward Classes (OBCs) for the term of one year beginning from the date of the first sitting of the Committee, and proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, ten Members from amongst the Members of the House to serve on the said Committee."

2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance of the above Motion, the following nine Members of the Rajya Sabha have been duly elected to the said Committee:-

1. Shrimati Geeta alias Chandraprabha
2. Shri T. K. S. Elangovan
3. Shri Narayana Koragappa
4. Shri Jaiprakash Nishad
5. Shri Vishambhar Prasad Nishad
6. Shri K. K. Ragesh
7. Shri B. L. Verma
8. Shrimati Chhaya Verma
9. Shri Harnath Singh Yadav

3. I am also to inform that in order to fill up the remaining one vacancy in the Committee, the election process is being initiated during the current Session of Rajya Sabha itself.'

12.02 hrs

COMMITTEE ON PETITIONS

19th to 22nd Reports

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): महोदय**,** मैं याचिका संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)** प्रस्तुत करता हूं**:-**

1. राउरकेला इस्पात संयंत्र के मृतक कामगारों के काननी उत्तराधिकारों के कल्याण के संबंध में राउरकेला इस्पात संयंत्र विधवा एसोसिएशन के श्री स्वपन दास और अन्य के अभ्यावेदन से संबंधी उन्नीसवां प्रतिवेदन।

2. इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड (आईएल), कोटा के कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और पूर्ण वेतन के बकाया का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में श्री ओम बिरला, संसद सदस्य, लोक सभा और श्रीमती मीनाक्षी बोरकर वारा अग्रेषित श्री घनश्याम बैरवा के अभ्यावेदन पर याचिका संबंधी समिति (सोलहवीं लोक सभा) के बाईसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी बीसवां प्रतिवेदन।

3. सिखरपुर स्क्वायर, कटक, ओडिशा में नए अंडरपास/फ्लाइओवर के निर्माण के संबंध में श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित श्री प्रसन्न कुमार मोहंती और अन्य की याचिका के बारे में याचिका संबंधी समिति (सोलहवीं लोक सभा) के चालीसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार दवारा की गई कार्रवाई संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन।

4. शिक्षा के मौलिक अधिकार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) अधिनियम, 1985 के कथित उल्लंघन और तत्संबंधी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में डा. अमित कंसल के अभ्यावेदन के बारे में याचिका संबंधी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के पहले

प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी बाईसवां प्रतिवेदन।

12.02 ½ hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Labour on 'Demands for Grants (2019-20)' pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shri R.K. Singh, I lay the following statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Labour on 'Demands for Grants (2019-20)' pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

---

*Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4091/17/21.

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 7th Report of the Standing Committee on Labour on 'Demands for Grants (2020-21)' pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shri R.K. Singh, I lay the following statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 7th Report of the Standing Committee on Labour on 'Demands for Grants (2020-21)' pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

---

*Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4092/17/21.

<u>12.02 ¾ hrs</u>

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 313th Report of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Education*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shri Sanjay Shamrao Dhotre, I lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 313th Report of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Education.

---

*Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4093/17/21.

12.03 hrs

NATIONAL BANK FOR FINANCING INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT BILL, 2021*

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to establish the National Bank for Financing Infrastructure and Development to support the development of long term non-recourse infrastructure financing in India including development of the bonds and derivatives markets necessary for infrastructure financing and to carry on the business of financing infrastructure and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है**:**

> "कि भारत में अवसंरचना के वित्त पोषण के लिए आवश्यक बंधपत्रों और व्युतपाद बाजारों के विकास सहित दीर्घकालिक गैर-अवलंब अवसंरचना वित्त-पोषण के विकास को सहायता प्रदान करने के लिए तथा वित्त-पोषण अवसंरचना का कारबार चलाने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त-पोषण बैंक की स्थापना करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

<u>प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।</u>

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2, dated 22.03.2021

** Introduced with the recommendation of the President.

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): सभापति महोदय, महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में पिछले कुछ दिनों से जैसी घटना चल रही है और इस घटना में जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, …(व्यवधान) मामला ऐसे सामने आ रहा है कि डीजी रैंक का अधिकारी मुख्यमंत्री को पत्र लिखता है …(व्यवधान) इस पत्र में बताता है कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने एपीआई रैंक के अधिकारी को बुलाकर सौ करोड़ रुपये उगाही करने के लिए कहा है। …(व्यवधान) अगर सौ करोड़ रुपये की उगाही नहीं मिली, …(व्यवधान) उसके हिसाब से जो घटनाएं बनी हैं।

यही अधिकारी आज एनआईए की गिरफ्त में हैं। एंटेलिया जैसे मकान के नीचे जिलेटिन स्टिक रखी गाड़ी के मामले में वह गिरफ्तार होता है। इस अधिकारी को गृहमंत्री कहता है कि तुम सौ करोड़ रुपये की उगाही 1742 'बार' से करके दो। कल तक बात चली थी, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।

आज तक इस पत्र के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कुछ भी नहीं कहा है। मुख्यमंत्री जी एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से चल रही है, महाराष्ट्र के लोगों में यह धारणा है कि ये … * के लिए सरकार का उपयोग हो रहा है।

सरकार अपने अधिकारियों और प्यादों को इस तरह से इस्तेमाल कर रही है कि 100 करोड़ की उगाही केवल मुम्बई जैसे शहरों में हो रही है, और शहरों का क्या हाल होगा? और शहरों का आंकड़ा क्या होगा? …(व्यवधान)

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार को ताबड़तोड़ …(व्यवधान) मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।…(व्यवधान)

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): माननीय सभापति जी, अभी हमारे साथी माननीय कोटक जी ने अपनी बात रखी है। मैं किसी भी बात को नहीं दोहराऊंगा। …(व्यवधान)

---

* Not recorded.

महोदय, पूरी दुनिया जानती है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जहां लोकतंत्र है वहां लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की जिम्मेदारी भी सरकारों की है । लेकिन जब यह जिम्मेदारी शासकीय या पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग की नीलामी में बदल जाए, तब यह विषय किसी राज्य का नहीं होता है, यह देश का विषय बन जाता है।

सभापति जी, सदन को महत्वपूर्ण बात जाननी चाहिए, आखिर क्या वजह है, जिस एपीआई की बात आ रही है, जिसे 100 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया था? शायद देश की पहली घटना होगी कि उस एपीआई के समर्थन में मुख्यमंत्री प्रैस कांफ्रेंस करते हैं और यह बताते हैं कि वह देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारी है।...(व्यवधान) बाद में 100 करोड़ रुपये का आरोप लगाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं है, उनके राज्य का ही पुलिस कमिश्नर है। यह वह पुलिस कमिश्नर है जिसकी तारीफ में बकायदा सरकारी पत्र में लेख लिखे जाते हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, क्या वजह है कि एक पुलिस कमिश्नर जिसकी तारीफ में अखबार में लेख लिखे जाते हैं, एक एपीआई जैसा व्यक्ति, क्राइम ब्रांच का, 16 साल के निलंबन के बाद बहाल होता है? वह परिस्थितियां क्या हैं जिसमें उसे 16 साल के बाद बहाल करना पड़ता है और वह क्राइम ब्रांच का इंचार्ज बनता है? उसे 100 करोड़ का लक्ष्य दिया जाता है और मुख्यमंत्री मौन हैं। ...(व्यवधान) वहां बेमेल गठबंधन की सरकार है। राष्ट्रीवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कल रात तक कह रहे थे कि यह मामला गंभीर है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मुख्यमंत्री निर्णय करेंगे। लेकिन क्या वजह है कि आज सुबह भाषा बदल गई और कह दिया गया कि नहीं, नहीं, कोई इस्तीफा नहीं होगा? क्या गृह मंत्री से किसी तरह का डर है? कहीं ऐसा न हो कि गृह मंत्री सारी बातें उजागर कर दें कि 100 करोड़ में से हिस्सा किस-किस के पास जाता था।...(व्यवधान)

यह विषय आज पूरे देश का है। यह कोई छोटी बात नहीं है। किसी देश के किसी प्रांत के गृह मंत्री पर एक पुलिस अधिकारी, डीजीपी स्तर का पुलिस अधिकारी आरोप लगाए कि 100 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है? पूरी की पूरी सरकार मौन है। ...(व्यवधान) पूरा देश जानना चाहता

है कि एक जिले में 100 करोड़ रुपये तो पूरे महाराष्ट्र में कितने हजार करोड़ रुपये की वसूली थी? इसकी जानकारी देश को चाहिए।…(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। …(व्यवधान) मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए।…(व्यवधान) केंद्रीय जांच एजेंसियों से निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका नंबर आएगा। आपको मौका मिलेगा।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: कपिल पाटील जी, आप अपनी बात संक्षेप में रखिए।

…(व्यवधान)

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी): माननीय सभापति जी, मुम्बई के कमिश्नर ने मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया है, वह गंभीर पत्र है।

इस विषय में मुख्यमंत्री जी ने इंक्वायरी करने के बजाय लैटर के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया अलग-अलग तरह से दी है। यह पहला लैटर नहीं है, इससे पहले महाराष्ट्र के डीजी …* जी ने भी एक लैटर दिया था। महाराष्ट्र सरकार में यह सब …* चला, उससे दुखी होकर प्रतिनियुक्ति में केंद्र सरकार में आ गए। 100 करोड़ रुपये वसूल करने के लिए एक एपीआई को बोला जाता है, यह अति गंभीर बात है।

मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि कल इस मामले में वरिष्ठ नेता ने कहा था कि मामला अति गंभीर है, लेकिन शाम तक क्या परिवर्तन हुआ, पता नहीं लेकिन बाद में कहा गया कि अभी रिजाइन देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि शायद गृह मंत्री जी ने बोला

---

* Not recorded.

होगा कि अगर मेरा रिजाइन लिया तो मैं सारे नाम ले लूंगा, सबकी पोल खोल दूंगा। अगर ऐसा हुआ है इसकी पूरी जानकारी मिलनी चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपके नेता बोल रहे हैं**,** प्लीज बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): धन्यवाद सभापति महोदय, पिछले 14 महीनों से कई प्रयास करने के बाद भी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की जो सरकार है, उसका नेतृत्व माननीय ... * जी मुख्य मंत्री के रूप में कर रहे हैं, इस सरकार को दूर करके वहां भाजपा की सरकार स्थापति करने के जो प्रयास चल रहे थे, वे पूरी तरीके से असफल हुए हैं। ...(व्यवधान) इसके लिए रा.ज.ग. द्वारा एक कपट नीति चलाने का काम दुर्भाग्य से केंद्र सरकार के माध्यम से हो रहा है। ...(व्यवधान) जिस ... * के लेटर के उल्लेख को लेकर आज आपने जीरो ऑवर में बोलने का दिया, ये ... * कौन है? ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: नाम मत बोलिए। नाम रेकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री विनायक भाउराव राऊत: सभापति महोदय, मैं अभी आपको उसके कारनामे पढ़कर सुनाता हूं। मुम्बई के उस वक्त के कमीशनर रिबैरो ने बताया कि ये ... * राज्य का अड्डा चलाने वाला एक आदमी है और इस ... * के बारे में एक दादरी पुलिस स्टेशन के एसीपी ... * ने 2 फरवरी, 2021 को वहां के होम सेक्रेटरी को लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि ... * उस वक्त के भरत शाह और नवलानी भाई, ये पब चलाने वाले और जो परदेसी स्कैम में अटके हुए लोग हैं, उनके ... * हैं। ऐसा इल्जाम एसीपी श्री ... * ने लगाया है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, अगर मैं आपको यह लेटर पढ़कर दिखाऊंगा, तो एक मोस्ट करप्टेड ...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

माननीय सभापति: श्री रवनीत सिंह जी ।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: हो गया, प्लीज बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: बिट्टू जी, आप बोलना प्रारंभ कीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री रवनीत जी, आपका नाम बोला जा चुका है।

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट जी।

…(व्यवधान)

12.13 hrs

At this stage, S/Shri Vinayak Bhaurao Rawat, Arvind Sawant, Mohammad Faizal P.P. and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

***SHRI GIRISH BHALCHANDRA BAPAT (PUNE):** Hon'ble Chairman Sir, the *…* ** used to collect extortion money in Maharashtra but nowadays the *…* ** itself is asking for extortion money. They have crossed all the limits. It is very shameful act. The ruling coalition government is a custodian of people's rights but, they only behave like *…* **. Hence, I would like to request the central government to impose President's Rule in Maharashtra immediately.

---

* English translation of the speech originally delivered in Marathi

** Not recorded.

There is no law and order in Maharashtra and there is chaos everywhere. Maharashtra has become a lawless state. Police are asking for money because the ministers and Chief Minister himself are supporting them. Please look into this matter.

Thank you.

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): सभापति महोदय**,** यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। यह केवल महाराष्ट्र की बात नहीं है**,** यह सारे देश की बात है। **…(**व्यवधान) यह बहुत चिंता की बात है। लेकिन, यह होता कहां है? जहां पर ओपोजिशन गवर्नमेंट्स हैं, वहां पर फेडरलिज्म क्यों तोड़ा जाता है? वहां पर क्यों देश की एजेंसियां आकर दखल देती हैं? उसके बाद हम पोलिटिकल लोग एक-दूसरे पर दोषारोपण करते हैं।…(व्यवधान) जो ऑफिसर होते हैं, वे बच जाते हैं। इसमें हमेशा मेन कल्प्रिट ऑफिसर होते हैं। लेकिन, हम पोलिटिकल लोग एक-दूसरे की पार्टी पर आरोप लगाते हैं और वह ऑफिसर निकल जाता है। हम अपने आप को असेम्बली में, पेपर्स में या पार्लियामेंट में बुरा-भला कहते हैं। लेकिन, ऑफिसर नहीं निकलना चाहिए। यही ऑफिसर था, जो इनको वहां बहुत अच्छा लगता था। वही ऑफिसर है, जिसने आज यह काम किया है। ये ऑफिसर दोनों तरफ रहते हैं।…(व्यवधान) लेकिन, वहां की सरकार के ऊपर, अगर, आप यहां से ऑफिसर भेजेंगे, तो महाराष्ट्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वह एक ऐसा शानदार स्टेट है। वहां भी मध्य प्रदेश राज्य की तरह सरकार तोड़ना चाहते हैं। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाहर की एजेंसी, वहां पर इंटरफेयर करे, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। …(व्यवधान)

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती) : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे कुलीग्स जिस हिसाब से इस हाउस में यह बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से खंडनी वसूली का काम किया जा रहा है।…(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो व्यक्ति 16 साल तक सस्पेंड रहा है, जो व्यक्ति 7 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा है, उसकी रीज्वॉइनिंग किस

बेस पर की गई है?...(व्यवधान) जब बीजेपी की सरकार थी, तब ... * साहब ने खुद माननीय ... * साहब को फोन किया और उनसे कहा कि ... * को रीइन्स्टेट कराना चाहिए, इनको रीज्वॉइनिंग सर्विस देनी चाहिए।...(व्यवधान) तब आदरणीय ... * साहब ने स्पष्ट रूप से नकार दिया था।...(व्यवधान) उनकी पूरी हिस्ट्री को देखते हुए, उन्होंने बराबर नकारते हुए उनकी रीज्वॉइनिंग नहीं कराई थी।...(व्यवधान) जिस दिन ... * जी की सरकार आई, ... * जी चेयर पर बैठे थे, उसी वक्त उन्होंने ... * जी को फोन करके पहला काम कराया कि आप ... * को ज्वॉइन करवाइए।...(व्यवधान)

आप मुझे बताइए कि आज ... * के कारण ... * जी को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। मुझे आपसे एक विनती करनी है कि गृह मंत्री जी का नाम आ रहा है।...(व्यवधान) सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।...(व्यवधान)

अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हो गया, तो पूरे देश में इन चीजों को फॉलो किया जाएगा।...(व्यवधान) मैं आपसे विनती करती हूं।...(व्यवधान) महोदय, बस दो मिनट और।...(व्यवधान) जिस तरीके से बाकी लोगों पर आरोप लगे हैं, मैं आपको बताती हूं कि हमारे महाराष्ट्र में मुख्य मंत्री जी के ही बोलने के कारण यह सब प्रकरण चल रहा है।...(व्यवधान) बाकी इसमें कोई इन्वॉल्वड नहीं है। किसकी ट्रांसफर कहां करनी है और किससे खंडनी वसूल करनी है?...(व्यवधान) ये लोग जो यहां पर खड़े हैं, जो सीएसआर फंड के बारे में बात कर रहे हैं।...(व्यवधान) अगर सिर्फ मुंबई से ही महीने की 100 करोड़ रुपये की वसूली होती होगी, तो पूरे महाराष्ट्र से कितनी वसूली होती होगी?...(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री पी. पी. चौधरी जी, आप बोलना प्रारंभ कीजिए।

...(व्यवधान)

---

* Not recorded.

श्री पी. पी. चौधरी (पाली) : सभापति महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।…(व्यवधान)

महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि एक पुलिस अधिकारी ने चिट्ठी लिखने के पहले मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ किया, उपमुख्यमंत्री जी को ब्रीफ किया और उसके बाद जो नहीं करना चाहिए था, उन्होंने एनसीपी के सुप्रीमो को भी ब्रीफ किया है।…(व्यवधान) उनको ब्रीफ करने की क्या जरूरत थी?…(व्यवधान) ब्रीफ करने के बाद उनको मजबूर होकर यह पत्र लिखना पड़ा और उस पत्र में बहुत ही गंभीर आरोप हैं।…(व्यवधान) ऐसे आरोप हैं, जिससे यह पता लगता है कि पूरा का पूरा एक गिरोह बना हुआ था कि एक महीने में 100 करोड़ रुपये की उगाही करनी है।…(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे मामले में…(व्यवधान) यह नेशनल मुद्दा है।…(व्यवधान)

श्रीमती पूनम महाजन (उत्तर मध्य मुम्बई) : सभापति महोदय, यह तीन पहियों की सरकार है। एक पहिया दूसरे के साथ नहीं चल रहा है।…(व्यवधान) महाराष्ट्र में यह सवाल उठाया जा रहा है कि जब आज एक डीजी लेवल के आईपीएस ऑफिसर कह रहे हैं कि एक एपीआई को 100 करोड़ रुपये महीने की वसूली करने के लिए कहा जा रहा है।…(व्यवधान) अगर आप उसका गणित करेंगे, तो (100x12) करोड़ रुपये प्रति महीने अर्थात् 1,200 करोड़ रुपये हो गए हैं।…(व्यवधान) उसके बाद आने वाले पांच साल, जब एक एपीआई से 6,000 करोड़ रुपये की अपेक्षा हो रही है, तब आप यह सोचिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के गृह मंत्री जी और कितने एपीआई से पैसा वसूल करना चाहते हैं। यह भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है।…(व्यवधान)

महोदय, दूसरी जरूरी बात यह है, मुझे यह समझ नहीं आ रही है कि जब गृह मंत्री जी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के हैं। वह हिम्मत कर रहे हैं कि हम पैसा भी लेंगे और हम हमारा इस्तीफा भी नहीं देंगे।…(व्यवधान) तब शिवसेना को … * है, यह मुझे नहीं समझ आ रहा है कि कौन

* Not recorded.

किसकी चाकरी कर रहा है और कौन किसके लिए काम कर रहा है?...(व्यवधान) हम इसका विरोध करते हैं और हम आज यह मांग करते हैं कि...(व्यवधान)

LIST OF MEMBERS WHO ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	**सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।**
Shri Girish Bhalchandra Bapat	Shri S. C. Udasi
Shri Manoj Kotak	Shri Sudheer Gupta Shri S. C. Udasi
Shri Rakesh Singh	Shri Sudheer Gupta Shri S. C. Udasi
Shri P. P. Chaudhary	Shri Sudheer Gupta Shri S. C. Udasi
Shrimati Poonam Mahajan	Shri S. C. Udasi
Shrimati Navneet Ravi Rana	Shri S. C. Udasi
Shri Kapil Moreshwar Patil	Shri S. C. Udasi Adv. Ajay Bhatt

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, संसद को अनेक बिल पारित करने हैं। संसद के सामने काफी काम है । इसलिए शून्य काल बाद में लिया जाएगा । अभी आइटम नंबर 17(क) - बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 को लिया जा रहा है।

माननीय वित्त मंत्री जी ।

…(व्यवधान)

12.14 hrs

INSURANCE (AMENDMENT) BILL, 2021
As passed by Rajya Sabha

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I rise to move:

> "That the Bill further to amend the Insurance Act, 1938, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अगर आप बिल के बारे में बताना चाहती हैं, तो बता दीजिए।

…(व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, thank you very much for giving me this opportunity to talk on the Insurance Bill. …(*Interruptions*) Insurance sector requires a lot of capital because it is a very capital-intensive sector and it requires long-term capital. …(*Interruptions*) The House is very well aware that foreign investments up to 26 per cent was allowed in the year 2000. …(*Interruptions*)

12.20 hrs

At this stage, Shri Vinayak Bhaurao Raut *and some other hon. Members left the House.*

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: After that, in 2015, the limit was raised to 49 percent of the paid-up capital of such company, which are Indian-owned and Indian-controlled. The outcome of 2015 Amendment actually has resulted in FDI inflows of over Rs. 26,000 crore into this country, that is, between 2015 and now Rs. 26,000 crore have come in the name of FDI for insurance sector. There are about 28 such companies, which then accessed the FDI because the ceiling was raised, and 12 of the new companies, which have come into this country have 26 percent FDI taken from Foreign Direct Investments. So, 12 new companies with 26 percent FDI have come into the market.

Now, asset under management -- meaning the total assets, which are under the management of the insurance sector, which have come in now -- saw a 76 per cent hike in five years. It means that after the FDI ceiling has been raised the asset under total management in the insurance sector has gone up by 76 percent whereas the GDP during that period has grown only by 63 percent. So, just after 2015, where there were only 53 companies in insurance, 656 have come in now and three more have joined in. While there was only one reinsurer, now you have 12 reinsurers and where there was no listed company under insurance, now there are six listed companies. So, the change in 2015 of raising the FDI limit from 26 per cent to 49 percent itself has brought in such a drastic change.

In the Budget of July, 2019, I had said that there could be raising of FDI in several sectors and one of which I had mentioned was insurance, which was then being proposed. Now, post July, 2019 Budget statement, the insurance

regulator has had a lot of discussion with stakeholders, a lot of insurers, promoters of banks and also with the trade bodies as regards raising the limit from 49 to 74.

The insurance company's situation today is that they are facing severe liquidity pressures, facing capital constraints, and hence, facing solvency-related issues also. It is very important for us to recognise that the insurance sector, those which are in public sector is one set, and many more times of that are there in private sector also. So, if growth capital is very hard to come by, then there will be a stress situation and in order that the stress is not left to be unattended, we need to raise the FDI limit. This has been recommended by the regulator. Further, the pandemic has caused a certain stress of liquidity for them.

We all are aware that the Central Government is borrowing and the State Governments are borrowing. So, that liquidity, which is available in the debt market is being sourced by both the Governments -- Centre and States -- and also by private corporates. So, there will be a lot of pressure on the debt market also. So, it is necessary for us to open FDI.

I would not get into greater detail at this stage. It is so critical that we need to pass this. The Rajya Sabha has had an elaborate discussion, and questions were answered. So, I shall do the same here too for the hon. Members. So, I would like to have this Bill taken up for consideration, and eventually for passing also.

HON. CHAIRPERSON : Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Insurance Act, 1938, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Thank you, Mr. Chairperson, Sir, this is a small Bill but it has large implications and it will have very large implications, if not ominous implications in the times to come. This particular legislation which the hon. Finance Minister has brought to raise the FDI limit from 49 per cent to 74 per cent, should not be seen in isolation. It is a part of a larger strategy which involves privatisation of banks, disinvesting in public sector companies, and essentially is predicated upon trying to, kickstart a sluggish economy because of the wrong decisions which have been taken over the past couple of years, and along with that, try and fill the large hole in the finances of the Union Government, which is the size of almost Rs.18 lakh crore today.

As the hon. Finance Minister was rightly pointing out, India's insurance sector was open to foreign capital in 2000, when 26 per cent of FDI was permitted. Again, in 2015, when the FDI was raised to 49 per cent, and now, of course, the Government proposes to raise it to 74 per cent. But, Sir, here lies the very interesting tale, and the interesting tale is that in 2004, when the then Finance Minister, Shri P. Chidambaram proposed that the FDI limit be raised from 26 to 49 per cent, the then former Prime Minister of India, late Atal Bihari Vajpayee, on the floor of this House said – 'हम विरोध करते हैं।'

In 2008, when a Bill was introduced to raise the FDI limit from 26 to 49 per cent, and the Bill was subsequently referred to a Standing Committee of Parliament, which was then headed by the former Finance Minister of the

NDA/BJP Government, Shri Yashwant Sinha and the Standing Committee came back with the recommendation that the FDI limit should not be raised.

In 2012, I recall, I was then in Government, another attempt was made to raise the FDI limit from 26 to 49 per cent. But we were not able to breach the wall that the then Leader of Opposition, late Sushma Swaraj, and the then Leader of Opposition in Rajya Sabha, late Arun Jaitley, had collectively put together. But interestingly, in 2014, when the NDA/BJP Government came to office, there is a somersault and the FDI limit in insurance was raised from 26 to 49 per cent, not by way of a Bill but by way of an Ordinance. It was brought to the house subsequently.

Sir, the short point I am trying to make here is that it seems that our position on issues depends on where we currently sit or we were then sitting. Therefore, while the Finance Minister has made a very passionate plea as to why the FDI limit should be hiked from 49 to 74 per cent, I thought it would be worth the time of this House to recount that the same Bharatiya Janata Party when it was on the Opposition Benches, where we are currently sitting, for 10 long years, opposed the FDI limit to be increased from 26 to even 49 per cent, which they did subsequently.

Mr. Chairperson, Sir, the insurance sector in India today is worth Rs.7.63 lakh crore, according to the Insurance Regulatory Development Authority. There are 67 insurance companies, public and private, 24 life insurance companies and 10 global reinsurance companies. LIC is the only public sector

company which deals with life insurance and, interestingly, it has 66 per cent of the market share as compared to others.

The conceptual question that we need to ask ourselves today is, are we scared of foreign direct investment? The answer to that is an emphatic ‘No’ because in 1991, we were the original liberalisers of the Indian economy. I was listening with some amusement when the hon. Finance Minister replied to the budget discussion and she said that while they were the original liberalisers, we had actually liberalised the Indian economy under the force of circumstances. I would like to take this opportunity to tell her that, ultimately, nothing happens in a vacuum. Everything is contextual. Between 1989 and 1991, the manner in which the global landscape was changing, it required a reset of both India’s’ economic and foreign policy priorities so that India could be on a high growth trajectory. That decision of 1991 by the former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, when he was the Finance Minister, to liberalise the Indian economy is vindicated by the fact that every successive government from 1991, and it has been three decades, has not diverted from that basic premise that India needs to integrate its economy with the global economy.

Today the question is not what to open up, the question today is how much to open up and which sector to open up. The reason why I want to draw this fine distinction is to unequivocally make it clear that our opposition is not to the liberalisation of the Indian economy, our opposition is to certain sectors because of the kind of strategic consequences they have for 138 crore people which my dear friend, who is not in the house now, the hon. Minister of State

for Finance, refers to every time he replies to a question in this House. So, the reason why we are opposing raising the FDI limit from 49 per cent to 74 per cent is because of the situation in 2008. I would like to take you back to 2008 when the great economic meltdown took place, when banks and financial institutions with over 300 years of existence started tumbling like ninepins, when even entire countries like Iceland almost went under water, their economies completely collapsed and they barely survived a sovereign bankruptcy, India came out of that crisis unscathed primarily because our insurance sector was still substantially nationalised, our banking sector was substantially nationalised and we had a powerful public sector in this country. That is why we were able to survive the great onslaught of 2008 which took many nations, many institutions and many banks down with it in 2008. Therefore, Mr. Chairperson, Sir, the difficulty today is that India's economy is in a crisis.

As I pointed out at the commencement of my speech, this is not something which happened due to COVID-19. The process commenced with demonetisation in 2016. It got exacerbated by the ill-conceived or tardy implementation of the Goods and Services Act and, subsequently, certain decisions which were then taken whereby rather than applying a demand-side stimulus, the hon. Finance Minister decided to apply a supply-side stimulus by giving a bailout of Rs. 1,45,000 crore to the corporate sector of India which did not result in the economy coming out of it sluggish trajectory and picking up.

The economic prescription which this Government now seems to have come to is that you privatise our public sector banks, you disinvest all those public sector companies which have been created over the past 70 years with taxpayers' money, and most importantly you partially disinvest the Life Insurance Corporation of India by listing the IPO on the exchange and then you allow 76 per cent of foreign direct investment to come into our insurance sector. That is why I say that this may be a small Bill but it has very large ominous implications.

Very respectfully I would like to point out, Mr. Chairperson, Sir, that selling the family silver is not the way to revive the economy of the family. If the economy of this country has to be revived, correct policy prescriptions need to be applied which unfortunately have been missing over the past couple of years when the economy of this country has been under the stewardship of the NDA-BJP Government. May I also remind that this is the same Indian economy which grew at an average rate of almost 7.8 per cent of GDP per annum for ten years continuously despite the great economic meltdown, the Eurozone crisis of 2011, and very strong headwinds in the crude oil sector from 2008 almost till 2012?

Therefore, Mr. Chairperson, Sir, very respectfully I would like to point out that the prescription which is being applied to revive the Indian economy is a trajectory that we do not agree with, and we also do feel that liberalising FDI limits in the insurance sector is going to go against the rights of millions and millions of small insurance holders. That is because, notwithstanding the

safeguard which the Finance Minister I think is contemplating, it does not seem to be a part of this legislation, that 50 per cent of the Directors will be Indian nationals and there would be a reserve fund, ultimately when the reins of India's insurance companies are going to be held by foreign nationals, by large corporate behemoths, I am afraid, I am compelled to use this term, we would be entering into a new form of colonialism.

Therefore, Sir, under these circumstances, I would humbly request the Finance Minister to reconsider the Government's decision to hike foreign direct investment in the insurance sector; and we would like to unequivocally, vociferously, and completely oppose the current legislation which has been brought by the Government.

Thank you very much, Mr. Chairperson.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल, 2021 में जो संशोधन हमारी सरकार लेकर आई है, इस की चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया है। मैं अत्यंत आभारी हूं कि हमारे एक विद्वान साथी, कांग्रेस पार्टी के मनीष जी ने कहा है कि इस बिल को रिकन्सिडर किया जाए। मैं समझता हूं कि आज इस इंश्योरेंस बिल में जो अमेंडमेंट आया है, आखिर इंश्योरेंस बिल के अमेंडमेंट का उद्देश्य क्या है, इंश्योरेंस का जीवन में क्या रोल है, या किसी व्यक्ति के लिए इंश्योरेंस का क्या महत्व है**?** यह सर्वविदित है कि अगर कोई व्यक्ति कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी से इंश्योरेंस कराता है, तो वह अपनी बचत से नॉमिनल, अंशदान दे कर या प्रीमियम दे कर इंश्योरेंस की पॉलिसी लेता है, एंश्योर्ड कराता है, जिससे कभी उस पर आपदा आ जाए, कभी उसके जीवन में कठिन समय आ जाए, ईश्वर न करे कि कभी दुर्भाग्य से उसकी मौत हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में, कठिन दिनों में उसके एवं उसके परिवार के लिए इंश्योरेंस काम आता है।

इस तरह से यह संकट की घड़ी में काम करने वाला है और उस पूंजी में हम केवल अंशमात्र देते हैं। हमें यह देखना होगा कि आज वर्ष 2019 में पूरे देश की आबादी में इंश्योरेंस का पेनीट्रेशन कितने प्रतिशत है? आज वर्ष 2019 में देश की आबादी में इंश्योरेंस का पेनेट्रेशन केवल 3.76 प्रतिशत है। वर्ष 2014 में 26 प्रतिशत एफडीआई था, जिसका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने भी किया है। वर्ष 2014 में जो एवरेज़ था, वह मात्र 3.3 प्रतिशत था। वर्ष 2015 में हमारी सरकार ने एफडीआई की लिमिट को 26 प्रतिशत से इंक्रीज करके 49 प्रतिशत किया, तो उससे 26,000 करोड़ रुपये एफडीआई के थ्रू इंश्योरेंस सेक्टर में आया। आज भी 15,000 करोड़ रुपये की जरूरत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 2015 के अमेंडमेंट के बाद आज हमारा इंश्योरेंस में पेनीट्रेशन 3.76 प्रतिशत बढ़ा है। आज दुनिया का ग्लोबल एवरेज क्या है? आज पूरी दुनिया का ग्लोबल एवरेज 7.23 प्रतिशत है। हम अभी बहुत पीछे हैं। हम एक तरफ भारत के लोगों को सुरक्षा

देने की बात करते हैं, भारत के लोगों को दुनिया की प्रतिस्पर्धा में आगे लाने की बात करते हैं, मुझे लगता है कि आज इसकी इसलिए भी जरूरत है।

मैं माननीय मनीष तिवारी जी को यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वर्ष 2014 में राज्य सभा की एक सलेक्ट कमेटी बनी थी, वह आपकी ही कमेटी थी और आपके ही सदस्य थे। उस सेलेक्ट कमेटी ने वर्ष 2014 में जो रिकमेंडेशंस किए थे, उसमें यह कहा गया था कि हमें आज इस इंश्योरेंस में एडिशनल कैपिटल की बहुत जरूरत है। यह जरूरत देश की ग्रोथ के लिए है। There is a need of additional capital for growth. Enhanced foreign investment will increase insurance cover and will help transfers of technical knowhow and will help in innovation in the industry. यह सलेक्ट कमेटी का ही कहना है। आज हम किसी बिल की बात करते हैं, तो उसे सलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की बात करते हैं। जब बिल सेलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी से पास होकर आता है, तो निश्चित तौर से सदन उन चीजों को अडॉप्ट करता है। वर्ष 2000 के पहले जब कोई एफडीआई नहीं था और आज कहते हैं कि फारैन इंवेस्टमेंट आएगा, तो इसमें सुरक्षा क्या है? मैं माननीय मंत्री जी और अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि आज इसके सेफ गार्ड्स भी सुनिश्चित किए गए हैं। अगर हम 49 प्रतिशत से 74 प्रतिशत एफडीआई के लिए इस बिल का अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो उससे भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए सेफगार्ड भी देंगे कि जो कंपनी इंवेस्ट करेगी, उसमें majority of the directors on the Board of Insurers and key management persons should be resident Indians.

निश्चित तौर से यह भारत के हित में है। इस देश की आने वाली सक्सेस या ग्रोथ स्टोरी के हित में है। यह बिल देश के लोगों के इंवेस्टमेंट को सिक्योर करने वाला है। यह देश के लोगों के हितों की रक्षा करने वाला बिल है, क्योंकि जो भी फारैन इंवेस्टमेंट आएगा, उस फारैन इंवेस्टमेंट में उस कंपनी के लिए हमारे बोर्ड के जो भी मेजॉरिटी डॉयरेक्टर्स होंगे, वे इंडियंस होंगे, अन्य अधिकारी, चीफ मैनेजमेंट ऑफिसर्स key management persons should also be resident Indians. मुझे यह लगता है कि यह निश्चित तौर से एक सेफ गार्ड्स है। माननीय मंत्री

जी मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने भी एफडीआई के लिए अमेंडमेंट किया है, लेकिन उससे ज्यादा भारत के हितों की रक्षा के लिए सेफ गार्ड्स लगाया है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इसमें at least 50 per cent of the directors on the Board of Insurers should be independent directors. जब किसी भी कंपनी या बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, तो वे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हित धारकों की रक्षा करते हैं। वे आने वाले निवेश के हितों की रक्षा करने वाले होंगे। Insurance companies will have to retain a percentage of profit as a general reserve. यह भी सुनिश्चित किया गया है कि कंपनी का जो प्रॉफिट होगा, उस कंपनी के प्रॉफिट में जो जनरल रिजर्व होगा, उसे रखा जाएगा। वह कंपनी की सेफ्टी, क्रेडिब्लिटी और असेट्स को बढ़ाएगा।

मैं आदरणीय मनीष तिवारी जी से कहना चाहूंगा कि एक्ट के सेक्शन 27 में जो मैंडेट्स हैं, उसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि Section 27 of the Act mandates maintaining assets in India so that companies can meet their insurance claims. निश्चित रूप से सेक्शन 27 को अमेंड करके भारत में एसेट मेनटेन करना पड़ेगा। बाहर का निवेश होगा, फॉरेन इंवेस्टमेंट होगा, लेकिन हमारे लोगों के क्लेम की सुरक्षा हो, क्लेम की गारंटी हो या हमारे हितधारकों या स्टेक होल्डर्स के निवेश की या इंश्योरेंस की सुरक्षा हो, उसके लिए हमारी एफडीआई जो भी करेगी, उनकी इंश्योरेंस कम्पनियाँ भारत में एसेट्स मेनटेन करेंगी।

आखिर एसेट्स में क्या है? आप क्यों नहीं कंसीडर करने की बात कर रहे हैं? अगर उस एसेट्स में यहाँ बैंक एकाउंट होगा, उस एसेट्स में भारत में प्रॉपर्टी होगी, अगर उस एसेट्स में कैश मेनटेन किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर जो भी एफडीआई है, चाहे प्रॉपर्टी, बैंक एकाउंट्स या कैश हो, उससे भारत के लोगों को क्लेम दिया जाएगा।

इसलिए मुझे लगता है कि यह बिल आज इस देश की ग्रोथ को बढ़ाने वाला है। मैं कहता हूं कि आखिर गवर्नमेंट किस ऑब्जेक्टिव से लेकर आई है? What is the objective of Government's foreign direct investment policy? आखिर हमने भी एफडीआई की पॉलिसी बनाई है, आपने भी बनाई थी, तो उस एफडीआई की पॉलिसी को कम-से-कम पढ़िए तो। एफडीआई की पॉलिसी पर विचार कीजिए, तो मैं समझता हूं कि यह बिल सर्वसम्मति से पारित होगा। अधिष्ठाता महोदय, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

One of the objectives of Government's foreign direct investment policy is supplementing domestic long-term capital. मतलब हम अपने देश के उस डोमेस्टिक लांग टर्म कैपिटल के लिए एक तरह से यह एडिशनल सपोर्ट है। हमारा जो घरेलू निवेश होता है, जो अंदरूनी निवेश होता है, इंवेस्टमेंट होता है, उसको भी सप्लीमेंट करने की जरूरत है, उसको भी एडिशनल कैपिटल की जरूरत होती है। किसी भी सरकार की जो पॉलिसी होती है, हम अपने डोमेस्टिक इंवेस्टमेंट को फॉरेन इंवेस्टमेंट से सप्लीमेंट कर सकें, आज का बिल वही है, जिसे हमने 74 परसेंट इंक्रीज किया है। इसलिए निश्चित रूप से यह बिल देश के हित में है, लोगों के और इस देश की ग्रोथ के हित में है, डोमेस्टिक इंवेस्टमेंट के हित में है। इसलिए उस ऑब्जेक्टिव को देखकर माननीय मंत्री जी ने यह किया है।

Then, is the technology and skills for the growth of the economy. इस बात से तो आप सहमत होंगे, इसमें तो कोई राजनीति नहीं है, चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों या प्रतिपक्ष के सदस्य हों, कि जब हम कोई बिल पास करते हैं, तो वह देश के हित को देखकर करते हैं, देश के भविष्य को देखकर करते हैं। आज यह एफडीआई आने में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, अगर बाहर से कोई एफडीआई आती है, तो निश्चित रूप से हमको टेक्निकल नो-हाउ भी मिलता है, हमें टेक्नोलॉजी भी मिलती है। उससे गतिशीलता आती है।...(व्यवधान)

Technology and skills for the growth of the economy and insurance sector, इंश्योरेंस सेक्टर और देश की अर्थव्यवस्था में फॉरेन इंवेस्टमेंट की टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाएगा, दुनिया के स्किल्स पर भी असर पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि आज इस बिल में जो अमेंडमेंट हो रहा है, हम उसका समर्थन करते हैं।

Another objective is technology and skills for the growth of the economy and the insurance sector and thereby enhance insurance penetration and social protection. इसका जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, जो इंश्योरेंस पेनीट्रेशन है, जिसका उल्लेख मैंने शुरू में ही किया, आज वह पूरे विश्व में 7.23 परसेंट है, जबकि भारत में वर्ष 2019 में इंश्योरेंस पेनीट्रेशन केवल 3.76 परसेंट था। यह आज हमारी चिन्ता है। हमारी सरकार की चिन्ता है कि किस तरह से लोग इस देश की आबादी के मात्र 3.76 परसेंट लोगों ने ही इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। लेकिन हम तो हर व्यक्ति को सुरक्षित करना चाहते हैं, हर व्यक्ति को बीमित करना चाहते हैं ताकि उसके कठिन समय में निश्चित रूप से उसकी सुरक्षा हो सके। इस दायरे का विस्तार करने के लिए अगर हमें 15 हजार करोड़ रुपए की जरूरत है, तो आज इसका अमेंडमेंट करना होगा। अमेंडमेंट करने से डोमेस्टिक इंवेस्टमेंट के साथ-साथ फॉरेन इंवेस्टमेंट आएगा, उससे ग्रोथ होगी और इससे जनता के इंश्योरेंस का दायरा बढ़ेगा। इस बिल के आने से निश्चित रूप से इसका प्रत्यक्ष लाभ इस देश के 130 करोड़ लोगों को मिलेगा, जिसे हम करना चाहते हैं।

आज आप देखें कि जो इंश्योरेंस डेनसिटी है, उसका पर-कैपिटा प्रीमियम कितना है? अगर आप विश्व का देखें, आज जो इंश्योरेंस डेनसिटी है, वह 780 डॉलर है। आज विश्व में पर-कैपिटा प्रीमियम पूरी दुनिया में 780 डॉलर का है।

सभापति महोदय, भारत में वर्ष 2019 में पर-कैपिटा प्रीमियम 78 डॉलर्स थी। वर्ष 2015 में यह मात्र 55 डॉलर्स थी। वर्ष 2015 में हमने 49 परसेंट का अमेंडमेंट किया था। वर्ष 2015 में 55 डॉलर्स से बढ़कर यह वर्ष 2019 में 78 डॉलर्स हो गई और यह उसी की देन है कि जो हमारी सरकार ने वर्ष 2015 में अमेंडमेंट किया था। वर्ष 2015 के 55 डॉलर्स से बढ़कर लोगों की सुरक्षा

78 डॉलर्स वर्ष 2019 में हो गई है। अगर हम विश्व के सापेक्ष देखें, अगर हम दुनिया की तुलना में देखें तो हम वन-टेंथ हैं। कहां वर्ल्ड की पर-कैपिटा प्रीमियम 780 डॉलर्स है और हम उस वर्ल्ड एवरेज के वन-टेंथ हैं।

अगर हम विश्व से तुलना कर रहे हैं, अगर हम विश्व के सापेक्ष अपने भारत में इस इंश्योरेंस बिल के माध्यम से देश की जनता के हितों की, हितधारकों के हितों की सुरक्षा करना चाहते हैं, ताकि देश के राज्य संकट के समय अधिक से अधिक सुरक्षित रहें और उस इंश्योरेंस पॉलिसी का उन्हें लाभ मिले, इसलिए हमें इसका विस्तार करना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य ही यह है - 'need more insurance cover for Indian citizens'. इससे भी असहमति हो सकती है? इस बिल का उद्देश्य केवल भारत के अधिक से अधिक लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर करने का है। इसलिए, मुझे लगता है कि इस बिल को सर्व-सम्मति से पारित किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है। यह ऐसा विषय नहीं है, जिसमें सत्ता, पक्ष-प्रतिपक्ष की बात हो।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम भारत के अधिक से अधिक लोगों को इसके तहत कवरेज देना चाहते हैं। This will help reduce cost of insurance, which will happen with more participation from private players and Foreign Direct Investment. निश्चित रूप से यह बिल, अभी जो प्रीमियम है या जो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस है, उस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस को भी कम करने वाला है। आज हम इस बिल को अमेंड कर रहे हैं। इससे देश की जनता पर जो आज इंश्योरेंस का प्रीमियम है, आज इंश्योरेंस की पॉलिसी है, उस पॉलिसी में भी अगर उनकी कीमतों को, उनकी कॉस्ट को रिड्यूस करने वाला कदम हमारी सरकार उठा रही है, तो यह इस सदन में निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और देश की जनता इसका स्वागत करेगी। इस अमेंडमेंट बिल से यह लाभ होगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह जो इंश्योरेंस (अमेंडमेंट) बिल है, इसमें हमने एस्टीमेट किया है। Estimates indicate that the insurance companies might require additional Rs.15,000 crore of capital over the next three years, which could be made easier with enhancement of the FDI limit.

मैं आपके माध्यम से सदन में स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि अगले तीन वर्षों में हमारी इंश्योरेंस कंपनीज़ को जो पूंजी की आवश्यकता थी और आपने देखा कि कोविड-19 के दौरान पूरी दुनिया में किस तरह की परिस्थितियां पैदा हुईं। आप देखिए कि उन परिस्थितियों के बाद भी आज हमने भारत में किस तेजी के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को, तेजी से आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए जिस तरह का इन्वेस्टमेंट किया। कोविड-19 में हमें क्या यह नहीं महसूस हुआ कि पूरी दुनिया एक तरीके के माइंडसेट में आ गई है? पूरी दुनिया को लगा कि अब मिलकर काम करना होगा, जिसकी पहल कर के भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि हम केवल भारत की ही रक्षा नहीं करेंगे बल्कि दुनिया के अन्य देशों के लोगों की रक्षा करने के लिए भी काम करेंगे।

हमने इस काम को किया, जहां हम अपने यहां एक पीपीई किट का निर्माण नहीं करते थे, देश में पीपीई किट चाइना से आती थी, एन-95 मास्क नहीं था, हमारे यहां वेंटीलेटर्स बाहर से – यूरोप, अमेरिका और जमर्नी से आते थे। इस कोविड-19 की चुनौती में 100 कंपनियां एमएसएमई ने खड़ी कर दीं, हम आज पांच लाख से ऊपर पीपीई किट्स बनाने लगे। हम जिन परिस्थितियों में कोविड-19 के दौरान आए, पूरी दुनिया ने कोविड-19 से यह सलीका सीखा कि हमें मिलकर काम करना है। आज हम पूरी दुनिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इस कोविड-19 ने हमें एक लैसन दिया है। आज हम अपने देश को दुनिया की बाकी इकोनॉमीज़ के साथ देखते हैं। अपने देश को पांच ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य इसी सदन में निर्धारित किया गया था कि आने वाले दिनों में हमारी इकोनॉमी पांच ट्रिलियन डॉलर्स की होगी।

एक ऐसा एक्ट ऑफ गॉड या जो भी परिस्थितियां पैदा हुईं, जिनकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां पैदा हुईं और दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने भी चुनौतियां पैदा हुई। हमारी सरकार और हमारे प्रधान मंत्री जी ने उन चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम किया और देश के 130 करोड़ लोगों के लिए यह केवल आह्वान नहीं है, मैं समझता हूं कि यह पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है।

यदि प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि आज आपदा को अवसर में बदलना है, तो देश की 130 करोड़ जनता उस आपदा को अवसर में बदलने का काम करके दिखा रही है। पूरी दुनिया के सामने देश की जनता ने एक मैसेज दिया है कि हम कठिन दौर में भी किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। देश की इकोनॉमी में केवल जीडीपी को ही नहीं देखना है, यदि हम ग्रोथ रेट की बात करें तो ओवर ऑल होलिस्टिक टर्मिनोलॉजी में देखेंगे, तभी होगा। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि benefits of the Insurance Act for increasing the Foreign Direct Investment (FDI) limit to 74 per cent from the present 49 per cent. 49 परसेंट से 74 परसेंट करने में इंश्योरेंस सेक्टर में क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे, उनकी तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस अमेंडमेंट से अगले तीन सालों में भारत में कम से कम 15 करोड़ रुपये की एफडीआई आएगी । As of March 2020, average foreign investment in 23 life insurance companies was 37.41 per cent. Only in the case of nine private life insurers, the foreign investment has touched 49 per cent.

इससे स्पष्ट होता है कि जब 29 परसेंट था, उस समय तक हमारा 37.41 परसेंट इंश्योरेंस कम्पनीज में हमारा फॉरेन इंवेस्टमेंट का हिस्सा था। यदि हम अमेंडमेंट करेंगे, तो इसमें हमारी जो 9 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनीज या फॉरेन इंवेस्टमेंट है, यह 49 परसेंट होगा। अब यदि 74 परसेंट होगा, हमने जो मार्च 2020 की रिपोर्ट देखी है कि 26 से 49 परसेंट हुआ था, तो उससे भारत में निवेश बढ़ा था और आज जब 74 परसेंट निवेश होगा, तो निश्चित तौर से भारत में एक बड़ा पूंजी निवेश होगा, जिससे भारत के डोमेस्टिक सैक्टर को एक एडिशनल केपिटल सपोर्ट मिलेगा, जिससे भारत के विकास को लाभ होगा। In case of 21 private general insurers, the average FDI stood at just 28.18 per cent. In the standalone health insurance industry, the average FDI is 30.22 per cent. For and for the overall non-life industry, the average FDI stood at 20.22 per cent. हैल्थ इंश्योरेंस में भी

पहले एफडीआई इंवेस्टमेंट 20.22 परसेंट था, पिछले दिनों जब हमने अमेंडमेंट किया, तो वह बढ़कर, अकेले हैल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, में एवरेज एफडीआई 30.22 परसेंट हुआ है।

अधिष्ठाता महोदय, अब यदि एफडीआई इंवेस्टमेंट 49 परसेंट किया है, तो आप देख सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं समझता हूं कि यह विधेयक देश के सामान्य व्यक्ति को सुरक्षित करने वाला है, उनके भविष्य को ऐसी कठिन परिस्थिति में सेक्योर करने वाला है चाहे कोई दुर्घटना हो या कोई आपदा हो या परिवार के समक्ष कोई परेशानी आ जाए। पहले अमेंडमेंट से 30.22 परसेंट लाभ बढ़ा था, मुझे लगता है कि जो पहले 20.22 परसेंट ही था, अब यदि 74 परसेंट हो जाता है तो देश में निश्चित रूप से फॉरेन इनवेस्टमेंट बढ़ेगा। The increase of the FDI limit will provide insurance companies with committed funds to improve the penetration of insurance in the country.

13.00 hrs

निश्चित रूप से जब एफडीआई को इंक्रीज किया जाता है तो हमारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनका जो कमिटेड फंड होगा, उससे देश में इंश्योरेंस पेनेट्रेशन का विस्तार होगा। हमारी सरकार का मूल उद्देश्य यह है कि हम देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों के हितों की रक्षा इंश्योरेंस के माध्यम से कर सकें और इंश्योरेंस पालिसी में उन्हें एक अम्ब्रेला के नीचे लाकर आच्छादित कर सकें और कवरेज दे सकें। यह इस बिल के अमेंडमेंट से निश्चित तौर से होगा। It will also bring in better technical know-how, innovation and new products to the advantage of the consumers. इसका मतलब यह है कि टेक्नीकल नो-हाऊ नहीं आएगा। इस बात का मैंने पहले भी उल्लेख किया है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जब एफडीआई आएगा, तो टेक्नीकल नो-हाऊ के साथ-साथ इनोवेशन आएगा और हम इस सैक्टर में कैसे गुणात्मक परिवर्तन कर सकते हैं, इस तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा। मैं कल रायपुर में था। वहां पर वेटरेन क्रिकेटर्स की वर्ल्ड सीरीज हो रही थी। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कल रायपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जा रहा था। सचिन रिटायर

हो चुके हैं, सहवाग रिटायर हो चुके हैं। वे इंडिया की तरफ से खेल रहे थे और श्रीलंका की तरफ से जयसूर्या आदि लोग खेल रहे थे। उस मैंच में बड़ी संख्या में दर्शक थे, लेकिन आप कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि उसका मैसेज क्या था। वह वर्ल्ड सीरीज इसलिए खेली जा रही थी, जिससे there should be a promotion for road safety, ताकि रोड सेफ्टी का प्रमोशन हो, क्योंकि क्रिकेटर्स के कई फॉलोवर्स होते हैं और वे उनके सभी मैच देख सकें। कल जिस तरह से सचिन ने वहां पर मैसेज दिया कि अगर आप सड़क पर निकलें तो हेलमेट पहनें, वह अनुकरणीय है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व के 1 परसेंट व्हीकल्स हमारे यहां हैं, लेकिन पूरे विश्व में एक्सिडेंट्स की वजह से होने वाली डेथ्स हमारे यहां 11 परसेंट होती हैं। हेल्थ मिनिस्टर साहब भी यहां बैठे हैं। आज भी इंडिया में हाइएस्ट डेथ्स रेट रोड एक्सिडेंट्स के कारण है। इन परिस्थितियों में हम साढ़े चार लाख एक्सिडेंट्स हर साल देख रहे हैं। उनमें से डेढ़ लाख लोगों की मौतें हो रही हैं। हर 4 मिनट में एक मौत 15 साल से 48 साल की उम्र के लोगों की हो रही है, जो कि वर्किंग फोर्स हैं और इस देश का भविष्य हैं। आज उस मैच से पूरे देश को हम यह मैसेज दे रहे हैं कि रोड सेफ्टी हमारे लिए कितनी जरूरी है और किस तरीके से रोड सेफ्टी की मदद से हम एक्सिडेंट्स में होने वाली मौतों की संख्या कम कर सकते हैं। इससे एक तरह से एक इनोवेशन भी आएगा। New products to the advantage of the consumers, जो हमारे हितधारक होंगे, उनके लिए न्यू प्रॉडक्ट भी होगा। अत: मैं समझता हूं कि इस अमेंडमेंट ऐक्ट को लाने से इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। Our Government is very confident that the increase in FDI will make the insurance sector more competitive, transparent, and efficient and ultimately, this will improve business prospects and lead to greater employment generation in the country.

सभापति महोदय, अब एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ मैं आना चाहता हूं। यह केवल लोगों के हितों की रक्षा नहीं करेगा और न ही यह केवल उनके इंश्योरेंस की बात करेगा। मैं समझता हूं कि यह इम्प्लॉयमेंट को भी जेनरेट करेगा। मनीष जी चले गए हैं, नहीं तो शायद इन बातों को, जो मैं कह रहा हूं, उनसे वह कदाचित् सहमत होते। हम अगर इस एफडीआई को ला रहे हैं तो हम चाहते हैं कि कॉंपीटीशन भी बढ़े, एक हेल्दी कॉंपीटीटिव मूड हो, ट्रांसपेरेंसी हो और एफिशिएंसी बढ़े। हमारी सरकार का यह केवल नारा ही नहीं, बल्कि एक गोल है। इस सरकार का यह लक्ष्य है। मैं बाकी चीजों में नहीं जाना चाहता हूं, फिर चाहे वे पिछली सरकारों में कोल स्कैम हों, टू जी घोटाले हों या कुछ और, लेकिन आज आप देखिए कि कुछ दिन पहले कोल एंड माइन्स संशोधन बिल प्रह्लाद जोशी जी लेकर आए। उन्होंने किस तरह से कहा कि हम ट्रांसपेरेंसी कर रहे हैं और इस संशोधन बिल को पास करने से जो एक-एक पैसा आएगा, वह हम राज्यों को देंगे। क्या इस तरीके से कभी फेडरल स्ट्रक्चर में होता था? फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आज यह कदम उठाया जा रहा है। हमने उस ऐक्ट को अमेंड किया, जिससे आय बढ़ेगी और ट्रांसपेरेंसी के साथ वह आय सब राज्यों को दी जाएगी। मैं समझता हूं कि अगर इससे एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो ट्रांसपेरेंसी होगी, एक कॉंपीटीशन होगा और फिर अल्टीमेटली इससे निश्चित तौर पर हमारा बिजनेस भी इम्प्रूव होगा। इसके साथ ही साथ बिजनेस प्रॉस्पेक्ट भी बहुत इम्प्रूव होगा। हमारे देश की जो एक जरूरत है, need of the hour है, greater employment generation in the country की दिशा में हम बढ़ने का काम करेंगे।

हम उस दिशा में बढ़ने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। This decision is taken to relax the FDI cap in the insurance sector after repeated demands by the industry over the years. यह केवल सेलेक्ट कमेटी की ही माँग नहीं है, इस देश की इंडस्ट्री की भी माँग है।

महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । हमारे देश में इस निर्णय से, जो हमने एफडीआई कैप को इंक्रीज किया है, पिछले कई सालों से यह लगातार हमारी इंडस्ट्रीज की माँग थी । उनकी लगातार डिमांड आ रही थी कि इस एफडीआई को बढ़ाया जाए।

महोदय, अगर आपने घंटी बजा दी है तो मैं जल्दी से एक-दो मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूँ। Experts had earlier suggested that the move will most likely benefit the small players. Where currently the Indian partner is not able to bring in more capital to boost growth, in such cases the foreign partner will have the opportunity to bring in more capital and take control of the companies so that they can compete with the larger players. Even private equity funds could pick significant stakes in such companies. मतलब इससे जो हमारे इंडियन पार्टनर्स होंगे, जो हमारे छोटे लोग होंगे, स्मॉल प्लेयर्स होंगे, उनको भी इसका लाभ मिलेगा । मुझे लगता है कि इस बिल को लाने का जो मकसद है, उद्देश्य है, वह अपने इस देश के एक लार्जर सैक्शन ऑफ दी सोसायटी के लोगों के लिए है । The large insurance companies are well capitalised and backed by strong Indian partners. हमारे इंडियन पार्टनर मजबूती से उसके साथ रहेंगे, mostly, banks and non-banking players who would not, in all probability, set their stakes in a business where they can generate substantial free income.

इससे हमारी आय भी बढ़ेगी, इससे लाभ भी होगा । मैं समझता हूँ कि जो बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 आज माननीय मंत्री जी लेकर आई हैं, यह निश्चित तौर पर स्वागतयोग्य कदम है । यह देश की 130 करोड़ जनता के हित में है । इसलिए मैं सबसे अपील करूँगा कि इसको सर्वसम्मत पास करें। धन्यवाद।

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): Sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in the Insurance (Amendment) Bill, 2021. At the outset, I would like to congratulate our hon. Finance Minister for bringing in this Bill with the blessings of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi. We welcome this Bill.

The FDI in the insurance sector was 26 per cent for a very long time and later on it was increased to 49 per cent and now the Government proposes, by bringing in this amendment to the existing Act, to increase it to 74 per cent. A lot of foreign investors would look at higher stakes in the business, otherwise, normally they would not make any investment in any sector. If we take stock of the situation during the COVID-19 period, everybody around the globe, the big companies were all looking to make investments. Now, this increase in FDI to 74 per cent would offer them not only an opportunity to invest but also it would be an advantage for them. The coverage of people under life insurance is also expected to increase now. During the COVID - 19 pandemic everybody was concerned about the lives of the members of their families. Now, with liberalisation of the insurance sector, a lot of companies will be coming into this business. We have now got around 63 companies – 24 in the life insurance business and 39 in the non-life insurance sector.

Sir, through you, I would like to request the hon. Finance Minister to see to it that a majority of our population is covered under insurance. Our country has a population of 130 crores, but unfortunately, the people covered under life

insurance is only 3.76 per cent. This coverage has to be increased. The premium for taking policies has to be reduced. Everybody would like to see their families protected after an individual passed away.

Sir, earlier, when I also was a member of the UPA Government, the FDI in insurance was 26 per cent. At that time, it was not increased to 49 per cent. But later on, the hon. Prime Minister took a positive view of first increasing it to 49 per cent and then to 74 per cent now. The concept of insurance in Indian tradition can be traced back to Kautilya's Arthashastra.

Sir, I must tell you, that the concept of insurance in Indian tradition can be traced back to Kautilya's Arthasathtra, Yajnavalkya's Dharmashastra and Manusmriti. In fact, it is usually said that insurance is as old as human society itself.

Now, being the competitive market in the world itself, India has got a huge population. Everybody in the global circle is looking at India because they have got a potential market. To create the potential market, the Government has already introduced a lot of schemes for labourers, small people, and farmers. So, some more encouragement is required also.

When you see business-wise, as per investment in India, the Indian market had gross written premiums of around 96.9 billion dollars in 2017 which were expected to grow to 250 billion dollars by 2025.

I am feeling proud to say, Sir, that India is presently the 10th largest life insurance market globally along with being the 15th largest non-life insurance market globally. After this COVID-19 incidence, everybody has made non-life

insurance compulsory. When you go to the banks for taking loans, you have to make sure that your industry is insured also. They have to go under the insurance limit itself. Then only they will get further loans or capital or whatever it is.

We still have a long way to go as in comparison with the industry in India, the net premiums in the United States are a total of 1.32 trillion dollars in 2019. If you see the other countries like Malaysia, Thailand and China, the penetration is going in a big way. The penetration in India has to be increased also.

Sir, regarding LIC policy holders, in our olden days, in our childhood days, LIC agents used to be there in all the villages. They used to popularise the insurance always. Now, the Government is thinking about the protection of the LIC policy holders. Through you, I would like to ask the hon. Finance Minister about it. That kind of confidence is there in all the policy holders with long premium also. They do not mind paying that. Now, new companies are coming up. People will be interested in it.

In addition, insurance products catering to speciality risks such as catastrophes and cyber security are at a nascent stage of development in the country. The rural-urban divide also aggravates the given problem, leading to lack of desired growth in the sector.

Sir, when we are taking all these things into account, there will be a long future for this insurance sector itself. I would really appreciate our hon. Finance Minister for bringing this Insurance Bill and we support this Bill wholeheartedly.

The end-consumer will also be benefited from this Bill. It will boost competition, enable consolidation, and increase insurance penetration, leading to more innovative and affordable products for the end-consumer. Thank you.

श्री सुनील कुमार पिन्टू (सीतामढ़ी): सभापति महोदय, मैं बीमा संशोधन विधेयक, 2021 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि आपने यशस्वी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आज सदन में यह बिल लाने का काम किया है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि आज से पहले, कुछ वर्ष पहले लोग इंश्योरेंस का मतलब ही सिर्फ एलआईसी समझते थे कि जीवन बीमा हो गया, वही इंश्योरेंस हो गया। कॉन्सेप्ट धीरे-धीरे बदला है। देश के अंदर धीरे-धीरे यह कॉन्सेप्ट आ गया है कि आपके हाथ में जो मोबाइल है, उसका भी इंश्योरेंस हो सकता है। आप उसका भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। पहले सिर्फ एक जीवन पर इंश्योरेंस होता था। लोग गाड़ियों का इंश्योरेंस कराते थे, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा लिया कि कहीं रास्ते में चैकिंग में दिखला सकें कि हमने इंश्योरेंस करवाया है। वह पेपर मात्र होता था, परंतु आज हिन्दुस्तान के लोग अपनी जवाबदेही को समझते हुए, इस बात का अहसास करते हुए कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी करवाते हैं। अब धीरे-धीरे लोग घरों का इंश्योरेंस करवा रहे हैं। अब हरेक सेक्टर में इंश्योरेंस हो रहे हैं।

महोदय, ऐसी हालत में यह बहुत जरूरी है और आज कोविड-19 के बाद जो स्थिति देश में बनी है, आज लोगों को अपने जीवन का महत्व समझ में आ रहा है। एक समय था कि एक उम्र का तकाजा पूरा करने के बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी, लेकिन आज भला-चंगा व्यक्ति भी, आज इस पूरे विश्व में जो व्यापक बीमारी है, उससे चलता-फिरता आदमी भी मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। आज हमें ऐसे इंश्योरेंस की जरूरत है, जिससे भगवान न करे कि अगर किसी को कुछ हो जाए तो उसके परिवार के लोग सड़क पर न आ जाएं। हम उन्हें सुरक्षा दे सकें, उन्हें एक व्यवस्था दे सकें।

महोदय, सन् 2000 में एफडीआई को 26 प्रतिशत से बढ़ा कर 49 प्रतिशत किया गया। उसके बाद अब फिर 49 पर्सेंट को बढ़ाते हुए 74 पर्सेंट करने के लिए माननीय मंत्री महोदय इस सदन में प्रस्ताव लाए हैं। आप देखेंगे तो अन्य देशों की तुलना में बहुत कम बीमा की बैठ हमारे हिंदुस्तान में है। भारत में जीडीपी के बीमा प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में अनुमानित अगर मानें

तोसन् 2001 में 2.71 था, जो सन् 2019 में 3.76 हो गया। अगर यही हम विश्व स्तर पर देखेंगे तो 3.35 पर्सेंट ही है और जबकि सन् 2019 में गैर बीमा क्षेत्रों में 3.88 प्रतिशत है। इस मामले में पूर्व के समय में होता यह था कि र लोग लगाताइंश्योरेंस के बाद क्लेम के लिए महीनों चक्कर लगाते थे। जब से एफडीआई का आगमन हुआ है, जब से अन्य कंपनियां भी हिंदुस्तान में आई हैं, उसके बाद हमारी स्वदेशी कंपनी सहित विदेशी कंपनी भी बीमा सेटलमेंट में बहुत कम समय लेते हैं और चाहते हैं कि हम हैण्ड टू हैण्ड बीमा सैटलमेंट भी करें। इसमें मैं माननीय मंत्री महोदया जी से यह कहना चाहूंगा कि आप जो इंश्योरेंस सैक्टर में जीएसटी 18 पर्सेंट लगाते हैं, यह कोई लग्जरी गुड्स नहीं है। इंसान अपने जीवन और अपनी बहुमूल्य वस्तुओं का इंश्योरेंस कराता है। इसलिए इसको पांच पर्सेंट के स्लैब में रखना चाहिए, ताकि लोगों को कम से कम प्रीमियम भरना पड़े।

सभापति महोदय, आज की इस परिस्थिति के अंदर विदेशी एफडीआई के आने के बाद खास कर कोविड-19 के बाद जो देश में बेराजगारी बढ़ी है, हम उन नौजवानों को इस बीमा क्षेत्र में एक अच्छे रोजगार की उपलब्धता करा सकते हैं। हम उन्हें एक अच्छा स्वावलंबी बनने का, स्वरोजगार की योजनाओं पर काम करने का एक मौका दे सकते हैं।

यह माननीय प्रधान मंत्री जी की सोच है कि आज हमारे देश के जो नौजवान हैं, उनके अंदर यह क्षमता है कि वे इस सैक्टर को बखूबी चला सकते हैं और बखूबी लोगों तक जानकारी पहुंचा सकते हैं। आज के समय में इंश्योरेंस के माध्यम से ही हम पूरे देश के अंदर अपनी हर चीज की व्यवस्था को इंश्योर्ड कर रहे हैं और पूरे देश के कारण हम आज दुनिया के अंदर इस पैमाने पर खड़े हैं। चाहे वह जीवन रक्षक दवाएं हों, घर हो, गाड़ी हो, आदमी के हाथ में कोई भी वस्तु हो, वह सब आज इंश्योर्ड हो रहा है। इंश्योरेंस होने के बाद आज हमें इस बात का पता है कि हमारी वह बहुमूल्य वस्तु अगर किसी कारण से नष्ट होती है, चोरी हो जाती है तो हमें उसका क्लेम मिलता है, आज हम उस पैसे को वापस पा सकते हैं। यही सबसे बड़ी बात इस बीमा संशोधन में है कि हम कैसे लोगों को अधिक से अधिक सुरक्षित कर सकें, कैसे अधिक से अधिक देश के लोगों को

रोजगार उपलब्ध करा सकें, कैसे देश के अंदर फॉरेन करेंसी का, यानी विदेशी धन का आगमन हो सके। इसी के तहत यह संशोधन बिल लाया गया है।

महोदय, मैं इस संशोधन बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने मुझे इसके पक्ष में बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मैडम निर्मला सीतारमण जी से कहना चाहता हूं – *“Indha Kappittu Masodavai naan balamaga ethirkkiren.”*

मैडम, मैं इस बिल का बहुत घनघोर एवं बहुत भीषण विरोध करता हूं। I oppose this Bill tooth and nail. आपने 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत बढ़ाया तो क्या आपने देखा कि इंश्योरेंस का पेनेट्रेशन कितना हुआ? अब आप 49 प्रतिशत से बढ़ा कर 74 प्रतिशत करने जा रही हैं। ‘To raise the limit of foreign investment in Indian insurance companies from existing 49 per cent to 74 per cent and to allow foreign ownership and control with safeguards’, आपके जो सेफगार्ड्स हैं कि 50 प्रतिशत इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे और इतने प्रतिशत इंडियन डायरेक्टर्स होंगे। इसी तरह के हालात थे, जब ईस्ट इंडिया कम्पनी हमारे यहां बिजनेस करने आई थी, तब भी इंडियन्स थे। इंडियन्स ने उनका साथ दिया था।

Madam Minister, this is no safeguard. वे हमारी बीमा कम्पनियों को हाइजैक कर लेंगे और एक समय आएगा, जब देश के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस पर एफ.डी.आई. बढ़ाने से विदेशी लोग काबिज होंगे।

महोदय, मैं एक बेसिक सवाल करता हूं कि अगर कोई भी विदेशी कम्पनी यहां अपने पैसे लगाने के लिए आती है और मान लीजिए कि अगर वह एक हजार करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट करती है तो क्या वह हमारे देश के लोगों को वे एक हजार करोड़ रुपये देने के लिए आती है या कमाती है? In due course of time, वह एक हजार लगाकर दो हजार, तीन हजार, पाँच हजार, दस हजार कमाएगी। मैं बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं। भविष्य में तमाम सालों के बाद वह हिन्दुस्तान का पैसा बाहर ले जाएगी। मेरा यह कहना है कि जो हिन्दुस्तानी इंश्योरेंस कम्पनीज़ हैं, उन्हें थोड़ा मौका दिया जाना चाहिए। यहां के लोगों का माइन्डसेट है कि वे धीरे-धीरे इंश्योरेंस की तरफ बढ़ते

हैं। अगर विदेशी कम्पनियां आ जाएं, और मेरा तो कहना है कि अगर भगवान भी आ जाएं, तो इतनी जल्दी इसका पेनेट्रेशन नहीं बढ़ने वाला है।

आपके ही आँकड़े के अनुसार, मैं बताता हूं, as per *The Economic Survey 2020-21*, insurance penetration estimated as percentage of insurance premium to GDP in India, has risen from 2.71 per cent in 2001 to 3.76 per cent. A closer look at data shows that penetration of life insurance in India stands at this figure while that of in other countries like Malaysia – 4.72 per cent, Thailand – 4.99 per cent and China -- 4.30 per cent. We are not far behind.

हम एक प्रतिशत ही तो कम हैं। हमारे यहां की इंश्योरेंस कम्पनियों को मौका दिया जाना चाहिए, तभी हमारे यहां इंश्योरेंस में पेनेट्रेशन और बढ़ेगा। एफ.डी.आई. बढ़ाने से ज्यादा अच्छा होगा कि कम से कम हिन्दुस्तान के लोगों के दिमाग में इंश्योरेंस के प्रति एक ऐसी इमेज पैदा की जाए। आज देखिए कि चाहे कोई एक्सीडेंट का क्लेम हो, चाहे फसल बीमा योजना का क्लेम हो, चाहे किसी की मौत होती है तो किस तरह से इंश्योरेंस कम्पनियां लोगों को उसका क्लेम देने में देरी करती हैं। यही खास वज़ह है कि लोग इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं और इसकी तरफ नहीं बढ़ते हैं।

महोदय, मेरा यही कहना है कि अपने देश में इंश्योरेंस कम्पनी के लोगों के पास भी बहुत प्रतिभा है। यह जो पेनेट्रेशन और लेवल-ऑफ-कम्पीटिशन के नाम पर, इस बेनिफिट के नाम पर आप जो एफ.डी.आई. बढ़ाना चाह रहे हैं, यह देश के लिए बहुत हानिकारक है।

मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you very much, Mr. Chairman Sir. I would like to speak for one minute, which is just little out of context, which I normally do not do. I have been a parliamentarian for 14 years. Sir, you have seen me closely. Today, I went through something very difficult and strange. Today, 'Zero Hour' either was rigged or there was some serious change of plan form that side.

माननीय सभापति : आप अपनी बात कहिए।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले : सर, दुख तो होता ही है, जब आठ लोग एक ही विषय पर बोलते हैं तब हमारी तरफ से भी एक ही सदस्य बोल सकते थे, लेकिन सुबह ऐसा नहीं हुआ। I just want to flag that it is a black day. Everybody does not stay in this side. जब कभी भी बारी आएगी तो यह इस देश में प्रेसिडेन्ट न पड़े। कोई भी सत्ता लाइफ भर नहीं होती, कभी इस पार तो कभी उस पार सत्ता होती है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। Actually, it is a black day for democracy. आठ लोग एक ही विषय पर जीरो आवर में बोलते हैं, जिनका नाम नहीं था। मैंने इसे चेक किया है। इनमें से एक भी सदस्य का नाम जीरो आवर में नहीं था। It is up to the Speaker, of course. I understand the power of the Speaker. But this is injustice. मुझे आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बात याद आती है। एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी, उसमें तथा यहाँ पार्लियामेंट में भी उन्होंने कहा था कि दो ही ऐसी पार्टीज़ हैं, जो कभी वेल में नहीं आती हैं। वह पार्टी एनसीपी और बीजेडी हैं। आज 14 साल के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली ये थ्री नॉट थ्री हैं, वे बाहर आ जाते हैं, मंत्री एक-दूसरे को इशारा करके बोलते हैं कि चिल्लाओ-चिल्लाओ। अगर हम पूरा डेमोक्रेटिक रूल्स फॉलो करते हैं तो हमारा नुकसान होता है और हमारी आवाज़ दब जाती है।

HON. CHAIRPERSON: I think, you have made your point. Please come to the Bill.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: I just request through you that जो रूल्स फॉलो करे, उसकी आवाज़ न दबाई जाए। That is my limited point and I just want to put it on the floor.

Another thing I wanted to say is that I appreciate that this Bill has been brought in by this Government. But this Government is full of contradiction. यह यू-टर्न की सरकार है। They are u-turning about everything straight from allies. आज जिस तरह से शिव सेना के बारे में बात कर रहे थे, 25 साल तक उनके साथ आपका अच्छा रिश्ता रहा है। 25 साल के बाद जिस तरह से आज उद्धव जी के ऊपर अटैक हुआ, मैं सोच कर दंग रह गई कि 25 साल के बाद ऐसा क्या हो गया कि इतना पर्सनल अटैक करते गए। Anyway, this is a u-turn *sarkar*. This is one more u-turn, I guess. … (*Interruptions*)

सर, मैं किसी को हैक्ल नहीं कर रही हूँ, यह आपने देखा है।…(व्यवधान) अभी सुनने की भी थोड़ी ताकत रहनी चाहिए।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बोलिए, सभी लोग सुनेंगे।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले : सर, जब बड़ी सत्ता हो, …(व्यवधान) The beauty of being in power is to listen to the people who do not have a voice. अगर हम कम हैं तो हमारी थोड़ा भी सुना कीजिए। टाइम भी कम मिलता है। This Bill, as my colleague said, is a Bill brought in by UPA. At that time, as I said, this is one more u-turn. यह सरकार ने यू-टर्न किया है। This was objected by the then, unfortunately, two late people, whom I personally, looked up to as amongst the finest Parliamentarians and leaders, Sushma Swaraj ji and Arun Jaitley ji. We all

learnt from them. We may have ideological differences but the way they conducted themselves in Parliament was exemplary. I remember, both of them, were speaking against this Bill. So, I, really, would like to ask to the hon. Finance Minister and the Government as to what has made you change your mind because when Mr. Chidambaram had brought this Bill, you had vociferously spoken against this Bill. So, what has changed your mind?

I just want to ask two or three narrated questions because I am not completely against the Bill. I understand for what reason you are bringing it. What Shayam Singh ji has said was absolutely right. If we get 74 per cent or 75 per cent FDI, it will really be an East India Company.

सर, आपको ईस्ट इंडिया कंपनी याद होगी। हमारी सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहे हैं। Now, just because they are sitting that side and we are sitting this side, अभी आप ईस्ट इंडिया कंपनी हो गए। What about this whole programme of AatmaNirbhar Bhartat? पूरा टाइम आत्मनिर्भर भारत की बात होती है। अभी हर्षवर्धन जी भी बैठे हैं। I am so proud of the work that he has done during this COVID time. आत्मनिर्भर भारत में इतना बड़ा इनवेस्टमेंट जो फॉरेन से आ रहा है, what is the need of it? It, actually, makes your AatmaNirbhar Bharat Programme weak. मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे आप इतने अच्छे प्रोग्राम्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत 70 साल पहले हुई थी। वैक्सीन हुई, दवाई हुई, बहुत सारी चीजें इंडिया में बनती थीं, लेकिन आज क्या हो गया कि आप इस पूरी पॉलिसी पर यू-टर्न करते जा रहे हैं। Could the Finance Minister explain to us about it? It is good that you are opening it. I am not against opening up of it at all. We started it and just because I am on this side, I am not going to criticise the good policies. It is because for me the country is first and then

comes my ideology. I am a very proud Indian. What is good for my country, whoever does it, अच्छे को अच्छा बोलना ही चाहिए। I think, the intention of this Government is good. But, what is really behind it, I am really confused about it. The East India allegation was then, wrong. How should we put history straight? जब आप वह चीज बोले तो शायद वह गलत था। That must be corrected. The document should be corrected because history will judge us.

The other thing which worries me is this. This is going to be opened to everybody. I do not want to corner any one country. I will give you one small example of what my own State went through.

सर, हमारे यहां दो घंटे के लिए बिजली चली गई। इसकी पूरी इंक्वायरी हुई थी। It was realised that that was an attack, not specifically on Maharashtra, as it had nothing to do with the Central Government. But there was an allegation, and there was a Report which was confirmed by the Central Government, which is documented, that that was a Chinese attack, and it could have been that. यह किसके लिए कर रहे हैं, इंश्योरेंस किसके लिए होता है? जो गरीब होता है, जो शोषित होता है, जो पीड़ित होता है, जो वंचित हाता है, उसके लिए इंश्योरेंस है। ये बड़ी कंपनियां कहां हैं? हमारे गरीब, शोषित, पीड़ित और वंचित लोग कहां जाएंगे? वे न्याय कहां मांगेंगे? अभी भी प्राइवेट कंपनीज़ के साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। Big companies are collapsing. So, how are we going to achieve that? I understand your intention that the money is needed as the economy is going through its most difficult and challenging times. इस टाइम में अगर आप ओपन अप कर देंगे तो गरीब, जो मेहनत करने वाला है, विश्वास से इंश्योरेंस लेता है, उसका क्या होगा? I reiterate, we are not against all these changes. I have just one small question. You are privatising everything; we are not against privatisation.

But what I have read is that the sectors like Telecom, Road, Power, Youth, Civil Aviation, Petroleum, and Shipping and Ports, are being monetized. When we monetize things, we should think about our past records. We should think whether whenever we have monetized things, we have managed to get enough money back. Take the example of Air India. There are many other examples I can put before you. So, can the hon. Finance Minister tell this nation that while you are privatising all these things, opening up the country, which we are not against, how is it really going to help our economy which needs the biggest push? Of course, the economy was doing badly, and on top of that, there is this COVID-19 challenge. दोनों के बीच में देश फंसा हुआ है। Today, even jobs are very less, and NPAs are maximum in education sector. Today, a very big lead story has come. एनपीए सबसे ज्यादा शिक्षा में आया है। बच्चे फीस नहीं भर पा रहे हैं, इसलिए ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ रहे हैं। यह बड़ी चिंता की बात है। अगर माननीय फाइनेंस मिनिस्टर इन सबका जवाब दें, तो देश को एक अच्छी दिशा मिलेगी।

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू । मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एलआईसी देश की एक प्रॉफिट मेकिंग संस्था है । यह सबको मालूम है कि तकरीबन 30 लाख करोड़ रुपये एलआईसी का हमारी डिफरेंट स्कीम्स के अंदर लगा हुआ है, जो सरकार ने बॉरो कर रखा है । आज एलआईसी को 16 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है, तो हमने एफडीआई के हाथ इसको बेचने का निर्णय ले लिया । एलआईसी देश की बहुत महत्वपूर्ण संस्था भी है । हमने एफडीआई को इसे देने का फैसला लिया है, लेकिन आपने उनको मालिकाना हक भी दे दिया । मालिकाना हक देने से हमें इस बात का अंदेशा है, जैसा कि और वक्ताओं ने भी कहा कि देश का पैसा फॉरेन में ड्रेन न होने लगे और वह होगा ही । ये लोग पैसा कमाने ही तो आ रहे हैं । ये हमारे देश के अंदर समाज सेवा करने थोड़े ही आएंगे ।

अभी सुप्रिया जी ने बहुत सही बात कही कि आपका आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया का आइडिया आखिर कहां गया? अगर फॉरेनर्स के हाथ में सब कुछ दे रहे हैं, तो वही पुरानी हिस्ट्री दोहरायेगी । अभी हमारे एक साथी ने ईस्ट इंडिया कंपनी वाली बात कही, हमें इस बात का अंदेशा है कि वह दोहराने न लगे । जिन एफडीआईज़ को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है? वे कहीं ऐसी कंपनीज़ तो नहीं हैं, जो अपने देश में बैंकरप्सी की कगार पर हैं और यहां से पैसा लेकर जाना चाहती हैं । हमारे एलआईसी बियरर्स की क्या गारंटी है कि उनको वे तमाम चीजें मिलेंगी, जो आज हम उनको दे रहे हैं? एलआईसी के जो इंप्लाईज़ हैं, इस वक्त उनमें बहुत बेचैनी है । वह बेचैनी इसलिए है कि उनको अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है । वे बहुत परेशान हैं । उनके सेफगार्ड के लिए आपने कौन-कौन से प्रावधान इसमें रखे हैं? हमें आप यह बताने की कृपा करें ।

आखिर में, मैं कहना चाहूंगा कि अगर पैसे की जरूरत पड़े तो घर को गिरवी नहीं रखा जाता है । अगर हम गिरवी रखकर दूसरे लोगों को मालिकाना हक देंगे, तो एक दिन यह होगा कि हम घर के बाहर खड़े होंगे और वे हमारे घर के अंदर आ जाएंगे, बहुत-बहुत शुक्रिया ।

SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): Sir, in the current Budget speech, the hon. Finance Minister proposed to increase the permissible foreign direct investment limit in the insurance companies to 74 per cent from 49 per cent.

13.35 hrs (Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)

In the Statement of Objects and Reasons of the Insurance (Amendment) Bill, 2021, it is stated that in order to achieve the objective of Government's Foreign Direct Investment Policy of supplementing domestic long-term capital, technology, and skills for the growth of the economy and the insurance sector, and thereby enhance insurance penetration and social protection, it has been decided to raise the limit of foreign investment in the Indian insurance companies from the existing 49 per cent to 74 per cent.

The Bill proposes to allow foreign ownership and control with safeguards.

As mentioned by the hon. Finance Minister in her speech, under the new structure, the majority of Directors on Board and the key management persons would be resident Indians with at least 50 per cent of Directors being independent Directors and specified percentage of profits will be retained as general reserve.

All this will have no meaning when the ownership goes in the hands of the foreign investors.

Before, 2000, the insurance sector was the monopoly of the State-owned companies like the LIC for the life sector and four general insurance companies, namely New India Assurance, United India, Oriental Insurance and

National Insurance and General Insurance Corporation of India were meant for the reinsurance purposes.

With the objective to encourage competition and enhance insurance penetration under the aegis of IRDA, the insurance regulator, the Government of the day threw open the insurance sector to private players and also permitted foreign investment in the insurance sector in the year 2000 by allowing up to 26 per cent in an Indian insurance company.

Later, in 2015, this limit was raised to 49 per cent.

The FDI up to 49 per cent in the insurance sector was expected to bring in a good amount of foreign capital and enhance penetration but it did not happen.

If we go by the figures that we have, today, very few companies in the life insurance and in the general insurance sector could reach the foreign holding of 49 per cent.

Many of the companies are working with foreign holding of even less than 26 per cent.

According to 2019 data, the insurance penetration in India is 3.76 per cent whereas the world average of insurance penetration is more than 7.23 per cent.

The insurance sector will definitely grow multi-fold without foreign investors as we have tremendous support.

As per the analysis done by the SBI, the increase in FDI limit in insurance may receive Rs.5,000 crore to Rs.6,000 crore in another one or two

years, and in another five years' time, we may get the foreign direct investment to the tune of Rs.15,000 crore to Rs.16,000 crore.

If this be the case, we need not go in for foreign direct investment. The resources are available in India itself.

So, going by the figures and the available data, the expected foreign direct investment looks elusive as the foreign investors too would study the terms and conditions, the new structure of Directors on Board, any conditionality and regulatory approvals attached to the payment of dividend to the foreign investors, and then take cautious steps of investing in the Indian insurance sector.

Even in case a good response emerges from the foreign investors, the insurance sector will always remain under the threat of foreigners who will capture the entire insurance industry and will make huge profits; and the flight of capital cannot be stopped by the Government authorities.

The public sector insurance companies like the LIC having a market share of 75 per cent and the four general insurance companies having a market share of more than 55 per cent, over a period of time, will fall prey to the private insurance companies owned by foreigners.

I would, therefore, urge the Government and the Finance Minister to reconsider the step of raising the FDI limit in the insurance sector to 74 per cent, and instead boost the State-owned Government insurance companies by infusing capital and strengthening the solvency issue of these companies to enable them to cater to the insurance needs of the Indian people.

I would like to state that the Government is planning to close the Oriental Insurance Branch located at Kamareddy district in my Parliamentary Constituency of Telangana, which is not a right step, as Kamareddy district is a newly formed district and is at the developing stage. It has a potential to generate new insurance customers. There are around 50-60 villages around the Kamareddy district.

With the closure of this Branch, it will be a loss for the Government and it will become very inconvenient for the people living in the nearby villages to visit Nizamabad for making the claims and for the renewal of insurance policies as well as for the workers to discharge their respective duties.

I, therefore, request the hon. Minister to kindly put a hold on the closure of the Oriental Insurance Branch in Kamareddy district and give it some time to flourish.

Thank you.

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Hon. Chairperson, I hereby stand to raise some issues pertaining to the insurance sector as well as to oppose the Bill *in toto*. In fact, everyone of us knows that LIC was formed in 1956 and it has served this nation for more than 65 years. The increase of FDI from 49 per cent to 74 per cent will give the rights to catch hold of the entire properties of LIC in the hands of the people, who are there in the market.

By doing this, the Government is directly handing over this huge section of domestic savings to the foreign capital, which neither contributes to the infrastructural development nor the socio-economic development of our nation. There is no contribution of such people in the development of the nation. By increasing the FDI, these foreign capitals get access, rather control over the domestic savings collected by way of insurance premiums which are being utilized for ensuring higher profits through speculative investments. Thus, the policyholders, the true stakeholders, are put to enormous risk of their funds. Also, the foreign capitals get a vast share of profit earned by the companies and it will be swayed offshore. I do not know how the Government is going to stop all these things because it is the property of the country.

Madam, LIC of India was formed in the year 1956. It was entrusted with the job of mopping up funds by way of collecting premiums and providing these funds for the national development. LIC was also entrusted the prime task of providing secured insurance cover to the citizens of our nation. LIC of India has been successfully performing these dual responsibilities, rather tasks,

entrusted by the Government of India for the past 65 years. During these years, LIC has insured crores of people of our nation. As on date it is estimated that nearly 40 crores of Indians are insured by LIC of India. As per estimates, India possesses a capacity of 60 crore insurable population of which around 40 crores are already insured. The insured people feel fully secured and safe at the hands of LIC, which is very important.

The LIC of India was formed with an initial meagre capital of Rs.5 crore. It was further increased to Rs.100 crore in the year 2011 to meet the requirement of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI). Through this minimal capital, LIC has created assets worth Rs.32 lakh crore till the last financial year ended 31.3.2020. The value of real estate assets of LIC also stand at around Rs.30 lakh. Till date LIC has paid cumulative dividend to the Government of India to the tune of Rs.28,000 crore. LIC has also paid a dividend of Rs.2698 crore for the current year ended 31st March, 2020. Total investments made by the LIC in the Government's infrastructural development projects like roads, water, power, sewerage, bridges, road and rail transport systems, etc. stand at around Rs.30 lakh crore. The most important asset that LIC has created is 'trust' and that is why the people of our country prefer to get a policy from LIC rather than other insurance companies.

The Life Insurance Corporation Act has been amended on an earlier occasion in the year 2011. Those amendments were necessitated for complying with the provisions of the IRDAI. As per IRDAI, amendments to the

LIC Act in 2017 were made with the sole purpose of increasing the capital of LIC up to Rs.100 crores. But the proposed amendment to the LIC Act is solely aimed at paving the way for disinvestment of LIC of India, which in turn will clear the hurdles of listing the equity capital of LIC to the share market by issuing an IPO.

Madam, this amendment to the LIC Act will be the most disastrous move and will go against the interest of the nation. The disinvestment of LIC of India through issuance of IPO will in turn be throwing open LIC's capital to the speculative market by way of shares and will lead to handing over the entire monies, assets, brand, and trust in the hands of crony capitalists who will pounce on to swallow away maximum share and have a complete hold on the LIC of India. This will prove destructive to the national interest.

Madam, the insured also has the choice of returning back the product within a stipulated timeframe if he finds that the product offered is not as per the commitment mentioned in the insurance policy document.

I come to my last and the most important point. Right from day one when the LIC of India was formed, the provision of sovereign guarantee is available on every policy issued. I would like to ask the Government whether the Government will continue with providing, even after allowing FDI, the sovereign guarantee or not.

The argument put forth on issuance of LIC IPO is that it will provide greater transparency and give ownership to its stakeholders. This is the argument being spelt out by the authorities in the Finance Ministry. The funds

collected by the LIC of India by way of insurance premium and other incomes received by way of real estate income and investment income are all under the strict vigil of the Government. Therefore, I would say that these are the strengths of the LIC of India and we are going to weaken the LIC of India and going to hand over the entire properties and assets to the so-called foreign investors who do not have any contribution in the development of the country.

The LIC of India has served the country for 65 years. I do not understand the necessity of going for this amendment. Right now, there are competitive companies in the country. The LIC of India has been working in this competitive environment and has proved, time and again, that they are the best among all the insurance companies. Therefore, I will request the Government to protect this company and do not go for disinvestment. It is eventually privatisation. Even if you do not use the word privatisation, the day 74 per cent investment is done by FDIs, they are bound to become an owner and you will be just a non-entity. Therefore, I request the Government to kindly look into this, while bringing this Bill, and take a serious note of it and see that the protection to the LIC of India, their stakeholders, the Government, and its sovereignty should be maintained.

Thank you so much.

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। वर्ष 2000 में, हमारी जो इंडियन इंश्योरेंस कपनीज हैं, उसमें फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट 24 परसेंट तक हो सकती थी। वर्ष 2015 में इसे बढ़ाकर 49 परसेंट कर दिया गया और आज हम, इस बिल के माध्यम से इसे 74 परसेंट करने जा रहे हैं। अगर, आप इसके स्टेटिस्टिक्स को देखेंगी, तो अभी तक हमारी जितनी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सभी के पास 49 परसेंट की एफडीआई भी नहीं हैं। मैं समझता हूं कि इसको इतनी जल्दी इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। हम 'आत्मनिर्भर भारत' की बात करते हैं। हम 'मेक-इन इंडिया' की बात करते हैं। हम 'डिजिटल इंडिया' की बात करते हैं। हमने आज कोरोना की दवाई दुनिया के काफी देशों को दी है, तो क्या हम अपनी कंपनीज की ओनरशिप और कंट्रोल को फॉरेन के हाथों में, बाहर के लागों के हाथों में देकर कितना बड़ा तीर मार रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

महोदया, आज हमारे देश का ताज एलआईसी है। आज हर घर में चाहे कोई आदमी पढ़ा-लिखा हो या कम पढ़ा-लिखा हो, झुग्गी से लेकर महल तक हर आदमी एलआईसी के बारे में जानता है। एलआईसी हमारे देश का ताज है। मुझे नहीं पता है कि इस बिल के आने के बाद यह किसी बेज़ोस, किसी गेट्स या किसी जुकरबर्ग के सिर पर वह ताज सजेगा और यह भारत के सिर पर नहीं रहेगा। ऐसी कंपनी जिसने सरकार को भी डिवेडेंड दिया है, बहुत बड़ी असेट्स क्रिएशन भी दी है और वह हमारे शेयर मार्केट को भी चलाती है, हमें ऐसी कंपनी को प्रोटक्शन देना चाहिए और वह जैसे चल रही है, हमें उसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए।

महोदया, मैं इस सरकार के काम करने के तरीकों को देख रहा हूं। जितने भी सेंसेटिव बिल्स होते हैं, मुझे नहीं पता है कि उनको बुल्डोज़ क्यों किया जाता है? हमारे सामने ड्रेकोनियन फॉर्म लॉज़ हैं। हमने किसी स्टेक होल्डर्स के साथ कोई वार्ता नहीं की है, उनका सुझाव नहीं लिया है। इसी तरह कहने के लिए तो यह दो पेज का छोटा-सा बिल है, मगर इसके जो इफेक्ट्स हैं, जिसे रिपल इफेक्ट्स कहते हैं, वह बहुत दूर तक जा सकते हैं। हमें इसको स्टैंडिंग कमेटी में देना

चाहिए । वहां बात करनी चाहिए । सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बात करनी चाहिए, तभी इसको पार्लियामेंट में लाना चाहिए। एक ब्रूट मेज़ोरिटी के साथ आप हर बिल को बुल्डोज़ करेंगे, तो न यह हमारी डेमोक्रेसी के लिए ठीक है और न ही यह देश के लिए ठीक है।

महोदया, माननीय वित्त मंत्री साहिबा में राज्य सभा में बोलते हुए कहा था कि जो यह इंश्योरेंस कंपनी है, अगर उसमें 74 प्रतिशत एफडीआई आ भी जाती है, फिर भी उसे भारतीय ही चलाएंगे। कुछ प्रमुख ओहदों पर भारतीय ही रहेंगे। वे ही बैठेंगे, वे ही इसको मैनेज करेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री साहिबा से कहना चाहता हूं कि मालिक, मालिक होता है और नौकर, नौकर होता है। हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयां लड़कर हमें ऐसी-ऐसी असेट्स और कंपनियों का मालिक बनाया है, आज हम उन्हीं पीएसयूज़ में नौकर बनने जा रहे हैं और फिर मालिक बाहर से आ रहे हैं। हम यही फॉर्म लॉज़ में भी करने जा रहे हैं।

महोदया, आज माननीय वित्त मंत्री साहिबा ने राज्य सभा में बोलते हुए कहा था कि इंश्योरेंस में जिन भारतीय लोगों का पैसा लगा है, वह भारत में ही रहेगा । वह हमारा पैसा है, वह रहना भी चाहिए । मगर मैं एक बात जानना चाहता हूं कि हम नीरव मोदी को नहीं रोक पाएं, हम ललित मोदी को नहीं रोक पाएं, हम मेहुल चोकसी को नहीं रोक पाएं, हम कोठारी को नहीं रोक पाएं। वे खुद भी बाहर गए, अपने परिवार को भी बाहर ले गए, हमारा पैसा भी बाहर लेकर गए और हमारी इज्जत भी उछालकर गए । वे आज बाहर के आलीशान दफ्तरों और घरों में बैठकर हमारे देश का मुंह चिढ़ा रहे हैं। मैं यह समझना चाहता हूं कि वह एक बहुत आलीशान जिन्दगी जी रहे हैं, लेकिन ये लोग जो एफडीआई लेकर आएंगे, जो बाहर की इन्वेस्टमेंट कंपनियां या इन्वेस्टर्स हैं, वे तो पहले ही बाहर बैठे हैं, हम उनका क्या बिगाड़ सकते हैं?

महोदया, आपकी सरकार ने हमेशा 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' का नारा दिया है। आपसे जो भी नारे बन सके हैं, आपने बनाए हैं और लोगों को दिए हैं। मगर दूसरी तरफ हमारा सब कुछ जो पहले से ही बना हुआ है, आप उसको क्यों बिगाड़ रहे हैं, क्यों उजाड़ रहे हैं, क्यों बेच

रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? आज यह बात मैं नहीं बल्कि 130 करोड़ भारतीय जानना चाहते हैं। कृपया आप इसके पीछे के कारण को जरूर बताइएगा।

मैडम, कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। देश को आजाद करवाया। जिस तरह बाहर के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे और उन्होंने देश को गुलाम बना लिया था। आज आप देश को फिर से गुलाम बनाने के लिए बाहर से वही कंपनियां बुला रहे हैं। यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहां पर पांच ट्रिलियन की बात होती है।…(व्यवधान) मैडम, मुझे दो मिनट दीजिए मैं कनक्लूड कर रहा हूँ। हमें बहुत खुशी होती है, जब 5 ट्रिलियन की बात होती है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि क्या हम 5 ट्रिलियन इकॉनोमी अपना घर बेचकर, घर का सामान बेचकर बनाएंगे? हमें अपनी पॉलिसी पर दोबारा रीलुक करना चाहिए। मैं इस बिल का विरोध करता हूँ।

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदया, धन्यवाद । मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 के समर्थन में अपनी बात रख रहा हूँ। बीमा अधिनियम, 1938 में यह संशोधन हो रहा है । मैं सबसे पहले माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को उनकी दूरदर्शी सोच के लिए धन्यवाद करता हूँ। हम सब वर्ष 2014 के पहले के भारत और आज वर्ष 2021 के भारत में जमीन आसमान का फर्क देख रहे हैं । देश की आजादी के बाद जो रूढ़िवादिता और दूरदर्शी दृष्टिकोण था, जिसके चलते देश को जिस मुकाम तक पहुंचना था, उस मुकाम तक देश नहीं पहुंच पाया । जब अटल जी प्रधान मंत्री थे, उस समय कई महत्वपूर्ण फैसले हुए थे, जिनके कारण देश प्रगति के रास्ते पर तेज गति से बढ़ना शुरू हुआ था। वर्ष 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने देश में ऐतिहासिक परिवर्तन किए थे और आज मैं देख रहा हूँ कि भारत सरकार के सारे विभागों में जिस तरह से नई कार्य योजना बनी है और जिस तरह से उनका इंप्लीमेंट हुआ है, उसकी वजह से आज पूरा देश तेज गति से विकास की दिशा में दौड़ रहा है । देश में जो गंभीर समस्याएं थीं, उनको देखकर लगता था कि उनका कभी हल नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरह से प्रधान मंत्री जी ने उन सारी समस्याओं को हल करके दिखाया, जिस तरह से कठिन से कठिन सवालों को हल किया, उससे आज पूरी दुनिया में उनकी इस बात के लिए चर्चा हो रही है।

प्रधान मंत्री जी जो भी नीतिगत निर्णय अपने मंत्रिमंडल में करते हैं, उसे हम संसद में कानून का रूप देते हैं । आज उसी योजना के तहत माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 यहां पर लाया गया है । राज्य सभा ने इसे ध्वनिमत से 17 मार्च को पारित कर दिया है । देश आज दुनिया की बराबरी करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है । मोदी जी की सोच सचमुच वैश्विक है। इसीलिए उन्हें अब दुनिया वैश्विक नेता के रूप में पहचान रही है। सन् 1938 में यह कानून बना था। वर्ष 2000 में एक संशोधन हुआ तब एफडीआई 26 परसेंट था। उसके बाद वर्ष 2015 में इसमें संशोधन हुआ तो 49 परसेंट एफडीआई था। इसके बावजूद भी बीमा क्षेत्र में जो कवरेज होना चाहिए, वह नहीं हो पाया । इसलिए हमारी सरकार ने सोचा कि अब 74 परसेंट

एफडीआई बढ़ाने का विधेयक लाया जाए। आज उसके तहत यहां पर यह विधेयक लाया गया है। अब इसमें सब को सभी क्षेत्रों में सभी तरह का बीमा सस्ती दरों पर कवर किया जाएगा। वर्तमान में दुनिया के मुकाबले हमारे देश की स्थिति क्या है? भारत के बीमा सेक्टर का जीडीपी में कुल योगदान मात्र 3.76 है।

14.00 hrs

दुनिया के कई देशों की जीडीपी में इंश्योरेंस सेक्टर का योगदान अधिक है जैसे यू.एस. में 11 प्रतिशत, यू.के. में 19 प्रतिशत, फ्रांस में 9.21 प्रतिशत, जापान में 9 प्रतिशत, कनाडा में 7 प्रतिशत । प्रश्न यह उठता है कि देश की आबादी 135 करोड़ है और हर कोई अपना बीमा सुरक्षा कवच चाहता है, किन्तु उसका लाभ नहीं ले पा रहा है। इस विधेयक के पारित होने के बाद मुझे लगता है कि बीमा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, गरीब को भी सस्ता बीमा लेने की सहूलियत मिलेगी, नई तकनीक विकसित होगी, सामाजिक सुरक्षा कवच को बढ़ाव मिलेगा, नए रोजगारों का सृजन होगा और देश की जीडीपी में इस सेक्टर का योगदान बढ़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी की देश को फाइव ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की जो योजना है, उसमें भी इस विधेयक के पारित होने के बाद काफी मदद मिलेगी। छोटी बीमा कंपनियों को भी इससे फायदा होगा। अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि छोटी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, मुझे लगता है कि उनका दृष्टिकोण गलत है और छोटी कंपनियों में भी पूंजी निवेश बढ़ेगा, जिससे उनका और विस्तार होगा और उनकी पूंजी में भी इज़ाफा होगा। बीमा एक पूंजी-गहन व्यवस्था है, यह एक व्यवसाय है और इसका लाभ देश को मिलेगा। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि जब टेलीकॉम में 100 प्रतिशत एफ.डी.आई. आई, उसके पहले हमारे देश में टेलीफोन कॉल्स बहुत महंगी थी, 20 से 30 रुपये में एक कॉल होती थी। जब 100 प्रतिशत एफ.डी.आई. आ गई तो टेलीफोन कॉल्स सस्ती हो गईं। इसका फायदा पूरे देश के लोगों को मिला। वर्ष 2001 में 2.71 प्रतिशत, वर्ष 2019 में 3.76 प्रतिशत बीमा कवरेज हुई। जीवन बीमा में कवरेज 2.82 प्रतिशत और गैर-जीवन बीमा में 0.94 प्रतिशत है। विश्व स्तर पर बीमा क्षेत्र की पैठ 3.35 प्रतिशत थी, वर्ष 2019 में गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में यह 3.88 प्रतिशत थी,

इसलिए दुनिया के मुकाबले हमें बीमा कवरेज को बढ़ाने की जरूरत है। इस बिल पर राज्य सभा की स्टैंडिंग कमेटी ने विचार किया, लॉ कमीशन ने भी विचार किया, नरसिम्हन कमेटी ने भी विचार किया, राज्य सभा की सेलेक्ट कमेटी ने भी इस पर विचार किया और तब जाकर यह विधेयक राज्य सभा से पारित होकर यहां पर आया है। मैं एलआईसी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो वर्ष 1956 में बनी और आज उसमें 40 करोड़ बीमा धारक और 32 लाख करोड़ रुपये की सम्पत्ति है। इसके बावजूद देश में सबको बीमा कवरेज नहीं मिला और बहुत बड़ा क्षेत्र खाली पड़ा है। वर्ष 2014 में जब नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने जीवन ज्योति बीमा योजना लागू की, जिसमें 9.5 करोड़ लोगों को बीमा कवर दिया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 21 करोड़ लोगों का बीमा हुआ। किसान फसल बीमा योजना लागू की गई, जिसमें 23 करोड़ किसान कवर किए गए और उसके चलते आज बड़ी मात्रा में हमारे देश के किसानों को फसलों के नुकसान का मुआवजा मिलने लगा। 17,450 करोड़ रुपये का प्रीमियम किसानों ने जमा किया और उसके बदले 90 हजार करोड़ रुपये उनको बीमा कवर के मिले। आयुष्मान भारत योजना 50 करोड़ लोगों के लिए है, जिसमें 5 लाख रुपये का बीमा कवर है। अब तक लगभग डेढ़ करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी देश में यह बड़ा क्षेत्र है। बड़ी संख्या में लोग बीमा की सुविधा से वंचित हैं। आज आम आदमी चाहता है कि उसके नए घर का बीमा हो जाए, दुर्घटना का भी बीमा हो जाए, बीमारी का भी बीमा हो जाए। वह जो गाड़ी खरीदता है, उसका भी बीमा कराना चाहता है, जो दूध देने वाले जानवर पालता है, उसका भी बीमा कराना चाहता है। अगर कहीं उसने दुकान कर रखी है, तो वह चाहता है कि उसका भी बीमा हो जाए, लेकिन वह चाहते हुए भी उन सब सुविधाओं से वंचित है। देश में आज जो किसान फसल बीमा का लाभ उठा रहे हैं, मैं एक उदाहरण के तौर पर माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, कि जो किसान अपनी फसल का नकद बीमा कराना चाहते हैं, उनकी भी 100 प्रतिशत कवरेज नहीं हो पा रही है। सभी फसलों का बीमा नहीं हो पा रहा है और जो लोग वेजिटेबल्स, फलों तथा फूलों की खेती करते हैं, उनको भी बीमा का लाभ अभी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में दूध देने वाले

पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि हैं, मैंने देखा है कि उनका बीमा आज नहीं हो पा रहा है। पहले कभी उनका भी बीमा होता था, लेकिन बीच में उसे बन्द कर दिया गया, जिससे आज कहीं न कहीं उनके सामने समस्या आ रही है। मेरे कुछ सुझाव हैं। फसल बीमा योजना में जिलों के अंदर जो बीमा कंपनियां काम कर रही हैं, उनका किसी भी जिला मुख्यालय में दफ्तर नहीं है। जब फसल खराब होती है तो किसान यहां-वहां भटकता है। जब वह कलेक्टर के पास जाता है तो कलेक्टर कहते हैं कि यह हमारी जानकारी में नहीं है कि किस कंपनी का दफ्तर कहां है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में इनका एक-एक कार्यालय खुलना चाहिए, ताकि किसानों की फसल का जो नुकसान हो, उसका मुआवजा तत्काल उनको मिल सके।

पहले कहा गया था कि सेटेलाइट के माध्यम से हम नुकसानी का सर्वे करेंगे, लेकिन अभी तक शायद उस मैथड का उपयोग नहीं हो पा रहा है। हमारे पास आज देश में 23 प्राइवेट जीवन बीमा कंपनियां हैं, 25 जनरल बीमा कंपनियां हैं, 7 स्वास्थ्य बीमा कंपनियां हैं, 2 स्पेशल बीमा कंपनियां हैं और एलआईसी भी है। इसके बावजूद आज जरूरत है कि इन सभी के बीच में 74 प्रतिशत जो विदेशी पूंजी निवेश आने का इस विधेयक में प्रस्ताव लाया गया है, वह स्वागत योग्य कदम है।

मैं इसके साथ-साथ एक निवेदन माननीय मंत्री जी से करूंगा कि हम विदेशी पूंजी निवेश की बात कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज वैश्विक दुनिया में यदि भारत को मुकाबले में ले जाना है तो हमें इस दिशा में जाना पड़ेगा। जो देसी पूंजी निवेश है, मैं जिसके बारे में विशेष रूप से कहूंगा कि बहुत बड़ी मात्रा में आज हमारे देश में ऐसे पूंजीपति लोग हैं, जो निवेश करना चाहते हैं, लेकिन उनको जिस तरह की सुविधा की जरूरत है, शायद वह नहीं मिल पाती है। मैं कभी-कभी देखता हूं कि कुछ लोग सेविंग्स कंपनियां बनाते हैं और मध्यम वर्ग के लोग उनमें अपना निवेश करते हैं, लेकिन वह पैसा गायब हो जाता है। ऐसी जितनी भी कंपनियों ने फ्रॉडगिरी की है, हालांकि आपने कानून बनाया है और उसमें कार्रवाई भी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें और पारदर्शिता की जरूरत है तथा उसमें यह कार्य किया जाना चाहिए।

महोदया, उद्योगों के साथ हमारे काम करने वाले लोग हैं और जैसे हम देखते हैं कि जब किसी को स्मॉल फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो कमर्शियल बैंक नहीं देते हैं। कुछ लोग चाहते हैं की हम स्मॉल बैंक बनाने के लिए रिजर्व बैंक से लाइसेंस लें। वे लोग वर्षों से आवेदन करके बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक रिजर्व बैंक ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस दिशा में भी थोड़ा सोचें।

मैं, अंत में, इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं कि इससे तो हमारी कंपनियां बंद हो जाएंगी। मैं समझता हूं कि विरोध अपनी जगह है, लेकिन देश को आज जिस मुकाबले में ले जाने की जरूरत है और विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से प्रगति की आवश्यकता है, अगर हम पुरानी व्यवस्था पर ही रहेंगे तो देश कभी बराबरी में नहीं आ सकता है और हम वैश्विक मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सभी दलों को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। जैसे वाई.एस.आर. पार्टी के हमारे साथी ने कहा कि आज इसकी जरूरत है कि हमारी एफडीआई बढ़नी चाहिए और एफडीआई आएगी तो निश्चित तौर पर हमारे यहां नए रोजगार पैदा होंगे और हमारी अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बीमा का कवर दे पाएंगे। मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी) : मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 का समर्थन करता हूं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले दो-तीन बातें, जो हमारे साथियों ने उठाई हैं, उनके विषय में कहना चाहता हूं। हमारे बहुत सारे साथी एफडीआई को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बता रहे थे। एफडीआई पूरी दुनिया से प्रत्येक देश अपने यहां निवेश के लिए आकर्षित करता है। हमारे कांग्रेस के साथी भी वर्ष 1991 में इसका समर्थन कर रहे थे। जब पूरी दुनिया में समाजवादी अर्थव्यवस्था फेल हो चुकी है, तब भी अगर हम इस तरह की बातें करके लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश करेंगे तो यह निश्चित रूप से ठीक बात नहीं है। जब हम लोग यहां सदन में बैठे हैं तो हम ऐसे लोग हैं, जिनकी अपनी जिम्मेदारी है और जो बातें रखें, उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ रखना चाहिए। पूरी दुनिया में जो समाजवादी अर्थव्यवस्था चल रही थी, वह पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। आज पूरी दुनिया के प्रत्येक देश में एफडीआई को आकर्षित करने के लिए अलग-अलग तरह से उनका निवेश बढ़े, इसकी बात भी हो रही है।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं और अभी हमारे काफी साथियों ने उन बातों को कहा है कि यह जो सरकार संशोधन विधेयक लेकर आई है, इसके पीछे दो उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसको ताकत देना है। वहीं उससे बड़ा उद्देश्य इस देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बीमा क्षेत्र की पहुंच हो, यह हमारा उद्देश्य है। यह संवेदनशीलता प्रधान मंत्री जी जब वर्ष 2014 में सत्ता में आए, उसी समय हम लोगों ने देखी है। अभी गणेश जी ने जिक्र किया, जिस तरह से प्रधान मंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधान मंत्री दुर्घटना बीमा योजना और उसके साथ-साथ जो प्रधान मंत्री कृषि बीमा योजना है, ये सारी जो योजनाएं हैं। इनके साथ-साथ हम लोगों ने पिछले वर्ष ही मोटर व्हिकल एक्ट में भी संशोधन किया था और मुआवजे की राशि को 10 गुना बढ़ाकर इस सरकार की संवेदनशीलता का परिचय दिया था। निश्चित रूप से इस देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमा क्षेत्र का लाभ मिले और बीमा का कवरेज बढ़े, यह इस सरकार का उद्देश्य है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2021-22 के दौरान वित्तीय उत्पादों के लिए इन्वेस्टर चार्टर पेश करने की बात की थी, उसी क्रम में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तथा विदेशी भागीदारी एवं नियंत्रण हेतु बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 2015 में इस विधि में संशोधन किया गया था और विदेशी निवेश की सीमा को 26 प्रतिशत से बढ़ा कर 49 प्रतिशत किया गया था। बहुत सारे लोगों ने इस विषय में अपनी बात यहां रखी है। इसका उद्देश्य इकोनॉमी में सरकार के प्रत्यक्ष निवेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ-साथ, जैसा कि मैंने कहा है कि बीमा कवरेज को बढ़ाना हमारा पहला उद्देश्य है। पहले यह 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी नहीं होने के कारण, हालांकि जब इसे 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत किया गया, तो उस दौरान हमारा बीमा कवर कुछ बढ़ा था, बहुत सारी ऐसी कंपनियां थीं, जो यह चाहती थीं कि जब तक 50 प्रतिशत से अधिक निवेश करने का अधिकार नहीं होगा, तब तक बहुत सारी कंपनियां उसके लिए आकर्षित नहीं होंगी, जिसके कारण मार्च, 2020 तक बीमा कंपनि‍ियों में विदेशी निवेश केवल 37.4 प्रतिशत तक हम पहुंचे थे, लेकिन हम आगे बढ़ें हैं और उसको लेकर 74 प्रतिशत विदेश निवेश और भागीदारी तथा नियंत्रण के लिए हम ने जो संशोधन किया है, इससे यह उम्मीद बनी है और एक सर्वे के अनुसार यह आंकड़ा आया है कि तीन वर्ष में एक लाख करोड़ रुपए एफडीआई निवेश की संभावना हमारे देश में बढ़ी है। यह निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को जहां सहयोग करने का काम करेगी, वहीं बीमा के क्षेत्र में रोजागार बढ़ने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इस अधिनियम में यह भी प्रस्ताव किया गया है कि अधिकतर निदेशक व एग्जेक्यूटिव भारतीय होंगे तथा कम से कम 50 प्रतिशत स्वतंत्र निदेशक होंगे, इससे हमारी प्रबंधन की जो स्थिति होगी, उसको लाभ मिलेगा और पूरी तरह से ये कंपनियां नियंत्रण में रहेंगी। इसके साथ-साथ एक विशेष प्रावधान किया गया है कि इसमें एक निश्चित प्रतिशत सुरक्षित रखा जाएगा। यह भी इन कंपनियों पर नियंत्रण करने में भारत सरकार को मदद देगा और हमारी व्यवस्थाओं में सहयोग होगा। निवेश बढ़ने से जहां इंश्योरेंस सेक्टर को पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी, वहीं हम यह देखेंगे कि कम लागत में हमें बेहतर सेवाएं भी प्राप्त होंगी। जब प्रतियोगिता होती है तो निश्चित रूप से

हर कंपनी अलग-अलग तरह के प्रस्ताव लेकर आती है, जिसका सीधा-सीधा लाभ उपभोकता को ही होता है। अभी हम यह देखते है कि कई कंपनियां जब बीमा के क्षेत्र में जाती हैं, तो वे ऐसी श्रेणी चुनती हैं, जिसमें उनका रिस्क कम हो। जब कई कंपनियां होंगी और सेक्टर बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से प्रतियोगिता भी बढ़ेगी और उपभोकताओं का लाभ भी बढ़ेगा। प्रतिस्पर्द्धा के कारण ऐसे भी प्रस्ताव बीमा कंपनियों के माध्यम से आ सकते हैं, जैसे अभी हम केवल इतना ही काम कर रहे हैं कि हम अपने को सेक्योर करने के लिए बीमा कर रहे हैं, लेकिन कई बार इस तरह के प्रस्ताव भी आते हैं, जिससे हमें घरेलू बचत में यह लगेगा कि हमें इतना परसेंटेज मिल रहा है, हमारे सेविंग्स एकाउंट्स में भी बचत की संभावना बढ़ेगी और हम वहां इन्वेस्ट कर सकेंगे। हमारे बीमा क्षेत्र में एफडीआई के बढ़ने से इकोनॉमी में लॉंग टर्म में एसेट्स के भी डेवलप होने की संभावना है। एफडीआई से जहां विकास और इंश्योरेंस के क्षेत्र में रोजगार के सृजन की बात मैंने कही है, वहीं हमारे कुछ साथियों ने कहा है कि छोटी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, जब कि वास्तव में इसका उलटा है। छोटी कंपनियों को निश्चित रूप से इससे फायदा ही होने वाला है।...(व्यवधान) उसके साथ-साथ टेक्निकल जानकारी भी बढ़ेगी।...(व्यवधान) मैं अपनी बात तुरंत खत्म कर रहा हूं, समय कम है।

स्किल्स के बढ़ने से भी हमारा इंश्योरेंस का आधार बढ़ेगा। इसके साथ ही साथ मैं दो-तीन बातें माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं। मेरा ऐसा विचार है कि जो बीमा कंपनियां सुरक्षित श्रेणी का चुनाव करती हैं, उनके ऊपर भी कुछ न कुछ ऐसा प्रावधान बनाना चाहिए, ताकि वे हर तरह की श्रेणी में जाएं। दूसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रदेशों की सरकारें हर जिले में एक-एक ऐसी एजेंसी तय कर देती हैं, यह अधिकार किसानों को दिया जाना चाहिए कि वे स्वयं चुनें कि वे किस बीमा कंपनी से अपना बीमा करवाना चाहते हैं। मैं यह भी चाहता हूं, यह मेरा सुझाव है कि भविष्य में बीमा के क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई लाने का काम सरकार को करना चाहिए, जिससे निश्चित रूप से हमारे देश को लाभ होगा और देश के उपभोकताओं को भी लाभ होगा। इसी क्रम में आपने मूल अधिनियम की धारा 2(27) व 114 में संशोधन किया है, जिसका उद्देश्य 49

प्रतिशत से 74 प्रतिशत एफडीआई करने के साथ, बोर्ड के गठन और प्रॉफिट को एक विशेष परिषद को आरक्षित करने संबंधी प्रस्ताव दिए गए हैं। मैं इन प्रस्तावों का समर्थन करते हुए बीमा संशोधन विधेयक, 2021 का समर्थन करता हूं।

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): In the current Budget Speech, the hon. Finance Minister proposed to increase the permissible Foreign Direct Investment (FDI) limit in the insurance companies to 74 per cent from 49 per cent. In the Statement of Objects and Reasons of the Insurance (Amendment) Bill, 2021, it is stated that in order to achieve the objective of Government's foreign direct investment policy of supplementing domestic long-term capital, technology and skills for the growth of the economy and the insurance sector, and thereby enhance insurance penetration and social protection, it has been decided to raise the limit of foreign investment in Indian insurance companies from the existing 49 per cent to 74 per cent.

Madam, the Bill proposes to allow foreign ownership and control with safeguards. As mentioned by hon. Finance Minister in her speech, under the new structure, the majority of directors on board and key management persons would be resident Indians, with at least 50 per cent of directors being independent directors, and a specified percentage of profits will be retained as a general reserve.

Before the year 2000, the insurance sector was the monopoly of state-owned companies like LIC for life insurance sector and four general insurance companies namely New India Assurance, United India, Oriental Insurance and National Insurance, and the General Insurance Corporation (GIC) was a reinsurance company. With the objective to encourage competition and enhance insurance penetration, the then govt. of the day threw open the insurance sector to private players and also permitted the foreign investment in

insurance sector in the year 2000 by allowing up to 26 per cent in the Indian insurance company. Later, in 2015 this limit was raised to 49 per cent.

Madam, FDI up to 49 per cent in insurance sector was expected to bring in good amount of foreign capital and enhance penetration but, nearly 5 years after the limit was raised, only 8 life insurance players, out of 23 private players, and 4 out of the 21 private general insurers, have foreign promoter holdings of 49 per cent. Many insurance players still have foreign holdings of 26 per cent or even lower according to the data available for September 2019. In some private insurance companies, Indian promoters still hold 100 per cent stake like Exide Life, Kotak Mahindra Life and Reliance General. According to 2019 data, insurance penetration in India is 3.76 per cent whereas the world average of insurance penetration is 7.23 per cent.

Madam, as per the analysis of SBI, the increase in FDI limit in the insurance may receive Rs. 5000 to Rs. 6000 crores of foreign investment in the sector in the next one or two years and Rs. 15000-16,000 crore in the next 5 years, apart from deeper product expertise and better underwriting skills. As of March last year, in the life insurance sector, for instance, against the 49 per cent limit of permissible foreign investment, the aggregate foreign investment is 35.49 per cent. In the case of general insurance sector, reinsurance and standalone health insurance companies, the utilisation percentage of the space for foreign investment is even worse. The aggregate space for foreign investment has been utilised to less than half the permissible limit. It has gone

down from the level of March 2018 when it was 25.42 per cent to 23.66 cent in 2019.

Madam, going by the figures and available data, the expected foreign direct investment looks elusive as foreign investors too would study the terms and conditions, the new structure of directors on board, any conditionality and regulatory approvals attached to payment of dividend to foreign investors and then take the step of investing in Indian insurance sector cautiously.

In case a good response emerges from the foreign investors, the insurance sector will always remain under the threat of foreigners who will capture the entire insurance industry and will make huge profits and even demolish the state-owned government insurance companies. Public sector insurance companies like LIC having a market share of more than 75 per cent, four general insurance companies having a market share of more than 55 per cent will over a period of time fall prey to the private insurance companies owned by foreigners.

I would urge the Government and the hon. Finance Minister to reconsider this step of raising the limit to 74 per cent of FDI in insurance sector and instead, boost the state-owned government insurance companies by infusing capital and strengthening the solvency of these companies to enable them to cater to the insurance needs of Indian people thereby not allowing the reincarnation of 'East India Company' on the Indian soil.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Thank you very much, Madam. I thank each one of the hon. Members who have spoken today fairly in detail about the Insurance Bill which opens up the sector to receive FDI up to 74 per cent.

Madam, as you are aware, insurance is a very highly regulated sector and the regulator actually regulates many minute details of insurance itself. The regulator approves the product, the regulator regulates the pricing, the regulator oversees the investment, regulates it naturally, and also regulates the way it is marketed. So, insurance sector is very highly regulated. So, every bit of what we do after discussing in this House is part of what the regulators take into cognizance, and effectively that is what is point-on-point kept as oversight.

All of us have been hearing discussions about FDI limit going up, will it become another East India Company, and so on. I am sure many of us do recognise, and I would want to place it here for the record, that FDI is only an upper limit. It is only an upper limit, there is no compulsion that every company will have to take up to 74 per cent. Increasing does not mean the foreign investment will increase automatically to that extent in each one of the companies.

And also, even as I go into the details of what are the safeguards, it will be very fairly clearly established that the policy holders' funds will be invested only within India and that is not going to go out. So, FDI will not only bring capital, it will bring in greater competition, consumer will have more choice, there will be best practices being brought in from different parts of the world, knowhow and technology on some long-gestation activities which the

insurance naturally implies will all have to be undertaken. And that will be possible with opening up.

Madam Chairperson, I want to underline the fact that today there is 49 per cent FDI allowed through automatic route and that is since 2015. Many hon. Members have questioned saying what actually has been the benefit of that, what actually has been the penetration after 2015, has it made any difference; and if that has not made a difference, which is their presumption, what is the hurry to increase it further to 74 per cent. I would like to dwell on that point a bit more.

All private insurance companies meet insurance regulator's solvency margin norm of 150 per cent. So, for every Rs.100, Rs.150 is got to be kept as cash or some kind of an asset. Today, many of the companies are hard pressed to maintain that solvency level. And when we talk about insurance companies, many of the times our discussions confine only to the public sector insurance companies be they general insurance or life insurance. I will for a minute explain to hon. Members that today the share of the public sector, whether it is in lie insurance or in general insurance, and the share of the private sector will itself explain why there is a need for bringing more FDI into this country because of the solvency ratio requirement. If you have to maintain it at 150 per cent and you are in the private sector, if you have to raise equity for the business, it is not that easy. But at the same time, there are investors in the long-term funding nature whether they are sovereign funds or pension

funds, who are themselves wanting to invest in India so that they get enough returns.

This will be important for the hon. Members to recognize and to take cognizance. As I said, the attention of many of the hon. Members speaking on this Bill has been purely on the public sector undertakings. So, I want to underline this fact that three of the seven public sector insurers are below solvency margin. But they are public sector undertakings; so, the Government will infuse money and they will be taken care of. But outside in the private domain, there are companies on which the Government has nothing to do but the market will have to provide them opportunities to raise money and that is why opening up and increasing to 74 per cent is important. To presume that there is enough liquidity in the market today and to think there is no stress today may not be a well-founded argument. There is definitely a financial stress for raising money, especially for private sector insurance companies which need to maintain that solvency ratio. As I said, regulators require you to keep 150 per cent. Where do they get that money from if they have to have that kind of solvency ratio as a matter of due diligence? Just for understanding, solvency margin is the ratio of assets to liabilities.

Madam Chairperson, if that is the situation today of the insurance industry, I want to say it is not different from earlier times. Probably that is one of the points that the hon. Member Shri Manish Tewari raised when he said that while earlier Governments did want to do it, we opposed it. I would tell you why we want to do it today and why this is not U-turn. I will explain the

circumstances which have changed, and as a result, the Opposition will have to change. That is very much inconsistent in being in consistency with opposition. I just want to quote one of our former Finance Ministers Shri P. Chidambaram. In his speech on 4th October 2012, he had then said, "Though the Parliamentary Standing Committee headed by BJP's leader Shri Yashwant Sinha had recommended retaining FDI cap at 26 per cent, the Government has gone for the higher cap so as to meet the growing capital requirement of insurance companies." This speech was made after the Cabinet had approved the proposal to raise the FDI to 49 per cent. The circumstances are fairly similar even today.

I assure the hon. Members that there has been enough thinking by the regulator. Since my July speech where in my opening remarks, I had said that there could be an increase in some of the sectors inclusive of insurance sector, that work was taken up by the regulator, consultations were held, and it was clearly and repetitively said that we need to raise the insurance cap definitely because you need more money to come in. The consultations which the IRDAI has done included 60 insurers, a number of promoters, leading industry chambers, all of whom suggested that we need to increase it. So, it is only after due consultations that we have come up with this Bill.

Some of the hon. Members were observing with a bit of anxiety that we are rushing through it; that we are bulldozing. There is none of that. There is a clear testing of the ground through the insurer, consultation through the insurer, and the opinions coming through from the industry's stakeholders

which affirm the need for increasing the cap, and therefore, it has been taken up. So, the recommendations are very strong and that is why we have gone ahead with raising the cap.

Let us get a perspective of how many insurance companies are there in public sector and in private sector. Otherwise, we tend to think that everything to do with raising of the insurance cap is only for LIC. First of all, let me take this opportunity to say that many hon. Members, inclusive of former Minister and representative from Shiv Sena Shri Arvind Sawant raised this point. In fact, almost 90 per cent of his speech was concentrated on LIC. This is not LIC Bill.

It has nothing to do with LIC. This is completely the insurance sector Bill and the amendment is to raise the cap. Here, I want to draw the attention of the hon. Members to how many are there indeed in the public sector *versus* how many there are in the private sector. I will just, sort of, read it out. I did this in the Rajya Sabha. To my understanding, that actually brings the right perspective for us to understand what we are talking about.

Insurance sector has, if you ask me, three components. The one which is entirely dealing with life is life insurance. The second, which is a slightly broad basket, consists of three different components. First one is general insurance which in some cases also may partly include health. Second is a standalone set up insurance companies which deal only with health. Third is agriculture insurance companies. Hon. Member Ajay Misra *ji* spoke about agriculture insurance and so on. There are some which are exclusively

dealing with agriculture insurance. So, if you look at the spectrum of insurance, one is completely life insurance, the other is general insurance which consists of three different categories.

If you look, in public sector life insurance, there is only one company. Whereas in private sector, which deal with life insurance, 23 companies are there today. They have got to be raising their money. They have to comply with the regulator's requirement as regards solvency ratio. They need money to come out of stress. Some of the companies are in a stress situation.

Then, when you come to the second basket which consists of three different layers, the general insurer, the health and the agriculture, general insurance, with some of them doing partly some health insurance, there are four in public sector and 22 in private sector. If you go to the next one which is the standalone health dealing insurance companies, there is not one in the public sector which is a standalone health insurer, but there are five in the private sector. In agriculture insurance, which is the third component of the second wider basket, only one exists in agriculture insurance and that is in the public sector; there is none in the private sector.

There are also companies which are reinsurers. Public sector has only one reinsurance company whereas private sector has 11. Therefore, when we are talking about insurance sector – seven in public sector versus 61 in private sector – for the 61 companies, money should be available for doing business. I heard many Members saying 'Atmanirbhar'. Yes, Atmanirbhar; we want to cover all the Indian population. I heard very passionately Supriya Sule *ji* telling

us about Dalit, *shoshit, peedit* and the *vanchit*. I am very much with you on that. If we have to cover *shoshit, peedit* and the *vanchit*, the Prime Minister has come up with Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana. Why is that? It is because we want to ensure that. In that, if I know the details, many hon. Members know it, for one rupee per day, you are able to insure your life. If there is any accident, if the breadwinner of the house loses a limb, he gets the money; he pays one rupee per day. It is possible only because the Prime Minister had really spent a lot of time in understanding how to bring the premium down. All that is possible only if you are going to expand the scope, expand the universe of people to be covered. That is got to be done only when you have the insurance sector being dealt with greater resources. The Government alone cannot do it all. On that ground, we are consistent. That is why the public enterprise policy, about which I will explain in a minute, has expanded to say, the Government will have to do; the private sector should also have a role to play. Otherwise, that aspiration of a growing India is not going to be met within our time so that we see the changes which are so important for us. If that is the spread of insurance, it is very important also for us to recognise what impact it has on job creation.

And, as much as all of us are concerned, what will happen to the employees of LIC. I will stand by them. I may tell you that every word of all the assurances, all the commitments, made to each one of the employees will be safeguarded by this Government. But what will happen to the private sector employees? It is all right, they can close their company without money. Who

is going to give them equity for building the business? If they shut the organisations, what will happen to the employees? Does the Government of India have a responsibility towards them also?

You may just see the employment in public sector *vs* private sector. In public sector life insurance companies, 1,11,000 people are employed. Whereas, the number of people employed in private sector are 1,81,000. Inclusive of agriculture, 54,000 people are employed in public sector and 86,000 people are employed in private sector. Taking the total, the number comes to 1,65,000 people employed in public sector and 2, 67,000 people are employed in private sector. There is a difference of one lakh people between the two. There are people working as insurance agents, as employees of companies. Even they are the citizens of this country. Even the companies for which they are working for, are Indian companies. They also need money. If this is the number of people directly employed in those companies, take the number of the agents who are working for these companies. I am not dividing between lfe insurance and general insurance just to save time. In public sector 15,45,000 people are working as agents. Some hon. Members also talked about the credibility of the agents in the villages. All of us are aware of that and their number is, 15,45,000 in public sector. In private sector today, looking at the rapid growth of insurance companies in India post increasing the cap in 2015, 21,04,000 people work as agents. Does the Government have to keep them in mind or not? We will have to keep them in mind. Therefore, the total number of employees and also the agents are 17 lakh in public sector and

approximately 24 lakh in private sector. There is a gap of seven lakh between the public sector and private sector employment. So, we should keep in mind that even those who are working in private sector insurance companies, are growing rapidly because there is an opportunity in this country.

Madam, I do not want to take the precious time of the House on penetration, density or coverage. There are details available. Many Members have even referred to it during their interventions. The one thing which I want to underline here is the FDI limit for insurance intermediaries. Insurance is one thing and intermediary is another. FDI limit for insurance intermediaries has been enhanced to hundred per cent, sometime in September 2019 itself. So, today we are only talking about the insurance companies and not the intermediaries.

Whilst I answer some of the points specifically raised by the hon. Members, I will probably also explain a lot of questions which have been raised by other Members. Hon. Member, Shri Manish Tewari has said that the public sector's presence in insurance, banking in India has protected India at a time when there was global financial crisis in 2008. Yes, there is no dispute about it. But today it has grown too much into the private sector also, as I have explained in the data.

There is also a talk about selling the family silver. It is not at all true. We are only strengthening the Indian insurance sector. Nobody is selling anybody's family silver. By increasing the admissible FDI limit from 49 per cent

to 74 per cent, the Government is making sure that the private sector is able to raise its resources.

We are not talking about the public sector here. Why does one have to worry about the private sector? It is because of the expanse, growth, coverage, and number of people employed there. So, for them also, the Government has to do something. As I have said earlier, public sector may receive public funds. But what happens to that sector which is now desperately wanting to grow to have a better coverage? Therefore, it is important to recognise that.

I go back to talking about the PSE policy. Banking, Financial Services and Insurance are recognised as a strategic sector. So, the presence of the public sector will continue. So, those of us who are very quick to say that by selling family silver, the Government is going to finish off all the public sector undertakings, I would say, ‘not at all’. The public sector undertakings will continue because we have already recognised in the policy that banking, insurance and financial sector constitute a part of this strategic sector, as was announced by me during the Budget in this august House. So, there will be public sector in this area. However, let us not forget the fact that we cannot afford to lock up all the public investments in this area in public sector undertakings -- be it insurance or banks.

The policy, therefore, is about right-sizing -- right-sizing the public sector. It is also about unlocking value and investment made in PSE beyond the required size needed for a strategic presence. That is why, when the policy says that we will keep a bare minimum of public sector undertakings, these are

the strategic areas and we will keep them and they will continue to be there. For them, the public funds will be available. But for the private, I repeat, they need to raise money.

I am not sure whether Shri Shyam Singh Yadav Ji, an hon. Member from Jaunpur, U.P., is present here or not. …(*Interruptions*) He is here. I am very grateful to him that he spoke in Tamil. *He said: "I am opposing this policy."* I am happy. I feel sorry that you are opposing but I am happy because you said that in Tamil.

He said it in Tamil. …(*Interruptions*) I was very impressed that you have said it in Tamil. …(*Interruptions*) You are fond of Tamil. I am so happy and impressed. …(*Interruptions*) Thank you very much.

AN HON. MEMBER: We all are impressed to know about it.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: However, I wished that you had said that you support the Bill because it is worthy of support. However, because you have opposed it in Tamil, I give you a gentle reply and leave it at that.

I have already expressed as to why we need to have the penetration. Since the penetration is happening, we also need to give them the window for raising resources and therefore, we have this Bill. You attempted in Tamil and I will attempt in Hindi. आपने कहा कि हिन्दुस्तान का पैसा बाहर ले जाएंगे । Did you say that?

---

* …. * English translation of this part of speech was originally delivered in Tamil.

महोदया, कोई हमारे पैसे को बाहर लेकर नहीं जाएगा। हमारा इंश्योरेंस का पैसा हमारे यहाँ ही रहेगा और उससे ऊपर भी, जैसे बोलते हैं कि और तो और, even then, one portion of *munafa* will be kept in India. So, you can be assured, Sir. Shall I say this in Tamil in case you understand it better then?

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): मेरा बहुत सिम्पल प्रश्न है, अगर वह फॉरेन एंटिटी यहाँ बिजनेस करने आएगी तो जो हमारे इंश्योरेंस का पैसा है, क्या देर-सवेर वह उसे लेकर जाएगी या वह उसे यहीं छोड़ जाएगी?…(व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam Chairperson, through you, I wish to inform the hon. Member that actually after 2015, when the ceiling was raised, insurance penetration rose from 3.76 per cent to higher levels and between 2011 and 2014, in the absence of required investments, Indian insurance penetration actually dropped from 4.10 per cent to 3.30 per cent.

So, it actually comes down when enough liquidity is not available. Therefore, we have to open up. What is the penetration? It is the premium to the GDP ratio. It can only increase if insurance sector grows at a faster rate than the GDP growth itself. That is why, between 2015 and 2020, it grew at about 74 per cent when the GDP grew overall at about 63 per cent. That rapidity in growth is what has made a difference to the insurance sector. So, I want to just ensure that Members are aware of that.

Dr. S.T. Hasan is not here. I want to say one line, although I did have a few things to tell. One line which hon. Member said was that FDI proposal is to sell LIC. No. I repeat hon. Member is not here, this Bill has nothing to do with LIC. So, let that confusion not prevail.

A few questions were raised by hon. Supriya Sule Madam. East India Company – No; Atmanirbhar Bharat – yes; monetisation – yes, but no selling of silver. I will tell you how. Also, I am very grateful indeed that you spoke in such glowing terms about our leaders - Shrimati Sushma Swaraj Ji and about Shri Arun Jaitley Ji. They always conducted themselves and they have all been such mentors for us in such exemplary way that you recognise them, absolutely proper and all of us do feel the same thing about them. So, the positions that they took then were absolutely in alignment with what was the prevailing situation then. The prevailing situation then did not allow, and in the form in which the UPA Government at that time was talking about the Bill, did not allow for safeguards. And what is the change today? We have made adequate safeguards and such safeguards will ensure that the Indian policyholders' money will be retained in India. The safeguard is the difference Madam. At that time, both our leaders stood up to say 'we oppose'. It is because the kind of safeguards which were envisaged then were not adequate.

On the issue of monetisation, monetisation does not mean that the entire thing is being sold off. Every such PSU which is carefully identified, which is sitting over, a vast chunk of assets which are not being used or cannot be used in the next 40 or 50 years, is the one which is getting carved out carefully and then valuated and after valuation, it is being monetised. So, it is not as a total ripping off. So, monetisation is done carefully without depriving any future

plans that these undertakings will want those assets for and obviously, it will generate liquidity and therefore, it is important.

I did mention about the ownership and control. The maturity of the Indian insurance companies is one thing which we have to keep in mind. In the last few years, it is evident in the numbers that we are talking about. I said the number of total insurers has increased from 53 to 68 within a span of five years; listed insurers have also increased. I said six of them have got listed. And asset under management has risen from Rs. 24 lakh crore to Rs. 42 lakh crore as of March, 2020. So, all this absolutely creates an ecosystem where the proposed FDI is only going to help with all the safeguards it has to get more investments and also competition. No such safeguards were there in the Bill between 2008 and 2009 and that is why, we had to change, and we have ensured that.

Madam Chairperson, I think, many things were said by Shri Arvind Sawant ji, but I want to underline the fact that, he is not here and so I do not need to elaborate, but the fact remains he was focussed on LIC whereas this one is about general insurance.

I will respond to only one-line which hon. Member, Shri Jasbir Singh Gill said, which, I think, is very unfair and I would seek him to re-think his lines, he said – हमारा सब कुछ क्यों बिगाड़ रहे हो? सर, हमारे बैंक के हालत …(व्यवधान) प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, में वे सब खड़े होने के कारण, नेशनलाइजेशन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, मगर करप्शन को नेशनलाइज करने वाले यूपीए की पिछले दस साल की सरकार के द्वारा, यूपीए सरकार के द्वारा बिगाड़ने वाले काम यूपीए सरकार के द्वारा पब्लिक सैक्टर बैंक्स में हुए हैं। वे बिगाड़ने वाले

काम कर के गए हैं। उसको सही करने की मेहनत माननीय मोदी जी के द्वारा हो रही है। आपने अपनी स्पीच में नीरव मोदी, चोकसी वगैराह का जिक्र किया। …(व्यवधान) उन सबका पालन-पोषण करने वाले आप ही थे। हम उनके पीछे-पीछे जा कर उनको इस देश के कानून के सामने खड़ा करने के लिए हम उनको वापस ले कर आ रहे हैं। इसलिए हमारा सब कुछ क्यों बिगाड़ रहे हो? …(व्यवधान) आप जरा अपनी डायनेस्टी से पूछ लीजिए। आपके परिवार जो हैं, जो कांग्रेस पार्टी को चलाते हैं, उनसे पूछ लीजिए कि इस देश को बिगाड़ने वाले काम क्यों कर रहे हैं। उस पार्टी के आप वरिष्ठ मेंबर हैं। …(व्यवधान)

Hon. Chairperson, Sir, I think I have largely responded to all the hon. Members and I would like to request all the Members, through you, to kindly consider this Bill and help us pass it.

Thank you very much.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि बीमा अधिनियम, 1938 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

Clause 2 Amendment of section 2

माननीय सभापति : श्री जसबीर सिंह गिल**,** क्या आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB): Madam, I beg to move:

Page 1, line 9,--

for "seventy-four"

substitute "forty-nine". (1)

माननीय सभापति : अब मैं श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा खंड दो में प्रस्तुत संशोधन संख्या **1** को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

14.54 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति: जिन माननीय सदस्यों को आज 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों को, अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

(i) Need to provide adequate funds for Dholpur-Saramthura-Karauli-Gangapur city railway line project

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): धौलपुर-सरमथुरा-करौली-गंगापुरसिटी रेल परियोजना मेरे संसदीय क्षेत्र की अत्यन्त महत्वपूर्ण रेल परियोजना है। मेरे संसदीय क्षेत्र का करौली जिला मुख्यालय आजादी के इतने वर्ष उपरांत भी आज तक रेल सुविधा से वंचित है। इस परियोजना में धौलपुर से सरमथुरा तक आमान परिवर्तन हेतु उत्तर मध्य रेलवे द्वारा निविदाऐं भी आमंत्रित कर 17-11-2020 को खोली जा चुकी हैं। परन्तु वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस परियोजना हेतु केवल 01 करोड़ रूपये की राशि ही आवंटित की गयी है जो कि अपर्याप्त है। इससे इस परियोजना हेतु आयोजित की गयी निविदायें भी सम्पन्न नहीं हो पायेंगी। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि कृपया रेल परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटित की गयी राशि को बढ़ाते हुए कम से कम 100 करोड रूपये आवंटित करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें साथ ही इस परियोजना को आगे दौसा गंगापुर रेल परियोजना से जोडने से जयपुर से धौलपुर व ग्वालियर हेतु एक अन्य वैकल्पिक रेलमार्ग उपलब्ध होगा जोकि काफी लाभकारी होगा।

---

* Treated as laid on the Table.

(ii) Need for development of road connecting NH-08 (Mumbai-Ahmedabad) with NH-03 (Mumbai-Agra) as National Highways

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी): मेरे भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में देश के सभी महत्वपूर्ण राज्यों और शहरों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। भिवंडी के भिवंडी क्षेत्र में कुछ मार्ग है जो कि ओल्ड NH 08 मुंबई-अहमदाबाद और ओल्ड NH 03 मुम्बई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग को जोडनेवाला रास्ता है, यह रास्ता शिरसाट फाटा (वसई) से होकर अंबाडी नाका – पडघा (भिवंडी) - वासिंद (शहापुर) की तरफ जाता है, जो कि ओल्ड NH 08 मुंबई-अहमदाबाद और ओल्ड NH 03 मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग को कनेक्ट करता है। इस मार्ग को अगर राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाता है तो यहां के ग्रामीण के विकास मदद मिलेगी और सड़क यातायात के माध्यम से इस मार्ग से भारी मात्रा में यात्री, व्यापारी तथा नागरिक यातायात करेंगे। यह राजमार्ग एक इंडस्ट्रीय कोरीडोर के रूप मे उभर कर आयेगा जिससे मुंबई, ठाणे और भिवंडी जैसे शहरों को ट्रैफिक समस्या कम होने में मदद होगी। दूसरी ओर भिवडी एक गोडाउन हब बन चुका है भिवंडी के विकास हेतु यह मार्ग एक वरदान साबित होगा। इन दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाली सड़क लगभग 50 किमी लंबी है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में कम लागत लगेगी और देश के दो महत्वपूर्ण राजमार्गों को इसके द्वारा जोड़ा जा सकता है। इस राजमार्ग के बनने से इस राजमार्ग से जुड़े ग्रामीण क्षेत्र के विकास को तीव्र गति मिलेगी। के छोटे-छोटे उद्योगो को एक नवसंजीवनी मिलेगी ओर आत्मनिर्भर भारत की ओर हम एक सुनहरा कदम रखेंगे तथा देश के विकास को गति मिलेगी।

वर्तमान में, यह सडक बहुत ही खराब स्थिति में है और क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण बेहद ही गंभीर समस्याओं का सामना करके यात्रा/यातायात कर रहे है। आपसे नम्र निवेदन है कि, ओल्ड NH 08 मुंबई-अहमदाबाद और ओल्ड NH 03 मुंबई-आगरा इन दो महत्वपूर्ण राजमार्गों को जोड़ने वाले मार्ग को जोडकर नये राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु मान्यता देने की कृपा करे।

(iii) Need to harness the tourism potential of Dausa Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): मेरे संसदीय क्षेत्र में पर्यटन की अपार सम्भावनाएँ है। आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहर का धनी दौसा संसदीय क्षेत्र अभी तक पर्यटन के क्षेत्र में चिन्हित नही किया गया है। जबकि यहा (1) ऐतिहासिक आभानेरी बावडी, (2) भानगढ़ का रहस्यमय किला, (3) संत सुन्दरदास धाम एवं एकलिंग मन्दिर, (4) भारत प्रसिद्ध मेहन्दीपुर बालाजी धाम, (5) नई का नाथ, शीतला माता धाम, (6) माधोगढ़ का किला, इत्यादि स्थित हैं।

इसके अतिरिक्त मीणा जन-जातियों की रंग विरगी संस्कृति लोक विधाएँ सम्पूर्ण भारत मे सुनी व देखी जाती है।

यहां पत्थर पर नक्काशी का कार्य राम मन्दिर व संसद भवन तक लगा है। विदेशी भी इस कलाकारी से प्रभावित होकर जाते हैं।

(iv) Need to set up an airport in Maharajganj Parliamentary Constituency, Bihar

श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल (महाराजगंज): आज हमारी सरकार उड़ान योजना के तहत हवाई मार्ग से यात्रा करने के लिए जनता को सुविधा देने के लिए संकल्पित है। ऐसे में हमारी मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज, बिहार जो बिहार राज्य के सारण प्रमंडल के तीन जिलों-सारण, सिवान और गोपालगंज के लगभग मध्य में है, के आस-पास एक हवाई अड्डा का निर्माण कराया जाये। यहाँ हवाई अड्डा का निर्माण होने से न सिर्फ सारण प्रमंडल के लोगों को ही हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी बल्कि यहाँ से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, सलेमपुर, देवरिया के साथ-साथ उत्तर बिहार के कई जिलों की जनता को भी हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी।

अतः अपने देश के हवाई चप्पल वाले को भी हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के सपने को साकार करने हेतु नागरिक उड्यन मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र अतर्गत महाराजगंज, जिला-सिवान, बिहार के अगल-बगल में एक हवाई अड्डे का निर्माण कराया जाये जिससे कि हमारे क्षेत्र की जनता के साथ-साथ अन्य क्षेत्र की जनता को भी इसका लाभ मिल सके।

(v) Need to take necessary measures to address the problem of flood and drought situation in North Bihar

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा): मिथिला क्षेत्र में कोसी, कमला, जीवछ, बागमती, बलान, गंडक, करेह, अधवारा समूह आदि नदियां बहती है। बरसात के समय यह नदियां उफान पर होती और पूरे मिथिला में भारी विनाश करती है। जिस कारण इस क्षेत्र के लाखों की आबादी प्रभावित होती है। मिथिला क्षेत्र कृषि पर ही आधारित है लेकिन बाढ़ और सूखे के कारण लगभग प्रति वर्ष फसलें बर्बाद होती रहती है, इन्हीं कारणों से उत्तर बिहार के करोड़ों लोगों को पलायन करना पड़ा है आजादी से अब तक करोड़ों लोग विभिन्न महानगरों को पलायन कर चुके हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में नदी से नदी को जोड़ने की परिकल्पना की गई थी, जिसका क्रियान्वन इस क्षेत्र के लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ साथ ही नदियों का उराहीकरण, नदियों पर डैम बनाकर पानी का उचित प्रबंधन कर बाढ़ और सुखाड़ दोनों विभीषिका से मिथिला क्षेत्र को बचाया जा सकता है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी से मिथिला व 8 करोड़ मिथिलावासियों को बाढ़ से स्थायी निदान हेतु आग्रह करता हूं।

(vi) Need to ensure benefit of Kisan Samman Nidhi Yojana to all the eligible farmers

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): केंद्र सरकार द्वारा चलायी जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि निश्चित रूप से ही देश के गरीब किसानों के लिए हितकारी सिद्ध हो रही है। सम्पूर्ण देश के किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे है मेरे संसदीय क्षेत्र के लोग भी इस योजना से लाभ ले रहे है लेकिन कुछ किसान उक्त योजना हेतु फॉर्म ऑनलाइन जमा किये थे और वह किसान इस योजना के पात्र भी है लेकिन किसी कारणवश उन्हें अभी तक लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है जिले के अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी उनके आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है | इसलिए मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि जो किसान इस योजना के पात्र है उनके आवेदन पर कार्यवाही हो और उन्हें भी इस योजना का लाभ प्राप्त हो जिससे की देश भर में व्याप्त कोरोना महामारी के दौर में किसान सम्मान निधि से मिलने वाली राशि उनके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी।

(vii) Need to sanction scheme for providing piped natural gas in Jaipur city, Rajasthan

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): मैं माननीय प्रधानमंत्री जी व पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने देश में हर साल लगभग 5 लाख ग्रामीण महिलाओं को घरेलू प्रदूषण के कारण होने वाली मौत से बचाया है और यह सब प्रधानमंत्री उज्जवला गैस योजना के सफल क्रियान्वयन से संभव हो पाया है।

मैं माननीय पैट्रोलियम मंत्री जी का 04 दिसम्बर, 2015 को जयपुर जिले के जोबनेर स्थित आसलपुर ग्राम में कोटा-जोबनेर बहुउत्पाद पाईप लाईन एवं जोबनेर संस्थापना को राष्ट्र को समर्पण के अवसर पर की गई घोषणा की ओर आकर्षित करना चाह रहा हूँ जिसमें आपने स्मार्ट शहरों के लिए चयनित जयपुर,अजमेर कोटा और उदयपुर में पाइप लाइन्स से गैस आपूर्ति करने की योजना थी, लेकिन अभी तक इस महत्वाकांक्षी स्मार्ट मिटी योजनान्तर्गत प्रथम चरण में चयनित जयपुर शहर पाइप लाइन्स के माध्यम से गैस आपूर्ति योजना अभी भी मूर्तरूप नहीं ले पाई है, जबकि जमीन पर तेल एवं गैस के उत्पादन में राजस्थान देश का सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है।

अतः माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि जयपुर में भी पाईप लाईन गेस आपूर्ति करने की योजना की स्वीकृति शीघ्र दे, जिससे जयपुरवासियों को पाईप लाईन द्वारा गैस मिले और उसका लाभ प्राप्त कर सकें।

(viii) Need to develop Patnagarh-Nuapada-Dhamtari road and Junagarh (Kalahandi district)-Deobhog-Raipur road as National Highways

श्री बसंत कुमार पंडा (कालाहाण्डी): मेरा लोकसभा क्षेत्र कालाहांडी है जिसमें दो ज़िले नुआपडा और कालाहांडी है और यें दोनों आकांक्षी ज़िले है । मेरा क्षेत्र छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है और जहाँ से छत्तीसगढ़ के लिए ट्रक/बड़ी गाड़ियाँ बड़ी संख्या में गुजरती है । इसलिए निवेदन यह है कि एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग की बहुत ज़रूरत है जो पटनागढ़ (जिला बोलंगीर) से नुआपडा होते हुए धमतरी (छत्तीसगढ़) तक जाता है । जिसकी लम्बाई लगभग 200KM है । दूसरा मार्ग जूनागढ़ (कालाहांडी) से देवभोग से होते हुए रायपुर (छत्तीसगढ़) तक जाता है जिसकी लम्बाई लगभग 245KM है ।

अतः माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि उपरोक्त रास्तों का अनुमोदन नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में किया जाय।

(ix) Need to develop a waterway connecting Thane-Navi Mumbai-Mumbai

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): केन्द्र सरकार ने सड़क मार्ग पर ट्रैफिक जाम से आम नागरिको को होने वाली परेशानियों से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से ठाणे-नवी मुम्बई- मुम्बई को जोड़ने वाला एक जलमार्ग को सैंद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान की थी। 93 कि.मी. के इस जलमार्ग में 18 हॉल्ट बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। ठाणे और नवी मुम्बई के बीच साकेत, कलवा, विटावा, बेलपुर, तालोजा जूईगाँव, पनवेल, जेएनपीटी और मोरा में हॉल्ट बनाने के निर्णय लिया था। इन हॉल्ट में फ्लोटिंग जेट्टी के माध्यम से फेरी तक पहुँचने की व्यवस्था की गई है। इस पूरे प्रोजेक्ट में माननीय शिपिंग मंत्री ने विशेष रूचि लेकर पूरा करने का संकल्प दिया था। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने की कृपा करे। चूँकि यहाँ फ्लोटिंग जेट्टी के माध्यम से फेरी तक पहुँचने की व्यवस्था की जाएगी इस कारण पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा और यह मुंबई नवी मुंबई और थाने जिले के आम लोगों के लिए अधिक फायदेमंद होगा।

(x) Need to set up an Agriculture University in Gorakhpur, Uttar Pradesh

श्री रवि किशन (गोरखपुर): गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का सबसे बड़ा महानगर है । यह उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराजजी श्री योगी आदित्यनाथ जी की कर्मस्थली भी है । गोरखपुर शिक्षा ,व्यापार और पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है । पूर्वांचल और बिहार के लगभग 20 ज़िले अपने विभिन्न ज़रूरतों के लिए गोरखपुर पर निर्भर है । यहाँ रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है । गोरखपुर और आस पास के ज़िलों की भूमि काफ़ी उर्वर है । यहाँ कृषि की अपार संभावनाएं हैं लेकिन गोरखपुर और आस पास के किसी भी ज़िले में एक भी कृषि विश्वविद्यालय नहीं है जिससे कि यहाँ के किसानों को उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता और वे अपने भूमि की उर्वरता का समुचित लाभ नहीं ले पाते हैं । गोरखपुर और इसके आस पास के जो छात्र कृषि स्नातक या स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त कर करना चाहते हैं उन्हें काफ़ी दूर जाना पड़ता है । समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर , दलित और वंचित वर्ग के छात्र संसाधनों की कमी के कारण अपने सपने को अधूरा छोड़ देते हैं। गोरखपुर में एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने से यहाँ के छात्र - छात्राओं को कृषि में अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होगा और इसके साथ ही गोरखपुर और आस पास के ज़िलों के किसानों को गुणवत्तायुक्त कृषि करने में भी पर्याप्त सहायता मिलेगी जिससे इस क्षेत्र का चहुंमुखी विकास होगा। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो भी सहायता चाहिए उसे राज्य सरकार उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है । अतः मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि गोरखपुर में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने की दिशा में तत्काल निर्णय लेकर इस क्षेत्र के भविष्य को सँवारने में महत्वपूर्ण योगदान देने की कृपा करे ।

(xi) Need to provide wildlife clearance to railway projects in Amreli Parliamentary Constituency, Gujarat

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): मेरे संसदीय क्षेत्र में पश्चिम-रेलवे भावनगर डिवीज़न के अंतर्गत अमरेली के तीन महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाएं जिन्हे मै 15वीं लोकसभा से लगातार सदन के माध्यम से या फिर पत्र व्यवहार के मध्यम से रेल मंत्रालय को अवगत कराते आया हूँ, निम्नवत प्रथम खिजडिया- विसावदर प्रोजेक्ट जिसकी कुल लम्बाई 91.27 किलोमीटर है और जिसकी कुल लागत 547 करोड़ रूपये हैं, और दूसरा वेरावल-तलाला-विसावदर प्रोजेक्ट जिसकी लम्बाई 71.95 किलोमीटर है तथा इसकी लागत लगभग 460 करोड़ रु.है, इसी क्रम में तीसरा और प्रोजेक्ट जूनागढ़-विसावदर जिसकी लम्बाई 42.28 किलोमीटर है तथा जिसकी लागत लगभग 253 करोड़ रूपये है, महोदय यह तीनों परियोजना आर०वी०एन०एल० के माध्यम से की जा रही है, और वर्तमान में तीनों प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस के लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन गुजरात के पास क्लियरेंस के लिए लंबित है। अतः मेरा मा० मंत्री जी से आग्रह है कि इन प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए विभाग के सम्बंधित अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें और क्लियरेंस दिलवाने की कृपा करें जिसका पूर्ण लाभ अमरेली की जनता को बृहद रूप से मिलेगा और अमरेली का विकास एक रेलवे जंक्शन के तौर पर हो पायेगा और रेलवे मंत्रालय को भी एक बड़ी राजस्व की प्राप्ति होगी।

(xii) Regarding Agriculture Export Policy, 2018

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): The Agriculture Export Policy 2018 states that:

"While presenting the budget for 2018-19, the Finance Minister emphasized the need for focusing on a cluster development approach to boost the agricultural and horticultural production in India. Exporting horticultural products requires significant volumes of high quality produce of the same variety with standard parameters matching import demands. It is therefore critical that the Government of India encourage and incentivize the State Governments by strengthening State infrastructure to:

• Identify suitable production clusters • Conduct farmer registrations

• Digitization of land records

• Promote Farmer Producer Organizations (FPO).

Subject to successful implementation of these clusters, a transition to Agri Export Zones (AEZs) could be thought of to facilitate value addition, common facility creation and higher exports from such zones."

With the efforts of the farmers, scientists, farmers organizations, the Central Government and the State Government the State of Uttar Pradesh has been able to achieve following objectives:

• Production Clusters- Under the ODOP scheme, Kalanamak Chawal has been identified for Siddharthnagar district, providing for focused production.

• Farmer recognition- As per latest data available from RBI, there are more than 44 lakh KCC cards operative in state of Uttar Pradesh.

• Digitization of land records- Under Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP) of the Ministry of Rural Development, state of Uttar Pradesh has completed 95.81% of Computerization of Land Records whereas Siddharthnagar has completed 98.49% of CLR.

• Farmer Producer Organizations (FPO)- There are 178 FPOs recognized by SAFC, NABARD, other Government bodies including self-promoted FPOs in Uttar Pradesh. There are various other FPOs which are being setup and being recognized. In Siddharthnagar, Siddharth Zone Rice Kisan Producer Com. Ltd. is recognized by NABARD. (Moreover, one another FPO has been setup for Kalanamak chawal).

(xiii) Need to set up a Potato Board

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद): फर्रुखाबाद जनपद व् आस पास के जनपदों में एशिया का सर्वाधिक आलू उत्पादन होता है। आलू सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। आलू ही ऐसी सब्जी है जो 365 दिन पूरे देश में सब्जी के रूप में उपयोग होता है। यदि आलू का उत्पादन कम हो जाये तो पूरे देश में अन्य सभी सब्जियों के दाम आसमान छू जाते हैं। जहॉ किसान पूरे देश को आलू सब्जी खिलाता है और अन्य सब्जियों के दाम भी नियंत्रित करता है वहीं आलू किसानों को उत्पादन का लाभकारी मूल्य न मिल पाने के कारण खून के आँसू रोना पड़ता है। आलू बोर्ड के गठन से भारत में आलू और आलू से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के समग्र विकास के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा।

(xiv) Need to provide houses to people belonging to SC/ST, backward class and economically weaker sections in Gadchiroli-Chimur Parliamentary Constituency, Maharashtra

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): महाराष्ट्र राज्य के अति पिछड़े आदिवासी बाहुल्य संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमूर में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं गरीब लोगों की काफी संख्या है। इन लोगों के पास रहने के लिए अपने मकान नहीं है। अतः इन आवास विहीन परिवारों के लिए आवासों की संख्या बढ़ाए जाने तथा नैसर्गिक आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त घरों के निर्माण के लिए विशेष प्रावधान संबंधी बी0पी0एल0 की शर्त को शिथिल किए जाने की आवश्यकता है।

इस संबंध में, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह महाराष्ट्र राज्य के अविकसित आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र गड़चिरोली में उक्त वर्ग के आवास विहीन लोगों के लिए आवासों की संख्या बढ़ाए जाने के साथ-साथ नैसर्गिक आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त घरों के निर्माण हेतु विशेष प्रावधान संबंधी बी0पी0एल0 की शर्त को शिथिल किए जाने हेतु आवश्यक पहल करें।

सादर।

(xv) Need to restart training centre of Sports Authority of India in Tikamgarh Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): भारतीय खेल प्राधिकरण साई प्रशिक्षण केंद्र टीकमगढ़ वर्ष 2001 में संचालित था जिसे 2020 में बंद कर दिया गया इस प्रशिक्षण केंद्र में हाकी के साथ-साथ सॉफ्टबॉल प्रशिक्षण प्रारंभ था तथा इसी में 25 बेड के छात्रावास की व्यवस्था थी। यहां पर अखिल भारतीय हाकी टूर्नामेंट का आयोजन भी विगत 58 वर्षों से चल रहा है यहां पर अनेक खिलाड़ियों के साथ-साथ भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे हॉकी टीम में शामिल विवेक प्रसाद सागर ने भी इसी प्रशिक्षण केंद्र में रह कर तैयारी की और 06 खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया। बंद पड़े इस प्रशिक्षण केंद्र को प्रारंभ करने की आवश्यकता है। साथ ही हाकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण हाकी प्रदर्शन हेतु एस्ट्रोटर्फ की व्यवस्था की जाए ताकि आधुनिक सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके साथ ही 50 बेड के नए छात्रावास का भी निर्माण किया जाए।

(xvi) Regarding inclusion of Kunchitiga community under OBC category in Karnataka

SHRI G.S. BASAVARAJ (TUMKUR): Ever since the historic Mandal Commission Report was accepted for broader implementation of the centre's Reservation Policy on weaker and down trodden sections of the community, the dominant Vokkaliga Community in Karnataka has already secured the inclusion under the Central OBC Community. However, injustice is still meted out to Kunchitiga Community who are still pleading for the legitimate inclusion of their caste under OBC category for Karnataka. The Government of Karnataka has already recommended to the Centre that Kunchitiga, a sub-sect of Vokkaliga community be included in the Central List of OBC for the State of Karnataka. This is backed by an ethnographic study report by D. Devaraja Urs Research Institute, Bangalore justifying the inclusion of Kunchitiga Community in the OBC list of Karnataka. The Kunchitiga Community is known to produce intellectuals in the realm of teaching, administration and such other professions. The matter is still pending with the Centre. I urge the Centre in the Ministry of Social Justice and Empowerment to consider approving the proposal of the Government of Karnataka as pleaded above.

-

(xvii) Regarding pending dues of co-operative sugar mills

SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB): The cooperative Sugar Mills are unable to pay pending dues to the sugarcane farmers for their produce of year 2019-2020 because of non-payment of Export subsidy under Maximum Admissible Export Quantity (MAEQ) amounting to Rs. 44.27 crores and Buffer Stock subsidy claim of RS.16.04 crores.

The above amounts are long pending. The export of sugar was made in the month of February-March, 2020, for which the export subsidy claim has been submitted to the Department of Food and Public Distribution, Govt. of India, New Delhi which should have been provided immediately thereafter.

Similarly, Buffer Stock subsidy claim is pending for the period up to July, 2020, amounting to Rs.16.04 crores. The total outstanding amount towards MAEQ and Buffer stock subsidy comes to Rs.60.31 crores.

This amount has to be credited directly in the accounts of sugarcane farmers. Hence, so early release of Rs.60.31 crores will not only enable the Cooperative Sugar Mills to clear pending dues of the sugarcane farmers for the season 2019-20 but also help the farmers in period of economic crisis due COVID-19 situation.

(xviii) Regarding setting up of a Central University in Andaman & Nicobar Islands

SHRI KULDEEP RAI SHARMA (ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS): The Prime Minister during his visit in 2018 had announced the setting up of a Deemed University named after Netaji Subhash Chandra Bose.The absence of a full-fledged University in Andaman & Nicobar Islands is depriving the local students belonging to poor or marginalized sections of the society since they have limited opportunities and have to travel to mainland for higher education purposes which is a costly affair. In order to realize the true potential of Andaman & Nicobar Islands, there is an imminent need to establish a Central University in Andaman & Nicobar Islands. I request the Government to kindly take necessary steps in establishing a Central University instead of a Deemed University in Andaman & Nicobar Islands to revolutionize Higher Education and provide a level playing field to students so that they can avail of better educational opportunities. Such a step will also facilitate development of Andaman & Nicobar Islands and generate employment.

(xix) Regarding disinvestment of Visakhapatnam Steel Plant

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): The Union Government has given approval for 100% disinvestment of Vishakhapatnam Steel Plant and ignored its 20,000 direct employees and thousands of indirect workers. Vizag Steel Plant is the pride of Telugu people and was established after many sacrifices in a decade-long public agitation.

Its workers have contributed to the nation building and donated Rs 6.16 crores to PM-CARES fund from their own salaries. In 2020, the plant had exports of more than Rs 3,000 crores.

The plant turned unprofitable recently due to a negative international steel cycle and national slowdown. Instead of privatising it, the Union Government should make an effort to turn it around.

I make the following request in the matter:-

First, continue operations to build on monthly profits of Rs 200 crores in December 2020. Second, bring in a captive mine to reduce the cost of iron ore. Third, restructure debt as equity to reduce interest burden and offer bank investors an exit through stock market.

(xx) Need to enhance pension under EPS-1995

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे (हातकणंगले): श्रम सम्बंधित संसदीय समिति की मार्च 2018 की रिपोर्ट और EPFO से सम्बंधित उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की है कि EPS 95 पेंशन के योजना के अन्तर्गत पेंशनरों को दी जाने वाली राशि को बढ़ाना चाहिए। इन समितियों के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने भी अप्रैल 2019 में अपने एक निर्णय में आदेश दिया है की EPS 95 में दी जाने वाली राशि बहुत कम है।मेरा सरकार से निवेदन है कि EPS 95 के अंतर्गत आने वाले 67 लाख पेंशन धारकों की मांग पर सरकार कार्यवाई करे और कोशियारी समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को स्वीकार करके EPS 95 पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को बेसिक पेंशन के रूप में न्यूनतम 9000 रूपये प्रति महीना और महंगाई भत्ता अथवा नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करे जिससे उन्हें लाभ मिले और उनकी जीवन भर की मेहनत की कमाई का नुकसान ना हो अथवा सेवानिवृत होने के बाद उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक असुविधा का सामना ना करना पड़े।

(xxi) Regarding recommendations of 14th Finance Commission on SDRF

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): As per the recommendations of 14th Finance Commission, the sharing pattern in the State Disaster Response Fund (SDRF) ought to be in the ratio of 90:10 for the Centre and States respectively. Union Government, in Explanatory Memorandum, accepted the recommendations of 14th Finance Commission with modification that the percentage share of States will continue to be as before (i.e. 75:25) and that once GST is in place, the recommendations of 14th Finance Commission on Disaster Relief would be fully implemented. Accordingly, Govt. of India released their share in the ratio of 90:10 for the year 2018-19, which was subsequently reduced to 75:25 with adjustment of excess released in 2018-19. As per the Disaster Risk Index (DRI) worked out by the Commission for states, the score of Odisha is 90 out of 100, the highest among all states. It is earnestly requested that the Centre may please reconsider its stand.

(xxii) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Jaunpur, Uttar Pradesh

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): हम यह अवगत कराना चाहते हैं कि जौनपुर उत्ततर प्रदेश का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक शहर है जो प्राचीन काल से शिक्षा एंव संस्कृति का केंद्र रहा है। इसी कारण से इसे सिराजे हिन्दी (शिक्षा का केंद्र) के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार शेरशाह सूरी ने भी यहीं शिक्षा ग्रहण की थी और शेरशाह सूरी का बनवाया हुआ किला आज भी शहर के मध्यण में मौजूद है। 13वीं एवं 14वीं शताब्दी में जौनपुर शर्की सल्तनत की राजधानी हुआ करता था। शहर का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि मुगल काल में अकबर ने शहरवासियों की सुविधा के लिए शहर के मध्यस से प्रवाहित होने वाली गोमती नदी पर पुल का निर्माण कराया था जो आज भी मौजूद है तथा इसे शाही पुल के नाम से जाना जाता है।

जौनपुर शिक्षा के क्षेत्र का सिरमौर रहा है। इसे इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि इस समय शहर में 13 महाविद्यालय अवस्थित है। उदाहरण के तौर पर तिलकधारी महाविद्यालय अत्यन्त महत्वपूर्ण महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय में इस समय 15,000 से अधिक छात्र एवं छात्राएं संस्थागत रूप से पंजीकृत होकर कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, विधि एवं शिक्षा संकाय में अध्ययन कर रहे है। जनपद के अनेकानेक छात्र भारतीय प्रशासनीक सेवा, पुलिस सेवा एवं विदेश सेवा के अधिकारी के रूप में भारत वर्ष के अनेक प्रांतों तथा विदेशों में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जौनपुर शहर के विद्यार्थियों से शिक्षित छात्र दुनिया के विभिन्न देशों में कुशल चिकित्सक, इंजीनियर व शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इतनी महत्वपूर्ण विशेषताओं एवं विशिष्ट उपलब्धियों के बावजूद शहर में केंद्रीय विद्यालय संगठन का कोई भी विद्यालय नहीं है, जिसके कारण आर्थिक रूप से पिछड़े अनेक छात्र शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं।

अतः सादर अनुरोध है कि कृपया जौनपुर के लिये केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक विद्यालय स्वीकृत करने हेतु सम्बंधित को निर्देश देने की कृपा करें । इसके लिये समस्त जनपदवासी आपके आभारी रहेंगे।

(xxiii) Regarding closure of Oriental Insurance Branch in Kamareddy district, Telangana

SHRI B.B. PATIL (ZAHIRABAD): This is with regard to Oriental Insurance branch located at Kamareddy district of Telangana which is a newly formed district in developing stage with a potential to generate many new insurance customers. There are around 50-60 villages around Kamareddy. With the closure of this branch. It will become very inconvenient for the people living in the nearby villages to visit Nizamabad (which is 60kms from Kamareddy) for claims and renewal of insurance policies as well as for the workers to discharge their respective duties. It is, therefore, requested to put a hold on the closure of Oriental Insurance branch in Kamareddy at the earliest.

(xxiv) Need to construct embankment along the course of Burhi Gandak river in Vaishali Parliamentary Constituency, Bihar

श्रीमती वीणा देवी (वैशाली): मेरे संसदीय क्षेत्र वैशाली के अन्तर्गत आने वाली विधानसभा मीनापुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत रघई में बूढी गंडक नदी के कटाव से वर्ष 2017 में आई बाढ़ से 200 से ज्यादा घर बूढी गंडक नदी में बह गए थे जिसके कारण जान-माल का नुकसान हुआ था। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बूढी गंडक नदी के कटाव से नुकसान हो सकता है. इस समस्या का कोई उचित समाधान करना आवश्यक है ताकि लोगो के घरो को गंडक नदी के कटाव से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके. मै माननीय जल संसाधन मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र वैशाली के अन्तर्गत आने वाली विधानसभा मीनापुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत रघई में बूढी गंडक नदी के दोनों तरफ मजबूत तटबंध बनाया जाये तथा कटाव निरोधक कार्य कराने और मीनापुर विधानसभा अन्तर्गत हरसेर घाट पर पीपा पूल का निर्माण कराने की कृपा करे।

(xxv) Regarding allocation of captive mines to Rashtriya Ispat Nigam Limited

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) is a jewel of AP as it is not only providing employment to tens of thousands of people directly but also providing indirect employment to as many people. Apart from this, RINL is the result of a prolonged struggle and sacrifice of many people and villages. Now, Union Cabinet has decided to privatize this plant which is not acceptable.

Main reasons behind RINL's losses are that it is not having captive mines and it has taken loan due to GOI's failure to infuse capital at an exorbitant rate of 14%. Raw material expenditure of RINL was 65% in 2018-19 when compared to SAIL's 48% and TATA's 35%. It is because RINL buy coal from open market; whereas, SAIL and TATA have captive mines.

I strongly feel it is the failure of successive Governments to allocate captive mines to RINL. Hence, I request GOI to immediately allocate captive mines to RINL.

(xxvi) Regarding allocated share of Yamuna river water to Rajasthan

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): अपर यमुना नदी बोर्ड के निर्णय अनुसार केंद्रीय जल आयोग द्वारा राजस्थान के हिस्से के यमुना के जल उपयोग उपयोग हेतु ताजेवाला व ओखला हेड वर्क्स से अनुमोदित परियोजनाओ के क्रियानवयन हेतु हरियाणा सरकार को राजस्थान सरकार द्वारा भेजे गये एमओयू पर सहमत करने हेतु जल शक्ति मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि 1994 में राजस्थान को यमुना बेसिन राज्यो से हुए समझौते के अनुसार 1.119 बीसीए यमुना जल आवंटित हुआ था जिससे चुरु व झूँझनू जिले की जनता को लाभ मिलता परन्तु हरियाणा सरकार अनावश्यक अनापति कर रही है जबकि 15.2.20218 को यमुना रिव्यू कमेटी की बैठक मे हरियाणा की आपति खारिज भी की जा चुकी है और उक्त संबंध मे डीपीआर भारत सरकार के समक्ष भी भेजी जा चुकी है इसलिए इस महत्पूर्ण मामले मे भारत सरकार द्वारा हरियाणा को निर्देश जारी करना अपेक्षित है।

14.55 hrs

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (AMENDMENT) BILL, 2021

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): Hon. Chairperson, Madam, I, on behalf of Shri Amit Shah, beg to move:

"That the Bill further to amend the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 be taken into consideration."

आदरणीय मैडम चेयरपर्सन, इस सदन में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरीटरी ऑफ डेल्ही (अमेंडमेंट) बिल, 2020-21 पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। वर्ष 1991 में, इसी संसद में, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में दो नए आर्टिकल्स, एक आर्टिकल-239 ए, और दूसरा आर्टिकल-239 एबी लाए गए। इस संदर्भ में, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि संविधान के अनुसार दिल्ली एक यूनियन टेरीटरी विद लेजिस्लेचर है, विद लिमिटेड पावर्स। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी अपने निर्णयों में स्पष्ट किया है कि यह एक यूनियन टेरीटरी है। इस अमेंडमेंट का उद्देश्य है, सिर्फ उत्पन्न हुई अस्पष्टता को हटाने के लिए आज संशोधन विधेयक संसद के समक्ष लाना पड़ा। यहां सभी प्रस्तावित संशोधन कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों के अनुरूप हैं। इससे दिल्ली के लोगों का भला होगा।

14.56 hrs (Shrimati Rama Devi in the Chair)

महोदया, इस संसद के सभी माननीय सदस्य इससे अवगत हैं कि नेशनल कैपिटल टेरीटरी ऑफ दिल्ली का प्रशासन तीन मुख्य प्रोविजंस के ऊपर आधारित है – संविधान का आर्टिकल 239 ए, जीएनसीटीडी एक्ट, 1991 और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द जीएनसीटीडी रूल्स, 1993. वर्ष 1991 से दिसम्बर, 2013 तक दिल्ली का प्रशासन सुचारू रूप से चलता रहा और

आम तौर पर सभी मुद्दों का समाधान विचार-विमर्श और चर्चा के माध्यम से हो जाता था। लेकिन, वर्ष 2015 में संविधान के कुछ प्रोविजन्स के इंटरप्रेटेशन को लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रूल्स खड़े किए गए। संविधान के आर्टिकल 239 और 239 एए, जीएनसीटीडी एक्ट, 1991, ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस ऑफ जीएनसीटीडी रूल्स, 1993 के वाक्यों को लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट में कई केसेज फाइल किए गए। ऑनरेबल कोर्ट ने भी इन केसेज और इनसे जुड़े हुए मुद्दों पर समय-समय पर अपने फैसले सुनाए। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के संदर्भ में मंत्रीपरिषद को अपने द्वारा लिए गए फैसलों को लेफ्टिनेंट गवर्नर को सूचित करना अनिवार्य है, ताकि संविधान के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने अधिकारों का सही तरीके से प्रयोग कर सके। इन विषयों पर कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, जिनके अभाव में सबसे अधिक नुकसान दिल्ली के हमारे आम नागरिकों का हो रहा है। इससे दिल्ली की प्रगति पर भी बुरा असर पड़ रहा है क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। इसलिए भारत सरकार का और इस संसद का भी कर्तव्य बनता है कि एप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव मेजर्स के द्वारा इस कानून पर प्रशासनिक अस्पष्टता को हटाया जाए, टेक्निकल एण्ड लीगल एडमिनिस्ट्रेशन एम्बिगुइटीज़ को हटाया जाए। इसकी आवश्यकता है कि उचित स्पष्टीकरण किया जाए, ताकि दिल्ली और दिल्लीवासियों को एक अच्छे प्रशासन की व्यवस्था मिल सके।

15.00 hrs

इन सभी तथ्यों का मद्देनजर रखते हुए इस सदन में जी.एन.सी.टी.डी अमेंडमेंट बिल 2021 को लाया गया है। संविधान के आर्टिकल 239ए की क्लॉज 7 भारत के संविधान को सशक्त करती है कि वहाँ कानून के द्वारा प्रोविजन्स बनाया जा सके और जिसके आर्टिकल 239ए के क्लॉज 1 से लेकर 6 के प्रोविजन्स को सप्लीमेंट किया जा सके। इसके तहत संसद ने जी.एन.सी.टी.डी. एक्ट 1991 को पारित किया था, इसलिए इसमें कोई भी संशोधन करने के लिए यह संसद पूरी तरह सक्षम है और पूरा अधिकार भी है। इसके अनुसार मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करता हूँ। इसके माध्यम से दिल्ली प्रशासन से जुड़े हुए कई मुद्दों को स्पष्ट किया जाएगा। इसके लिए यह विधेयक 4 सेक्शंस में सेक्शन 21, सेक्शन 24, सेक्शन 33 और सेक्शन 42 से संशोधन प्रस्तावित करता हूँ।

सभापति जी, इससे दिल्ली गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ेगी और एग्जीक्यूटिव तथा लेजिस्लेचर के रिलेशंस बेहतर होंगे। यह टेक्निकल बिल है। यह कोई राजनीति संबंधित बिल नहीं है। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ टेक्निकल ऐम्बिग्यूइटीज़ की समस्या आ रही हैं। इसको हटाना इस संसद की जिम्मेदारी बनती है। जो बिल 1991 बनाया गया, उसे इस संसद ने ही बनाया। आज कुछ दिनों में ऐम्बिग्यूइटीज़ उठाकर जनता और कोर्ट के सामने अलग-अलग केसेस दिए जा रहे हैं। इसी दृष्टिकोण से आज संसद के सामने मैं अनुरोध करता हूँ कि जी.एन.सी.टी.डी. अमेंडमेंट बिल 2021 पर विचार किया जाए और इसे पारित किया जाए।

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): सभापति महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद। एनडीए भाजपा की जो केन्द्र सरकार है, इसकी एक बड़ी तकलीफ है। तकलीफ यह है कि किस मुद्दे पर वह कहाँ खड़े हैं, वह इस पर निर्भर करता है कि वह इस समय कहाँ बैठे हैं। परंतु दिल्ली के मुद्दे के ऊपर इनकी जो राय थी, जब वह वहीं बैठते थे, वह राय आज की राय से पूरी तरह से विपरीत, भिन्न और 180 डिग्री के ऊपर है। शायद मंत्री जी को मालूम नहीं होगा कि वर्ष 2003 में सम्मानित श्री लालकृष्ण आडवाणी इस देश के गृह मंत्री थे।

इसी सदन में श्री लालकृष्ण आडवाणी ने 102वाँ संविधान संशोधन कानून और स्टेट ऑफ डेल्ही बिल 2003 को इंट्रोड्यूस किया था। उस संवैधानिक संशोधन और विधेयक का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य यह था कि नई दिल्ली के इलाके को छोड़कर बाकी दिल्ली का जितना इलाका है, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। आज यह बहुत ही विचित्र और अद्भूत परिस्थिति है कि वही एनडीए भाजपा की सरकार 18 वर्षों बाद एक विधेयक लेकर आई है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था वर्ष 1991 में 69वाँ संविधान संशोधन के तहत दिल्ली के लोगों के लिए बनाई गई थी, उसको पूरी तरह से समाप्त करना चाहती है।

I would say that the present legislation is completely unconstitutional. It is a coloured, targeted and *mala fide* legislation which seeks to take away the representative character of Delhi Government.

It amends Article 239AA without following the Constitutional process with regard to the amendment of the Constitution. Moreover, it removes the substratum of the Constitution Bench Judgment, which laid down the limits to the power of the Lieutenant Governor and the Union of India *qua* the National Capital Territory of Delhi.

Contrary to what the Minister has stated, Madam Chairperson, this unconstitutional legislation is not saved by Article 239AA, Clause 7, which the Minister had referred to; and I would demonstrate as to how.

But before that, let me take you a little into the background. It was the year, 1991 – if I remember correctly, the 12th of December, 1991-- when this House passed the 69th Constitutional Amendment Bill and the consequential Bill with regard to the National Capital Territory of Delhi. What the 69th Constitution Amendment envisaged was to give a special status to the National Capital among Union Territories -- कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेशों की श्रृंखला में एक विशेष स्थान दिया जाए। यह उस संविधान संशोधन का अभिप्राय था, यह उसका ऑब्जेक्टिव था। इस संवैधानिक संशोधन ने भारत के संविधान में दो नई धारायें जोड़ी, 239(एए) और 239(बी), इससे जो दिल्ली का संवैधानिक डिजाइन था, जो संवैधानिक ढांचा था, वह बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गया। वह संवैधानिक ढांचा क्या था? वह संवैधानिक ढांचा यह था कि पुलिस, पब्लिक आर्डर और भूमि को छोड़कर बाकी सारे विषयों के ऊपर कानून बनाने का अख्तियार दिल्ली विधान सभा का है। आज यह विधेयक जो मंत्री महोदय लेकर आए हैं, उन अधिकारों को छीनने का काम करता है। उसके साथ-साथ इस संवैधानिक संशोधन ने यह भी सुनिश्चित किया कि एक चुनी हुई विधान सभा होगी और एक मंत्रिमंडल होगा। उस मंत्रिमंडल की जवाबदारी उस विधान सभा को होगी। मैं इस सदन की जानकारी के लिए वह आर्टिकल 239(एए) एक बार पढ़ना चाहता हूं।

It says:

> "Subject to the provisions of this Constitution, the Legislative Assembly shall have power to make laws for the whole or any part of the National Capital Territory with respect to any of the

matters enumerated in the State List or in the Concurrent List insofar as any such matter is applicable to Union territories except matters with respect to Entries 1, 2 and 18 of the State List and Entries 64, 65 and 66 of that List insofar as they relate to the said Entries 1, 2, and 18.

यह एंट्री 1, 2 और 18 क्या है? यह एंट्री 1 ,2 और ,18, पुलिस, पब्लिक आर्डर और जो दिल्ली की भूमि है, उससे संबंधित है। सिर्फ इन 3 विषयों के ऊपर केंद्र सरकार को या इस संसद को कानून बनाने का अख्तियार था, बाकी सबके ऊपर विधान सभा को कानून बनाने का अख्तयिार था। अब समय-समय पर, केंद्र सरकार के दिल्ली में क्या अधिकार होने चाहिए, राज्य सरकार का क्या अधिकार होना चाहिए, इसके ऊपर वाद-विवाद होता रहा। यह मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचा। उच्चतम न्यायालय ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि दिल्ली सरकार के क्या अख्तियार हैं और केंद्र सरकार के क्या अख्तियार हैं। वर्ष 2018 में जो फैसला दिया गया, मैं सिर्फ उसकी दो लाइनें पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं। उस फैसले में साफ तौर पर यह कहा गया:

"Article 239-AA(4) confers executive powers on the Government of NCT of Delhi whereas the executive power of the Union stems from Article 73 and is coextensive with Parliament's legislative power. Further, the ideas of pragmatic federalism and collaborative federalism will fall to the ground if we are to say that the Union has overriding executive powers in respect of matters for which the Delhi Legislative Assembly has legislative powers. Thus, it can be very well said that the

executive power of the Union in respect of NCT of Delhi is confined to the three matters in the State List for which the legislative power of the Delhi Legislative Assembly has been excluded under Article 239-AA(3)(a)."

आगे उच्चतम न्यायालय ने ये कहा "Such an interpretation would thwart any attempt on the part of the Union Government to seize all control and allow the concepts of pragmatic federalism and federal balance to prevail by giving NCT of Delhi some degree of required independence in its functioning subject to the limitations imposed by the Constitution."

यह विधेयक जो काम करने जा रहा है, उसी काम को उच्चतम न्यायालय की एक संवैधानिक खंडपीठ ने उसके ऊपर रोक लगाई थी कि केन्द्र सरकार के अख्तियार का जो दायरा है, उसके आसपास उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी कि अगर आप इससे बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो यह सीधे-धीरे दिल्ली विधान सभा को जो अधिकार संविधान ने दिए हैं, उसके ऊपर कुठाराघात करेंगे, उसका उल्लंघन करेंगे।

उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में क्या कहा, मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूं, "The status of NCT of Delhi is *sui generis*, a class apart, and the status of the Lieutenant Governor of Delhi is not that of a Governor of a State, rather he remains an Administrator, in a limited sense, working with the designation of Lieutenant Governor." इसका मतलब उसका नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर है, किन्तु काम उसका प्रशासक का है। उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने इस चीज की साफ-साफ पूरी तरह से पुष्टि की थी और उसका अनुमोदन किया था। अब मैं आपके विधेयक के ऊपर आता हूं, जिस विधेयक को लेकर आप आए हैं । Now, this particular Bill proposes to amend Section 21. Now, the unamended Section 21, basically, circumscribes the power of the Assembly to

make laws with respect to Articles 286, 287, 288 and 304 of the Constitution of India.

यह बहुत ही विचित्र और अद्भुत बात है कि इसमें आपने प्रोवाइजो जोड़ दिया है कि दिल्ली सरकार का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। ये कैसे हो सकता है? दिल्ली सरकार का मतलब वह होगा, जो भारत के संविधान में लिखा है। दिल्ली सरकार का मतलब वह होगा, जो संसद ने कानून पारित किया है, उसमें लिखा है। दिल्ली सकरार का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर कैसे हो सकता है? खासकर जब उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उसका टाइटल लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा लेकिन उसका काम एक प्रशासक से ज्यादा नहीं होगा। यह बिल्कुल साफ है कि आप पिछले दरवाजे से दिल्ली में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको समाप्त करना चाहते हैं और एलजी के माध्यम से दिल्ली को चलाना चाहते हैं।

आप दूसरा संशोधन धारा 24 लेकर आए हैं। that bars the Lieutenant Governor's assent to some Bills: "That would have another *proviso*... Incidentally, cases/matters falling outside the purview of powers conferred by the Assembly..." वे तीन मामले हैं, जिनके ऊपर केन्द्र सरकार को कानून बनाने का अख्तियार है। अगर दिल्ली विधान सभा खुदा न खास्ता या गलती से कोई ऐसा कनून बना देती है जो उन तीन पॉवर्स के ऊपर इम्पिन्ज करता है, उनके ऊपर असर डालता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस कानून की मंजूरी नहीं देगा।

मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को आपत्ति होनी चाहिए और हमें भी इससे कोई आपत्ति नहीं है। आप जो अगला संशोधन लेकर आए हैं, 33(1) यह लगता बहुत सरल है। It looks very innocuous but it is an assault on the sovereignty of the Delhi Vidhan Sabha to frame its rules of procedure. दिल्ली विधान सभा के जो रूल्स और प्रोसिजर होंगे, वे वैसे ही होंगे, जैसे लोक सभा के हैं।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि दिल्ली विधान सभा के ऊपर इतनी कृपा क्यों हो रही है? राज्य सभा के रूल्स और प्रोसिजर्स भी लोक सभा से भिन्न हैं। हर विधान सभा के रूल्स और प्रोसिजर्स दूसरी विधान सभा से भिन्न हैं। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि आपको जो हाऊस की साव्रन्टी है, उस साव्रन्टी के ऊपर आप आघात कर रहे हैं।

यह कहकर कि उनको यह अख्तियार नहीं है कि किस तरह से वह अपने हाउस को चलाएं, किस तरह से वहां कार्यशैली चले, क्या वह भी तय यह संसद करेगी? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर संसद को ही तय करना है तो दिल्ली विधान सभा की जरूरत ही क्या है?

माननीय सभापति जी, नया प्रोवाइजो सैक्शन 33 में जोड़ा गया है, वह सोने पर सुहागा है। It takes the cake; it basically cuts the legs out from under the Delhi Vidhan Sabha. दिल्ली असेम्बली का औचित्य ही पूरी तरह से समाप्त कर देता है। यह कहता है – दिल्ली विधान सभा ऐसा कोई काम नहीं कर सकती, जिससे सरकार की प्रशासनिक गतिविधि पर किसी तरह की ओवरसाइट एक्सरसाइज़ करें।

महोदया, मैं पांच मिनट और लूंगा क्योंकि यह कानून संवैधानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपकी इंडेलजेंस चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, अगर एक विधान सभा सरकार की कार्यशैली के ऊपर, कामकाज के ऊपर अपनी ओवरसाइट एक्साइज़ नहीं कर सकती तो उस विधान सभा का क्या फायदा? क्या वह विधान सभा सिर्फ वाद-विवाद और संवाद के लिए बनाई गई है? आप बिल्कुल ही विचित्र किस्म का कानून लेकर आए हैं।

इससे भी ज्यादा खतरनाक सैक्शन 44 का सबसैक्शन 2 है जो बिल्कुल पूरी तरह से 69वें कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट की धज्जियां उड़ा देता है। यह कहता है – जिन मामलों के ऊपर दिल्ली सरकार को कानून बनाने का अख्तियार है, अगर दिल्ली सरकार उस पर कानून बनाती है तो उस पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई करने से पहले उनको लैफ्टिनेंट गवर्नर की अनुमति लेनी चाहिए।

महोदया, मैं पूछता हूं कि ऐसा कौन सा फैसला है जिसे आप प्रशासनिक कार्रवाई से वंचित कर सकें? How can you divorce a decision from its implementation? Therefore, it is very evident that you completely want to emasculate the Government of Delhi; you want to rule through the Lieutenant Governor; and you want to subvert representative democracy in Delhi, whereby you will not even give the Government of Delhi the powers to execute decisions where they have the constitutional right to take those decisions in terms of not only the 69th Constitutional Amendment but also according to a Constitution Bench of the Supreme Court.

In conclusion, Madam Chairperson, since your bell is very insistent, I would just like to say that this law is completely misconceived. Mr. Minister, please go back and read the 102nd Constitutional Amendment, go and read the law which was proposed by the then Home Minister, Shri Lal Krishna Advani, and see the distance that you have travelled from your very worthy predecessors. Thank you very much.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): माननीय सभापति जी, इतने हिस्सों में बंट गई है दिल्ली कि उसके हिस्से में अब कुछ बचा ही नहीं है।

मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं, मेरे मित्र भाषण दे रहे थे। मैं इतना जानती हूं कि यह सांसद भले ही पंजाब से हैं लेकिन दिल्ली में रहते हैं। इनके घर के आगे जो नाली बनी है, वह एमसीडी ने बनाई है, लेकिन उसका पानी दिल्ली जल बोर्ड के नाले में जाता है। जब बारिश पड़ती है, उस नाले की सफाई नहीं होने के कारण पानी बैक फ्लो मारकर इनके घर के आगे जमा हो जाता है। यह दिल्ली की वस्तुत: स्थिति है। यह दिल्ली की स्थिति नहीं बताएंगे।

इसके बारे में बगल में जो साथी बैठे हैं, वह बताएंगे। मुझे याद है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की मीटिंग थी, इन्होंने जिक्र किया था कि नई दिल्ली में मिंटो ब्रिज में एक व्यक्ति डूबकर मर रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? पता चला कि जल बोर्ड की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन वह नाला साफ नहीं करती है, जो नाली उसमें मिलती है, वह एनडीएमसी की है, लेकिन उस पर काम नहीं होता है। एक हाथी के बराबर जानवर उसमें जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद नाली चोक्ड रहती है। यह दिल्ली की स्थिति है। इसका बड़ा कारण मिसमैनेजेंट ऑफ दिल्ली है जो एनसीटी ऑफ दिल्ली के नाम पर कांग्रेस ने ही किया था।

आज, जब उसको ठीक करने की बारी आई है, तो बीजेपी की केंद्र सरकार उसको ठीक कर रही है। इतना ही शौक था, तो उस वक्त दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देते। क्यों नहीं दिया? इसलिए, नहीं दिया, क्योंकि जितने नियम हैं, जितनी रिपोर्ट्स हैं, वे उसके खिलाफ थीं। केवल एक राजनीतिक जीत के रहते यह काम किया गया, लेकिन उसका जो बुरा असर है, वह आज हम सबके सामने है। यही कारण है कि इस सब गुत्थी को सुलझाना बहुत जरूरी है। मैरे मित्र ने आर्टिकल-239 (एए) तो पढ़ा, लेकिन आर्टिकल-239 (एबी) को नहीं पढ़ा और आर्टिकल-239 (4) को भी नहीं पढ़ा। मैं आपके सामने वह पढ़कर जरूर सुनाना चाहती हूं। आर्टिकल-239 (एए) दिल्ली को एक स्पेशल दर्जा देने के लिए बना था। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि दिल्ली में

और पुदुचेरी में क्या अंतर है? दिल्ली में और अंडमान निकोबार में क्या अंतर है? दिल्ली में और तमाम यूनियन टेरीटोरीज में क्या अंतर है? वह अंतर यह है कि दिल्ली भारत की राजधानी है और इसी कारण यहां मिस-गवर्नेंस रहनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, जो दिल्ली की स्थिति है।

"Article 239AA(4): There shall be a Council of Ministers consisting of not more than ten per cent…"

और इससे पहले दिल्ली में यह हरकत हो चुकी है। दस परसेंट से अधिक मंत्री बनाए जा चुके हैं।

"…of the total number of members in the Legislative Assembly, with the Chief Minister at the head to aid and advise the Lieutenant Governor in the exercise of his functions..."

लेफ्टिनेंट गर्वनर के जो काम हैं, उसकी असिस्टेंट इनको करनी है। ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं।

"… in relation to matters with respect to which the Legislative Assembly has power to make laws, except in so far as he is, by or under any law, required to act in his discretion."

लेफ्टिनेंट गर्वनर की डिस्क्रिशन है।

"Provided that in the case of difference of opinion between the Lieutenant Governor and his Ministers on any matter, the Lieutenant Governor shall refer it to the President for decision."

यानी, जो रेफरेंस का अधिकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर की मर्जी का अधिकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के काम करने का अधिकार है, वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर है। सिर्फ यही नहीं मेरे मित्र ने खुद अपनी भाषा में बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर केवल एग्जीक्यूटिव हेड नहीं हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी यूनियन टेरेटरी का एडमिमिस्ट्रेटर वाला जो

कैरेक्टर है, वह आज भी दिल्ली रिटेन करती है। बावजूद उसके, दिल्ली की ये सब समस्याएं हैं कि आदमी डूबकर नई दिल्ली की सड़क पर मर जाता है और जवाबदेही किसी की नहीं है। नाली का पानी सीवेज में जाता है, लेकिन, सीवेज कोई साफ नहीं करता है, तो आप एम.सी.डी. को कहते हैं। बिजली का खंभा किसी का है, तो बिजली किसी और को देनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली का खंभा म्युनिसिपल कार्पोरेशन लगाती है, लेकिन दिल्ली असेम्बली कहती है कि हम इसको बिजली देंगे और उस खंभे के ऊपर, जहां ऑलरेडी लाइट लगी हुई है, नीचे एक और ब्रैकेट लगाकर दिल्ली की जनता का पैसा खराब कर देती है। मुझे मालूम है कि इसी सदन के अंदर कई बार यह बात हो चुकी है। महाराष्ट्र के मेरे मित्र से मेरी एडवर्टाइजिंग को लेकर बात हुई थी। मैं आपके माध्यम से आज दिल्ली की जनता को चेताना चाहती हूं कि 524 करोड़ एक शहर में एक सरकार का एडवर्टाइजिंग बजट है। शीला जी के समय में 32 करोड़ था। उससे पहले 11 करोड़ था। मैं कहती हूं कि चलो भाई, नई सरकार आई है, तो 32 का 50 कर सकती है, 524 करोड़ है। 524 करोड़ ही नहीं, 524 करोड़ के इश्तेहार बेंगलुरु में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, सभी जगह छपते हैं। यह दिल्ली की स्थिति है। यह दिल्ली की असलियत है कि कोरोना के समय में दिल्ली के अंदर लाशों के ढेर लग जाते हैं। यहां के मुख्य मंत्री अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। मजबूरी में, चूंकि यह केंद्र है, भारत की राजधानी है, गृह मंत्री जी को हस्तक्षेप करके यहां पर नेताजी के नाम पर, सरदार पटेल के नाम पर इंस्टिट्यूट खड़े करने पड़ते हैं और वे सब काम करवाने पड़ते हैं, जो कायदे से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को करने चाहिए। …(व्यवधान) आपको यह समझना होगा कि दिल्ली पर सिर्फ देश की नहीं, बल्कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय निगाह लगी रहती है। दिल्ली के बॉर्डर पर जब किसानों के नाम पर आंदोलन किया गया, मैं जान-बूझकर कह रही हूं 'किसानों के नाम पर', किसानों का नहीं, बल्कि किसानों के नाम पर और दिल्ली में कूच जैसी स्थिति पैदा की गई। आपको लगता है कि दिल्ली का जो रहने वाला व्यक्ति है, वह उसका स्वागत करता है? क्या दिल्ली में रहने वाला यह चाहेगा कि उसके यहां लॉ एंड आर्डर सिचुएशन खराब करने के लिए बाहर

से लोग आ जाएं, ट्रैक्टर चढ़ा दें, पुलिस वालों को मार दें? क्या दिल्ली में रहने वाला कोई भी नागरिक इन बातों को पसंद करेगा?

लेकिन जब ऐसी स्थिति पैदा की गई, उसमें कोई और नहीं, बल्कि सीधे तौर पर दिल्ली की सरकार कहीं न कहीं राजनैतिक कारणों से मिली हुई थी। उन्होंने दिल्ली पुलिस को बसें देने से इंकार कर दिया था, जबकि उनका एक लॉन्ग स्टैंडिंग डीटीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि जब भी दिल्ली पुलिस को ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, उसको ट्रांसपोर्ट मुहैया कराया जाएगा। चाहे वह डीटीसा का घोटाला हो, वायदा किया जाता है कि हम दिल्ली में नई बसें चलाएंगे, लेकिन दिल्ली में कोई नई बस नहीं चली है। जब ये लोग सरकार में आए थे, तब तकरीबन दिल्ली में 6,000 बसें थीं, लेकिन आज वे कम होकर 3,000 या 3,500 बसें रह गई हैं। जो पैसा बसों पर खर्च होना चाहिए था, वह कहीं और खर्च हो रहा है।

दिल्ली वालों के हिस्से में लगातार इस तरह की बदनसीबी आई है। अब उस बदनसीबी को ठीक करने के लिए अगर संविधान के द्वारा जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, सरकार उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रही है, तो इन लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि बवाल क्रिएट करने वाले कोई और नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस की ही सरकार थी, जिसने इस तरीके का विभाजन खड़ा किया है। अगर देखा जाए तो अन्य राज्यों से आने वाले जो मेरे मित्र हैं, उनको यह बात समझ नहीं आएगी कि पानी राज्य सरकार का काम होता है या म्युनिसिपैलिटी का काम होता है। मैं अधिकतर राज्यों के बारे में जानती हूं कि वहां पर पानी म्युनिसिपैलिटी के हिस्से आता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ कॉलेज़ में पढ़ने वाली मेरी एक सीनियर का फोन आया कि चित्रा विहार के अंदर बहुत दिनों से पानी आ रहा है और सीवेज का पानी मिक्स होकर रहा है, आप क्यों नहीं कुछ करती हैं? आप बताइए कि क्या मैं उनके आगे हाथ खड़े कर दूं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूं, क्योंकि यह दिल्ली जल बोर्ड का काम है और दिल्ली जल बोर्ड वाले मेरी बात नहीं सुनते हैं।

मेरे पास राज्य सभा में काम करने वाले अनगिनत लोग आए और उन्होंने बताया कि हमारे लिए एक नई स्कीम आई थी और हम लोगों ने उसके तहत उन क्वॉर्टर्स में घर बनाए हैं, लेकिन वह

सब कुछ करने के बावजूद भी हम लोगों को पानी ही नहीं मिला है। अब पार्टी का नाम तो आम आदमी पार्टी है, लेकिन जो आम आदमी रहता है, उसको कैसे पानी नहीं दिया जाए, यह आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत अच्छे से जानती है। यही कारण है कि राज्य सभा में काम करने वाले जो लोग हैं, उनके यहां पर एक टैंकर माफिया चलता है। उसमें आपको एक महीने में 10,000 रुपये देने हैं, तभी आपके यहां पर टैंकर आएगा, नहीं तो आपके यहां पर टैंकर नहीं आएगा। यह दिल्ली की स्थिति है। अमृत योजना और स्मार्ट सिटी के तहत दिल्ली को कई-कई सौ करोड़ रुपये मिल चुके हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली सरकार से उसका हिसाब मांगेंगे, तो उस हिसाब के नाम पर आपको कुछ नहीं मिलेगा।

मैं नई दिल्ली की सांसद हूं और मुझे इस बात का बेइंतहा दुख है। नई दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, मेरे कई मित्र जो कि दक्षिण भारत, उत्तर प्रदेश या अन्य जगहों से आते होंगे, वे यह जानकर हैरान होंगे कि नई दिल्ली के अंदर, कुछ नहीं यहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर पटेल नगर जैसी एक रिहायशी बस्ती है, जिसमें आज तक पीने के पानी की पाइपलाइन ही नहीं है। आप सोच सकते हैं, यह दिल्ली है। आंध्र वाले मित्र मेरी तरफ देखकर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में उनके संसदीय क्षेत्रों में पानी पहुंच चुका है, लेकिन नई दिल्ली के अंदर गोल मार्केट में मेरे आने से पहले तक पानी नहीं आया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी। वहां पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ के स्टॉफ क्वॉर्टर्स हैं, हमने एनडीएमसी से लड़-झगड़कर, क्योंकि वह गृह मंत्रालय के तहत काम करती है, हमने मेहनत करके वहां पर पहली बार पानी पहुंचाया है, नहीं तो वहां पर पीने के पानी के लिए वॉटर सप्लाई नहीं थी। यह नई दिल्ली की स्थिति है। यही कारण है कि सिर्फ यह नई दिल्ली की ही नहीं, बल्कि यह पूरी दिल्ली की स्थिति है। इस बदहाली के लिए कोई और नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के नाम पर और कांग्रेस की जो मिली-जुली सरकारें हैं, इन लोगों के कारनामे रहे हैं।

जब दिल्ली पर कूच जैसी स्थिति बनी, तब आंखें खुलने का समय था कि आप पुलिस को अपना काम नहीं करने देंगे। जब एंटी सीएए राइट्स हुए थे, तो मैं आप सभी के माध्यम से और

सभापति महोदया खासतौर से आपके माध्यम से देश को यह बताना चाहती हूं कि इसमें आम आदमी पार्टी के काउंसलर और एमएलए इन्वॉल्वड थे। उन लोगों के रहते यहां पर इस तरीके का दंगा-फसाद हुआ। दिल्ली का नुकसान हुआ और सड़क घेरने का काम हुआ था। रायटिंग हुई और जब उसके ऊपर केस बन गए, तब केस बनने के बाद उसमें हाई कोर्ट के अंदर कौन वकील खड़ा होगा? जाहिर तौर पर अगर पुलिस का केस है और आपका कहना है कि पुलिस को केन्द्र सरकार चलाती है, तब वहां पर कौन-सा वकील खड़ा होगा, तो यह केन्द्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है या नहीं है?

इन्होंने वहां पर झगड़ा मचा दिया कि दिल्ली सरकार की स्टैंडिंग काउंसिल जिसको अपॉइंट करेगी, वह खड़ा होगा ताकि कन्हैया कुमार जैसे लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई हो तो उनको सिटीजन के ऊपर कभी मंजूरी न मिले। ऐसे में जब एमसीडी के केस होते हैं, जब वे डीसीलिंग का केस करना चाहते हैं तो नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किसका वकील खड़ा होगा? एमसीडी को बीजेपी कंट्रोल करती है, लेकिन एमसीडी को अपना वकील खड़ा करने का अधिकार नहीं है। दिल्ली सरकार अपना वकील खड़ा करती है। दिल्ली की ऐसी स्थिति बना रखी है, जिससे हर चीज को फेल करने का काम किया जा सके। उसको सुधारने का काम कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के अंदर दिया गया है। बहुत चालाकी से 239(एए) तो पढ़ा गया, लेकिन 239(एए)(4) नहीं पढ़ा गया। इसके तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऑलरेडी अधिकार है कि किसी भी विषय के ऊपर वह अपनी बात प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है, बिल्स को भेज सकता है और यही नहीं, उसको हर मामले के अंदर रेफरेंस का भी अधिकार है। जब लोग फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में कहते हैं तो मुझे लगता है कि ये अमेरिका से कुछ ज्यादा पढ़कर आ जाते हैं और वहां से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि भारत का ही संविधान भूल जाते हैं। भारत का संविधान फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है। हमारा क्वॉजी फेडरल स्ट्रक्चर है, जहां केन्द्र की महत्ता राज्य की महत्ता से कहीं अधिक होती है। यही कारण है कि भारत इकट्ठा है।

अगर राज्यों को यह अधिकार दे दिया जाए कि भिन्न-भिन्न पार्टी के लोग भिन्न-भिन्न शासन करें तो आपने केरल का उदाहरण देखा होगा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट केस फाइल करता है, क्योंकि वहां पर गोल्ड स्मगलिंग चल रही है और तमाम तरह की रैकेटिंग चल रही है, तब भी वहां पर ईडी के खिलाफ केस कर देते हैं। आप सोचिए, यह फेडरल स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। यह क्वॉजी फेडरल स्ट्रक्चर है, जिसके अन्दर कुछ विषयों के ऊपर केन्द्र की महत्ता हमेशा रहेगी और रहनी भी चाहिए। यह मैं नहीं कह रही हूँ। दिल्ली को लेकर 'बालाकृष्ण रिपोर्ट' है। सन् 1991 की यह बालाकृष्ण रिपोर्ट है। मैं आपके सामने इसकी कुछ लाइन्स पढ़ना जरूर चाहूंगी।

बालाकृष्ण रिपोर्ट ने कहा कि "Full Statehood cannot be extended to NCT of Delhi considering its importance as the seat of Union Government." भारत की राजधानी होने के कारण दिल्ली को कभी भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। यह बात मेरी कही हुई नहीं है, बल्कि यह बात 'बालाकृष्ण रिपोर्ट' में कहीं गई है। इसीलिए कुछ यूनिक फीचर्स हैं, जिसमें एलजी का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। मनीष जी के शब्दों के अनुसार वह एडमिनिस्ट्रेटर है। The model of Government of Union Territory Act, 1963 को फॉलो किया जाना चाहिए। Creation of local Legislative Assembly, Council of Ministers with restricted powers, उसमें रेस्ट्रिक्शन है। जहां पर संसद के अधिकारों की बात आती है तो हम कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव हैं?

हम संसद में बैठे हैं, केन्द्र सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा डे टू डे किसी भी सरकार के फंक्शनिंग पर अधिकार है? इसका जवाब 'नहीं' है। डे टू डे फंक्शनिंग पर किसी भी चुनी हुई सरकार का अधिकार नहीं है, लेकिन यहां पर दिल्ली की राज्य सरकार यह क्लेम करती है कि कुछ भी इंवेस्टिगेट करने का, कुछ भी इंक्वायर करने का और किसी भी हद तक जाने का मेरा अधिकार है, जो उनके पास नहीं है। खासतौर से जब रेस्ट्रिक्टेड पावर्स की बात बालाकृष्ण कमेटी रिपोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में और हाईकोर्ट के जजमेंट्स में कही गई है तो ये अपने

आप उस अधिकार को एज्यूम नहीं कर सकते हैं। यहां पर आपकी मर्जी नहीं, बल्कि दिल्ली के लोगों की मर्जी चलेगी।

जब आप कहते हैं कि 'आप' चुनी हुई सरकार हैं तो मान लीजिए कि हम सब भी चुने हुए लोग हैं। यहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी चुने हुए लोगों की है। यह बैलेंस ऑफ पावर है और इस बैलेंस ऑफ पावर के अन्दर किसी भी राज्य सरकार को अधिकार नहीं है, आम आदमी पार्टी को अधिकार नहीं है कि भाजपा के कार्यों में हस्तक्षेप करे और कामों को रोके।

Executive power to be retained in Union of India. यह रिपोर्ट में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स रिटेन की जाएंगी और केन्द्र के इंट्रेस्ट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अभी दिल्ली में केन्द्र का इंट्रेस्ट क्या है? एक तो यहां पर राजधानी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा पूरे देश के किसानों को मिल गया, लेकिन दिल्ली के किसान को नहीं मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उसको इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया। आपको सब तरफ, सड़कों के ऊपर झुग्गी-झोपड़ी लगाए हुए लोग मिलेंगे, जिनको जबर्दस्ती वहां बैठाया जाएगा और राज्य सरकार उनको नहीं हटाएगी, क्योंकि वह एक वोट बैंक है। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर मिलने वाले थे, वे घर उनको नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि यहां पर राज्य सरकार केन्द्र सरकार के कामों में हस्तक्षेप करेगी। यहां पर 'अमृत' का पैसा लिया जाएगा, लेकिन पटेल नगर में पानी नहीं पहुंचाया जाएगा। चित्रा विहार के अंदर सीवेज आएगा और हौज़खास के अंदर लोग मुझे कहेंगे कि बहन जी, यहां पर आप फेंसिंग करवा दो, हमारे घरों में बहुत शोर आता है, तब मैं कहूंगी कि पी.ड्ब्ल्यू.डी. के पास यह सड़क है और इस पीडब्ल्यूडी की सड़क के लिए जो इनका 19 हजार करोड़ रुपये का बजट है, उसमें वे कुछ करवा सकते हैं। एम.एल.ए. के पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है। सबसे बड़ी बात आप यह समझिए कि सांसद की सांसद निधि एक साल के लिए पांच करोड़ रुपये है और वह भी दो साल के लिए नहीं मिल रही है, लेकिन एक संसदीय क्षेत्र के अंदर दस लेजिस्लेटिव असेम्बली कांस्टीट्वेंसीज हैं। उन दस असेम्बली कांस्टीट्वेंसीज के अंदर एक एम.एल.ए. के पास एक साल में दस करोड़ रुपये होते हैं, जिनका वे इस्तेमाल नहीं करते

हैं। इसका मतलब यह है कि एक साल के अंदर मेरे क्षेत्र में दस एम.एल.ए. के पास दस-दस करोड़ रुपये के हिसाब से 100 करोड़ रुपये होते हैं। अगर आप मेरे लिए 100 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान कर दें तो मैं आपकी बताती हूं कि नई दिल्ली के अंदर पानी-बिजली कैसे पहुंचाई जाती है। उसमें भी, जब वर्ष 2015 में बिजली के ट्रांसफार्मर्स फटे जा रहे थे, उसके लिए पैसा केन्द्र सरकार से मैं मांग कर लेकर गई थी। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें पानी-बिजली की बहुत असुविधा है, आप कुछ पैसा दे दीजिए। वह काम स्पेशल प्रावधान कराकर किया गया, लेकिन उस पर लेबल अरविंद केजरीवाल जी ने अपना लगा दिया। पैसा हमने मांगा, स्पेशल प्रावधान मांगा। यह दिल्ली की स्थिति है। Executive power to be retained in Union of India and additional safeguards to be provided for protecting the Centre's interest in relation to every subject. यह स्कीम है। केन्द्र के जो भी इंट्रेस्ट हैं, उनको यूनियन टेरिटरी के माध्यम से प्रोटेक्ट किया जाएगा। Council of Ministers may aid and advise the administrator. Lieutenant Governor is the administrator. He is not a Governor. He exercises more powers than a Governor. A Governor has to act on the aid and advice. In this case, aid and advice is to the Lieutenant Governor, the exercise of such functions which are delegated to him. However, this aid and advice would not be binding and the LG could form a different opinion. लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिकार है अपना अलग मत रखने का। फाइनल डिसीजन के पहले वह उसको प्रेजिडेंट को भेज सकता है और जब कोई इम्पोर्टेंट परिस्थिति है तो उसमें वह डिसीजन भी ले सकता है। For stability alone, the provision for Delhi may be inserted. कांस्टीट्यूशन के अंदर, कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो अभी किया जा रहा है, उसमें यह जो परमानेंट सवाल है कि दिल्ली राज्य है, यूनियन टेरिटरी है, उसे राज्य का पूर्ण दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके ऊपर क्वाइटस लग जाता है, उस पर एक सील लग जाती है कि भाई, अब ऐसे ही काम होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकार हैं, उनके तहत ही असेम्बली को उसे सपोर्ट करना होगा

और आप इन मान्यताओं से बाहर आइए। आपके पास कोई अधिकार नहीं हैं। आपके पास अधिकार है दिल्ली की जनता का सेवा करने का, आप दिल्ली के मालिक नहीं हैं, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि मैं दिल्ली का मालिक हूं। दिल्ली का मालिक कोई और नहीं, दिल्ली की जनता है, जिसकी सेवा में हम सब खड़े हैं, एमसीडी भी खड़ी है और सांसद भी खड़े हैं। दिल्ली ने हमें भी चुनकर भेजा है। हम भी चुनी हुई सरकार का हिस्सा हैं। हमारे अधिकारों का भी हनन नहीं होना चाहिए। **...(व्यवधान)**

सभापति महोदया, मेरा दर्द दिल्ली की जनता का दर्द है और मुझे दर्द है। मुझे बहुत दर्द है। मुझे दर्द है कि ऐसे **...** * लोग चुनकर दिल्ली में बैठ गए हैं, जिन्होंने दिल्ली को तबाह कर दिया है। जहां पर राशन की दुकानों के अंदर लगातार मिलावट की जाती है, फेयर प्राइस के नाम पर लोगों को राशन नहीं दिया जाता है। इसके बारे में दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल्ड है। यह बात अच्छा किया आपने कि मुझे याद दिलाई।

दिल्ली में कोरोना फैला, किसने फैलाया, आपने। जब पूरा देश एक है और दिल्ली भारत की राजधानी है, यहां आए हुए माइग्रेंट लेबरर्स को भगाने का काम किसने किया, हमने नहीं किया और उनके लिए डीटीसी की बसें लगाई जाती हैं, लेकिन पुलिस को पहुंचाने के लिए डीटीसी की बसें अवेलेबल नहीं है। आपको समझना होगा कि दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल किया और कहा कि जहां 39 हजार टन अनाज केन्द्र सरकार ने दिल्ली को दिया है, वहां पर दिल्ली ने सिर्फ 63 टन अनाज बांटा था। मैं एक सांसद होकर यह बात इस सदन के अंदर कह सकती हूं कि एक दिन के अंदर, मेरे जैसे अन्य सांसदों का भी रिकॉर्ड रहा होगा कि 70-70 टन तो हमने एज एमपीज़ बांट दिया। हमारे पास कोई सरकारी सुविधा नहीं थी। हमने अपने लोगों की मदद से ये सब काम करवाया। दिल्ली की यह हालत है। दिल्ली की हालत है कि केंद्र सरकार से प्याज उठाया जाता है, लेकिन दिल्ली में प्याज ब्लैक किया जाता है। यह दिल्ली की हालत है।

---

* Not recorded.

'प्रधान मंत्री आवास योजना' लागू नहीं की जाती है, 'आयुष्मान भारत योजना' लागू नहीं की जाती है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से स्कीम बताना चाहती हूं कि 239 एए है, उसको आपको 239 एए (4) के साथ पढ़ना पड़ेगा, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकारों को मुकर्रर किया गया है। उसी के आधार पर सेक्शन 44(2) का अमेंडमेंट लाया गया है, जिसमें बताया गया है कि एक्सप्रेशन है - इन द नेम ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी सरकार के मायने तो एनसीटी ऑफ दिल्ली होगा। आप जो सरकारी काम करेंगे, वह लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पर होगा, वही एनसीटी ऑफ दिल्ली है और यही दिल्ली की स्कीम है। जो फार्मूला है और जो डेफिनेशन है, उसके अंदर जो ऑल्टरिंग द डेफिनेशन, यानी सरकार की डेफिनेशन, सरकार की कोई डेफिनेशन बदली नहीं गई है, क्योंकि सरकार की डेफिनेशन ही नहीं है। चूंकि सरकार की डेफिनेशन नहीं है, इसलिए जो पावर्स प्रेजीडेंट के लिए रिजर्व्ड हैं, जो पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर हर मामले पर अपना ओपिनियन देने की है। यह स्कीम तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और उसी स्कीम को स्पष्टता से लागू किए जाने के लिए यह अमेंडमेंट लाया गया है और गवर्नमेंट क्या होगी, उसको डिफाइन किया गया है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूं कि वर्ष 2017 में प्रेजीडेंट के माध्यम से, इसमें पहले वर्ष 2015 में बिल लाया गया - 'The Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services) Amendment Bill, 2015'. इन्होंने उसमें गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है, टर्म गवर्नमेंट को बदलने का प्रयास किया गया। जब वह प्रेजीडेंट के पास भेजा गया तो प्रेजीडेंट ने उस गवर्नमेंट को ओमिट किया, उसको हटाया और उसके बाद यह असेंबली से पास हो सका। उसी प्रकार से नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (NSUT), दिल्ली है, यह वर्ष 2017 की एमएचए की चिट्ठी है, वर्ष 2015 में बिल आया और उसमें भी यही स्थिति खड़ी की गई। उसमें इन्होंने गवर्नमेंट को डिफाइन करने का प्रयास किया और उसको भी हटा कर जब राष्ट्रपति जी द्वारा भेजा गया, तब वह पारित हुआ, यानी इतना टाइम वेस्ट करना। जो काम अमूमन जल्दी से हो सकता है, इसमें गवर्नमेंट मतलब एनसीटी ऑफ दिल्ली करके आप बिल पास

कीजिए। इसलिए आज तक क्योंकि कोई डेफिनेशन नहीं थी, उसमें कन्फ्यूजन पैदा किया गया था और जानबूझकर कन्फ्यूजन पैदा किया गया था, मैं ऐसा मानती हूं। इसको स्पष्टता से अब अमेंड करके यह बताया गया है कि जो एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट का सेक्शन 21 है, उसको बदलकर अब सरकार का मतलब ही इन द नेम ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको करना होगा और वही प्रावधान परमानेंटली रहेगा। इसलिए आए दिन की प्रॉब्लम का यही स्टेच्युटरी सॉल्यूशन है। अब जो बोलते हैं कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी का मतलब मर्डर ऑफ सिटीजन तो नहीं हो सकता है। आप लाल किले के ऊपर चढ़कर झंडे को खराब करने का काम तो नहीं कर सकते हैं या जो खराब कर रहे हैं, उनकी मदद करने का काम तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को लगातार डेसिक्रेट करने का काम जिन लोगों ने किया और पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई न कर पाए तो आप पुलिस को डीटीसी बसें ही नहीं देंगे।

आप ये काम करेंगे! क्या इसके लिए आपने दिल्ली की जनता की परमिशन ली थी? Murder of democracy का मतलब murder of its honest citizens नहीं होता है। सुचारू रूप से दिल्ली में कार्रवाई चले, सभी काम आराम से हो सकें, इसी के लिए दिल्ली की जनता ने सभी को वोट्स दिए हैं। जब लोग कोऑपरेटिव फेड्रलिज्म की बात करते हैं, तो कोऑपरेटिव तरीके से काम किया जाना चाहिए। जहां पर कोऑपरेटिव तरीके से काम नहीं किया जाएगा, वहां पर जवाबदेही आपकी है, हमारी भी जवाबदेही है। हमारी जवाबदेही ज्यादा है, क्योंकि हम सेंटर में बैठे हैं, इसलिए उसको सुधारने का काम भी हमारा ही है। ऐसा हमें संविधान ने अधिकार दिया है, आपने यह अधिकार नहीं दिया है। आपके अधिकार लेने-देने से कुछ नहीं होता है। “This will impede development and progress of NCT of Delhi by enhancing the powers of LG.” एलजी को पावर हम नहीं दे सकते हैं। एलजी की पावर क्या है, वह संविधान ने मुकर्रर किया है। लेंफ्टिनेंट गवर्नर की पावर, हमारे मित्र शायद गलती से बोल गए कि वह एडमिनिस्ट्रेटर हैं, गवर्नर नहीं हैं। गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइज पर काम करना है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर को असिस्ट मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ने करना है, अगर यह अंतर समझ आ

जाता तो यह द्वंद ही नहीं होता। बात यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का अधिकार क्षेत्र एडमिनिस्ट्रेटर वाला है और उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स और एडमिनिस्ट्रेटर पावर्स दोनों वेस्ट करती हैं। इसलिए वह सुपरविजन ऑन एग्जीक्यूटिव पावर भी होगा।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : हम यह जानना चाहते हैं कि लोग बोलने के बाद क्यों चले जाते हैं**?** कम से कम एक दूसरे की बात को सुनें।

श्री मनीष तिवारी: सभापति महोदया। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अच्छा**!** आप वहां जाकर बैठ गए हैं। जितनी बातें हो रही हैं, उसमें आपको सुधार समझ में आ रहा है कि कितनी गलतियां आप लोगों के द्वारा हुईं।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : सभापति महोदया जी, मेरी बात उन तक पहुंच रही है। वे सिर्फ चेहरा नहीं दिखा रहे हैं।...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदया को मनीष तिवारी जी नहीं दिख रहे हैं, उन्हें सभापति महोदया को दिखना भी चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : वह खंभे के पीछे जा कर बैठ गए हैं।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : सभापति महोदया, वे खंभे के पीछे जा कर बैठे हैं।...(व्यवधान) वे खंभे के पीछे जा कर अपना चेहरा छुपा रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : हमें ध्यान रहता है कि आप सही बोले या मीनाक्षी जी सही बोल रही हैं। हमें कम्पेयर करना होगा।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : सभापति महोदया, न राज्य सरकार के अधिकारों को बदला गया है और न ही लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकारों को बदला गया है, दोनों के अधिकार बराबर हैं, मतलब डिफाइन्ड हैं। केवल और केवल उसका स्पष्टीकरण दिया गया है कि अगर यह संविधानिक स्कीम

है, तो आज से आप कैसे काम करेंगे। उस काम के अंदर यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जहां पर भी कांफ्लिक्ट होगा तो कैसे रिजॉल्व होगा, कांफ्लिक्ट नहीं है, तो क्या होगा, राष्ट्रपति जी के पास कौन-सी चीजें जाएंगी और क्या?

मैं एक और बात अपने सभी मित्रों को बताना चाहती हूं कि क्या आप सोच सकते हैं कि किसी भी लेजिस्लेटिव असेम्बली के अंदर ऐसा नियम बनाया जाए, जहां पर संसद के नियमों का उल्लंघन हो? आप सोचिए। वर्ष 2017 में दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेम्बली में जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं और डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ वर्क रूल्स हैं, उनको अमेंड कर दिया गया। आप ऐसा सोच सकते हैं, कोई राज्य सरकार ऐसा करती है! ये अनार्किस्ट हैं। आप किस किस्म के लोगों से डील कर रहे हैं, आपको समझना होगा। कौन-सी लेजिस्लेटिव असेम्बली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के रूल्स बदल सकती है? इसको क्लैरिफाई किया गया है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के नियमों को असेम्बली नहीं बदल सकती है और दिल्ली की असेम्बली तो बिल्कुल ही नहीं बदल सकती है।...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान (संगरूर): हम चुन कर यहां आए हैं।...(व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : आप बैठ जाइए। हम भी यहां चुन कर आए हैं।...(व्यवधान) हमें आपसे ज्यादा वोट्स मिले हैं।...(व्यवधान)

आपको चुने जाने से पहले यह पता कर लेना चाहिए था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वाला राज्य है या गवर्नर वाला राज्य है, तो शायद यह कंफ्यूजन खत्म हो जाता।...(व्यवधान)

हम नहीं हारते हैं, लेकिन आपको हारने का बहुत अनुभव है।...(व्यवधान) इन्होंने हारने की बात कही है तो मुझे लगता है कि एक चुटकुला सुना दिया जाए।

एक बार हमारी इंडिया की क्रिकेट टीम अपना क्रिकेट मैच हार गई, तो कोहली ने ... * को फोन किया और कहा कि आपको तो हारने का बहुत अनुभव है, तो जरा मुझे बताइए कि लोगों को

---

* Not recorded.

कैसे फेस करूं । उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, आप बोलिए कि हम लोगों को डिजिटल बोर्ड नहीं चाहिए, हमें पुराने वाले बोर्ड्स चाहिए, ताकि हम उसे मैनुअली बदल सकें। ये बोर्ड की गलती है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सांसद नाम मत लीजिए। ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : माननीय सभापति, इस काम्प्लेक्सिटी के लिए अगर मैं दिल्ली की डिटेल्स में जाऊं, तो शायद यहां बैठे हुए लोगों को यह समझ नहीं आएगा कि कैसी जगह है। ड्यूसिव डीडीए बनाता है और डीडीए किसके अंदर काम करता है, तो यह केन्द्र सरकार की मिनिस्ट्री अर्बन डेवलेपमेंट के तहत काम करता है। वह दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड मतलब झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर को देखने के लिए उसकी मियाद 10 साल की थी, वह बढ़ती चली जाती है। वह दिल्ली सरकार के तहत काम करते हैं और कोई काम नहीं करता है, यह आप सबके सामने है।

माननीय सभापति: आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

…(व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : सभापति महोदया, मैंने पहले ही फूड डिस्ट्रिब्यूशन के बारे में बताया है कि राशन की दुकानों पर क्या-क्या चीजें हुई। सरकार कोई भी हो चाहे वह राज्य सरकार हो या कोई और हो, वह दूसरी सरकार के कामों को हाईजैक नहीं कर सकती है। दिल्ली में रहने वाले रेजिडेंट्स और भारत के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमें चुना गया है। हम सेवक हैं, हम मालिक नहीं हैं, यह बात सबको क्लीयर होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने आप को दिल्ली का मालिक बोलते हैं, ऐसा उन्होंने पब्लिकली स्टैंड लिया हुआ है।

सेवक होने के नाते जो कॉपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के साथ मिलकर आप सरकार चलाइए। आपको किसने मना किया है। आप असेंबली में वह नियम पारित करें, जो दिल्ली की जनता के महत्व के हैं। आप लोगों को पानी, बिजली, ट्रांसफॉर्मर्स, अच्छे से पढ़ाई आदि की सुविधाएं दें। यह झूठमूठ के मोहल्ला क्लिनिक में पैसे खराब करने के बजाय 'आयुष्मान भारत योजना' लागू कर दें। आप वह लागू नहीं कर रहे हैं।

इसलिए कॉपरेटिव फेडरलिज्म दिया गया है और जो सीएए, एंटी सीएए और फार्मर्स के नाम पर जो प्रोटेस्ट हुए हैं, उन्होंने दिल्ली सरकार का आम आदमी पार्टी सरकार का असली चेहरा दिखा दिया है। उस चेहरे को बेनकाब करने का काम लेजिस्लेटिव असेंबली के माध्यम से जिस तरीके की चीजें इन्होंने की है, उसके लिए यह अमेंडमेंट लाना बहुत जरूरी था, ताकि यह स्पष्टीकरण हो जाए कि दिल्ली के लिए जिम्मेवार कौन है और काम किस तरीके से किया जाएगा।

अनकॉन्सटीट्यूशनल की बात करने वाले और कॉवर्ड तथा साइकोपैथ जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं उन्हें यह बताना चाहती हूं कि अनकॉन्सटीट्यूशनल कानून नहीं है, क्योंकि कानून भी पढ़ा है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी अच्छी तरह से रिसर्च किए हैं। अनकॉन्सटीट्यूशनल भाषा है, जिसमें भारत के चुने हुए प्रधान मंत्री जी के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री इन शब्दावली का प्रयोग करते हैं। अमेंडमेंट टू द बिल चाहे वह वर्ष 1987 की बालाकृष्णा कमेटी की रिपोर्ट हो, जब हम लोग शासन में नहीं थे। दूसरी वर्ष 2002 की एक चिट्ठी है, जिसके माध्यम से उस समय की सरकार ने दिल्ली को बताया था कि सरकार का मतलब क्या होगा? सरकार का मतलब यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, यह उस समय की सरकार ने दिल्ली सरकार को बताया है।

मैं अपनी बात को समाप्त करने के क्रम में एक और बात बताना चाहती हूं कि तीन चीजें हैं, जिनके खिलाफ आप नियम नहीं बना सकते हैं। पहला यह कि हाई कोर्ट की पावर्स हैं, उसके खिलाफ आप नियम नहीं बना सकते हैं। जिसमें प्रेसीडेंट की पावर्स रिजर्व्ड हैं, राष्ट्रपति की पावर्स पर किसी का नियम नहीं चल सकता है, वह राष्ट्रपति की पावर्स हैं, Dealing with salaries and allowances of the Speaker, Deputy-Speaker and Members of the Assembly and Ministers जैसे मैंने बताया कि 10-10 करोड़ रुपये हैं और उसका कोई काम दिखाई नहीं देता है। Relating to official languages of the Assembly of NCT of Delhi की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी? लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या होगा?

61वाँ अमेंडमेंट बालाकृष्णा रिपोर्ट के माध्यम से दिया गया था। बालाकृष्णा रिपोर्ट में बिल्कुल सही जानकारी है कि यह काम किस प्रकार से किया जाए। जो सॉवरेन लेजिस्लेटिव और

एग्जिक्यूटिव पॉवर्स हैं, वे स्टेट के पास हैं, उनमें पार्लियामेंट के अधिकार को भी डिफाइन किया गया है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती-जाती रहे, लेकिन दिल्ली की जनता को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए यह अमेंडमेंट लाया गया है।

जो एग्जिक्यूटिव पॉवर्स हैं, उनमें उनका क्या एक्सटेंट है, आप किस हद तक नियम बना सकते हैं, किस हद तक कानून बना सकते हैं, क्या भारत की संसद के नियमों का आप उल्लंघन कर सकते हैं, इन बातों को क्लैरिफाई किया गया है ताकि जो लोगों की स्पेशल रेस्पांसिबिलिटीज हैं, वे उनको ठीक से डिस्चार्ज कर सकें और दिल्ली के प्रति जिम्मेवारी से काम हो सके।

काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का लेजिस्लेटिव असेम्बली के प्रति क्या एसिस्टिव रोल है? सेक्शन 49 में यह डिफाइन्ड है। जो इलैक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल्स हैं, उसको इन्होंने कैसे रोका था, उसको भी इसमें बाद में, वर्ष 2020 में री-इम्प्लीमेंट किया गया। जो भी एम्बिग्युटीज थीं, जो भी घालमेल था, उसको तार-तार करके, साफ करके दिल्ली को प्रस्तुत किया जा रहा है, इस सभा के माध्यम से देश को प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि दिल्ली में रहने वाले भारत के तमाम निवासी, देश से आने वाले सभी लोग और दिल्ली के नागरिकों की समस्याओं का हल हो। हम सब दिल्ली के सेवक हैं, हम मालिक नहीं हैं। दिल्ली के प्रति जवाबदेही सिर्फ आपकी है, ऐसा नहीं है, हम सबकी जवाबदेही है। केन्द्र को मजबूरी में हस्तक्षेप करना पड़ता है क्योंकि जब लाशों के अम्बार खड़े हो गए, जब लोगों को खाना मिलना बंद हो गया, माइग्रेंट लेबरर को इस तरह से भगाया गया, जैसे वे कोई विदेशी घुसपैठिए हों, तो केन्द्र सरकार को इन सब चीजों के लिए काम करना पड़ा। इसीलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की पॉवर्स को मेनटेन करने का काम इस कानून ने किया है।

मैं इसका समर्थन करती हूँ और मैं माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि समयानुसार आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं।

धन्यवाद।

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR (VIZIANAGARAM): Madam, thank you very much for allowing me to speak on this important Bill on behalf of my Party, YSRCP.

The Bill amends the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 which provides a framework for the functioning of the Legislative Assembly and the Government of the National Capital Territory of Delhi.

The Government, through this Bill, is ensuring that the National Capital Territory has the highest standards of living, better citizen services and better infrastructure, and that they become models of good governance and development for the rest of the country to follow. It is consistent with the status of Delhi as a Union Territory. It addresses the ambiguities in the interpretation of the legislative provisions. It ensures that the Lieutenant Governor exercises the power entrusted to him under Article 239 AA of the Constitution.

Following the announcement of the *Atmanirbhar Bharat Abhiyan,* all efforts are being made to ensure an effective and outcome-oriented implementation of developmental programmes of the Government of India. The Bill provides for `Ease of Doing Governance' in the Capital.

The Bill will promote harmonious relations between the Legislature and the Executive. It will define the responsibilities of the elected Government and the Lieutenant Governor in line with the constitutional scheme of governance of the National Capital Territory of Delhi, as also interpreted by the hon. Supreme Court. We welcome this, Madam.

I am confident that the amendments proposed in the National Capital Territory of Delhi Act, 1991 will provide for better infrastructure development, tourism growth, and ramp up the security of the Capital.

Thank you, Madam.

16.00 hrs

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदया, The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021 – मैं इस बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदया, इस बिल के माध्यम से परम पूज्य बाबासाहेब अंबेडकर जी के प्रयासों से अपने देश में जो लोकशाही का निर्माण हुआ, उस लोकशाही की हत्या दिल्ली से शुरू हुई है। …(व्यवधान) महाराष्ट्र में जो हुआ, वह सबको मालूम है, सुबह उसके बारे में बताया था। …(व्यवधान) ये कानून के बारे में बता रहे हैं? दुर्भाग्य की बात है, जिसे सब सुनिए। पिछले 30 वर्षों से कई प्रयास करने के बाद भी दिल्ली में दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी शासन नहीं कर सकी, इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से शासन करने का प्रयास इस विधेयक के माध्यम से हो रहा है। …(व्यवधान)

सभापति महोदया, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। …(व्यवधान) यह बिल लाते वक्त बिल में मेंशन किया कि संशोधित बिल के अनुसार विधान सभा का कामकाज लोक सभा के नियमों के हिसाब से चलना चाहिए, यानी विधान सभा में जो व्यक्ति मौजूद नहीं है या उसका सदस्य नहीं है, उस व्यक्ति की आलोचना नहीं हो सकती। इस बिल पर बात करते वक्त भारतीय जनता पाटी की सम्माननीय सदस्या ने दिल्ली के जिस व्यक्ति का नाम लिया है, उन्होंने इस बिल का उल्लंघन किया है। …(व्यवधान) एक तरफ दिल्ली का बिल लाते हैं, जिसे लोग फॉलो करें, उसका अनुकरण करें और आप ही इस बिल पर भाषण देते वक्त कानून तोड़ने का काम कर रही हैं? …(व्यवधान)

माननीय सभापति : नाम निकाल दिया गया है।

…(व्यवधान)

श्री विनायक भाउराव राऊत : सभापति महोदया, दो बार नाम लिया है। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: दोनों बार नाम निकाल दिया गया है।

…(व्यवधान)

श्री विनायक भाउराव राऊत: सभापति महोदया, ठीक है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आपकी सतर्कता के कारण नाम निकल गया, लेकिन उन्होंने नाम तो लिया ही था। …(व्यवधान) मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा। एक और शब्द पर मेरा आक्षेप है। उन्होंने कहा कि …* चुनकर आए हैं, दिल्ली में … * चुनकर आए हैं। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: वह भी हटा दिया गया है।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: इसे भी रिकॉर्ड से हटा दिया जाए।

…(व्यवधान)

श्री विनायक भाउराव राऊत: सभापति महोदया, ठीक है, आप हटाने का काम करते हैं, लेकिन ऐसे शब्द का उच्चारण करते समय सम्माननीय सदस्या को मतदाताओं का अपमान न हो, इसकी तरफ तो ध्यान देना चाहिए था? …(व्यवधान) यह दिल्ली की जनता का अपमान है। उन्होंने चुनावों के माध्यम से वर्तमान सरकार को चुना है, कन्टीन्यूअसली दो बार चुना है। …(व्यवधान) काम क्या होता है, कैसे होता है, यह मुझे नहीं मालूम है। दुर्भाग्य से दिल्ली की सरकार के लिए यह कहा गया है। …(व्यवधान) सरकार शब्द का निर्माण संविधान ने किया है। उस संविधान को हटाकर वहां एलजी का नाम लगाया गया है। इसके दुष्परिणाम क्या होंगे?

आज मुझे यह बताते हुए दु:ख हो रहा है कि दादर और नागर हवेली के एलजी की वजह से इस सभाग्रह के एक सांसद, जो सात बार चुनकर आए थे, उनको खुदखुशी करनी पड़ी। …(व्यवधान) उन्होंने अपने सुसाइड-नोट में लिखा कि दादर और नागर हवेली के एलजी कैसे मुझे

---

* Not recorded.

तकलीफ दे रहे हैं, कैसे मुझे परेशान कर रहे हैं। …(व्यवधान) दुर्भाग्य की बात है कि श्री मोहनभाई देलकर जी ने पेटीशन कमेटी के सामने सबको बोला कि यदि यह सब नहीं रुका, तो मुझे खुदखुशी करनी पड़ेगी। …(व्यवधान) एजी हो या एलजी हो, विधान सभा की अपनी स्वायत्ता होती है। लोकशाही में लोक सभा जैसे सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही विधान सभा राज्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। राज्य के हित के लिए कानून बनाना विधान सभा का काम है और देश को चलाना, देश के हित के लिए कानून बनाना लोक सभा का काम है। इसीलिए, लोक सभा का कर्तव्य है कि वह विधान सभा का संरक्षण करे और जितने भी स्वराज्य संस्थाएं हैं, चाहे वह ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो या नगर पालिका हो, इन सब संस्थाओं का संरक्षण करना लोक सभा का कर्तव्य है। लोक सभा को इस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि लोक नियुक्त प्रतिनिधि अपना काम कर सकें, अपना कर्तव्य निभा सकें। लोकशाही के खिलाफ हो, जनता के खिलाफ हो, अगर विधान सभा के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उसे कंट्रोल करने की जिम्मेदारी न्यायपीठ की है।

लोक सभा में पारित होने वाले कानूनों का विशलेषण करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पीठ है, वैसे ही राज्य की विधान सभा यदि कुछ गलत करती है, तो कानून में उसके लिए भी प्रावधान कर के रखा गया है। महोदया, मुझे ऐसी शंका आ रही है कि क्या हम ब्रिटिश राज की तरह काम कर रहे हैं?

माननीय सभापति : नहीं**,** ऐसी बात नहीं है।

श्री विनायक भाउराव राऊत: महोदया, एक लोक प्रतिनिधि की अवमानना करके जब वहां प्रशासक बैठाएंगे और दुर्भाग्य से बायस माइंड से वह प्रशासक कार्य करेगा, तो कैसे सही काम हो सकता है? वह सोच कर चलेगा कि विधान सभा जो कानून तैयार करेगी, उसके ऊपर वह कट मारेगा। किसी भी मंत्रालय में कोई भी निर्णय लिया जाएगा, उसको रोका जाएगा। इस बिल का दुष्परिणाम होगा कि दिल्ली विधान सभा कोई निर्णय नहीं ले सकेगी, दिल्ली का कोई भी मंत्री निर्णय नहीं ले सकेगा। यदि उसे कोई निर्णय लेना होगा, तो एलजी के पास जाना होगा। आज

लोकशाही खत्म करके प्रशासकों को बढ़ावा देने का काम इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है, इसलिए मैं इस बिल का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): महोदया, आपने मुझे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दिल्ली सरकार की पॉवर्स को सीज करने वाले बिल पर बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आभारी हूं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को लगातार ध्वस्त करने का काम केंद्र सरकार बार-बार कर रही है। लोकतंत्र में लोक सभा हो या विधान सभा हो, लेजिस्लेचर की सबसे बड़ी एकाउंटेबिलिटी होती है लेकिन आज जो बिल लाया गया है यह साफ दर्शाता है कि जो डिसेंट्रेलाइजेशन ऑफ पॉवर्स है, जो हमारे संविधान में दिया गया है, जो हमारे लेजिस्लेचर को एकाउंटेबिलिटी दी गई है, उस एकाउंटेबिलिटी को खत्म करके एक व्यक्ति को पॉवर देने का काम किया जा रहा है। आप इसे अपने दल में कर सकते हैं, लेकिन देश के संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। हो सकता है कि आपका कोई व्यक्तिगत मतभेद दिल्ली के मुख्यमंत्री से रहा हो और यह जगजाहिर है। उन्होंने बहुत कोशिश की और नए चुनाव होने के बाद आपकी गोद में आकर बैठे थे। इसीलिए कन्हैया कुमार, एक स्टूडेंट लीडर के खिलाफ चार्जशीट का क्लीयरेंस दिया था। इसीलिए जो नार्थ-ईस्ट में दंगे हुए, उनमें उन्हें जो भूमिका निभानी चाहिए थी, वह नहीं निभाई। इसीलिए कोरोना काल में सबसे पहले प्रेस कांफ्रेंस करके कहा कि कोरोना दिल्ली के मरकज से फैल रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगाई। उसके बाद भी दिल्ली के मुख्य मंत्री ने आपके साथ मिल जुलकर चलने की कोशिश की थी। हम जानते हैं कि उनकी गलती थी। आपकी नीयत देश में लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म करने की है, इसलिए आप यह बिल लेकर आए हैं। मुझसे पहले अभी सत्ता पक्ष की सांसद बोल रही थीं कि यहां दिल्ली में दस करोड़ रुपये एमएलए लैड फंड है और एक एमपी के अंडर दस एमएलए आते हैं, लेकिन तब भी आपको ***…* *** नहीं आ रही है और आपने देश के सभी एमपीज का एमपी लैड फंड खत्म कर दिया। कम से कम आप इनसे कुछ अच्छा सीख लो। आपको यह फंड तो बहाल कर देना चाहिए था।

---

* Not recorded.

महोदया, हम उत्तर प्रदेश से सांसद जरूर हैं, लेकिन हमने शिक्षा दिल्ली में ग्रहण की है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली का स्टूडेंट रहा हूं और साथ ही स्टूडेंट लीडर भी रहा हूं। मुझे याद है कि जब हम पढ़ते थे तो सबसे ज्यादा शोर मचाने का काम कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, माननीय आडवाणी जी और मदन लाल खुराना जी किया करते थे और गली-गली घूमा करते थे। आज आप बिल्कुल उसका उल्टा कर रहे हैं। दिल्ली के जो अधिकार हैं, उनको आप सीज़ करने का काम कर रहे हैं।

माननीय सभापति: कृपया जल्दी बात समाप्त कीजिए। कई अन्य माननीय सदस्य भी हैं।

कुंवर दानिश अली : माननीय सभापति महोदया, यह कहां का न्याय है कि दिल्ली के अंदर विधान सभा अगर कोई लेजिस्लेशन लाना चाहती है, तो उसके लिए पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर से अनुमति ली जाएगी। हम जानते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और गवर्नर्स कैसे बिहेव करते हैं। जब दूसरे राज्यों में सरकारें गिराई जाती हैं तब वे कैसे बिहेव करते हैं, हमें अच्छी तरह याद है। माननीय राजनाथ सिंह जी यहां बैठे हैं और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई जी कितनी बार स्टेट्स के गवर्नर्स के खिलाफ राष्ट्रपति भवन में धरने पर जाकर बैठे थे। उस समय केंद्र सरकार के इशारे पर गवर्नर्स को कठपुतली बताया गया। आज ऐसा क्या हो गया कि पूरी दिल्ली का भविष्य आप एक एलजी के हाथ में दे रहे हैं। यह बिलकुल न्यायसंगत नहीं है और दिल्ली की जनता के साथ आप धोखा कर रहे हैं। जिस दिल्ली की जनता ने बार-बार भारतीय जनता पार्टी को विधान सभा में जिताया था और लोक सभा के चुनावों में लगातार जिताया है, लेकिन यदि दिल्ली विधान सभा में किसी दूसरी पार्टी ने सरकार बना दी, तो इतनी द्वेष-भावना से दिल्ली की जनता के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सीएए और एनआरसी का जिक्र सत्ता पक्ष की माननीय सांसद की तरफ से किया गया, लेकिन क्या हुआ? जिन्होंने दिल्ली के चुनाव में नारे लगाए थे कि गोली मारो, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। …(व्यवधान) आपके मंत्रियों ने नारे लगाए थे कि गोली मारो, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपकी

पार्टी के एक नेता, जिसकी वजह से दिल्ली में दंगा हुआ, आज तक उस … * के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और आप दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीनने का काम करते हैं । आम आदमी पार्टी ने आपके साथ मिलकर अपने कॉर्पोरेटर को निष्काषित किया ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप इतना मत चिल्लाइए और अपनी बात समाप्त कीजिए । ये सारी बातें रिकार्ड में नहीं जाएंगी ।

…(व्यवधान)… *

کنور دانش علی (امروہہ): محترم چیرمین صاحب، آپ نے مجھے راشٹریئے راجدھانی شیتر کے دہلی کی پاورس کو سیز کرنے والے بِل پر بولنے کا موقع دیا، میں اس کے لئے آپ کا شکر گزار ہوں۔ یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ بابا صاحب بھیم راوٗ امبیڈکر کے آئین کو لگا تار دھوست کرنے کا کام مرکزی سرکار بار بار کر رہی ہے۔ جمہوریت میں لوک سبھا ہو یا وِدھان سبھا ہو، لیجِسلیچر کی سب سے بڑی اکاوٗنٹیبلیٹی ہوتی ہے، لیکن آج جو بِل لایا گیا ہے، یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ جو ڈیسینٹرلائزیشن آف پاورس ہے، جو ہمارے آئین میں دیا گیا ہے، جو ہمارے لیجسلیچر کو اکاوٗنٹیبلیٹی دی گئی ہے، اس اکاوٗنٹیبلیٹی کو ختم کرکے ایک آدمی کو طاقت دینے کا کام کیا جا رہا ہے۔ آپ اسے اپنی پارٹی میں کر سکتے ہیں، لیکن ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ مت کیجیئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی انفرادی اختلافات دہلی کے وزیرِ اعلیٰ سے رہا ہو اور یہ جگ ظاہر ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی اور نئے انتخابات ہونے کے بعد آپ کی گود میں آکر بیٹھے تھے۔ اس لئے کنہیا کمار کا، ایک اسٹوڈینٹ لیڈر کے خلاف چارج شیٹ کا کلیرینس دیا تھا۔ اس لئے نارتھ ایسٹ

* Not recorded.

میں دنگے ہوئے، اس میں انہوں نے جو رول ادا کرنا چاہئیے تھا وہ نہیں کرا۔ اس لئے کورونا کال میں سب سے پہلے پریس کانفرنس کرکے کہا کہ کورونا دہلی کے مرکز سے پھیل رہا ہے، اور مانئیے سپریم کورٹ نے بھی لتاڑ لگائی ۔ اس کے بعد بھی دہلی کے وزیرِ اعلیٰ
نے آپ کے ساتھ مل جُل کر چلنے کی کوشش کی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کی غلطی تھی۔ آپ کی نیت ملک میں جمہوری حقوق کو ختم کرنے کی ہے، اس لئے آپ یہ بِل لے کر آئے ہیں۔ مجھسے پہلے ابھی حکمراں جماعت کی ممبر بول رہی تھیں کہ یہاں دہلی میں دس کروڑ روپئیے ایم۔ایل۔اے۔ لیڈ فنڈ ہے اور ایک ایم۔پی۔ کے اندر دس ایم۔ایل۔ایز آتے ہیں، لیکن تب بھی آپ کو (کاروائی میں شامل نہیں) نہیں آ رہی ہے اور آپ نے ملک کے سبھی ایم۔پیز کا ایم۔پی۔ لیڈ فنڈ ختم کر دیا ہے۔ کم سے کم آپ ان سے کچھ اچھا سیکھ لو۔ آپ کو یہ فنڈ تو بحال کر دینا چاہئیے تھا۔

محترمہ چیرمین صاحبہ، ہم اتر پردیش سے ممبر آف پارلیمنٹ ضرور ہیں، لیکن ہم نے تعلیم دہلی میں ہی حاصل کی ہے۔ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی، نئی دہلی کا طالب علم رہا ہوں، اور ساتھ ہی اسٹوڈینٹ لیڈر بھی رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھےتو سب سے زیادہ شور مچانے کا کام دہلی کو مکمل ریاست کا درجہ دیا جائے، محترم اڈوانی جی اور مدن لال کھورانہ جی کرتے تھے اور گلی گلی گھوما کرتے تھے۔ آج آپ بالکل اسے برعکس کر رہے ہیں۔ دہلی کے جو حقوق ہیں، ان کو آپ سیز کرنے کا کام کر رہے ہیں۔

محترمہ چیرمین صاحبہ، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ دہلی کے اندر وِدھان سبھا اگر کوئی لیجِسلیشن لانا چاہتی ہے، تو اس کے لئے پہلے لیفٹینینٹ گورنر سے اجازت لی جائے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ لیفٹینینٹ گورنرس اور گورنرس کیسے برتاوٗ کرتے ہیں۔ جب دوسری ریاستوں میں سرکاریں گرائیں جاتی ہیں تب وہ کیسے برتاوٗ کرتے ہیں، ہمیں اچھی طرح یاد ہے۔ محترم راجناتھ سنگھ جی یہاں بیٹھے ہیں اور مرحوم اٹل بہاری باجپئی جی کتنی بار اسٹیٹس گورنرس کے خلاف راشٹرپتی بھون میں دھرنے پر جا کر بیٹھے تھے۔ اس وقت مرکزی سرکار کے اشارے پر گورنرس کو کٹھپتلی بتایا گیا۔ آج ایسا کیا ہو گیا کہ پوری دہلی کا مستقبل آپ ایک ایل۔جی۔ کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں۔ یہ بالکل نیائے سنگت نہیں ہے اور دہلی کی عوام کے ساتھ آپ دھوکہ کر رہے ہیں۔ جس دہلی کی عوام نے بار بار بھارتیہ جنتا پارٹی کو اسمبلی میں جتوایا تھا اور لوک سبھا کے انتخابات میں لگاتار جتوایا ہے، لیکن اگر دہلی اسمبلی میں کسی دوسری پارٹی نے سرکار بنا دی، تو اتنے بدلے کی بھاونا سے دہلی کی عوام کے ساتھ ایسا برتاوٗ مت کیجیئے۔

محترمہ چیرمین صاحب، میں آپ کے ذریعہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سی۔اے۔اے۔ اور این۔آر۔سی۔ کا ذکر حکمراں جماعت کی معزّز ممبر آف پارلیمنٹ

نے کیا ، لیکن کیا ہوا؟ جنہوں نے دہلی کے چناوٗ میں نارے لگائے تھے کہ گولی مارو، ان کے خلاف تو کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ (مداخلت)۔۔ آپ کے منتریوں نے نارے لگائے تھے کہ گولی مارو، لیکن آج تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ آپ کی پارٹی کے ایک نیتا جس کی وجہ سے دہلی میں دنگا ہوا، آج تک اس (کاروائی میں شامل نہیں) کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور آپ دہلی

سرکار کے حقوق کو چھین لینے کا کام کرتے ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے ساتھ مل کر اپنے کارپوریٹر کو نشکاسِت کیا (مداخلت)....

(ختم شد)

माननीय सभापति: श्रीमती सुप्रिया सुले जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: सुप्रिया जी, आपका टाइम जा रहा है।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती): मैडम, ऐसा नहीं हो सकता है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: ऐसे चिल्लाने से काम नहीं होता है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, तब इतनी गोलियां चली थीं कि लोग क्षत-विक्षत हो गए थे। आप यह नहीं बोलते हैं कि दिल्ली सरकार में क्या-क्या हुआ था?

…(व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): मैडम, आप चेयर पर बैठी हुई हैं। …(व्यवधान)…*

माननीय सभापति: कृपया शांत रहिए और बात खत्म कीजिए। मैंने आपको पर्याप्त टाइम दिया है।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: सही बात सुनने के लिए हम चेयर पर बैठे हैं। सही बात सुनने के लिए सदन है, गलत बात सुनने के लिए नहीं है। आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। आप कृपया बैठ जाइए। सुप्रिया जी, आप बोलिए।

…(व्यवधान)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : The House has to be in order. इतना इम्पॉर्टेंट बिल है। बीजेपी के लोग भी बोलने लगे हैं। ट्रेजरी बेंच भी अब बोलने लगी है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: रितेश पांडेय जी, कृपया बैठ जाइए। बेनीवाल

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Madam, I stand here to oppose the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021.

आज मनीष जी और मीनाक्षी जी, दोनों का बहुत अच्छा भाषण सुनने को मिला, बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला। दो लॉयर बोल रहे थे, लेकिन मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से विनती करूँगी कि वे इसका एक पॉइंटेड क्लैरिफिकेशन दें। It is because, there is a complete contradiction in how it has been interpreted. So, I need a clarification. It is a specific, pointed question to the hon. Minister. She has said in her speech where she has corrected Mr. Manish Tewari. I would not read the first two lines; I will read what is relevant to you. It says: “The status of NCT of Delhi is *sui generis*, a class apart, and the status of the Lieutenant Governor of Delhi is not that of a Governor of a State, rather he remains an Administrator, in a limited sense, working with the designation of LG.” So, his role is of a limited sense. So, can you clarify it? It is because there is a contradiction in what he has said which we have interpreted in English *vis-à-vis* what your hon. Member from the BJP has said. So, I think, the Minister would be the right and appropriate authority to clarify to this nation whether he is an LG. It is because, then, as an administrator, she said, his rights are slightly different. Whatever little that we understand, what Meenakashi *ji* said is very true, हम थोड़े दिन के लिए दिल्ली में आते हैं और जो भी यहाँ का मेनेजमेंट है, जो उन्होंने पानी, बिजली के बारे में कहा, I understand where you are coming from, there are two or three questions which I would like to ask as a novice to you. You talked about Delhi’s management of water, about electricity कि बिजली केंद्र सरकार देती है, लेकिन

फोटो सीएम का लगता है। यह तो हर जगह होता है। हमारे टाइम में भी हुआ करता था, अलग-अलग राज्य होते हैं। But what was very interesting for me, दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक नहीं, शायद दो या तीन बार बड़ी मेजोरिटी से सत्ता में आई है, तो वे कुछ तो ढंग का करते होंगे और जो बहुत ही रोचक है, जिसके बारे में दानिश भाई ने भी कहा कि यहाँ के एमएलएज को 10 करोड़ रुपये देते हैं। अभी कोविड में हमारे तो 12 करोड़ रुपये एमपीलैड्स फण्ड के काटे गए हैं। महाराष्ट्र में 5 करोड़ रुपये दिए गए हैं, दिल्ली में 10 करोड़ रुपए दिए हैं। इतना पैसा अगर एक स्टेट दे सकता है, जब हमारे जीएसटी का पैसा नहीं आया है तो कुछ तो दिल्ली सरकार दिल्ली में ठीक कर रही होगी। It is complimentary. और 10 एमएलए हैं तो 100 करोड़ हो गया। Meenakashi *ji* is a very good friend of mine. I did not heckle and I never heckle her. So, just hear me out.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : That is precisely the point that what we get as Rs.5 crore, you can see the impact. But it is Rs.100 crore for the same area and there is no impact. People are crying. People are coming and asking questions to me that get this done, get that done and I have no money. The money vests with the State Government where MLAs are non-performers. That is the point.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: I appreciate that. I think, you should raise it with the hon. Finance Minister during the discussion on the Finance Bill. It is because if she gives us Rs.5 crore, we can all spend it as MPLADS in our constituency.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : Not with the LG because these are the works of Delhi Administration and the Administration should do that. Roads

have to be made. Water needs to be supplied irrespective of who is in the Government.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : Well, I appreciate what you are saying but the point is this. The fact that they get elected with such a large majority, कुछ तो ढंग का करते होंगे, इतना भी नहीं है । I think, it is very unfair. It is because, I think, out of 70 assembly seats, 62 MLAs, अगर तीसरी बार इतने एमएलए चुनकर आए हैं तो इतना भी गलत नहीं करते हैं । I understand, there will be challenges. I have been through what you have been through because जब पिछले पाँच साल महाराष्ट्र में किसी और विचार की सरकार थी, तो हमें भी वही दिक्कत आती थी । आपके गिरीश बापट जी यहाँ नहीं हैं, वे हमारे पालक मंत्री थे, तब हमें भी म्युनिसिपल कारपोरेशन में बहुत चक्कर काटने पड़ते थे, कुछ पैसा नहीं मिलता था । सौभाग्य से अभी बदलाव हो गया और हमारे यहाँ थोड़ा अलग सा सिस्टम है । किसी की भी सरकार हो, किसी विचार का भी एमएलए, एमपी हो, उसको पैसा दिया जाता है । आप महाराष्ट्र में बीजेपी के एमएलऐज से इस बारे में पूछिए । हमारे यहाँ ऐसी राजनीति नहीं होती है ।…(व्यवधान) But I think they are doing a fairly good job. उन्होंने एक चीज और कही कि बड़े-बड़े इश्तिहार चलते हैं । I know this is not connected with the subject but since the Treasury Bench brought it, उन्होंने कहा कि दिल्ली के विज्ञापन देश भर में चलते हैं । महाराष्ट्र में यूपी के भी बहुत विज्ञापन आते हैं । हमारे इश्तिहार वाले, पेपर वाले बड़े खुश हैं, लेकिन कहीं भी आप देश में जाओ, बहुत सारे राज्य हैं, जो बहुत सारा पैसा विज्ञापन पर खर्च करते हैं । केवल दिल्ली वालों की बात नहीं है, यूपी वाले भी अलग-अलग स्कीम्स के फुल पेज विज्ञापन हमारे यहाँ देते हैं ।…(व्यवधान)

अच्छी बात है, मैं टीका नहीं कर रही हूं । मीनाक्षी जी कर रही थीं, इसलिए मैं उसको एड कर रही हूं । अगर मीनाक्षी जी का सुझाव हो तो मैं भी मीनाक्षी जी से विनती करूंगी कि अगर आपको यह गलत लगता हो कि बहुत सारा खर्चा हर सरकार एडवरटाइजिंग पर कर रही है, क्यों न

हम सब मिलकर सोचें कि आज से एडवरटाइजिंग पर न आपकी, न हमारी किसी की भी सरकार न करे। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे अवेयरनेस या कोविड के बारे में या सिर्फ स्कीम के बारे में बता दें। बाकी जो एडवरटाइजिंग होती है, वह नहीं करें।**…(व्यवधान)** अगर ऐसा आपका भी सुझाव हो तो I will whole-heartedly support you. Together we can pass it, if it is the sense of the House. …(व्यवधान) कौन बोल रहा है कि हैकल कर रहे हैं। भईया, खड़े होकर बोलो, ऐसे बैठ कर क्यों बोल रहे हो?…(व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : दिल्ली शहर है। It is a city. It is just a city and for one city you have Rs.124 crore.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : I am appreciating your point. I agree with you. No Government should do any electoral advertising. They should focus on governance. It is unfortunate.

I wanted one clarification about India's rating. I know, you all do not like international quotes but I have seen Freedom House Report and V-Dem's Report. This Government selectively uses international relationships. They have said that India is going through an electoral autocracy. Cooperative federalism is something which the Government constantly talks about. I think this legislation is going to affect cooperative federalism. If any MLA or MP is feeling threatened, we have to have a larger debate. I am not completely against what you are saying. I respect what you have said. मैं सिर्फ एक सुझाव देना चाहती हूं। If you feel there is such a contrast of decisions, why not send this Bill to the Select Committee? जल्दी क्या है? कोई जल्दी नहीं है। भले ही तीन महीने ले लो, सेलेक्ट कमेटी में भेजिए। Call the Chief Minister of Delhi. एमएलएज़ से मिलिए। इतना बवाल और इतनी जल्दी करने की जरूरत क्या है? It is not a national crisis. Why not

send this Bill to a Select Committee? Meenakashi ji and all MPs of Delhi can participate in it. The Chief Minister of Delhi and MLAs can be consulted. I think, it is a very-very important Bill. So, I would urge this Government to send this Bill to a Select Committee, and I am sure a good legislation will come when all Parties put their heads together in the larger interest of this nation. Thank you.

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): मैडम, हम समझते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की रूह भी यही है कि प्रजातंत्र सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमें यह एहसास होने लगा है कि शायद अब हम ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यह कानून जो पास किया जा रहा है, यह टोटल असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक कानून है, क्योंकि इसमें दिल्ली की चुनी हुई सरकार के ऊपर बैरियर लगाए जा रहे हैं, जो हमारे कानून के मुताबिक नहीं लगाने चाहिए। दिल्ली में चुनी हुई सरकार के बजाय उपराज्यपाल अब सरकार चलाएंगे, वह एडमिनिस्टर करेंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मंत्री स्वतंत्र तरीके से अपना काम नहीं कर पाएंगे। उनको उपराज्यपाल के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा।

मैडम, संविधान में साफ-साफ लिखा गया है कि दिल्ली की चुनी हुई विधान सभा होगी। दिल्ली की चुनी हुई विधान सभा सिर्फ तीन मामलों को छोड़ कर सब जगह अपना कानून बना सकती है। जो सूची में 1, 12 और 18 पर लिखे गए हैं यानी कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन के मुताल्लिक ये कानून नहीं बनाएंगे, बाकी सब चीजों के लिए कानून बनाएंगे। दिल्ली की सरकार विधान सभा के लिए जवाबदेह होगी, न कि एलजी के लिए जवाबदेह होगी, यह हमारे कानून में दिया हुआ है।

मैडम, उपराज्यपाल के लिए लिखा है कि उपराज्यपाल सलाह देने का काम करेंगे, एड एंड एडवाइज़ करेंगे, न कि डिक्टेट करेंगे। यहां तो इस कानून के तहत और इस अमेंडमेंट के तहत वह डिक्टेट करेंगे। संविधान के प्रावधानों से अगर वह असहमत हो रहे हैं तो वह इसको प्रेजीडेंट के पास भेज सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं।

मैडम, जब 2015 में चुनी हुई सरकार आई और केन्द्र सरकार ने उसको ओवर पावर करने के लिए एलजी को पावर देने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायिर हुई तथा 04 जुलाई, 2018 में एक निर्णय आया। मैं कोई वकील तो हूं नहीं। अभी मैंने बहुत लर्नेड वकीलों

के पूरे कथन सुने और बहुत सी धाराओं की बात हुई। लेकिन मैं जजमेंट के जरिये बताना चाहता हूं कि जजमेंट में आखिर फाइल हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल तीन विषयों के अलावा दिल्ली की सरकार को निर्णय लेने का अधिकार है।

दूसरी बात, सरकार अपने निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराएगी, यह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है, न कि राज्यपाल उनसे कुछ कहेंगे। अवगत का अर्थ राज्यपाल की मंजूरी लेना नहीं है। यह भी साफ लिखा हुआ है। अवगत कराएगी, मंज़ूरी नहीं लेगी। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उप-राज्यपाल दिल्ली सरकार के कामों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। चौथा, अगर वे चुनी हुई सरकार से असहमत होते हैं तो वे राष्ट्रपति को भेजेंगे। लेकिन एक बात साफ-साफ उन्होंने कही है, इसका मतलब यह नहीं है कि असहमति हर मामले में हो और यह कभी-कभार किसी मामले में होनी चाहिए।

मैडम, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ, जिस पीठ में पांच जज होते हैं, यह उसका निर्णय है। उसको आज हम पार्लियामेंट से पलट रहे हैं, उसके खिलाफ हम जा रहे हैं। मैडम, इस तरह से कैबिनेट के हर निर्णय को एलजी के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। सवाल यह उठता है कि फिर ये इलैक्शन क्यों कराए जा रहे हैं? इलैक्शन भी कराना बंद कर दें। जब डेमोक्रेसी रहेगी ही नहीं, जब सारा काम एलजी को ही करना है तो इलैक्शन छोड़िए इस विधान सभा को ही भंग कीजिए और एलजी को ही सारा काम दे दीजिए। इससे देश के अंदर एक तानाशाही और हिटलरशाही एलजी की होगी। मैं इसी कथन के साथ इस बिल का विरोध करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया।

SHRI BRIJENDRA SINGH (HISAR): Hon. Chairperson, Madam, thank you for affording me this opportunity to speak on the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021.

I stand to speak in support of the Bill because it seeks to put an end to the acrimony, unpleasantness, and uncertainty that has prevailed in the National Capital Territory for the last almost seven and a half years. This Bill seeks to amend the Government of NCT Delhi Act, 1991 by four short but very significant amendments and these amendments are being made to Sections 21, 24, 33, and 44 of the GNCTD Act, 1991. इनके बारे में पहले ही विस्तार से बोला जा चुका है, लेकिन मैं फिर भी दो-तीन बिंदु यहां पर रखना चाहूंगा।

Section 21 deals with the restriction on laws passed by the Legislative Assembly concerning certain matters. इसमें जो अब संशोधन लाया गया है, उससे जोड़ा गया है that this Bill provides that the term 'Government' referred to in any law made by the Legislative Assembly will imply Lieutenant Governor. शायद यह इन अमेंडमेंट्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अभी तक, सरकार क्या होगी, उसको परिभाषित नहीं किया गया था। यहां पर उसमें एक क्लैरिटी दी गई है, ताकि यह जो तनातनी चलती है, मुख्य मंत्री और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में और लेफ्टिनेंट गवर्नर में, उससे निजात पाई जा सके।

Section 24 deals with assent to Bills passed by the Legislative Assembly. यह जिक्र किया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, तिवारी जी ने कहा कि वह तो सिर्फ एक प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर शब्द इस्तेमाल किया गया है। मुझे पता नहीं, उन्होंने किस हिसाब से इस प्रशासक शब्द को लेजिसलेटिव असेंबली से या मुख्य मंत्री से नीचे मान लिया, क्योंकि जो

व्यवस्था आर्टिकल-239 में दी गई है, जहां पर यूनियन टेरिटरीज़ क्रिएट किए गए, जो सन् 1956 का हमारा 7वां अमेंडमेंट था, उसमें बड़ा क्लियरकट है कि राष्ट्रपति जी यूनियन टेरिटरीज़ का जो एडिमिनिस्ट्रेशन और उसकी जो सरकार है, वह एक एडमिनिस्ट्रेटर के माध्मय से चलाएंगे। उस एडमिनिस्ट्रेटर की संज्ञा क्या होगी, वह चीफ कमिश्नर भी हो सकता है, वह लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हो सकता है और वह एक नियरबाय स्टेट का गवर्नर भी हो सकता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर की कैपेसिटी में काम करे, जैसे कि चंडीगढ़ के साथ है। पंजाब का जो गवर्नर है, वह चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर भी है। जहां तक असेंट ऑफ बिल्स का सवाल है, ऑलरेडी बहुत सारी पॉवर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर को उसके अंदर दी गई हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर असेंट चाहे, कोई बिल पास हो तो उसको असेंट दे सकता है, चाहे तो असेंट विदहोल्ड कर सकता है और यदि उसे लगे कि इसे राष्ट्रपति को रेफर किया जाना चाहिए, तो वह भी कर सकता है।

ऐसा नहीं है कि इसके अन्दर बहुत नई चीजें लाई जा रही हैं। इस एक्ट में और संविधान की जो धाराएं हैं, उनके तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले से बहुत सशक्त है।

इसके अलावा, एक जो महत्वपूर्ण संशोधन आया है, वह सेक्शन-44 में आया है। Section 44 deals with the conduct of business. Accordingly, all executive decisions taken by the elected Government should be under the Lieutenant Governor's name. इसके अन्दर जो संशोधन करके लाया गया है, वह यह है कि the Bill empowers the Lieutenant Governor to specify his suggestions on certain matters. His opinion has to be taken before taking any executive action or decisions by the Minister or Council of Ministers.

मनीष तिवारी जी ने कहा कि जब लेजिस्लेशन ही पास हो गई तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में रोक-टोक किसलिए हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर एडमिनिस्ट्रेटर का अख्तियार किसलिए हो। शायद इसलिए आपको उससे पढ़ कर देखना होगा, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास असेंट विदहोल्ड करने का भी पावर है और यदि उसे लेजिस्लेटिव असेम्बली द्वारा पास किए गए बिल को राष्ट्रपति

के पास रेफर करने का अधिकार है तो उससे बेहतर यह होगा कि पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर की संस्तुति ले ली जाए, ताकि असेम्बली जो बिल पास करे, अगर उस पर पहले से ही लेफ्टिनेंट गवर्नर की संस्तुति है तो उसे आगे आने में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में सुविधा हो सके। लेकिन, सारी बात यह है कि हम आज इस पर किस लिए पहुंचे हैं? इस अमेंडमेंट बिल को लाने की क्या जरूरत पड़ी? ऐसा क्या हुआ कि ये बिल लाए गए? इसके बारे में जो बहुत सी चीजें कही गई कि ये अन-कंस्टीट्यूशनल है। इसमें डेमोक्रेसी का हनन हो गया, डेमोक्रेसी का कत्ल हो गया, इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की गई।

सुबह इंश्योरेंस बिल पर मनीष तिवारी जी बोल रहे थे और अभी भी बोल रहे थे, दोनों में उन्होंने एक बात जरूर कही कि राय और जो फैसले लिए जाते हैं, शायद यह इस बात पर निर्भर करता है कि सदन में कौन अब कहां बैठा है। मेरे ख्याल से, वे अपना दर्द और अपनी पार्टी का दर्द ज्यादा जताने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि धारा-370 को उनकी सरकार पिछले 50 सालों से शनैः-शनैः करके, it was whittling it away, it was chipping it away, लेकिन उनमें इतना आत्मबल या विल पावर नहीं थी कि उसे एक झटके में समाप्त कर सके, जो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया।

इसी प्रकार से इंश्योरेंस बिल के बारे में उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें हम करना चाहते थे, लेकिन उस समय तो आपने करने नहीं दी। जब वे खुद ही कह रहे हैं कि आप जहां बैठे हैं, उससे बहुत प्रभाव पड़ता है कि आपका मत क्या होगा तो आप आज उस इंश्योरेंस बिल का क्यों विरोध कर रहे थे, जो आप अपने समय में खुद लाना चाहते थे और किसी कारण से आप नहीं ला पाए। यही स्थिति इस एनसीटी बिल की भी है। वर्ष 1951 का जो कानून है, उसमें भी तीन बड़ी प्रमुख चीजें, प्रदेश की जो सरकार है, प्रदेश से मेरा मतलब यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेम्बली है, उसके परव्यू से कुछ चीजें बाहर रखी गईं, उनमें पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड हैं। सिर्फ ये ही नहीं, इस एक्ट में कुछ ऐसी चीजें ओपेन-एन्डेड छोड़ दी गईं, जिनकी वज़ह से विवाद आज खड़ा हुआ है, जिसे ठीक करने का प्रयास आज संसद यहां कर रही है। सबने

वर्ष 1991 वाले एक्ट और उसके आगे की कहानी का जिक्र किया, लेकिन इसमें वह बात को समझना बहुत जरूरी है कि पूरे सिलसिले का इतिहास क्या है। मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि जब से देश आज़ाद हुआ, उस समय दिल्ली को यूनियन टेरिटरी की संज्ञा नहीं दी गई थी, उस समय वह भाग-VIII में फर्स्ट शेड्यूल की जो 'सी' कैटेगरी के अन्तर्गत स्टेट्स थे, उसमें दिल्ली आती थी। वर्ष 1956 में सातवें संशोधन के साथ इनको यूनियन टेरिटरीज़ का दर्जा दिया गया। वर्ष 1962 में जो चौदहवां अमेंडमेंट आया, उसमें कुछ यूनियन टेरिटरीज़ को या तो लेजिस्लेटिव असेम्बली दी गई या काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स या दोनों दिए गए। लेकिन, ध्यान रखने की बात यह है कि दिल्ली को उस समय भी यह दर्जा नहीं दिया गया। दिल्ली को करीब 40 साल बाद यह दर्जा मिला, वर्ष 1991 का जो एक्ट आया था, उसके अन्डर लेजिस्लेटिव असेम्बली और काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रावधान किया गया क्योंकि दिल्ली शायद बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर गई थी। यहां पर बहुत ज्यादा लोग आकर बस गए थे, शायद इस चीज को महसूस किया गया कि यहां पर एक लेजिस्लेटिव असेम्बली होनी चाहिए। लेकिन, जो मुख्य बात है, वह यह है कि दिल्ली शुरू से और आज तक एक विशुद्ध यूनियन टेरिटरी के रूप से एग्जिस्ट करती है।

जो दिल्ली की यूनियन टेरिटरी है, वह किसी और यूनियन टेरिटरीज़ की तरह नहीं है। यह किसी दो प्रदेशों में विवाद की वजह से बनी हुई यूनियन टेरिटरी नहीं है। यह चंडीगढ़ की तरह यूनियन टेरिटरी नहीं है। यह किसी स्ट्रैटीजिक इम्पोर्टेंस की वजह से यूनियन टेरिटरी नहीं है, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। यह किसी कलोनियल लेगसी की वजह से यूनियन टेरिटरी नहीं है। किसी जमाने में गोवा भी यूनियन टेरिटरी होता था। दमन-दीव और पुदुचेरी कलोनियल लेगसी के तहत यूनियन टेरिटरीज़ बनी थीं। दिल्ली यूनियन टेरिटरी इसलिए रखी गई थी, क्योंकि यह हमारे देश की राजधानी है। यहाँ पर संसद है, यहाँ पर भारत सरकार है और उसकी सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं। सारे दुनिया के देशों की यहाँ पर ऐम्बेसीज़ हैं। पूरे देश का इसके ऊपर अधिकार है। हालांकि हमारे संविधान के हिसाब से अधिकार तो हर हिस्से पर है, लेकिन दिल्ली सबकी है। दिल्ली को चलाने की जो मुख्य जिम्मेदारी है, वह भी केन्द्र सरकार की सर्वप्रथम है। उसके बाद

बाकी सारी चीजें फ्लो करती हैं। इसीलिए संविधान में प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति इसकी गवर्नेंस के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करेंगे, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इसकी मुख्य रेस्पॉन्सबिलिटी यहाँ सरकार और प्रशासन प्रदान करना होगा।

ये सारा सिलसिला दिसंबर 2013 के बाद से बिगड़ा। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद कहता है कि मैं एनार्किस्ट हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जो इस देश के प्रधानमंत्री के लिए अनपार्लियामेन्ट्री वगैरह तो बहुत सभ्य शब्द है, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जोकि गाली देने से कम नहीं थे। एक ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री होते हुए केन्द्र सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी काउसिंल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ कई दिनों तक लेफ्टिनेंट गवर्नर के आवास पर धरना दे सकता है, एक रोते हुए बच्चे की तरह कि मुझे झुनझुना दो, नहीं तो तब तक मैं यहाँ पर रोते रहूँगा और अपना पाँव पीटता रहूँगा। ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए कि यदि किसी स्टेज पर पूर्ण दर्जा दे दिया गया होता और उसके पास पुलिस तथा पब्लिक ऑर्डर जैसे विषय भी होते तो यह सोच कर भी रूह काँप जाती है कि शायद हम ऐसी स्थिति में गृह युद्ध के काफी करीब पहुँच सकते थे।

यहाँ पर हमारे कानून के निर्माता हैं। उसके बाद जितनी भी सरकारें आईं, मैं उन सब के विवेक को बधाई देना चाहता हूँ। वे इस चीज को शुरू से ही समझ बैठे थे कि दिल्ली जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठती है, वहाँ पर किसी प्रकार द्वंद्व संभव न हो, इसके लिए दिल्ली का यूनियन टेरिटरी रहना जरूरी है। इसका सीधा-सीधा कंट्रोल केन्द्र सरकार के पास हो, भारत सरकार के पास हो, वह बहुत ही आवश्यक है और वह इस बात की गारंटी है।…(व्यवधान)

मैडम, मैं थोड़े ही समय में अपनी बात खत्म करूँगा।

माननीय सभापति : आप अच्छा बोल रहे हैं।

श्री बृजेन्द्र सिंह : मैडम, धन्यवाद। अब दिल्ली में सरकार की शक्तियाँ क्या हों, सरकार किसे कहें, एल.जी. और लेजिस्लेटिव असेम्बली में क्या संबंध हो, एल.जी. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच शक्तियों और कर्तव्यों का बँटवारा कैसे हो, इस प्रकार के जुड़े सवाल हैं, जिनका जिक्र अभी

किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसके ऊपर वर्ष 2018 में भी और वर्ष 2019 में भी दो जजमेन्ट्स दिए। एक जजमेंट कंस्टिट्यूशन बेंच का है और दूसरा डिविजन बेंच का है। यह जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है, मेरा यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स थे, उनको अमलीजामा पहनाने का काम इस अमेंडमेंट के द्वारा किया जा रहा है।

महोदय, जैसा मैंने शुरू में कहा कि सरकार को परिभाषित किया गया है, ताकि आपस में जो तकरार रहती है, वह सदा के लिए खत्म की जा सके। इसके साथ-साथ सरकार और प्रशासन में जो एक अस्पष्टता तथा अनिश्चितता रहती है, उसको दूर करने का एक पूरक प्रयास है। यहाँ पर मीनाक्षी लेखी जी ने भी जिक्र किया कि पानी किसी का आता है, सीवरेज किसी का है, बिजली का पोल कोई लगाता है, उस पोल के ऊपर मीटर कोई और लगाता है। इस प्रकार से प्रशासन में यहाँ बहुत-सी विसंगतियाँ हैं। मैं भी वर्ष 1985 से दिल्ली में रह रहा हूँ। मैं इतना इसकी जड़ में नहीं गया था, लेकिन कोरोना के टाइम में मुझे पहली बार पता लगा कि यहाँ केन्द्र सरकार के भी अस्पताल हैं, यहाँ राज्य सरकार के भी अस्पताल हैं और यहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के भी अस्पताल हैं। मुझे आज तक यह पता नहीं है कि कौन-सा अस्पताल किसका है, लेकिन इस प्रकार की यहाँ व्यवस्था है।

जमीन एनडीएमसी के पास भी है, उसमें एमसीडी की भी है, उसमें दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की भी है और कैंटोनमेंट बोर्ड की भी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है। इस तरह की जहां व्यवस्था हो, वहां एक चैन आफ कमांड कम से कम बड़ा स्पष्ट और क्लियर कट होना चाहिए। हम यह क्यों भूल जाते हैं, जब 1993 में पहली सरकार यहां गठित हुई, बीजेपी की सरकार बनी थी, उस समय करीब तीन साल तक इस देश के कांग्रेस पार्टी के नरसिम्हा राव जी प्रधान मंत्री थे, उसके बाद 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार रही, उस समय 6 साल केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। ऐसी स्थिति जब थी, उस समय कुछ नोंक-झोंक तो हुई थी, लेकिन कभी भी संवैधानिक व्यवस्था

टूट जाए, कांस्टीट्यूशनल ब्रेक डाउन हो जाए, ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी। वह स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो, जो पिछले साढ़े सात साल में हुई है और उसी की वजह से ये अमेंडमेंट लाए गए हैं।

इसी के साथ, मैं उम्मीद करता हूं कि इन संशोधनों के बाद एक ज्यादा कारगर और जवाबदेह प्रशासन दिल्लीवासियों को प्रदान किया जा सकेगा और दिल्ली को दुनिया के उच्चतम दर्जे के महानगरों में स्थान मिल पाएगा। इसीलिए, मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इस संशोधन बिल को पूरे बहुमत के साथ आप पारित करें और दिल्ली शहर का राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते जो गौरव है, उसे और ऊपर ले जाएं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जयहिंद।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): मैडम चेयरपर्सन, मैं गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरेटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल, 2021 के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह जो कदम उठाया जा रहा है, यह एक खुला आक्रमण है, दिल्ली की असेंबली को डिसएंपावर करने का प्रयास है । यह बिल्कुल एंटी फेडरल है । हमारे कांस्टीट्यूशन की जो फेडरलिज्म की बेसिक थीम है, यह उसके खिलाफ है । जम्मू-कश्मीर का भी 5 अगस्त, 2019 को इसी मामले का सामना हुआ । आईन का जो तकाजा था, यक्सर उसको भूलकर, नजरंदाज करके, आईन को रोल कर हमारा जो स्पेशल स्टैटस था, उस पर हमला किया गया । एक स्टेट को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया । आर्टिकल 3 जो कांस्टीट्यूशन का था, आर्टिकल 370 था, 367 का दुरुपयोग करके वे सारे फैसले किए गए । ऐसा ही एक छोटा-मोटा फैसला यह भी है । इसमें उस दिन कहा गया कि 370 एक आरजी था । यह नहीं समझा गया कि 370 एक आरजी होता, तो कैसे वह व्यवस्था करता, कैसे उसमें कांस्टीट्यूशनल असेंबली का प्रोवीजन होता, एक इंडीपेंडेंट कांस्टीट्यूशन का जम्मू और कश्मीर के लिए प्रोवीजन होता । यह नहीं समझा गया कि अगर वह 370 टेम्परेरी होता, तो वह सारे पार्ट में जो 371 ए से जे तक हैं, वे भी टेम्परेरी थे । वे सारे एक ही पार्ट बी का हिस्सा हैं । बहरहाल मैं इस बिल पर आता हूं ।

मैडम, आज एक अजीब बात सुनने को मिली । जो कानून जानने वाले है, आईन जानने वाले हैं, कहा गया कि हमारा मुल्क क्वासी फेडरल है । यह बात पहले सुनने में नहीं आई थी । सुप्रीम कोर्ट ने साफ और वाजे अल्फाज़ में कहा है कि फेडरलिज्म हमारे कांस्टीट्यूशन का बेसिक फीचर है । यह जो हाउस है, इसको भी यह अख्तियार नहीं है कि वह फेडरलिज्म के साथ छेड़छाड़ करे । सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में यह कहा है । उसके बाद भी जजमेंट्स आ गईं कि फेडरलिज्म हमारे आईन का बेसिक फीचर है और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है । हमारा जो संविधान है, कांस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी में कांस्टीट्यूशन सॉवरेन है, यह हाउस नहीं है । प्रयास क्या हो रहा है? दरअसल क्या हुआ, जो तकरीर भी यहां की गई, जो एड्रेस

किया गया, उससे यह साफ जाहिर हुआ कि ये आप और बीजेपी अपनी जंग इस हाउस में लाना चाहते हैं। पानी किसी का है, नाला किसी का है। इस बिल का प्रयास वह सब हल करने का नहीं है। किया यह जा रहा है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के सारे पावर्स केंद्रित किए जा रहे हैं, सेंट्रलाइज किये जा रहे हैं। अगर ऐसी बात है, अगर आप इस फिराक में हैं कि असेंबली नहीं होनी चाहिए, तो असेंबली ही नहीं रखिए। सब कुछ लेफ्टीनेंट गवर्नर के हाथ में रखिए। एक लेजिस्लेटिव असेंबली रखने का मतलब ही क्या है? जब लेजिस्लेटिव असेंबली आपने रखी है तो उसका कांस्टीट्यूशन के तहत एक रोल है। उसको अपने लिए कानून बनाने का हक है। अगर मीनाक्षी जी या और जो भी यहां के ऑनरेबल मेंबर्स हैं, वे इस फिराक में हैं कि यह होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तीन बार या चार बार उनकी हार हुई है। अगर आप ऐसा फैसला करें, तो असेंबली मत रखिए। सब कहिए कि लेफ्टीनेंट गवर्नर ही सब होगा, जो हमारा एक नॉमिनी होगा।

लेकिन देखिए यह क्या किया जा रहा है, धारा 24 में अमेंडमेंट्स करके लेफ्टिनेंट गवर्नर पर लाजिम किया गया है, एक तो उनको पॉवर दिया गया है कि असेन्ट विदहोल्ड करे। यह लाजिम किया गया है कि असेन्ट न दे, सेक्शन 24 में ए, बी और सी जोड़ दिया गया है, अब डी जोड़ा जा रहा है। डी क्या है? अगर उनको लगे कि कोई कानून incidentally covers any of the matters which fall outside the purview of the powers conferred on the Legislative Assembly. एक मौलिक ऐतबार हमारी जिम्मेदारी नहीं थी? हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हैं। जब 5 अगस्त, 2019 के फैसले हुए थे, उसमें आपने हमारा अपोजिशन किया था। जब हमारे स्टेट को फ्रेगमेंट किया गया था। ये इस फिराक में थे कि दिल्ली का दर्जा बुलंद किया जाए।

लेकिन कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं क्योंकि यह कन्सटीट्यूशनल क्वैश्चन है, जिसको भी लाभ हो। incidentally covers any of the matters which fall outside the purview of the powers conferred on the Legislative Assembly. यह लाजिम है कि लेफ्टिनेन्ट गवर्नर असेन्ट न दे। यह फैसला कौन करेगा कि यह इन्सिडेंटली है? प्राइमरली नहीं लिखा गया, प्रोमिनेन्टली नहीं लिखा गया, यहां बहुत जानने वाले लोग बैठे हुए हैं।

इसका मतलब है कि असेम्बली की पॉवर को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। असेम्बली को इस हक से भी महरुम किया गया कि वह अपने रूल्स बना सके। इस हाऊस के लिए रूल्स हैं कि कैसे प्रोसिजर चलेगा । 33 में प्रोवाइजो एड करने जा रहे हैं, "Provided that the Legislative Assembly shall not make any rule to enable itself or its Committees to consider the matters of day-to-day administration of the Capital or conduct inquiries…" पोस्ट फैक्टो में कहा गया कि अगर कोई कदम उठाया गया है तो इस एक्ट के बाद वह वॉइड होगा। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर जी।

श्री हसनैन मसूदी : सभापति महोदय, 44 में प्रोवाइजो किया गया है, "Provided that before taking any executive action in pursuance of the decision of the Council of Ministers or a Minister, to exercise powers of Government…," यह लाजिम होगा कि आप लेफ्टिनेन्ट गवर्नर से असेन्ट लें। माननीय गृह मंत्री जी बार-बार कह रहे हैं कि लेफ्टिनेन्ट गवर्नर का रुतबा गवर्नर से ऊपर होता है। यह कैसी बात कर रहे हैं? लेफ्टिनेन्ट हर जगह प्रिफिक्स होता है, इसका मतलब है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से नीचे है।

मनीष जी ने बिल्कुल सही कहा कि यह एक एडमिनिस्ट्रेटर की पोजिशन है, इस एडमिनिस्ट्रेटर को प्राइमरली और फोर्सफुली इनके मशवरे पर चलना है। लेजिस्लेटिव असेम्बली को कानून बनाने का हक है, दिल्ली में सब उल्टा किया जा रहा है। यह फेडरलिज्म के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है।

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Madam Chairperson, I thank you for giving me this opportunity.

Madam, I differ with this piece of legislation for three pertinent reasons. First of all, this Bill tantamounts to giving extra-constitutional power to the Lieutenant Governor. Secondly, it will disable the elected Government of Delhi.

Thirdly, it is emasculating the power of the democratically elected Government of Delhi.

I was closely listening to the speeches made by our friends from the other side. Actually, they were using the major chunk of the time to criticize the AAP Government in Delhi. Of course, they are at liberty to do it. I am not against it. They were talking about their role in anti-CAA agitation, failure of AAP Government in development activities etc. It shows that there is every reason to believe that they want to settle an account with AAP. In politics, it is natural. But why should they use the sanctity of this House for their political interest? If they have got any difference of opinion with the Government of Delhi led by AAP, they can fight them democratically and find out a solution. On the other hand, if they try to equip the Lieutenant Governor and strengthen him to teach a lesson to the AAP Government, that is a bad thing. That is why, I vehemently object this piece of legislation.

Madam, I would like to say that it amounts to nullifying the Supreme Court order. This case was settled. This dispute between the Delhi Administration and the Central Administration was widely discussed in the Supreme Court. Finally, the Supreme Court arrived at a conclusion that 'Delhi Government can take decisions within its jurisdiction and execute them without obtaining the concurrence of the Lieutenant Governor.' It also added that 'the elected Government of Delhi can take all decisions within its jurisdiction and execute them without obtaining the concurrence of the Lieutenant Governor. In case of difference of opinion on matters between the Lieutenant Governor

and the Government, the former should make all efforts to resolve it and only in extreme cases, should she or he refer the matter to the President of India.' This is very clear.

So, what I am saying is that the Centre should not interfere in these kinds of things. But there is a dangerous move by them. What is that move? If we go through the various clauses of this legislation, you would easily understand that it is an effort in tightening the grip of the Central Government on the Delhi Government.

Similarly, the Central Government is trying to govern the Delhi Administration through the Lieutenant Governor. It is a new style of the BJP Government to rule through the Governors. Here, it is a Lieutenant Governor. These kinds of things should not be there.

I would like to say that this Government is recklessly jeopardising the basic principles of federal cooperation. That is also a very dangerous move. So, I would humbly appeal to this Government to kindly think in practical terms. Ours is a democracy. You can fight with your opponents, but taking this kind of a crooked method, is highly condemnable.

With these few words, Madam, I conclude my speech. Thank you very much.

श्री भगवंत मान (संगरूर): माननीय सभापति जी, आपका बहुत धन्यवाद। आज जो बिल दिल्ली सरकार के बारे में लाया गया है, वैसे तो केंद्र सरकार राज्यों के अधिकार का हनन करने की स्पेशलिस्ट है, चाहे वह खेती कानून के जरिए हो, जो स्टेट सब्जैक्ट है, लेकिन वाणिज्य, व्यापार लिखकर यहां से पास कर दिया गया, चाहे वह राज्यपालों के जरिए हो।

सभापति जी, आप मुझे समय दे दीजिएगा क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी से बिलाँग करता हूं और हमारी सरकार को शक्तिहीन करने का यह बिल है। मैं सबका बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस बिल का विरोध किया है, क्योंकि कल बारी किसी की भी आ सकती है।

माननीय सभापति जी, 22-23 साल से दिल्ली से बीजेपी सत्ता से बाहर है। इनको हार हज़म नहीं हो रही है। खुद इलेक्शन भी लड़ते हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक सबका राइट है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आप हार गए तो विपक्ष में बैठना चाहिए। आप पहले इधर भी तो विपक्ष में बैठते थे। अब बीजेपी की विपक्ष में बैठने की आदत छूट रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए लोगों ने वोट नहीं किया था, चुनाव से नहीं आते, वहां उप-चुनाव से आ जाते हैं। कर्नाटक में बीजेपी के लिए वोट नहीं किया था, उप-चुनाव से आ जाते हैं। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया कि तीन विषयों को छोड़कर बाकी सब दिल्ली की चुनी हुई सरकार चलाएगी, तो लाट साहब का ... * क्यों यहां लाया जा रहा है?

आपको पता है, मैडम, जिस घर में एलजी रहते हैं, अंग्रेजों के जमाने में वहां वायसराय रहते थे। शायद उसी वायसराय की आत्मा के जरिए आप दिल्ली को चलाना चाहते हैं। जब दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई फैसला नहीं ले सकता फिर इलैक्शन करवाने का फायदा क्या हुआ? आप मुझे बता दीजिए।

---

* Not recorded.

उस आदमी को**,** जो मैगसेसे अवार्ड विनर है**,** उसको **… *** पता नहीं**,** ये**,** वो …(व्यवधान) वह ऐसा आदमी है, जिसने दिल्ली की जनता को कहा कि मेरा पांच साल का काम देख लो, अगर काम अच्छे लगते हैं तो वोट कर देना वरना नहीं। क्या आप कर सकते हैं? इसके लिए जिगरा चाहिए। आप जो कहते थे, वह तो जुमले थे, 15 लाख कालाधन, जुमले थे। अपने मैनिफेस्टो में पूर्ण राज्य की बात करते रहे। आडवाणी जी बात करते रहे, वह अलग बात है उनकी हर बात उल्ट चलती है। शायद आडवाणी जी भी दुखी हो रहे होंगे कि यह क्या हो रहा है? दुखी किस बात से? असल में क्या हुआ, ये दुखी किस बात से हैं? दो-तीन बार तो मुख्य मंत्री जी के घर पर दरोगा भेज कर रेड करवा दी। पहले हमसे एंटी करप्शन ब्यूरो छीन ली। अब आपको क्या दिक्कत है? आपको विपक्ष में बैठने से क्या दिक्कत है? आपकी आठ सीटें हैं, आठ एमएलएज हैं, आप वहां रखें। यहां बिट्टू जी बैठे हैं, आपने यहां पर कांग्रेस को एलओपी का दर्जा नहीं दिया। लेकिन, हमने, जब आपके तीन विधायक थे, उनको भी एलओपी का दर्जा दिया था। भले ही तीन थे, लेकिन लोकतंत्र है। हालांकि परसेंटेज के मुताबिक बहुत कम थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमने स्टेडियम नहीं दिए किसानों को, आपने वहां पर जेल बनाने के लिए स्टेडियम मांगे थे, तब से हमारे मुख्य मंत्री जी और हमारी सरकार से नाराज चल रहे हैं। सरकार कौन चलाता है? यह तो सबको पता है। आप मुझे यह बता दीजिए, मेरे सामने साक्षी महाराज जी बैठे हैं, कुछ दिन पहले इनका बयान आया था कि अब देश में चुनाव ही नहीं होने चाहिए। कल वह बिल भी ले आएंगे कि देश में चुनाव ही न हो। पुतिन की तरह 2036 तक मोदी जी रहेंगे। आप इसको फेडरल स्ट्रक्चर कह रहे हैं? मीनाक्षी जी आप कह रही हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर से हमारा देश नहीं चलता है। आप मुझे बता दीजिए कि क्या तानाशाही से चलेगा? …(व्यवधान) आप वकील हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप यहां केस लड़ रही हैं। आप लोकतंत्र की … * कर रहे हैं। …(व्यवधान) कल आप कह देंगे कि जो राज्य सभा में …(व्यवधान)

---

* Not recorded.

माननीय सभापति: 'हत्या' शब्द रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

…(व्यवधान)

श्री भगवंत मान : राज्य में चुने हुए, दिल्ली के जो तीन सांसद हैं, वे किसी वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। वे किसी डिबेट में भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको तो उन एमएलएज ने चुना है, जिनके पास शक्ति नहीं है। आप देश को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? थोड़ा-बहुत ख्याल कीजिए। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: "हत्या' शब्द रेकॉर्ड में नहीं जाएगा।

…(व्यवधान)

श्री भगवंत मान: मैं यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली देश का दिल है। मैं दिल्ली के स्कूलों और दिल्ली के अस्पतालों के बारे में बताना चाहता हूं। दिल्ली के 73 परसेंट घरों में बिजली का बिल जीरो आता है। दिल्ली में, जहां 70 सालों तक पानी नहीं पहुंच पाया था, वहां तक हमने पानी पहुंचा दिया। प्रधान मंत्री जी जिस ट्रंप के लिए वहां पर प्रचार करके आए थे, उनकी पत्नी एमसीडी के स्कूल देखने आई थी। स्कूल दिखाया केजरीवाल जी का और केजरीवाल जी को बैन कर दिया कि वहां नहीं आ सकते। दिल्ली के अस्पतालों में इलाज फ्री है। दिल्ली में एक जज का बेटा, एक रिक्शे वाले का बेटा, एक डिप्टी कमीशनर का बेटा एक ही बेंच पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने शिक्षा प्रणाली को …(व्यवधान)

मैडम, एक मिनट तो दे दीजिए, जितनी देर मीनाक्षी जी घंटी बजने के बाद बोली थीं, उतना समय तो दे दीजिए। इनको क्या हो रहा है? आप दिल्ली को … * तरीके से लाट साहब के *…* * से चलाना चाहते हैं। यह बिल्कुल गैर संवैधानिक है। यह संविधान की *…* * है। **…(व्यवधान)** यह लोकतंत्र की *…* * है। **…(व्यवधान)** इस बिल को तुरंत वापस लेना चाहिए। **…(व्यवधान)** अगली बार तुम जीत लेना **…(व्यवधान)** देश की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई सरकार 90

---

* Not recorded.

परसेंट से ज्यादा बहुमत लेकर आई है। …(व्यवधान) आप अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हारना सीखिए, वरना, फ्यूचर में आप इतनी बड़ी हार झेल नहीं पाएंगे।

माननीय सभापति: इतना क्यों चिल्लाते हैं। यही बात अच्छे से बोलिए। ऐसे नहीं बोला जाता है।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : माननीय सभापति जी, अभी मेरे साथी सांसद ने कहा कि स्कूल के एक ही बेंच पर एक डिप्टी कमीशनर का बच्चा, एक जज का बच्चा और एक रिक्शे वाले का बच्चा साथ में बैठते हैं, मैं उन बच्चों की और उनके माता-पिता की जानकारी इनसे प्राप्त करना चाहती हैं। मुझे ये डिटेल दें और स्कूल का नाम बताएं। …(व्यवधान)

<u>16.59 hrs</u> (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): धन्यवाद सभापति महोदया, दिल्ली प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार है, मैं न तो उसका समर्थक हूं, न उससे प्यार करता हूं।

मगर, एक आदमी सरकार में एंटी करप्शन के प्लैंक के आधार पर आए, मगर, उसकी धज्जियां उड़ाईं।

17.00 hrs

इसके बावजूद भी हमें यह हक नहीं है कि हम एक आदमी के इगो या उसके झूठ की सजा पौने दो करोड़ दिल्ली वालों को दें। पिछले छः इलेक्शन्स से दिल्ली में इनकी सरकार नहीं आई है। मगर जहां-कहीं भी सरकार नहीं आती है, इनको वहां पर सरकार बनानी होती है। कर्नाटक में क्या हुआ? मणिपुर में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में क्या हुआ? वहां पर बाई इलेक्शन नहीं हो सकें, इलेक्शन में नहीं आए और बाई इलेक्शन में भी नहीं आए, तो फिर ऐसे-ऐसे काम होते हैं, जैसे लाड साहब सीधे डीजीपी या चीफ सेक्रेटरी को बुलाना शुरू कर देते हैं। यह पंजाब में हुआ, यह बंगाल में हुआ। अगर यह भी नहीं होता है, तो फिर कोई … * पैदा हो जाता है। अगर यह भी नहीं होता है, तो ईडी जैसे विभागों से नोटिस आने शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि आज हम इस जगह पर पहुंच गए हैं कि स्टेट्स ने आर्डर पास कर दिए हैं कि यहां पर सीबीआई रेड नहीं करेगी।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: कोई भी नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

…(व्यवधान)

श्री जसबीर सिंह गिल : महोदय, यहां पर एक मेंबर ने बोलते हुए बताया है कि केरल में ईडी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है।**…(**व्यवधान**)** देश में ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं**?** यह चिंता का विषय है। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। हमारा देश इसलिए नहीं बना है, इस देश का

---

* Not recorded.

आपसी भाईचारा सबसे जरूरी है। हम किसी भी पार्टी से आएं, किसी भी रीज़न से आएं, लेकिन मैंने कभी-भी केन्द्र और स्टेट्स का तकरार नहीं देखा है।

माननीय सभापति महोदय, यह सरकार एक नया काम कर रही है, दिल्ली में एक सुपर सीएम बनाया जा रहा है। वह सुपर सीएम जिसने कोई पर्चा नहीं भरा है, जिसने वोट नहीं मांगें हैं, जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा है, उसे वोट का मूल्य नहीं पता है। आज वह लोगों की समस्या का हल नहीं कर पाएगा। हमें चुनी हुई सरकार को काम करने देना चाहिए।

सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह गुज़ारिश है कि हम इसमें जो नया प्रावधान करने जा रहे हैं, विधान सभा की शक्तियां खत्म कर रहे हैं कि वह अपना कानून भी नहीं बना सकती है। फिर इसको राज्य का दर्जा क्यों देना है? यहां तक की विधान सभा भी क्यों बनानी है? वर्ष 1991 में जो था, हम वैसे ही ले आएं, सीधा महामहिम राष्ट्रपति जी इसको चलाएं। यहां पर कई माननीय सांसदों ने कहा है, जो ट्रेजेरी बेंचों से बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि एलजी का प्रशासक का दर्जा है। अगर आप एक्ट को ध्यान से पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है कि उसका प्रशासक का नहीं, बल्कि पार्शली प्रशासक का दर्जा है। मैं यह विनती करना चाहता हूं कि सरकार को स्टेट्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उनको तगड़ा करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर स्टेट्स तगड़े होंगे, स्टेट्स डेवलेप्ड होंगे, तो देश तगड़ा होगा। इसलिए, मैं इस बिल का विरोध करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं।

श्री जी. किशन रेड्डी: सभापति महोदय, आज चर्चा करते हुए बहुत से माननीय सदस्यों ने यहां पर अपना-अपना मत रखा है। कांग्रेस पार्टी के माननीय सांसद मनीष तिवारी जी, जसबीर सिंह गिल जी और बीएसपी से दानिश अली जी ने बोला है। अभी वह यहां पर नहीं हैं।

एसपी से जनाब एस.टी. हसन साहब, नेशनल कांफ्रेस पार्टी से जनाब हसनैन मसूदी साहब, आप पार्टी से भंगवत मान, शिवसेना से आदरणीय विनायक राऊत जी, वाईएसआरसीपी से चन्द्रशेखर जी, एनसीपी से सुप्रिया सुले जी, भारतीय जनता पार्टी से बहन मीनाक्षी लेखी जी और बृजेन्द्र सिंह जी ने अपना-अपना मत रखा है।

सभापति महोदय, मैं आपको फंडामेंटली एक क्लियेरिटी देना चाहता हूँ। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। इसको सब लोगों को समझना चाहिए। ये लोग दूसरी स्टेट से दिल्ली को कंपेयर कर रहे हैं, जो कि गलत है। दिल्ली UT with Legislative Assembly with limited legislative powers के साथ है। यहां दूसरे स्टेट की तरह अधिकार नहीं हैं। इस संसद को अधिकार है। अगर यू.टी. है तो इस संसद को कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर यूनियन टेरिटरी पर अधिकार होता है। यहां पर सभी लोगों ने बड़े-बड़े शब्द यूज किए कि प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, डिक्टेटरशिप हो रही है। मैं इन राजनीतिक बातों में नहीं जाऊंगा। कांग्रेस की सरकार में सन् 1991 में यू.टी. बनाए गए। यू.टी. बनाते समय आर्टिकल 239(ए)(ए) और आर्टिकल 239(ए)(बी) को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। उस समय तात्कालीन गृह मंत्री आदरणीय एस.बी. चव्हाण साहब ने इस संसद में इसी बिल के संदर्भ में व्यक्तव्य दिया था। मैं उनके विचारों को आपके माध्यम से यहां कोट करना चाहूंगा। कांग्रेस सरकार ने दिल्ली को यू.टी. बनाने के साथ-साथ यहां असेंबली बनाने के लिए बालाकृष्ण कमेटी का गठन किया। उस बालाकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली को असेंबली दी गई। दिल्ली को जनरल असेंबली नहीं बल्कि यूनियन टेरिटरी की असेंबली दी गई। आदरणीय गृह मंत्री एस.बी. चव्हाण जी ने जो स्टेटमेंट दिया था, उसको में कोट करना चाहता हूँ। चव्हाण साहब ने कहा कि:-

"Any arrangement that involves a Constitutional division of functions and responsibilities between the Union and Delhi Administration will be against the national interest and should be ruled out, and therefore, Delhi should continue to be a UT with Legislative Assembly with appropriate powers. The subject of public order, police and land should be retained with the Central Government as they are matters of vital importance for which responsibility cannot be divided."

माननीय सभापति महोदय, सन् 1991 में तत्कालीन गृह मंत्री श्री एस.बी. चव्हाण जी के विचारों से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि उस समय काफी विचार-विमर्श करके अलग-अलग तर्कों को प्रस्तुत होने के बाद राष्ट्र हित में और दिल्ली में सुचारू रूप से प्रशासन हेतु दिल्ली को UT with Legislative Assembly with limited legislative powers दिए गए। यह हमने नहीं दिए, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाने का निर्णय किया है। सन् 1991 से लेकर अब तक सब सही चल रहा था, लेकिन कुछ सालों से इस विषय पर लोग हाई कोर्ट गए, लेकिन हम नहीं गए। भारत सरकार नहीं गई। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब ही हाईकोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, क्योंकि इसमें अस्पष्टता है। क्लियेरिटी नहीं है।

हाई कोर्ट ने भी बार-बार फैसला सुनाया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविधान के आर्टिकल 239एए के तहत महामहिम राष्ट्रपति महोदय दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटर को लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर नियुक्त करते हैं। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटर को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, यह जनरल गवर्नर नहीं है, यह एडमिनिस्ट्रेटर है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर को डे-टू-डे एक्टिविटीज में, एडमिनिस्ट्रेशन के सन्दर्भ में उनके पास अधिकार रहते हैं। ये अधिकार हमने नहीं दिए हैं, वे कांग्रेस पार्टी सरकार में दिए गए हैं, यह आपको समझना चाहिए।

सभापति जी, संविधान के इस प्रॉविजन को सप्लीमेंट करने के लिए संसद द्वारा जीएनसीटीडी एक्ट, 1991 लाया गया। इस एक्ट में दिल्ली विधान सभा के कामकाज और लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंत्रिपरिषद के कामकाज के बारे में पूरी डिटेल्स बताई गई हैं। हमने नहीं बताया, पहले ही 1991 में बताया गया है। हम इसमें कुछ क्लैरिटी लाने का प्रयास कर रहे हैं। मगर किसी का कोई अधिकार नहीं छीना जा रहा है, कोई प्रजातंत्र की हत्या या अन्य कुछ इस पार्लियामेंट के द्वारा, इस अमेंडमेंट के द्वारा नहीं हो रहा है। गलत प्रचार नहीं करना चाहिए। यह गलत है। बार-बार मोदी सरकार के ऊपर विपक्ष के नेता यह कहते हैं – डिक्टेटर, प्रजातंत्र की हत्या । ऐसी एक आदत बन गई है। यह गलत है, यह आदत नहीं रहनी चाहिए।

सभापति जी, जीएनसीटीडी एक्ट, 1991 के सेक्शन 44 में दिए गए अधिकारों के तहत भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी ने रूल्स, 1993 और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस (जीएनसीटीडी) रूल्स इश्यु किए हैं, जिनके तहत बताया गया है कि यदि लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंत्रिपरिषद या किसी एक मंत्री से कोई अलग राय है तो क्या प्रक्रिया होगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर से कोई मतभेद है तो उसमें भी क्लैरिटी है। इस एक्ट में पूरा अधिकार एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं दिया गया है। मैं 1991 वाले एक्ट के बारे में बता रहा हूं। हम किसी का कोई अधिकार नहीं छीन रहे हैं और किसी को कोई नया अधिकार नहीं दे रहे हैं। हम स्टेट गवर्नमेंट से कोई अधिकार नहीं छीन रहे हैं और कोई नया अधिकार दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस अमेंडमेंट के द्वारा नहीं दे रहे हैं। मगर उसमें यह क्लैरिटी है कि अगर मिनिस्ट्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच कोई मतभेद है तो उस विषय को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सीधे-सीधे महामहिम राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। इसमें उनका कोई अधिकार नहीं है, वे उसे सिर्फ महामहिम राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है, इमरजेंसी के अंदर महामहिम राष्ट्रपति से उसकी क्लैरिटी आने में, सम्मति आने में देरी हो सकती है, तब उस समय वह कुछ निर्णय ले सकते हैं। यह क्लैरिटी 1991 वाले एक्ट में भी है, यह नई चीज नहीं है।

सभापति जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर को मंत्रिमंडल के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, यह क्लॉज किसने लगाया? यह हमने नहीं लगाया। यह क्या क्लॉज लगाई गई है? अगर मंत्रिमंडल ने कोई निर्णय लिया, उस निर्णय के ऊपर अगर मंत्रिमंडल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच कोई मतभेद है तो उस मतभेद को क्लैरिफाई करने के लिए, फाइनल निर्णय लेने के लिए महामहिम राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए । यह प्रॉविजन एक्ट के अंदर हम नहीं लाए हैं, यह उसमें पहले से ही है । **…(व्यवधान)** हम उसमें क्लैरिटी ला रहे हैं। जो एम्बिग्युटी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है, उसके विषय में मैं आ रहा हूं। जब तक महामहिम राष्ट्रपति जी का निर्णय नहीं आता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगता है कि विषय का अर्जेंट नेचर है और उस पर उन्हें तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो अपनी समझ के अनुसार जो जरूरी निर्देश देना हो, उसके लिए आदेश वह जारी कर सकते हैं। जो दिल्ली असेम्बली है, उसकी जनता के विकास के विषय पर, डे-टू-डे एक्टिविटीज के विषय पर, दिल्ली की जनता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय पर और सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज के विषय पर ज्यादा जिम्मेदारी रहती है। इसीलिए भारत सरकार इस अमेंडमेंट के द्वारा किसी का एक भी अधिकार नहीं छीन रहे हैं। यह मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से दिल्ली की जनता को और देश की जनता को स्पष्ट करना चाहता हूं।

सभापति जी, दानिश अली जी बोल रहे थे । **This Bill is as per the constitutional scheme of things.** बार-बार हाई कोर्ट ने कहा है एम्बिग्युटी रहना चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के क्या अधिकार हैं, असेम्बली के क्या अधिकार हैं। **…(व्यवधान)** मैं बताता हूं। मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। **…(व्यवधान)**

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले : एम्बिग्युटी नहीं क्लैरिटी होनी चाहिए।**…(व्यवधान)**

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, शायद आपने क्लैरिटी की जगह एम्बिग्युटी शब्द बोल दिया होगा।

श्री जी. किशन रेड्डी: जी, हां। हम एम्बिग्युटी को क्लैरिटी देना चाहते हैं। **…(व्यवधान)**

मैं दक्षिण से आता हूं, मगर हिन्दी में बोल रहा हूं।

माननीय सभापति : आप बोलिए, आप अच्छा बोल रहे हैं।

SHRI G. KISHAN REDDY: Under Article 239 of the Constitution, the Lieutenant Governor is the Administrator of the Union Territory. His position is different from the Governor of other States. He has independent Executive powers. He has the authority to refer matters, where he disagrees with the elected Government of the State, to the President whose decision is final as per Article 239AA(4). अल्टीमेटली लेफ्टिनेट गवर्नर का, एडमिनिस्ट्रेटर का फाइनल नहीं है, महामहिम राष्ट्रपति जी का अधिकार फाइनल होता है। इसमें कोई एम्बिग्युइटी है, तो बताइए। The hon. court has endorsed the above position. जो वर्ष 1991 में कांग्रेस पार्टी ने एक्ट बनाया, कोर्ट ने भी उसको एंडोर्स किया है।

Coming to cooperative federalism, the Bill promotes cooperative federalism and will improve the coordination with the GNCTD consistent with its status as a Union Territory. कुछ लोगों ने बोला कि अधिकार छीने गए हैं, लेकिन हमने कोई अधिकार नहीं छीना है, हम अधिकार में क्लेरिटी देना चाहते हैं। Secondly, the proposed amendment does not amend the Constitution.

It is totally in tune with the court judgements. मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताना चाहता हूं। In the State NCT Delhi *versus* Union of India, 2020/12/SCC/259, it says:

> "Where Lieutenant Governor differs with his Minister, Lieutenant Governor is supposed to refer the matter to the President for decision and act according to the decision given by the President."

The Supreme Court has given the decision. It means that the Council of Ministers is supposed to convey its decision to the Lieutenant Governor to

enable the Lieutenant Governor to frame his view thereupon. The decision cannot be implemented without referring the same to the Lieutenant Governor in the first instance. The decision here touches upon the Government of UT.

Sir, I may tell the House about the other court judgement. In the State NCT Delhi *versus* Union of India, 2018/SCC/501, 2018/SCC Online/SC/661 at page no. 649, it says:

> "Articles 239A and 239AB read with provisions of the GNCTD Act, 1991 and corresponding 1993 TBR indicates that the Lieutenant Governor, being the administrative head, shall be kept informed with respect to all decisions taken by the Council of Ministers…..."

जो निर्णय लेते हैं, हमने आज भी अमेंडमेंट एम्बिग्युइटी हटाने के लिए यही बताया है, जो निर्णय मंत्रिपरिषद लेती है, उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर को समय-समय पर बताना चाहिए। यही इसमें कोर्ट ने भी एंडोर्स किया है। It says :

> '.. so as to keep him apprised in order to enable him to exercise the powers conferred upon him under Article 239AA(4) and proviso thereafter.'

Another judgement in Government of NCT of Delhi vs. Union of India 2018 was this. The scheme as delineated by 1991 Act and 1993 Rules clearly indicate that the Lieutenant Governor has to be kept informed of all proposals, agendas – I am talking of before meeting agendas only – of meeting and decisions taken. पहले ही बताना चाहिए, निर्णय लेने के बाद बताना चाहिए, यह माननीय हाई कोर्ट ने भी एंडोर्समेंट किया है। The communication of all decisions is necessary to enable the Lieutenant Governor to perform duties and obligations to oversee

the administration of GNCTD and where he is of a different opinion, he can make a reference to the President. उसमें भी बताया गया है कि राज्य सरकार, कैबिनेट या असेम्बली ने कोई निर्णय लिया है, अगर उसमें किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने डेफर किया, तो वह उस विषय पर महामहिम राष्ट्रपति जी को भेज सकते हैं। इस अधिकार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी बारबार क्लैरिटी दी है। The Delhi Netaji Subhas University of Technology Bill, 2015 के संदर्भ में भी स्टेट गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट्स किए हैं, वे अमेंडमेंट्स स्वीकार किया है, मेरे पास डिटेल्स हैं।

आज देश में तीन तरह से राज्यों की एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव व्यवस्था है। हम सभी को यह समझना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कोई संबंध नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार अलग है, उनकी असेम्बली का अधिकार अलग है और दिल्ली की असेम्बली का अधिकार अलग है। हरियाण की असेम्बली का अधिकार अलग है और दिल्ली की असेम्बली का अधिकार अलग है। Full-fledged States, like UP, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, have different rights. देश में यूनियन टेरिटरीज हैं – अंडमान, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ आदि, वे अलग हैं। UTs with Legislative Assemblies with limited powers, अभी तीन प्रांत हैं – दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर भी है। जम्मू-कश्मीर अभी नया बना है। ये तीन UTs with Legislative Assemblies with limited powers. पूरे देश में जो असेम्बलीज चलती हैं, उस विषय पर बात करते हैं कि प्रजातंत्र की हत्या हुई, यह गलत है। उनके पास लिमिटेड पावर्स हैं, उसके आधार पर ही सरकार चलानी पड़ेगी, क्योंकि जो अधिकार, जो कंस्टीटूशन, इस असेम्बली में, इस संसद ने बनाए हैं, इस संसद का जो आदेश है, निर्णय है, जो एक्ट है, जो भी स्टेट्स हैं, उसका पालन करना पड़ेगा। हम बात कर सकते हैं, हम भाषण दे सकते हैं, लेकिन उसके आधार पर इस संसद का एक्ट नहीं बदल सकते हैं। स्टेट्स के अधिकार अलग-अलग हैं, यूनियन टेरिटरीज के अधिकार अलग-अलग हैं और यूनियन टेरिटरीज विथ असेम्बली के अधिकार अलग-अलग हैं। हमें ये सब समझना चाहिए, क्योंकि हम पढ़े-लिखे लोग हैं, रिस्पेक्टेड

ऑनरेबल मैम्बर्स हैं, यह समझ कर बोलना चाहिए। अगर हमारी गलती है, तो हम उसे मानने के लिए तैयार हैं। अगर बिना गलती के गालियां देंगे, तो हम उसे सुनने वाले नहीं हैं।

According to the Constitution and NCT of Delhi Act, 1991, NCT of Delhi is a Union Territory with Legislature with limited powers. ऑनरेबल कोर्ट ने सभी निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। इस अमेंडमेंट का उद्देश्य सिर्फ अस्पष्टता को हटाने के लिए उत्पन्न हुआ है। यहां सभी प्रस्तावित संशोधन कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों के अनुरूप हैं। कोई गलत नहीं है। इसी से दिल्ली के लोगों का भला होगा और प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर होगी। The proposed amendment in the Act shall create a sound Government's mechanism in the NCT of Delhi which will improve equity and inclusiveness, and the amendments proposed will lead to transparency and clarity in governance in the NCT of Delhi and thus enhance public accountability.

सभापति महोदय, यह जीएनसीटी एक्ट 1991 में संसद के द्वारा बनाया गया था। इस एक्ट पर लगातार फोरम में चर्चा हो रही थी। यह हमारे कारण नहीं हुआ है। हम ने यह एक्ट नहीं बनाया है। यह मोदी सरकार ने भी नहीं बनाया है, इसे अमीत शाह जी ने नहीं बनाया है, इनसे पहले राजनाथ सिंह जी थे, राजनाथ सिंह जी ने भी यह नहीं बनाया है। यह वर्ष 1991 में, कांग्रेस के जमाने में एस. बी. चौहान जी, होम मिनिस्टर थे, उस जमाने में यह बनाया गया था। जीएनसीटी एक्ट के बारे में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केसेज फाइल हुए। कोर्ट में अनेक बार उस पर सुनवाई हुई। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जेएनसीसी एक्ट के बारे में जजमेंट सुनाई।

पार्लियामेंट में यह एक्ट बनने के बाद, अलग-अलग फोरम पर इस एक्ट के बारे में चर्चा हो रही थी। कोर्ट जजमेंट सुनाती थी, लेकिन पार्लियामेंट स्पेक्टेटर जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि इस पार्लियामेंट ने ही इस एक्ट को बनाया है। पार्लियामेंट की यह जिम्मेदारी बनती है, इस एक्ट के बारे

में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में धरना होता है, इसके साथ ही राजभवन में भी 10 दिनों तक धरना होता है। इस एक्ट पर अलग-अलग फोरम पर इस एक्ट के बारे में चर्चा हो रही थी, आप लड़ लीजिए, लेकिन हम एक्ट को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमें क्लैरिटी देनी पड़ेगी, यह पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिब्लिटी है। हमने जो एक्ट बनाया, जो एम्बिग्युइटीज है, उसे निकालना होगा, इस पर क्लैरिटी हो इसलिए आज यह एक्ट लाया गया है।

माननीय सभापति जी, इस अमेंडमेंट का प्रमुख लक्ष्य एनसीटी दिल्ली, 1991 में जो एम्बिग्युइटीज है, इंटरप्रिटेशंस में दिक्कत आ रही हैं, उसे दूर करना है। ड्यूटी और रिस्पॉन्सिब्लिटी पर मोर क्लैरिटी देना है। कंफ्लिक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पर समाधान लाना है। मिस अंडरस्टैंडिंग को दूर करना, मोर क्लैरिटी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन में अपनी-अपनी जिम्मेदारी को निभाना, कंफ्यूजंस में क्लैरिफिकेशन लाना, यह मोदी सरकार का काम है। इसीलिए इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पर यह अमेंडमेंट बिल लाए हैं। मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं, फिर एक बार बता रहा हूं, इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं है। इस पर बहुत सालों से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चर्चा हो रही है और इस पर सुनवाई होनी चाहिए। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि सर्वसम्मति से इस अमेंडमेंट को पास करें।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय सभापति: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

SHRI G. KISHAN REDDY: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

17.28 hrs

MARINE AIDS TO NAVIGATION BILL, 2021

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल.**मांडविया):** माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं:

> "कि भारत में नौचालन सहायता के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन; नौचालन सहायता प्रचालक के प्रशिक्षण और प्रमाणन, उसके ऐतिहासिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक मूल्य का विकास करने के लिए; सामुद्रिक संधियों और अंतरराष्ट्रीय लिखतों, जिनमें भारत एक पक्षकार है, के अधीन बाध्यताओं की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, नौचलन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक, 2021, मैं इस उद्धेश्य के साथ लेकर आया हूं कि देश में 7,500 किलोमीटर समुद्र तट है। समुद्र तट पर समुद्र में ट्रैवल करने के लिए शिप हो, बड़ी वेसल्स हो या छोटी वेसल्स हो, उन्हें गाइड करने के लिए लाइट हाऊस होता है। लाइट हाऊस एक्ट 1927 में बना था। उस वक्त केवल तेल से लाइट हाऊस पर दिया जलाया जाता था। यह एक्ट उस जमाने से बना हुआ है, इसमें अमेंडमेंट होते रहे, लेकिन इसका स्ट्रक्चर नहीं बदला।

---

* Moved with the recommendation of the President.

इसका दूसरा उद्देश्य यह है कि लाइट हाऊस में तेल के दिये के बाद इलेक्ट्रिसिटी आई, उसके बाद जीपीएस आया फिर रडार आया, वीटीएमएस आया और समय के साथ कई टेक्नोलॉजीज़ आई। हमें इन टेक्नोलॉजीज़ को कैसे रेगुलेशन में लाना है, यह दूसरा उद्देश्य था।

तीसरा उद्देश्य यह था कि बदलते हुए समय में कई इंटरनैशनल ट्रीटीज होती रहती हैं। इंटरनैशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंटरनैशनल फोरम पर जो ट्रीटी होती है, उसमें इंडिया भी एक पार्ट होता है। दुनिया का कोई भी वेसेल इंडिया में आए या इंडिया का कोई भी वेसेल दुनिया के किसी भी पोर्ट पर जाए, तो उसको नेविगेशन एड देना कम्पल्शन होता है। वर्ष 1974 में जो रेगुलेशन बना था और आईएमओ ने एक गाइडलाइंस तय की थी, हमने उसको माना था, लेकिन उसको रेक्टिफाई करना बाकी था। इसलिए इस बिल के अनुसार हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। हमारे जो लाइटहाउसेज हैं, उनके पास लैंड हैं, हम उनका टूरिज्म परपस से कैसे उपयोग कर सकते हैं, हमारा यह भी एक दृष्टिकोण है। इन सभी को लेकर एक नया बिल बनाकर मेरिन एड टू नेविगेशन बिल, 2021 लेकर मैं सदन के सामने आया हूँ। सदन इस पर विचार करे और इसे पारित करे।

माननीय सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> “कि भारत में नौचालन सहायता के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन; नौचालन सहायता प्रचालक के प्रशिक्षण और प्रमाणन, उसके ऐतिहासिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक मूल्य का विकास करने के लिए; सामुद्रिक संधियों और अंतरराष्ट्रीय लिखतों, जिनमें भारत एक पक्षकार है, के अधीन बाध्यताओं की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मेरिन एड टू नेविगेशन बिल,2021 पर बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

वैसे तो हमारे देश के पास 7500 किलोमीटर तक का लम्बा समुद्री किनारा है। हमारा इतिहास भी साक्षी है कि हम दुनिया के साथ समुद्री व्यापार किया करते थे और दुनिया के साथ जुड़े रहते थे। पहले के जमाने में भी हम इंडोनेशिया, अफ्रीका जैसे कई देशों के साथ समुद्री व्यापार करते थे। समुद्री जहाजों के लिए दिशा-निर्देश करने वाले, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि पहले के जमाने में जो लाइट-हाउस था, उसमें तेल डालकर दीया जलाते थे और उसी से दिशा-निर्देश होता था। कई बार ऐसा होता था, यह सुनने में भी आया है, बहुत-सी कहानियाँ भी हमने सुनी हैं कि बहुत-से जहाज सही ढंग से दिशा-निर्देश न होने के कारण समुद्री तूफान में बड़ी चट्टानों से या किसी भी कारण से नष्ट होते रहते थे या डूब जाते थे। ऐसे बहुत-से हादसे होते रहते थे।

लाइट-हाउस के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन भी नहीं था। लेकिन वर्ष 1927 में सरकार ने बनाया था, उस समय तो यहाँ अंग्रेजों की सरकार थी और इसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। तब उसने यह सोचा था और छः जिले को उसके दायरे में लाया गया था। छः लाइट-हाउसेज को उनके साथ जोड़ा था और एक सेन्ट्रली एडवाइजरी रेगुलेटरी उनके साथ बनाई हुई थी। लेकिन उसके बाद कुछ-कुछ अमेंडमेंट्स होते रहे, लेकिन कोई रेगुलेटरी नहीं बनी थी। अब तो हमारी भौगोलिक सीमाएं भी बदल चुकी हैं। पहले तो म्यांमार, पाकिस्तान, बंगलादेश सभी जुड़े थे। इसलिए पहले जो छः डिस्ट्रिक्ट्स तय किए गए थे, उनमें से बहुत-से डिस्ट्रिक्ट्स इन देशों में भी चले गए। आजादी के बाद हमारे देश में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो इंटरनैशनली फ्रेमवर्क के दायरे में आए, इंटरनैशनल दायरे में आए, ऐसा कुछ तो करना चाहिए।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आगे की सरकारें, जो आजादी के बाद इतने वर्षों तक चलीं, ने कोई रूल्स या रेगुलेशन या कोई बिल पास नहीं किया ताकि हम इंटरनैशनल दायरे में आ सकें, इंटरनैशनल कंवेंशन के दायरे में आ सकें। लेकिन आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और

हमारे मंत्री जी ने बहुत ही अच्छी तरह से विचार-विमर्श करके, यह इंटरनैशनल दायरे में आ सकें, उसके लिए यह बिल लाए हैं। मैं माननीय मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ।

वैश्विक व्यापार की सहायता के लिए नौवहन, जैसा कि मैंने बताया, सदियों से परिवहन का एक प्रमुख साधन रहा है। बंदरों को समुचित, सुरक्षित और तीव्र रूप से नौचालन करने की हमेशा जरूरत रही है। इसमें सहायता करने के लिए विश्व में अनेक प्राधिकरणों द्वारा अपने जल की जो सीमा होती है।

उसके नौचालन के लिए सहायक उपलब्ध कराए गए हैं। हमको भी पूरा अधिकार है और हमारे संविधान में भी लिखा है, जिसमें हमारी केन्द्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे रूल्स और रेग्युलेशंस बनाए। यह काम हमारे माननीय मंत्री जी ने किया है। जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि वर्ष 1927 में जो रूल्स बने थे, उनमें अब बहुत सारे चेंजेज़ इस बिल के पास होने के कारण आएंगे। इस बिल की जो डिटेल्स हैं, उनके बारे में तो माननीय मंत्री जी बताएंगे।

मैं इतना कहती हूं कि मेरी कांस्ट्यूएंसी में गोपनाथ नाम की एक जगह है, जो समुद्र के किनारे पर है। हम जब छोटे थे, तब से उसका लाइटहाउस देख रहे थे। हमारी जिज्ञासा भी बनी रहती थी कि इस लाइटहाउस में क्या होता है, लेकिन कभी वहां जाना नहीं हुआ। कुछ टाइम पहले माननीय मंत्री जी ने मेरे एरिया में एक कार्यक्रम रखा, जिसका मुझे इन्वीटेशन मिला। हम जब वहां गए, सारे अधिकारियों की टीम भी वहां मौजूद थी, हमने उस बहुत ही पुराने लाइटहाउस को देखा। गोपनाथ का वह पुराना लाइटहाउस पूरी तरह से नया बन गया है और माननीय मंत्री जी ने उसे एक टूरिज़्म पॉइंट बना दिया है।

मैं आज गर्व के साथ कहती हूं कि मेरे यहां इस लाइटहाउस को देखने के लिए पूरे गुजरात से ही नहीं, बल्कि पूरे देश से टूरिस्ट्स आ रहे हैं। ऐसा सिर्फ गोपनाथ में नहीं है, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे गुजरात में बेहरावल और द्वारका में भी ऐसा ही लाइटहाउस बन रहा है और पूरे देश से वहां भी टूरिस्ट्स आने लगेंगे। मैं यह भी बताना चाहती हूं कि अगर काम करने का तरीका ऐसा हो,

जब दृढ़-इच्छाशक्ति हो, तो क्या नहीं हो सकता है, जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने कर दिखाया है। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि लाइटहाउस भी कभी पिकनिक पॉइंट या टूरिज़्म पॉइंट बन सकते थे। ऐसा माननीय मंत्री जी ने किया है, जिसके लिए मैं फिर से उनको धन्यवाद देती हूं।

इस बिल में जो रूल्स हैं, उनमें बहुत सारे जो पुराने रूल्स हैं, उनमें फेरबदल किया गया है। इस बिल में ऐसे बहुत सारे प्रावधान भी किए गए हैं, जिनकी वजह से इस पूरे बिल का एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है। इससे हम इंटरनैशनली कन्वेंशन के दायरे में आ जाएंगे। हमारा भारत देश ऐसी बहुत सारी इंटरनैशनल संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ है। कई ऐसे संस्थाओं के साथ हमने साइन भी किए हुए हैं। इसीलिए, हमारे देश को इस बिल की बहुत जरूरत थी कि इसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएं, जिससे हम पूरी दुनिया में इसके लिए जो नियम बने हैं, उनसे हम जुड़े रहें।

मैं भावनगर से आती हूं। एशिया का सबसे बड़ा अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड मेरी कांस्टिट्यूएंसी में है। कुछ टाइम पहले इसी मंत्रालय ने और माननीय मंत्री जी ने हॉन्ग-कॉन्ग कन्वेंशन का बिल भी इसी सदन में हम सबने पास किया था। इसी वजह से ऐसा हुआ है कि हमारे यहां अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में जो शिप ब्रेकिंग के लिए आते हैं, वे अभी तक पूरे विश्व से नहीं आते थे, लेकिन हॉन्ग-कॉन्ग कन्वेंशन का बिल पास होने की वजह से अब हमारे अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में पूरी दुनिया से शिप्स ब्रेकिंग के लिए आ रहे हैं।

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है, पांच सालों में हमारे इस उद्योग में डबल शिप्स आने वाले हैं। इस तरह हमारी सरकार जैसे-जैसे काम करती जा रही है और हम ग्लोबली सबसे जुड़े रहते हैं, चाहे वह मेडिकल फील्ड हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, उद्योग हो, इनवेस्टमेंट हो, इन सब तरीके से जब हम इंटरनैशनली जुड़े रहते हैं, तो हम मरीन क्षेत्र में कैसे पीछे रहें? इसलिए माननीय मंत्री जी यह बिल लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि माननीय मंत्री जी बिल के बारे में डिटेल में बताएंगे, लेकिन इस बिल के पास होने की वजह से सेफ्टी ऑफ नेवीगेशन हो जाएगा। इससे हमारा मरीन एनवायर्नमेंट भी अच्छा रहेगा।

हमारी मैनपावर अब तक स्किल्ड नहीं थी। जो मैनपावर मरीन में है, लाइटहाउस में है या पोर्ट्स में है, वह स्किल्ड नहीं थी, लेकिन इस बिल के पास होने की वजह से उनको वीटीएस के अंतर्गत ट्रेनिंग मिलेगी और सर्टिफिकेशन भी होगा। अत: इसकी वजह से हमें स्किल्ड मैनपावर भी मिलने वाली है और हमारे यहां रोजगार, इंप्लॉयमेंट भी बढ़ने वाला है। इससे रोजगार भी बढ़ेगा। सबसे अच्छी बात यह होगी कि बिल पास होने की वजह से हमारा सामुद्रिक व्यापार पर विश्वास बढ़ेगा। सबसे अच्छा यह भी होगा कि यह लीगल फ्रेम वर्क में आ जाएगा और बिल पास होने से हम दुनिया के साथ जुड़ेंगे। हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा। माननीय मंत्री जी एक नया आइडिया लेकर आए हैं कि जो भी पुराने जमाने के लाइट हाउसेज हैं, उन्हें हैरीटेज लाइट हाउसेज में कंवर्ट करेंगे और वे भी टूरिज्म प्वॉइंट बनेंगे तथा ऐसी जगहों के लिए बहुत सारी सुविधाएं भी देने का काम किया है। मछुआरों के लिए भी यह बहुत अच्छा बिल है। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): सभापति जी, आपने मुझे नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक, 2021 पर अपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जैसा कि सभी को मालूम है कि सामुद्रिक नौचालन के क्षेत्र में आजादी के पूर्व ब्रिटिश काल में लाइटहाउस एक्ट, 1927 का अधिनियमन हुआ था। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के क्रियाकलाप पूरे भारत में थे। बाद में सामुद्रिक नौचालन मार्ग में भारत, म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश तथा कुछ देसी रियासतें भी शामिल थीं। लेकिन समय के बीतने के साथ-साथ स्थितियां बदलीं और देश आजाद हुआ और कई नए देशों का सृजन भी हुआ जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश हैं। आज भी सामुद्रिक नौचालन नौ दशक पुराने लाइटहाउस एक्ट, 1927 की संरक्षता में चलता रहा। भारत भी सामुद्रिक संधियों और अंतर्राष्ट्रीय लिखतों इंटरनेशनल कंवेंशन फॉर दि सेफ्टी ऑफ लाइटहाउस एक्ट सी, 1974 और अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन मैरीन एंड्स लाइटहाउस अथारिटी मैरीन टाइम्स बोयास सिस्टम से हस्ताक्षर करता है और इन्हीं संधियों और लिखितों के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिग्नल, उच्च कोटि की तकनीक और किसी दूसरे देश के समुद्री क्षेत्र में किसी घटना की जांच वगैरह से संबंधित इस विधेयक को लाया गया है, जो एक बहुत सराहनीय कदम है। जब कोई सामुद्रिक नौचालन से संबंधित किसी प्रकार की घटना होती है और लाइटहाउस एक्ट, 1927 और देशों के बीच हुई अंतरराष्ट्रीय संधियों में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो विवाद के निपटारे के लिए सरकार ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है। इस विधेयक में यह भी उपबंध किया गया है कि यदि किसी जलयान यातायात सेवा प्रदाता द्वारा जलयान यातायात सेवा से संबंधित इस विधेयक में दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो वह जुर्माने से दंडनीय होगा। इसके साथ ही साथ नौचालन की सहायता के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण संस्थान और व्यावहारिक ज्ञान को और उत्कृष्ट बनाने की आवश्यकता है।

महोदय, हमारी बहुजन समाज पार्टी की मांग है कि सामुद्रिक नौचालन के क्षेत्र में कार्य कर रहे संस्थानों में विधेयक के पारित होने के बाद दिए जाने वाले प्रशिक्षणों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की सहभागिता अनिवार्य रूप से संविधान के अनुरूप देने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): धन्यवाद सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने आज The Marine Aids to Navigation Bill, 2021 पेश किया है। मैं कई बार सोचता हूं कि यदि अपनी सरकार न होती तो कितना कुछ छूटा रह जाता। कई ऐसे विषय हैं, जिसके बारे में भारत सरकार ने गहनता से सोचा। नेविगेशन एक ऐसा विषय है, जिसका मुझे सामान्य रूप से अपने जीवन में दूसरे प्रोफेशन में उपयोग करना होता है। अत: मैं इसका महत्व समझता हूं। यातायात के साधन पूरी दुनिया में रहे हैं। इंसान ने जब जन्म लिया होगा, जब सृष्टि बनी होगी, तब वह पैदल ही चलकर जाता था। उसके बाद इंसान ने तय किया कि इससे आगे भी बढ़ा जा सकता है। इंसान मूलरूप से एडवेंचरिस्ट होता है। उसके बाद नदियों के मार्ग से, समुद्र के मार्ग से इसका प्रयास शुरू हुआ। जब हम हवाई यातायात की बात करते हैं तो यह मुश्किल से सौ साल पुराना है, लेकिन जब हम समुद्री यातायात या नदियों के यातायात की बात करते हैं तो यह कम से कम 8 हजार साल पुराना है। यह अपने-आप में एक ऐसी चीज है, जो शायद हर किसी के जीवन को प्रभावित करता है। भारत के लोकतंत्र में जितने भी शासन हुए होंगे, उन्होंने समुद्र की तरफ जरूर देखा होगा, क्योंकि भारत का जो समुद्र तट है वह लगभग 6 हजार किलोमीटर है। इतना ही नहीं, अगर हम दूसरे समुद्र तट को देखें, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड है, वह हमारी मुख्य भूमि से एक हजार किलोमीटर दूर है। वह आइलैंड भी एक हजार किलोमीटर लंबा है। इस प्रकार से यदि समुद्री यातायात का अनुमान लगाया जाए तो भारत के इर्दगिर्द इतना है। पूरे भारतवर्ष के मछुआरे वहां पर अपने जहाज को मछली मारने के लिए जाते हैं। लगभग 1500 शिप्स पूरे भारत में रजिस्टर्ड हैं, जो बाहर जाते हैं और भीतर आते हैं। इसके इतिहास में अगर हम लोग जाना चाहें, तो सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि नैविगेशन शब्द जो अंग्रेजी में आया, वह पहले संस्कृत का शब्द था। नवगत करके संस्कृत का शब्द था, जिससे नेविगेशन बना और पूरी दुनिया में नेवीगेशन नाम से प्रचलित हुआ। इसके अलावा नेवी का संस्कृत वर्ड वह नूव था। यह बड़ा अजीब है कि पूरी दुनिया में जब भी हम नेविगेशन की बात करते हैं या नेवी की बात करते हैं तो उसका कहीं न कहीं मूल स्रोत भारत से ही

मिलता है । यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है । सरकार बहुत सारे रेग्युलेशन्स लाई । उनमें रिसाइकिलिंग ऑफ शिप्स है, मेजर पोर्ट ऑथराइजेशन बिल, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, पाइरेसी आदि विषयों पर हमारी सरकार बिल लाई । अगर देखा जाए तो शिप की सेलिंग छ: हजार वर्ष पुरानी है । पता नहीं, उस समय के लोग जब समुद्र से जाते होंगे तो कैसे रास्ते ढूंढते होंगे? आजकल हमारी गाड़ियों में जीपीएस लगा हुआ है और हमारा ड्राइवर भी कहीं जाने से पहले जीपीएस डाल देता है और हमें वहां पहुंचा देता है । उस समय 6-7 हजार किलोमीटर जहाज में जाना होता था और जहाज में कोई इंजन नहीं होता था । पर्दे लगाकर वे लोग सेल करते थे । जब हवा की गति बनती थी तो जहाज सेल करता था और जब हवा की गति कम हो जाती थी तो जहाज धीमा हो जाता था । जो पहला जहाज, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, वह सेकेंड मिलेनियम बीसी में था । डॉक्यूमेंटेड इतिहास में पहला समुद्री जहाज मेडिटेरियन सी में चला था । एक और के बारे में चर्चा की जाती है, जो साउथ चाइना सी से संबंधित है । इतिहास में दो स्थानों पर लगभग सेकेंड मिलेनियम बीसी में समुद्री जहाजों का वर्णन है । इस जहाज का नाम था-Pesse canoe.It is the oldest ship in the world dated between 8040 and 7510 BC. यह बहुत ही पुराना है । जबसे नेविगेशन की शुरुआत हुई है तब से हम लोग लाँगीट्यूड और लैटीट्यूड की बात करते हैं । आज भी हमारे बच्चे जब स्कूलों में पढ़ते हैं या हम लोग आपस में बात करते हैं तो लाँगीट्यूड और लैटीट्यूड की बात करते हैं । पूरे ग्लोब पर जब हम नैविगेशन की बात करते हैं तो हम लैटीट्यूड और लाँगीट्यूड की बात करते हैं । इसके बाद नॉर्थ पोल और साउथ पोल से देखकर सभी नैविगेशन की हम लोग बात करते हैं । पहले नेविगेशन इस आधार पर होता था कि किस दिशा में सूरज उगा और किस दिशा में सूर्य ढला ।

फिर उसके बाद से लोगों को लगा कि इस मार्ग से हम अपना नेविगेशन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वे सितारों पर चले गए, तारों पर चले गए । दिन में सूर्य की रोशनी के आधार पर, रात में तारों के आधार पर पूरी दुनिया में नेविगेशन का काम शुरू हुआ और वहाँ से चलते-चलते फिर उसके बाद, वह भी कामयाब नहीं हुआ, तो फिर जो कान्स्टीलेशन स्टार्स के थे, फिर नाविकों ने

उसको देखना और पहचानना शुरू किया और वहाँ से बढ़ते-बढ़ते कि इस दिशा में इस स्टार की तरफ बढ़ेंगे तो यह दिशा यह होगी और कान्टिनेंट यह मिलेगा, इस प्रकार से हम लोग बढ़ते रहे। उसके बाद कंपास आया, मैग्नेटिक कंपास आया, उसके बाद डेड रेकनिंग आया, नेविगेशनल चार्ट्स आए, फिर नॉटिकल चार्ट्स आए, फिर उसके बाद पायलेटिंग का सिस्टम बिल्ट अप हुआ, जिस हिसाब से किस दिशा में जाकर चार्ट पर बनाकर लोग जहाज लेकर जाना शुरू करते थे। फिर उसके बाद रेडियोज आए, उसके बाद जीपीएस आया, उसके बाद रडार आया। अब सब कुछ लगभग रडार नियंत्रित है। कहाँ सूर्य की रोशनी से शुरू किया था, कहाँ आज का रडार है और सैटेलाइट में जीपीस की पोजिशन लेकर जहाज चलता है। वह सिर्फ इतना ही नहीं करता है, अब यह समुद्री जहाज किस गहराई तक जा रहा है, वह भी वह अपने आपको नापकर चलता है कि मैं किस गहराई से निकलूँगा, तो कहाँ से कहाँ टेक्नोलॉजी ने उसको पहुँचा दिया है। मछुआरों का जहाज यह भी पता लगा लेता है कि सबसे ज्यादा मछली हमें कहाँ पर मिलेगी, हमें कहाँ कैच मिलेगा, यह भी टेक्नोलॉजी से प्राप्त करते हैं और वह भी नेविगेशन से प्राप्त होता है। नेविगेशन की टेक्नोलॉजी से समुद्र के अंदर का करेंट पता चलता है। उस करेंट से यह पता चलता है कि पूरी दुनिया की मछलियों का मूवमेंट किस दिशा में है और किस सीजन में किस समय हमें कहाँ कितना मछली का कैच मिलेगा। यह तकनीक/टेक्नोलॉजी है, जिससे बढ़ते-बढ़ते हम यहाँ पहुँचे हैं।

इसके साथ एक चीज का आविष्कार और हुआ और यह सबसे रोचक चीज है, जो आज हम अपने बच्चों को दिखाने ले जाते हैं। मांडविया साहब, आपने एक बहुत अच्छा काम किया है और मैं हमेशा इन सब चीजों के लिए बहुत चिंतित रहता हूँ। आपने इसमें एक ऐसा प्रावधान किया है, जो गैर-टेक्निकल है और किसी भी टेक्निकल बिल में एक गैर-टेक्निकल प्रावधान आए, यह बड़ा रेअर होता है। उसमें आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं देश की सरकार को, देश के प्रधान मंत्री को और आपको आने वाली पीढ़ी याद करेगी। जितने देश के लाइट हाउसेज हैं, जो पुराने हो गए हैं, जो अनयूटिलाइज्ड हैं, उनको आपने कल्चरल साइट के रूप में, टूरिस्ट साइट के रूप में प्रोटेक्ट करने का निर्णय किया है, यह बहुत अच्छा निर्णय है। मुझे याद है, बचपन से हम लोग ट्रेन

में चलते थे और मुझे कई बार बहुत खराब लगता है कि पटना में, पटना जंक्शन से लेकर बातर तक एक ट्रेन चलती थी। शहर के बीच से गुम्टियाँ थीं और अंग्रेजों के जमाने के छोटे-छोटे कॉटेज बने हुए थे। सरकार ने तय किया कि हम यहाँ पर बहुत सुन्दर सड़क बनाएंगे और जितने इतिहास के छोटे-छोटे अंग्रेजों के बनाए हुए 150 साल पुराने वे कॉटेजेज थे, उनको बुलडोजर लगाकर गिरा दिया। किसी ने इन्हें नहीं देखा। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे, तो हम उन्हें देखते थे। अब पटना की सड़कों पर उन्हें खत्म कर दिया गया है। रामकृपाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, जो पटना का हड़ताली चौक है, वहाँ एक रेलवे मैन का केबिन हुआ करता था, जिसे हम लोग बचपन से देखते थे। हमारे शासक, जो लोग सोचते हैं, उन्हें इतना भी नजर नहीं आया कि इतिहास के पन्नों में कुछ चीजों को बचाकर रखना होता है, लेकिन चलिए, यह सब सीखने का मौका होता है।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): राजीव भाई, वह बंद पड़ी हुई थी, उसको मैंने प्रारम्भ करवाया था। यह भी एक इतिहास है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : उसके बाद दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस का निर्माण हुआ। हम लोग समझते थे कि जिस पर चक्र घूमता रहता है, वह लाइट हाउस होता है। एक जमाने में था कि जब समुद्री दुर्घटनाएं बहुत होने लगती थीं तो देश के राजा कहते थे कि इस पहाड़ के ऊपर जाकर इतने अलाव जला दो, इतनी लकड़ियाँ जला दो कि जहाजों को आने का रास्ता पता चल जाए। पहले लकड़ियाँ जमा करने के लिए जंगलों को जलाया जाता था। सबसे पहला लाइट हाउस वर्ष 1934 में आयरलैंड में बना। यह सिर्फ नेविगेट करने के लिए था कि कहीं जहाज समुद्र तट पर आकर टकरा न जाए, कहीं वह तट पर स्टैन्डर्ड न हो जाए। पूरी दुनिया में अगर आप नेविगेशन देखेंगे, चाहे वह इंग्लिश चैनल हो, चाहे स्टेट ऑफ मलक्का हो, पनामा कैनाल हो, स्वेज कैनाल हो, डैनिश स्ट्रेट हो, स्ट्रेट ऑफ होरमुज हो, लोगों ने मिलकर यह सब रास्ता, मार्ग निकाला है। पूरब से लेकर पश्चिम तक यह निकाला गया है। सबसे रोचक दुनिया का पहला लाइट हाउस है। जिपसैन फैरोज के अलेक्जेंड्रिया में 280 बीसी के तहत दुनिया का पहला लाइट हाउस बना। अब यह भी

काल्पनिक है कि इतना पुराना इतिहास और उसमें कुछ नहीं था। उन लोगों ने एक बड़ा सा फायर प्लेस बनाया और राजा कहते थे कि रात को यहाँ आग लगा दो।

वह दुनिया का पहला लाइटहाउस था। उसके बाद कई जगहों पर समुद्री जहाज निकलते थे तो दुनिया में कहां-कहां वोल्केनोज़ हैं, कहां-कहां उसके अंगारे निकल रहे हैं, उनकी पहचान करके उन लाइटहाउसेज़ की समुद्र किनारे पहचान करना शुरू किया। उसके बाद कई देशों ने कहा कि यह बोनफोयर करेंगे, वहां पर छोटी पार्टियाँ होती थीं, रात को पार्टियां होती थीं, वह इसलिए नहीं होती थी कि वहां लोग एन्जॉय करें। वह पार्टियाँ इसलिए होती थीं कि बड़े-बड़े बोनफायर्स हों ताकि जहाजों को पता चल सके कि इस दिशा में आने पर खतरा है। इसके बाद 16वीं शताब्दी में दुनिया का जो फर्स्ट लाइटहाउस डिजाइन हुआ, वह आयरलैंड में था। उसको कोयले के अलाव से बनाया गया था।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब थोड़ा बिल पर भी आ जाएं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : सर, नेविगेशन है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है। जो रोचक इतिहास आप बता रहे हैं, यह लम्बा चल सकता है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : सर, मैं बता रहा हूं कि यह नेविगेशन कैसे कहां से कहां चल कर आया। महोदय, सदन में कोई नहीं बताएगा। यह बात कोई नहीं बताएगा। बच्चे पढ़ेंगे और कहेंगे कि साहब कोई तो आया, उसने बताया कि लाइटहाउसेज़ क्या हैं? 17वीं शताब्दी आते-आते पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स लगे। महोदय, मैं कह रहा हूं कि जो बिल ला रहे हैं, यह नेविगेशन पर है। नेविगेशन के बारे में साइंस कैसे-कैसे बढ़ती हुई आई और उसके बाद पहली बार 19वीं शताब्दी में कमिश्नर ऑफ लाइटआउसेज़ बना। इसके अंदर डायरेक्टर ऑफ लाइटहाउसेज़ की बात कर रहे हैं। आप उस बिल को बदल कर नया नाम दे रहे हैं। 19वीं शताब्दी में आयरिश ने किया था। आप पूछिएगा कि जहाजों को चलाने के लिए पहला लाइटहाउस कहां था, तो वह भारत में महाबलीपुरम में 17वीं सेंचुरी में था। इस प्रकार से मैं यह कहना चाहता हूं, मेरा एक संकट है, मुझे पता नहीं है कि किस प्रकार से, मैं विमान उड़ाता हूं और अकेला दुनिया में एक पार्लियामेंटेरियन हूं, जो बड़े विमान

उड़ाता हूं और प्रत्येक दिन उड़ाता हूं। मुझे एक संकट होता है, क्योंकि मैं कई विषयों पर करता हूं और इसमें टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, रेडियो नेविगेशन का ऐड है । आपने कई सारे सर्टिफिकेट्स, एग्जाम्स की बात कही हैं। जहां हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस होता है, वह एक जमाने में जो रेडियो टेलीफोनी होता था, जिस तरह संचार की बात करते थे तो पहले मोर्स कोड होता था, आपको याद होगा कि टेलीग्राम भेजने के लिए टक, टक, टक करते थे और उससे वह संवाद निकलता था। एक समय वह था और आज आप रेडियो पर बिल्कुल सीधे बीएचएफ हो, यूएचएफ हो, उस पर सीधे कम्युनिकेट करते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से एक जहाज से दूसरे जहाज से इसी प्रकार से करते हैं। हवाई जहाज के मामले में इन लोगों ने क्या किया कि पूरे भारतवर्ष में मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने वह परीक्षा अपने यहां से जो रेडियो लाइसेंसिंग की होती है, वह रेडियो लाइसेंसिंग का काम जो डीजीसीए को करना चाहिए, वह डीजीसीए नहीं करती है। रेडियो कम्युनिकेशन का काम और एग्जामिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लेती है। मुझे नहीं पता है कि इसमें जो दूरसंचार की व्यवस्था है, वह एग्जाम यह मंत्रालय लेता है या मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम लेता है? अगर यह लेता है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोर्स कोड वगैरह नहीं है । उसको एक ही रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के पास होना चाहिए, जो आपके मंत्रालय में अधीनस्थ है, अन्यथा ये बच्चे भागते रहते हैं। सिविल एविएशन से उनको लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है, लेकिन वह मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम में जाते रहते हैं और वहां की व्यवस्था ठीक नहीं है। उसी प्रकार से मैरीटाइम का जो इम्तिहान है और मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम यह कर रहा है तो कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पर वार्ता करके इसका निदान किया जाए। क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री जी इस प्रकार के कई सारे रिफॉर्म्स करते हैं और इस देश का एक बड़ा रिफॉर्म होगा कि जो रेडियो टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी है, अगर उसे डायरेक्टोरेट ऑफ शिपिंग करे तो बेटर होगा, न कि यह। यह बड़े स्तर का निर्णय है, छोटे स्तर का निर्णय नहीं है, क्योंकि 70 वर्ष से इस बात का किसी ने निदान नहीं किया।

महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो नेविगेशन का पार्ट है, यह अपने आप में बड़ा आधुनिक है, राडार से है और माननीय मंत्री जी ने जो यह बिल पेश किया है, यह 1927 का एक्ट है, उसी को अमेंड किया जा रहा है। पता नहीं, इतने वर्षों से हम लोगों ने थोड़ा बहुत संशोधन किया है। एयरक्राफ्ट एक्ट भी 1934 का है। उसके रूल्स भी 1934 के हैं। आज़ादी के पहले बनने वाले एक्ट्स हैं। लेकिन भारत की सरकार और अपनी वर्तमान सरकार मिलकर नेविगेशन, चाहे वह नेविगेशनल ऐड्स हो, इक्वीमेंट्स हो, जहाज में लगने हो, हवाई जहाज में लगने हो और यह सैटेलाइट से नियंत्रित होता है, जीपीएस हो, आईआरआईएस हो, इस प्रकार की व्यवस्था से और देश में इसी स्थान पर मैं यह कहना चाहूंगा कि यह काम इनके कंट्रोलर्स और राडार कंट्रोलर्स जो शिप को कंट्रोलर करते हैं, मैरीटाइम शिप राडार कंट्रोलर्स को भारत में बहुत-बहुत बधाई, जिस प्रकार से हवाई यातायात के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को बधाई देते हैं, तो इस अच्छे विधेयक को लाने के लिए मंत्री जी को बधाई देता हूं। मुझे बहुत कम समय मिला, मुझे दस मिनट पहले इसकी तैयारी करने के लिए बोला गया था, अन्यथा यह विषय अपने आप में बहुत रोचक है। मैं सरकार को और आपको बधाई देना चाहूंगा कि इस विषय को आपने इतने ध्यान से सुना।

18.00 hrs

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, अगर हाऊस की अनुमति हो तो इस बिल के पास होने तक और जो ज़ीरो ऑवर लिस्टिड है, उसको पूरा करने तक हाऊस का समय बढ़ा दिया जाए। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है, सभा की सहमति है?

…(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ महोदय। …(व्यवधान)

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): Chairman, Sir, we are lucky to have a long coastline. India is surrounded by the Bay of Bengal, the Arabian Sea and the Indian Ocean. So, all these places earlier had lighthouses. Now, some of the things have been abandoned. Only a few places which have got the ports have got lighthouses. I appreciate our hon. Shipping Minister for bringing the Marine Aids to Navigation Bill, 2021.

We need more lighthouses. There is no doubt about it. As you all know, before 1927, there was no uniform system of management of lighthouses. Later on, it had been brought and 32 lighthouses had been administered at that time and became operational. But now you see, only in a few places the lighthouses are going on. This is mainly for the fishermen. Protection of fishermen is very much required. Their families will also be looking at this. When the lighthouse is in operation, only then the fishermen can come directly to the place wherever they can do that.

The role of marine aids to navigation has moved from a purely passive one that is based on 'visual aids to navigation' to 'radio and digital based aids to navigation'. Now, lack of statutory framework for such technological advancement has resulted in operational difficulties. In olden days very few operators were there. Ships were also not in a big way. The fishermen used to go for fishing and they used to bring the marine products to the shore. So, for again bringing back to normalcy, now we need all these digital based aids. It is wonderful to take such kind of a decision.

The Marine Aids to Navigation Bill, 2021, provides for the following, changes which are welcome. It provides for using the term 'marine aids to navigation' instead of 'lighthouse' in order to statutorily recognise and enable further use of modern forms of aids to navigation. The good part is renaming of the existing Director General of Lighthouse and Lightships as the Director General of Marine Aids to Navigation. So many other changes are also required for that. It provides for marking of wrecks. It empowers the Central Government for identification and development of heritage lighthouses.

We wholeheartedly support this Bill. Our hon. Chief Minister Y.S. Jaganmohan Reddy Garu is envisaging a lot of development in the port areas. I am proud to say that Andhra Pradesh has got 974 kilometres of coastline. Our hon. Chief Minister wants to create a gateway of India through Andhra Pradesh port. Now, we have got four major ports. We have to create five more ports. That is the plan of our hon. Chief Minister.

18.04 hrs (Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

Sir, 90 per cent of India's trade by volume and 70 per cent by value is through maritime transport. Indian ports handled approximately 1.2 billion metric tonnes of cargo in 2019-20. Much required policy reforms like 100 per cent FDI, Make in India, Sagarmala and Bharatmala have been introduced to ensure exponential growth in this sector. Drawing inspiration from the hon. PM's focused agenda to take India's maritime economy to the next level, currently Andhra Pradesh has a major port in Visakhapatnam, five functional ports and 10 other notified State ports with world class facilities that handle more than 170 million tonnes of cargo per annum.

The Visakhapatnam Port is second only to Gujarat. Andhra Pradesh shares four per cent of the total Indian exports and our hon. Chief Minister is aiming to reach ten per cent share by 2030.

Earlier, lighthouses were there in different ports of Andhra Pradesh at Dugarajapatnam, Ramayapatnam, Kothapatna, and Vodarevu. All of these have now been abandoned. I would request, through you, Sir, the Minister of Shipping to take steps to reconstruct, and refurbish all these lighthouses.

The Andhra Pradesh Government, after the development of all these ports, has undertaken development of three greenfield ports at Ramayapatnam, Machilipatnam and Bhavanapadu on an innovative model that mitigates all risks associated with greenfield port development, thereby making the port operation a risk-free proposition for the private sector. After the

development of the port, the operator of the port will be selected on competitive bidding basis ensuring maximum revenue realisation for the State.

I will not take much of the time of the House. I really appreciate and congratulate the hon. Minister of Shipping for bringing this Bill. Our Party wholeheartedly supports it. Thank you.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): सभापति महोदय, नौचालन के लिए समुद्री सहायता विधेयक, 2021 पर मैं अपनी बात रख रहा हूं। पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ब्रिटिश काल के लाइट हाउस विधेयक, 1927 को निरस्त करके आप नया विधेयक ला रहे हैं। समुद्री यातायात को बढ़ावा देने के लिए यह विधेयक है। मछुआरों और समुद्री यातायात के लिए यह विधेयक काम आएगा। समुद्री नौवहन के लिए सहायता देने हेतु यह विधेयक सदन में लाया गया है। असल में, 7,500 किलोमीटर का समुद्री तट अपने देश को मिला है। पूरे समुद्री तट में काफी तरह से यातायात होता है और यातायात से भारत सरकार को अधिक से अधिक फायदा ही पहुंचता है। पहले का विधेयक बहुत पुराना था जबकि आज तक किसी का भी ध्यान इस विधेयक पर नहीं गया। अब जैसे डिजिटल का जमाना आया है तो यातायात को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल रूप से दुरुस्त करके समुद्री परिवहन को आधुनिक करने का काम इस विधेयक द्वारा किया जाएगा। इस विधेयक में केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन भी किया जाएगा जबकि जो-जो कमियां हैं, सलाहकार समिति के द्वारा यह विधेयक निश्चित रूप से फायदा पहुंचाएगा।

माननीय मंत्री जी ने बताया कि 32 लाइट हाउसेज हैं। आगे चलकर ये लाइट हाउसेज टूरिज्म के रूप में विकसित होंगे। इसलिए पूरे देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने में भी यह विधेयक अच्छी तरह से काम आएगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि देश में कई सारे मछुआरे जब समुद्र में जाते हैं तो वे सीमा पार करके दूसरे देशों में चले जाते हैं। कई बार वे श्री लंका या पाकिस्तान में चले जाते हैं। वे लोग मछुआरों को पकड़ते हैं और उन्हें जेल में डाल देते हैं। निश्चित रूप से, इस विधेयक से मछुआरों को बहुत फायदा पहुंचेगा क्योंकि इस नेविगेशन सिस्टम से मछुआरों को अपनी बोट पर ही इसका फायदा पहुंच सकता है।

महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मेरा क्षेत्र एक समुद्री तट है। आप जानते हैं कि वहां जे.एन.पी.टी. सरीखा देश का एक बड़ा पोर्ट है। मैं निश्चित रूप से इससे जुड़ा हुआ हूँ। जैसा कि यातायात समुद्र तट के मार्गों से होता है, इसलिए निश्चित रूप से यह विधेयक उसके लिए काम आएगा। डिजिटल युग का जमाना है। इस डिजिटल युग के जमाने में मछुआरों और यातायात

करने वालों को निश्चित रूप से इससे काफी फायदा पहुँचेगा। नौका चलन की सहायता के लिए यह विधेयक निश्चित रूप से फायदेमंद है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस विधेयक का सपोर्ट करता हूँ।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, आपने मुझे समुद्री दस्तारोधी विधेयक पर चर्चा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं किसी समुद्री इलाके से नहीं आता हूँ। हम लोग बिहार से हैं, जहाँ से अभी रूडी जी ने इस बिल के बारे में चर्चा की। इससे हमें ऐसा लगा कि हमारा जो इतिहास है, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। जब हम लोग बहुत पीछे होंगे, उस समय भी लोग किस तरीके से समुद्री जहाज को आने और जाने के साधन के रूप में पहचान करते थे, हमारे मछुआरे कैसे जानते थे कि कहाँ मछली ज्यादा हैं और हमें कैसे नाव को वहाँ ले जाना है, इसके बारे में उन्होंने बताया है, उसके लिए मैं उनको भी बधाई और धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, जैसे-जैसे आज देश विकास की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे जरुरतें भी बढ़ रही हैं। माननीय मंत्री जी जो बिल लेकर आए हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आज देश विकसित हो रहा है। अभी कई माननीय सदस्यों ने लाइट हाउस के बारे में बताया। हमारे देश में लगभग 34 लाइट हाउसेज़ हैं। उन्हें विकसित करके टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए इन्होंने प्रस्ताव रखा है। मैं इसका भी स्वागत करता हूँ। कई ऐसी चीजें हैं, कई घटनाएँ भी घट रही हैं। समुद्री लुटेरे भी कई तरह की घटनाएँ कर रहे हैं। समुद्री जहाजों के द्वारा सामानों का आवागमन होता है। पहले अफ्रीकी देशों में समुद्री जहाजों पर लूट की घटनाएँ होती थीं। अब हमारे देश में भी, जहाँ से सामान आता-जाता है, वहाँ भी कई तरह की घटनाएँ घट रही हैं। उसके लिए भी माननीय मंत्री जी कुछ कानून लेकर आए हैं कि कैसे उनको सजा दिलाई जाए। उसमें कई तरह की धाराएँ भी हैं। आज समय की भी माँग है कि इस कानून का होना बहुत आवश्यक है। खुले समुद्र में लुटेरों का दमन करने के लिए और अपराधियों को दण्डित करने के लिए सख्त कानूनी प्रावधान होने चाहिए। उनको उचित सजा भी मिलनी चाहिए। इस प्रकार के केसों का जल्द से जल्द कैसे निपटारा हो, इसको भी ध्यान में रखकर मंत्री जी इस कानून के लिए कई तरह के प्रस्ताव लाए हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि इस कानून में कठोर दण्ड का भी प्रावधान किया जाए। अपराध करने का जो प्रयत्न करते हैं, उनको दण्डित करने के लिए कानूनी प्रावधान करना चाहिए। इससे अपराधियों को सजा मिल सकती है। इस प्रकार के अपराध में सहायता करने के लिए कुछ लोग जहाज पर रहते हैं। वे लोग बाहरी लोगों को सहयोग करते हैं और संरक्षण भी देते हैं। इनके लिए भी 14 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। यह बिल स्वागत योग्य है।

महोदय, मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि समुद्री लुटेरे कभी-कभी हमारे मछुआरों को भी पकड़ लेते हैं। अत: अब उन्हें भी इस कानून के तहत सजा मिले, इसका भी प्रावधान होना चाहिए। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): चेयरमैन सर, हमारे मित्र माननीय मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी ने एक अच्छा कानून इस सदन में प्रस्तुत किया है। लाइट हाउस की जो सिग्नलिंग सिस्टम थी, उसको लेकर एक प्रगतिशील और आधुनिक दृष्टिकोण सामने रखकर यह बिल लाया गया है।

सर, जब हम कभी-कभी इतिहास पढ़ते हैं, जैसे हमारे रूडी साहब ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त क्या सिस्टम थी, तोपों की आवाज हो या आग जलाना हो, इससे पता चलता था कि वे किस दिशा में जा रहे हैं और उसके ऊपर तय कर लेते थे। आज हम लोग डिजिटल इंडिया में आ गए हैं। आज नेवीगेशन की बहुत आवश्यकता है। आज हम कहते हैं कि गाड़ियों की भी संख्या बढ़ रही है। माननीय नितिन गडकरी जी हर बार कहते हैं कि कोरोना से जितने लोग नहीं मरे होंगे, उससे ज्यादा लोग हमारे यहां एक्सीडेंट में मर गए। रेल यातायात के बाद अब समुद्री यातायात बढ़ने वाला है। समुद्री यातायात के तीन प्रकार हैं, एक प्रकार है मछुआरे, जो मेरे मित्र बारणे जी ने कहा। दूसरा टूरिज्म है, टूरिज्म में भी दो चीजें हैं। कुछ अभी अपने ओनर्स बने हैं, याट करके छोटी जहाजें होती हैं, छोटी- छोटी पर्सनल फेमिली बोट्स बन गई हैं। आप अगर मुंबई शहर के गेट वे ऑफ इंडिया में जाएंगे, तो वह बहुत भरा रहता है। ऐसा लगता है कि आगे चलकर ट्रैफिक का क्या होगा, पार्किंग का क्या होगा? पार्किंग की व्यवस्था कैसे करेंगे? आज बहुत जहाज बढ़ रहे हैं। इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। दूसरा यातायात है प्रवासी का और तीसरा है टूरिज्म का और चौथा है माल का यातायात करने वाले बड़े जहाज।

मुंबई में मुंबई पोर्ट है, जेएनपीटी पोर्ट है, बहुत बड़े मेजर पोर्ट्स हैं। आप उसको लेकर एक नया तरीका अपना रहे हैं। वह मुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। खासकर अब ट्रैफिक सर्विस सिस्टम आएंगे और आप उनको कानूनन अधिकार दे रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा एटीसी है, एरियल ट्रैफिक कंट्रोल है, तो इसको ट्रैफिक कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। आज भी मुझे

याद है, मुंबई के पोर्ट पर जब जाते थे, तो कुछ लोगों को वहां जगह नहीं मिलती थी। बंदरगाह में जगह नहीं है। अंदर ही पानी में आठ-दस दिन के बाद में उनको जगह मिल जाती था। अगर एयर ट्रैफिक सर्विसेज़ उनको पहले से मिल जाएगी, तो उनको पता चलेगा कि where will I go in India? It will become much easier for him कि कौन सा आसान रहेगा? You can divert him. आपको माल देना ही है। मुंबई के पोर्ट में जाना है, जेएनपीटी जाओ, चलो नजदीक है। जेएनपीटी नहीं तो गुजरात के पोर्ट में जाओ, वहां नहीं तो साउथ में जा सकते हैं। In that way, the navigation can help them to the ships which are carrying the luggages and other things. उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका समय बच जाएगा और सारी चीजें बच जाएंगी।

मुझे आपकी दो चीजों पर गर्व हो रहा है। आपकी लाइट हाउस की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आप इसमें कल्चरल जो करा रहे हैं और यह मुंबई पोर्ट पर समुद्र से नजदीक है। अगर देवगढ़ में जाएंगे, तो किलों पर लाइट हाउस है। जो हमारा छत्रपति शिवाजी फोर्ट है, उसके ऊपर लगायी हुई है, ताकि समुद्र में दूर से दिखे कि कहां जा रहे हैं? आपने इसमें दो-तीन कानून के प्रावधान किए हैं। आपने 22, 23 में हैरीटेज और कल्चर के प्रावधान किए हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। 44, 45 और 49 में जो तीन प्रोवीजन्स हैं, 44 में है कि no Court shall take cognizance of any offence under this Act except upon the complaint in writing by any officer authorised in this behalf by the Central Government. कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी अधिकार है। किसी ने गलती की तो उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, वह अधिकार सही है। किसी अफसर ने अपना अधिकार लेकर उस पर गलत कार्रवाई की, तो वह कहां न्याय मांगेगा? शिप ऑनर्स के न्याय मांगने की व्यवस्था इसमें नहीं है। No Court inferior to that of Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the First Class shall try any offence under this Act. 45 में आप कहते हैं, whoever commits any offence under this Act or any Rules made thereunder may ordinarily be inquired into and

tried by a Court within whose local jurisdiction such an offence was committed or such a person may be found or any Court which the Central Government may by notification direct this office. ये सारे जो प्रावधान हैं, वह अधिकारी के अधिकार को बरकार रखने वाले हैं। लेकिन अगर शिप कह रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है, यह मेरे ऊपर गलत कार्रवाई कर रहा है, तो उसको कहां कहेंगे? आप 49 में भी देखिए, no suit prosecution or other proceedings shall lie against the Central Government or any officer appointed under this Act for anything done or in good faith purporting to be done under this Act or the Rules made thereunder. This gives him the shelter. यह उसको गैर-कानूनी काम करने के बाद में मुजरिम कहने वाले हो, यह इसमें प्रोविजन है।

HON. CHAIRPERSON: Thank you very much Sawant Ji.

श्री अरविंद सावंत :उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर कुछ आवश्यकता लगे, तो उसमें कुछ अमेंडमेंट लाइए। मैं इसका आग्रह अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। In that case, the other party will never have a voice to say. मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा प्रावधान करेंगे तो बहुत-बहुत धन्यवाद होगा। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं फिर से आपके बिल का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।

SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on this Bill.

India has a long coastline of about 7517 kilometres spread across the Western and Eastern coast of the mainland and also along the islands. It is an important natural resource. The maritime sector in India comprises of ports, ship repair and inland water transport system. India has 12 major ports and about 200 non-major ports. Indian maritime industry has, over the years, played a crucial role in uplifting our economy. Hence, it was necessary to bring in a new Act that would provide for world-class facilities and services. I would like to congratulate the hon. Minister for Shipping for bringing in this Bill to replace the 90-year-old colonial Lighthouse Act which will provide fresh framework and establish and manage vessel traffic services, besides using terms like `maritime aids to navigation’ instead of `lighthouse’. The provisions of the Bill also propose to incorporate global best practices, technological development and fulfil international obligations in the field of navigation. It also proposes to empower the DGLL with additional powers and functions, such as vessel traffic service, red flagging under international conventions where India is a signatory. It enlists a new schedule of offences along with penalties for obstructing and damaging the aids to navigation and for non-compliance with the directives issued by the Government.

Sir, now I would like to flag one important point on which the Government has to act fast and swift. India has become a major dumping ground for shipbreaking. Shipbreaking has grown into a major occupational and environmental health problem in the world. It is amongst the most dangerous occupations with unacceptable and high levels of fatality, injuries and work-related diseases. Shipbreaking is a different process due to the structural complexities of the ships and it generates many environmental and safety and health hazards. It is carried out mainly in informal sector and is rarely subject to safeguards, controls or inspections. Workers usually lack personal protective equipment and have little training. Inadequate safety controls, badly monitored work operations and high risk of explosion create a very dangerous work situation. Workers have very limited access to health services and inadequate housing and sanitary facilities.

Sir, the fleet of ships in the world is about 90,000. The average life of a ship is 20 to 25 years. The average number of large ships being scrapped each year is about 500 to 700. By taking into account the vessels of all sizes, this number may be as high as 3000. The point that is to be noted is that 90 per cent of the shipbreaking in the world is carried out in Bangladesh, China, India, Pakistan and Turkey. By this, we are polluting our waters, our shores and our land. In addition to taking a huge toll on the health of the workers, shipbreaking is a highly polluting industry. A large amount of carcinogenic and toxic substances like TBT, Mercury, Lead not only intoxicates workers but also are dumped in the soil and coastal water. My request to the hon. Minister is

that he should do everything possible to regulate this shipbreaking industry and provide a safe working atmosphere to our workers.

Thank you.

श्री मनसुख एल. मांडविया: माननीय सभापति जी, द मेरिन एड्स टू नेविगेशन बिल पर कुल मिलाकर 9 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है – डॉ. भारतीबेन डी. श्याल जी, श्री रामशिरोमणि वर्मा जी, श्री राजीव प्रताप रूडी जी, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे जी, श्री कौशलेन्द्र कुमार जी, श्री अरविंद सावंत जी, श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी जी और जसबीर सिंह गिल जी।

माननीय सभापति जी, मैं कल सोच रहा था कि मेरा बिल थोड़ा टेक्नीकल है, हाउस में इस पर कैसे चर्चा होगी? मुझे खुशी हुई कि माननीय सदस्य, खासकर रूडी जी, अरविंद जी ने नेविगेशन के संदर्भ में अपना विषय रखा। यह सब्जैक्ट मेरी दृष्टि से दो टाइप का है। एक, टेक्नीकल है और दूसरा फिलोसिफिकल है। टेक्नीकल इसलिए है कि सारा टेक्नीकल मैटर है। जैसा यहां माननीय सदस्यों ने टेक्नीकल विषय के साथ हेरिटेज और टूरिज्म जोड़ दिया और फिलोसिफिकल इसलिए है कि आज के समय में हम देखते हैं कि दीप स्तम्भ कैसा है? यह दीप स्तम्भ जैसा है, लाइट हाउस जैसा है। जो किसी को सही दिशा देता है तो उसे हम कहते हैं कि लाइट हाउस जैसा है, दीप स्तम्भ जैसा है। यह इसका क्रेडिट है। दूसरा, लाइट हाउस रास्ता दिखाता है कि आपको कहां जाना है। आप जाते-जाते रास्ते में कहीं भटक न जाएं, यह आपकी लोकेशन सुनिश्चित करता है।

इसमें भी एक विशेषता है। भारत में पारादीप में फॉल्स प्वाइंट लाइट हाउस है। वर्ष 1938 में बनाया था, वहां महानदी रिवर है, उसे हुगली रिवर मानकर शिप उसमें घुस जाते थे। यह इंडीकेट करता था कि यहां नहीं आना, आपको उधर जाना है, इस साइड रिवर है। इस टाइप के लिए इंडीकेशन मार्क होता था कि यहां आना है, यहां नहीं आना है, मतलब लाइट हाउस का रोल बहुत मल्टी परपज़ रहा है। यहां 34 लाइट हाउसेज के बारे में बताया गया है। भारत की कोस्टल लाइन पर 195 लाइट हाउसेज़ हैं। सारी दुनिया में लाइट हाउस हैं। आज कितनी भी टेक्नोलॉजी आई हो, जीपीएस आया हो, वीटीएमएस आया हो, कोई भी टेक्नोलॉजी आई हो, यह सबसे पुरानी ट्रेडिशनल व्यवस्था है। कल सब सिस्टम बंद हो जाए लेकिन यह बंद नहीं होने वाला है, इसलिए इसका महत्व है।

सभी लाइट हाउस का अपना कोड होता है। हर लाइट हाउस का सारी दुनिया में कोई भी नेविगेटर हो, उसके पास मैनुअल होता है कि लाइट हाउस कैसे घूमता है, उसकी हाइट कितनी है, उससे कैसा कलर कोड निकलता है, इसके आधार पर ही लोकेशन तय होती है। कोई वैसल निकलता है तो उसे कैसे पता चल जाता है कि यह सोमनाथ है, कोचीन है या कोज्जीकोड है। लाइट हाउस के आधार पर पता चलता है कि यह कोड है, वह तुरंत ही मैनुअल निकालकर देखते हैं कि इस टाइप का लाइट हाउस कौन सा है? क्या यह कोज्जीकोड का है? मछुआरे हों या अन्य वेसल्स, यह इंडीकेट करता है और लोकेशन तय करता है।

जसबीर सिंह जी का विषय अलग था। आपने कहा कि शिप रिसाइक्लिंग हो रहा है, यह अच्छी तरह से होना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। मैं माननीय सभापति जी की ओर से माननीय सदन और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इंडिया आज शिप रिसाइक्लिंग में दुनिया में बैस्ट है और इंडिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हजार्ड्स वेस्ट रिमूवल सिस्टम है। हमने शिप रिसाइक्लिंग बिल पास करके अलंग शिपयार्ड में 95 प्लाट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कर दिया है ताकि दुनिया अपने वैसल्स यहां भेजे।

मेरा आग्रह है कि कभी किसी को गुजरात में जाने का अवसर मिले तो शिप रिसाइक्लिंग इंडस्ट्री एक बार अवश्य देखकर आएं। अगर हमें एक टन स्टील चाहिए तो दस टन कोयला जलाना पड़ता है।

श्री जसबीर सिंह गिल : आप हमें ले जाइए।

श्री मनसुख एल. मांडविया: आपको ले जाएंगे।

हमें देश की रिक्वॉयरमेंट का 8 परसेंट स्टील शिप रिसाइक्लिंग यार्ड से मिलता है। नम्बर ऑफ टाइप के फर्नीचर मिलते हैं। नम्बर ऑफ टाइप की मशीनरीज मिलती है, क्योंकि वहां शिप का रिसाइक्लिंग होता है। यह देश के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए, बजट में सम्माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि अगले पांच सालों में हमें शिप रिसाइक्लिंग को डबल करना है। उसके देखते हुए शिप रिसाइक्लिंग बिल पास करके एक अच्छा काम किया है। दुनिया में इसको नोटिस किया

गया है। पहले मर्स्क जैसी शिपिंग लाइन, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग लाइन है, वह अपना वेसल्स इंडिया में नहीं बेचती थी, लेकिन आज वे भी बेचने लगे हैं। यूरोपियन फ्लैग वाले वेसल्स इंडिया में नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने भी इंडिया में बेचना शुरू कर दिया है। आप वहां जाकर देखिए, 25 से 30 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। एक से दो लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। देश में कई चीजें मिलती हैं। आप देखेंगे कि वहां कितने अच्छे फर्नीचर हैं। मैं आने वाले दिनों में वहां एक अच्छा एक्सपो लगाना चाहता हूं। सारे ट्रेडर्स को वहां ले जाऊंगा। मैं उनसे कहूंगा कि आप अपने स्टेट से अच्छा फर्नीचर, अच्छा फ्रीज, अच्छा कूलर ले जाकर वहां बेचिए। उसमें से नम्बर ऑफ टाइप की चीज निकलती है। इसको भी जरूर देखना चाहिए। आपको कभी जाने का अवसर मिले, तो आप उसको अवश्य देखिए।

सम्माननीय अरविंद सावंत जी ने दो विषय रखे हैं। आपने कहा कि आपके यहां जो यॉट है, उसका पार्किंग होना चाहिए। वह बढ़ रही है। आज के दिन मैंने उसके मरीना के लिए टेंडर फ्लोट कर दिया है। उसके लिए वहां पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी।

दूसरा, आपके यहां कान्होजी आंग्रे आइलैंड है। कान्होजी आंग्रे आइलैंड पर 125 साल पुराना लाइटहाउस है। मैं वहां थोड़े दिन पहले गया था। मैं उसको टूरिज्म पर्पस ऑफ व्यू से डेवलप करना चाहता हूं। यह आइलैंड बहुत ब्यूटीफुल है। शिवाजी महाराज के समय की तोप लगी हुई है और फोर्ट भी है। वे तोप और फोर्ट बहुत ब्यूटीफुल हैं। आप वहां जाकर देख सकते हैं कि उस जमाने में कैसा सिस्टम था। लोग वहां जाकर लाइटहाउस भी देखेंगे। वहां एन्जॉय भी करेंगे। मैं चाहता हूं कि टूरिज्म पर्पस ऑफ व्यू से एक दिन का पैकेज बन जाए, इस तरह से उसको डेवलप करना है। उससे मुझे प्रेरणा मिली कि क्या हम देश में लाइटहाउस को टूरिज्म पर्पस ऑफ व्यू से डेवलप नहीं कर सकते? यह हमारी विरासत है। हर लाइटहाउस का एक इतिहास है। वह राजा-महाराजा के समय से बना हुआ है। अंग्रेजों के समय से बना हुआ है, उसकी भी एक हिस्ट्री है। क्या हम लाइटहाउस के क्षेत्र को हेरिटेज के रूप में डेवलप करके टूरिज्म पर्पस ऑफ व्यू से डेवलप कर सकते हैं? इसको देखते हुए, मैंने उसमें एड किया है और इसलिए, मैंने पूरे देश के 195

लाइटहाउस का सर्वे करवाया कि उनमें से कहां अच्छी लैंड है। ये सब इतनी अच्छी पोजिशन पर हैं कि जब आप किसी जगह पर जाएंगे और वह जाने लायक लोकेशन होती है, क्योंकि वह हाइट पर होती है। उसके अगल-बगल में हरियाली होती है और वहां कोस्टल लाइन होती है। इस प्रकार के मैंने 71 लोकेशन्स आइडेंटिफाई की हैं। मैं लाइटहाउस को टूरिज्म पर्पस ऑफ व्यू से डेवलप करने के लिए ईओआई फ्लोट कर रहा हूं। इसके लिए कई प्लेयर्स आएंगे और उसको देखेंगे। उसमें क्या-क्या हो सकता है, उसके बारे में हमें सुझाव देंगे। हर लाइटहाउस की एक हिस्ट्री है। जब आप ऊपर चढ़ते हैं, तो थक जाते हैं। आप थके नहीं और ऊपर चढ़कर समुद्र की लहर को देख सकें, उसके लिए हर स्टेप उसकी हिस्ट्री दिखाते हुए फोटो लगाना, उसकी एक सिनर्जी करके ऊपर तक जाए, उसको ऐसा लगे कि मैं म्यूजियम में आया हूं, इस तरह से मैं हर पोर्ट पर, हर लाइट हाउस को डेवलप करना चाहता हूं, जो आने वाले दिनों में अच्छी तरह से टूरिज्म पर्पस ऑफ व्यू से डेवलप होगा।

कौशलेन्द्र कुमार जी, बिहार से, ने कहा कि हम समुद्र तट से जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन, आप समुद्र से जुड़े हुए थे। आपके यहां जब मगध साम्राज्य था, उस समय इनलैंड वाटरवेज के माध्यम पटना से हल्दिया ट्रांसपोर्टेशन होता था और वहां से डायरेक्ट आप दुनिया में चले जाते थे। आप समुद्र के साथ जुड़े हुए थे। आज भी आप जुड़े हुए हैं। आपके यहां कालू घाट है। उसको हम मल्टी मॉडल टर्मिनल के रूप में डेवलप करेंगे। दुनिया में आप अपना कार्गो इसी रूट से हल्दिया तक पहुंचा दें और वहां से ही दुनिया में कंटेनर चला जाए। दुनिया से जो कार्गो आए और डायरेक्ट कालू घाट, पटना तक आ जाए। वहां 2.5 मीटर का ड्राफ्ट हमने सुनिश्चित कर दिया है और आज के समय में उसका उपयोग भी शुरू हो गया है। आने वाले समय में वहां ही समुद्र है और वहां ही पोर्ट है, इस दिशा में डेवलप करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं।...(व्यवधान) इसमें ओडिशा भी है। रूडी साहब ने तो इतिहास बताया है। बारणे जी ने भी अच्छी बात रखी है कि मछुआरों को फायदा होगा या नहीं।

क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा मछुआरों को ही होगा। सभी जगहों पर जीपीएस लगा है। किसी जगह पर कोई छोटी-मोटी बोट होती है, उसमें जीपीएस नहीं लगा होता है, तो उसके लिए आज लाइट हाउस ही महत्वपूर्ण है। आज भारत सरकार ने यह तय किया है कि हर बोट जीपीएस लगाएगी और हम उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं। कई बोट्स ने जीपीएस लगा भी लिए हैं और कई बोट्स ने नहीं भी लगाए हैं, तो उसका उपयोग करके उसका फायदा लेना है। वैसे तो रूडी जी ने सारा इतिहास बता दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारी मैरीटाइम की जो हिस्ट्री है, वह बहुत रिच है। उन्होंने पुराने लाइट हाउस का भी जिक्र किया है। उन्होंने हमारे वेदों में नौवहन यानी नेविगेशन को जोड़ा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हिन्दुस्तान की मैरीटाइम हिस्ट्री बहुत पुरानी है। आज दुनिया में किसी के पास भी ऐसी विरासत नहीं है। हिन्दुस्तान 5,000 साल पहले कितना सभ्य था, अगर वह कोई बता सकता है, तो वह मैरीटाइम हिस्ट्री बता सकती है। आप उसके लिए लोथल जाइए। वहां आज के दिन 5,000 साल पुराना डॉक मौजूद है। वहां से समुद्र 50 किलोमीटर दूर हो गया है। लेकिन 5,000 साल पहले लोथल कितना विकसित नगर था, उस वक्त हम कितने सभ्य थे, हमें वह दुनिया को दिखाना पड़ेगा। आज हमें दुनिया सिखाती है, ऐसा नहीं है। हम भी एक दिन दुनिया को सिखाते थे।

माननीय मोदी जी ने मुझे प्रेरणा दी है कि क्या आप लोथल को वैसा का वैसा ही क्रिएट कर सकते हैं। जब विंड फ्लो आता था, उससे उसकी सफाई हो जाती थी। वहां इस तरह का रास्ता था, उसकी गली थी, उसकी जो सिटी प्लानिंग थी, वह इस तरह की सिटी प्लानिंग थी। आज हम यह कहते हैं कि दुनिया साइंस में इतनी आगे बढ़ी है। आज आप लोथल के ही सभ्यता के समय अर्थात् गुजरात में इंडस सिविलाइज़ेशन का एक नगर धोलावीरा में है। आज जो धोलावीरा में नगर मिला है, वह वैसा ही है, वह देखने लायक है। आज हम वॉटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। 5,000 साल पहले वॉटर हार्वेस्टिंग कैसे होता था, वह आज भी वहां मौजूद है। वह देखने लायक है।

दूसरा, आज हम सिटी प्लानिंग की बात करते हैं। नगर ही है, वैसा ही नगर मिला है। उस जमाने में कैसी सिटी प्लानिंग थी, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, वह आज भी देखने लायक है। इतना ही नहीं, उस नगर की बाउंड्री पर फोर्ट है। आज हम कहते हैं कि लाइमस्टोन को 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट ट्रीटमेंट करके उसमें थोड़ा-सा फ्लाई एश एड कर दें, तो वह सीमेंट बन जाता है। उसकी आयु 100 साल की होती है। हम आज के दिन ऐसा कहते हैं, हमारा साइंस कहता है। उस जमाने में उस फोर्ट की बाउंड्री पर मड से प्लास्टर किया गया है और आज 5,000 सालों के बाद भी वैसा का वैसा है। यह हिन्दुस्तान की सभ्यता थी, हिन्दुस्तान के पास ऐसा साइंस था। उस साइंस को दुनिया को दिखाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये खर्च करके 5,000 साल पहले जो लोथल था, हम उसी लोथल को रीक्रिएट करने के लिए हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। आप उस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, तो आप 5,000 साल पुराने हो जाएंगे। आपका रिवर्स व्यू होगा। उस वक्त जो ट्रेड चलता था, वहां पर वैसे ही टेंडर होगा, वही स्ट्रीट होगी। जब आप वहां पर एंट्री करेंगे, जिस पैसे का इस्तेमाल होता है, 5,000 साल पहले कैसे क्वॉइन का इस्तेमाल होता था, आज सभी जगहों पर वैसा ही है। आप उसके अंदर जाकर उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। हमने ऐसे हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना शुरू कर दिया है, तब जाकर दुनिया आएगी। हम वहां पर इस सभ्यता का अभ्यास करने के लिए एक इंस्टीट्यूट भी बनाएंगे। दुनिया जानेगी कि 5,000 साल पहले हिन्दुस्तान कितना सभ्य था। मैं उसमें सभी राज्यों को जोड़ना चाहता हूं।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि सभी राज्यों के पास अपनी-अपनी हिस्ट्री है। चोल राज के समय, मगध साम्राज्य के समय, पाण्डय साम्राज्य के समय, हमारा साम्राज्य पैसीफिक आइलैंड तक था। हम वहां तक राज करते थे। उस समय की हिस्ट्री को लेकर, सभी मैरीटाइम राज्य हैं, वहां पर उनका भी एक-एक पवेलियन बनेगा। स्टेट अपनी हिस्ट्री दिखाएंगे। गुजरात का एक पवेलियन हो, महाराष्ट्र का एक पवेलियन हो, तमिलनाडु का एक पवेलियन हो, आंध्र प्रदेश का एक पवेलियन हो, ओडिशा का भी एक पवेलियन हो, सभी राज्यों का एक-एक पवेलियन हो। उस पवेलियन में वे अपनी-अपनी हिस्ट्री लेकर आएंगे और वहां दिखाएंगे, तब जाकर दुनिया को पता

चलेगा। हम 2,000 सालों तक परतंत्र रहे हैं। कभी हमारे ऊपर हूणों ने शासन किया, तो कभी शकों ने शासन किया है। हम पर 1,000 साल तक मुगलों सहित सभी लोगों ने शासन किया है। हम पर अंग्रेजों ने 240 सालों तक शासन किया है। हमारी 2,000 साल तक की परतंत्रता होने की वजह से हम अपने इतिहास को भूल गए हैं।

आप सोमनाथ दर्शन के लिए जाइए। सोमनाथ मंदिर के पीछे सदियों पुराना एक ऐरो (साइन) बताया गया है। समुद्र की तरफ एक ऐरो बताया गया है। यह ऐरो दिखाता है कि साउथ पोल तक बिल्कुल भी लैंड नहीं है। यह हमारा नेविगेशन नॉलेज था। सोमनाथ मंदिर से जो ऐरो दिखाया गया है, अगर आप इस ऐरो पर स्टडी करें तो साउथ पोल तक बीच में कोई लैंड नहीं आती है। इस हिसाब से हमारी नॉलेज कितनी होगी? जब तुर्कों ने कॉन्स्टेनटाइन जीत लिया। जब यूरोपियन लोगों को हिन्दुस्तान के साथ बिजनेस करना था, ट्रेड करना था और जब सिल्क रूट रुक गया था, तब वास्कोडिगामा निकला था। वह केप ऑफ गुड होप तक तो पहुंच गया, अफ्रीका तक तो पहुंच गया था, लेकिन इंडिया में आने के लिए उसके पास ज्ञान नहीं था। तब कच्छ के नेविगेटर, जिन्हें वालम फैमिली कहते थे, ये वालम लोग वास्कोडिगामा को मिले। यह हिस्ट्री में मौजूद है। यह आज भी हिस्ट्री में मौजूद है कि वास्कोडिगामा के पास जो वेसल्स था, उससे चार गुना बड़ा वेसल्स वालम लोगों के पास था। वालम फैमिली उसको वहां से गाइड करते-करते इंडिया तक लेकर आई। यह हमारी ताकत थी। हम उसको गाइड करके लेकर आए थे। उसके पास यहां आने का ज्ञान नहीं था। यह हमारी हिस्ट्री है और यहां पर सम्मानित सदस्यों ने बताया कि दुनिया में वेसल्स की 20-25 साल की आयु होती है। 90 हजार वेसल्स हैं। इंडिया के पास शिप की नॉलेज काफी बड़ी थी। 240-250 साल पहले सूरत में वाडिया फैमिली थी। वे मुम्बई में वेसल्स बनाकर तैयार रखते थे, दुनिया उनसे लेने के लिए आती थी और यूज करती थी। यह नॉलेज हमारे पास थी लेकिन जब अंग्रेज लोगों को पता चला कि इनके पास इतनी नॉलेज है तो उन्होंने वर्ष 1859 में उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी इंडियन शिपबिल्डर को शिप नहीं

बनाना है और अगर शिप बनाना है तो रॉयल नेवी के लिए ही बनाना है। एक शिप की मैक्सिमम आयु 40 साल होती है।

ब्रिटिश रॉयल इंडियन नेवी में 80 साल पहले सेल किया हुआ वेसल को म्युजियम में रखा हुआ है। वह इंडिया में बना हुआ है और इंडियन शिपबिल्डर ने बनाया है। यह हमारा ट्रेडिश्नल नॉलेज था। इसलिए हमारी मेरिटाइम हिस्ट्री बहुत रिच हिस्ट्री है। हमें इसे फिर से उजागर करना है। अंग्रेज कोलकाता क्यों आए थे? उन्होंने कोलकाता को पहले कैपिटल क्यों बनाया? क्योंकि उससे उनको दो वॉटरवेज मिलते थे। एक गंगा वॉटरवेज और दूसरा ब्रह्मपुत्र वॉटरवेज मिलता था। ब्रह्मपुत्र के माध्यम से वे 1700 किलोमीटर असम के चाय के बगानों में जाते थे। वहां से वे चाय कोलकाता में लेकर आते थे। वे कोलकाता से यूरोप में जाते थे। वैसे ही वाराणसी और इलाहबाद तक इनलैंड वॉटरवेज से ट्रेड करते थे, इनलैंड वॉटरवेज से वे कार्गो मूव करते थे। आजादी के बाद यह सेक्टर उपेक्षित हो गया, लेकिन हमारी मोदी सरकार ने ठान लिया है कि वॉटरवेज को डेवलेप करके नदी में जल परिवहन को बढ़ाना है। हमने माइल टू माइल कोस्टल लाइन की स्टडी की है। कोस्टल लाइन से संबंधित जो सदस्य हैं, उनको पता होगा, मैं सागर समृद्धि योजना बना रहा हूँ, जिसमें हम एक-एक माइल की अप्रॉच्यूनिटी को एनकैश कर सकेंगे। उसके लिए मैंने व्यक्तिगत वेबिनार के माध्यम से मीटिंग की है कि आप अपने लोक सभा क्षेत्र में कौन सी जगह पर फिशरीज हार्बर बनाना चाहते हैं? कौन से लोकेशन को टूरिज्म पपर्ज के व्यू से डेवलेप कर सकते हैं? कौन सा ऐसा पोर्ट है, जो पहले नहीं था? हम कौन सा फीडर पोर्ट बना सकते हैं? कहां पर सैटेलाइट पोर्ट बना सकते हैं? हम कहां पर बड़ा पोर्ट बना सकते हैं? इस तरह से हम सारे समुद्र तटों की मैपिंग करके अगले दिनों में 250 प्रोजेक्ट्स लेकर आने वाले है। जैसा माननीय सांसदों ने कहा है, हम उसका ही इंप्लीमेंटेशन करेंगे। मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट को सेटिसफेक्शन होना चाहिए। मैंने कहा था कि मेरे क्षेत्र में चार फीशरीज हार्बर बनाने की लोकेशन हैं। मैंने सर्वे करने के लिए फर्स्ट चरण में 50 लोकेशन आइडेंटिफाइ करके उसका डीपीआर बनाने के लिए दे दिया है।

81 लोकेशन्स गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर पर होंगी कि हम कहां-कहां जेट्टी बना सकते हैं, जिससे वहां किसान का जो प्रोडक्ट है, उसका उपयोग किया जा सके, वहां से इंडस्ट्रियल क्लस्टर का माल मूव हो सके। सारी दुनिया का माडल है, सारी दुनिया में जाकर देखिए कोई भी इंडस्ट्री पोर्ट के अगल-बगल में ही होती है, तब जाकर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है और तभी आप दुनिया के साथ कम्पिटिटिव बनते हैं। एक्सपर्ट लोग अपनी-अपनी ओपिनियन देते रहते हैं कि हिन्दुस्तान में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज्यादा है, यह जीडीपी के सापेक्ष 14 प्रतिशत है, जबकि दुनिया की एवरेज 9 प्रतिशत है, लेकिन सिर्फ भाषण से 9 प्रतिशत और 14 प्रतिशत के बीच का गैप कम नहीं होगा। यह गैप कम करने के लिए क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, इसे सुनिश्चित करने के लिए मैंने सागरतट समृद्धि योजना में प्रावधान किया है, जैसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर, एग्रीकल्चर क्लस्टर, फीडर पोर्ट, मेजर पोर्ट, माइनर पोर्ट, सेटेलाइट पोर्ट और कैप्टिव पोर्ट कहां बनाया जाए, उसको देखते हुए अगले दिनों में हमें आगे बढ़ना है। यह दि मरीन एड टू नेविगेशन बिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें तीन-चार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1927 में जो एक्ट बना था, उसके बदले मैंने इस बिल में केवल आज विद्यमान टेक्नोलॉजी को ही ध्यान में नहीं रखा है, बल्कि अगले दिनों में जो टेक्नोलॉजी आने वाली है, उसको भी ध्यान में रखते हुए कहा है। एक बहुत अच्छा प्रश्न रूडी जी ने उठाया है। ऑनरेबल एमपी को उस विषय के बारे में पता है कि उसे टेलीकॉम डिपार्टमेंट देखता है। एविएशन के विषय एविएशन मिनिस्ट्री को लेना चाहिए, मेरी मिनिस्ट्री को उस विषय को लेना चाहिए, अभी ऐसा नहीं है, उसके लिए मैं माननीय टेलीकॉम मिनिस्टर से बातचीत कर चुका हूं। मैंने लेटर भी लिखा है कि यह पावर हमें दे दीजिए, हम ही उसे लेंगे। मैं उनके साथ बातचीत कर रहा हूं क्योंकि यह उनके विषय के साथ जुड़ा हुआ विषय है। यह हमारे संज्ञान में है कि इसे हमारे डिपार्टमेंट को लेना चाहिए, डीजी, लाइटहाउस को ही इसे लेना चाहिए। उसे देखते हुए हम यह बिल लाए हैं, जिसमें हम अगले दिनों विस्तार से बताएंगे कि कैसे हम लाइटहाउस को डेवलप करें, टूरिज्म प्वाइंट ऑफ व्यु से कैसे डेवलप करें। बेस्ट टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन हमने चालू कर दी है, लेकिन वह नियम और रूल्स से चलता था, उसे एक संवैधानिक दर्जा मिल जाए, इस

दृष्टि से हमने उसमें एड किया है। सभी सम्मानित सदस्यों ने सर्वानुमति से इसका समर्थन किया है, इसलिए मुझे खुशी हुई। मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, उसमें हम सब लोगों ने भी एक जिम्मेदारी वहन की है, इसके लिए मैं आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।

महोदय, अब मैं निवेदन करता हूं कि यह विधेयक पारित किया जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि भारत में नौचालन सहायता के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन; नौचालन सहायता प्रचालक के प्रशिक्षण और प्रमाणन, उसके ऐतिहासिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक मूल्य का विकास करने के लिए; सामुद्रिक संधियों और अंतरराष्ट्रीय लिखतों, जिनमें भारत एक पक्षकार है, के अधीन बाध्यताओं की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

माननीय सभापति: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 52 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 52 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति: अब शून्य काल लिया जाएगा।

श्री हनुमान बेनीवाल ।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने राजस्थान के किसानों की एक महत्वपूर्ण मांग की तरफ जल शक्ति मंत्री और दिल्ली की सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए राजस्थान में सिंचित क्षेत्र विकसित करने व नहरी पानी की नवीन परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाने व वर्तमान में विद्यमान सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार की मांग के क्रम में अवगत कराना चाहता हूं कि योजनाबद्ध विकास के 70 वर्षों से भी अधिक समय के बाद भी राजस्थान आधारभूत संरचना की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है।

राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है और लोग जीवन स्तर के लिए कृषि पर निर्भर हैं, परन्तु भोगौलिक दृष्टि पर नज़र डाले तो अधिकतर खेती मानसून पर निर्भर है। कुल सिंचित क्षेत्र में 64 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र कुओं व नलकूपों पर निर्भर है, जबकि मात्र 33 प्रतिशत ही नहर से सिंचाई होती है, जो केवल जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर व हनुमानगढ़ तथा अल्प हिस्सा बाड़मेर जालोर व कोटा का भी है। इसलिए भारत सरकार यदि ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे तो पूर्वी राजस्थान के झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर व धौलपुर आदि 13 जिलों में 26 बड़ी व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के तहत दो लाख हेक्टेयर नया सिंचित क्षेत्र विकसित किया जा सकता है। यह बात सही है की राजस्थान मे सतत् प्रवाही नदियों के अभाव मे नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र कम है, परन्तु भारत सरकार को नवीन योजनाएं बनाकर राजस्थान के किसानों के भले के लिए सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे अधिक

भाग श्रीगंगानगर में, जबकि सबसे कम राजसमंद में है। वहीं कुल कृषि क्षेत्र के सर्वाधिक सिंचाई श्रीगंगानगर में जबकि सबसे कम चुरू जिले में होती है।

इसलिए उदाहरण के तौर पर बताऊं तो इंदिरा गांधी वृहद नहर परियोजना के अंतर्गत सिद्धमुख नोहर परियोजना का विस्तार किया जाए तो तारानगर, साहवा के साथ सुजानगढ़ क्षेत्र मे भी सिंचित क्षेत्र विकसित किया जा सकता है। इसके साथ ही बाढ़ के पानी को रोककर व पंजाब सहित अन्य राज्यों से पानी का जो हिस्सा बहकर पाकिस्तान जा रहा है, उसको रोककर व आईजीएनपी का विस्तार करके नागौर, जोधपुर सहित पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो सकता है। वहीं नर्मदा परियोजना का विस्तार करके बाड़मेर, जालौर में सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। वहीं पंजाब हरियाणा आदि राज्यों से विभिन्न जल समझौते, जैसे रावी-व्यास जल समझौता सहित अन्य, का पूरा पानी राजस्थान को मिले तो उससे भी सिंचित क्षेत्र विकसित करने की पूर्ण संभावनाएँ बनती है। इसके साथ ही राजस्थान की नहर परियोजनाओ के विकास के लिए केंद्र को बजट जारी करने की ज़रूरत है। इसलिए सरकार किसान की पीड़ा को समझकर राजस्थान में नया सिंचित क्षेत्र विकसित करे। मैं आपके माध्यम से दिल्ली की सरकार का ध्यान और जल शक्ति मंत्री का ध्यान इस ओर आकृषित करना चाहता हूं कि राजस्थान में सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जाए।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अररिया) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि जिस बिहार की पहली और देश की दूसरी बड़ी नदी जोड़ योजना को माननीय वन मंत्री और जल शक्ति मंत्री जी द्वारा मंजूरी दी गई है। मैं मिथिलांचल और सीमांचल के एरिया से आता हूं। इस क्षेत्र में एक ओर बाढ़ और दूसरी तरफ सिंचाई की समस्या से जूझ रहे बिहार की सभी प्रमुख बातों को ध्यान में रखते हुए, कोसी और मेची नदियों को आपस में जोड़ने के लिए 4,900 करोड़ रुपये की कोसी-मेची नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के धरातल पर उतरने से न सिर्फ कोसी और

सीमांचल के इलाके की बाढ़ की समस्या खत्म होगी, बल्कि दो लाख हैक्टेयर से अधिक जमीन की सिंचाई भी हो सकेगी।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह सीमांचल का एरिया है, वह मिथिलांचल भी बोला जाता है और नेपाल पर अवस्थित है। हमारे यहां एक महानंदा बेसिन परियोजना वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी। मैं आपके माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैं कोसी के एरिया से आता हूं और वहां महानंदा की 5-6 नदियां हैं, जैसे सुरसर, बकरा, कनकई, नुना, भलुवा ऐसी नदियां हैं। वर्ष 2013 में एक परियोजना महानंदा बेसिन चालू की थी। चार फेजेज़ में नदियों के तटबंध का काम होना था, जिसमें एक फेज का काम हुआ है, लेकिन चारों फेजेज़ का काम पूरा कर दिया जाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी पैसा रिलीज करें और बाढ़ का सुरक्षात्मक बांध बना दें, इससे बाढ़ से मुक्ति मिलेगी।

माननीय सभापति : सभी सम्मानीत सदस्यों से निवेदन है कि शून्य काल में बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। जो पहले 10 नाम हैं**,** वे दो मिनट तक बोलें और बाकी जो एडिशनल हैं**,** वे एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान शिक्षा मंत्रालय की तरफ दिलाना चाहता हूं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 2002 में विश्व बैंक की सहायता से तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, TEQIP शुरू किया गया था। इस योजना को तीन चरणों में TEQIP-I, TEQIP-II और TEQIP-III संपन्न करने का निर्णय लिया गया था। इस कार्यक्रम की वजह से पिछड़े राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तीन पहाड़ी राज्यों एवं आठ उत्तरी-पूर्वी राज्यों के लगभग दो सौ तकनीकी शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। जैसे ही इस कार्यक्रम में तकनीकी संस्थानों को एनबीए की गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला, तो पास होने वाले विद्यार्थियों के लिए रोजगार बढ़ा है और गेट की परीक्षा पास करने वाले छात्रों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है।

सर्वश्रेष्ठ उपकरणों की पाठशालाओं में डिजिटल बोर्ड की स्थापना हुई और 1500 से अधिक सहायक प्रोफेसर की तीन साल के लिए तकनीकी शिक्षा संस्थानों में नियुक्ति हुई है।

सभापति महोदय, अभी कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है और यह 31 मार्च, 2021 को ही समाप्त हुआ है, तो इन पिछड़े राज्यों की शिक्षा की गुणवत्ता की अपनी पुरानी व्यवस्था में चले जाने का खतरा बढ़ गया है। इस योजना के समाप्त होने से हजारों लोगों का रोजगार संकट में है। 1500 सहायक प्रोफेसर यहां माननीय मंत्री जी के मंत्रालय के सामने धरना भी दे रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि नई योजना 'मेरिट' को जल्द से जल्द शुरू करें और इस कार्यक्रम को 10 से 15 सालों तक जारी रखा जाए, ताकि नई शिक्षा नीति से लोगों को लाभ मिल सके।

SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): Hon. Chairperson, thank you for giving me this opportunity. I would like to bring to your kind notice a very important issue. There is an urgent need to tackle the issue of rising pollution in the country and for this the Government should increase the funds earmarked for the National Clean Air Programme (NCAP).

It is really painful to note that 22 of the world's 30 most polluted cities are in India, with Delhi being ranked as the most polluted capital city. We should concentrate on public health as air pollution, after malnutrition, is the second largest public health risk factor in the country.

Sir, I hail from Medak parliamentary constituency in the State of Telangana. Patancheru and other areas in Sangareddy district in my constituency have a large number of pharma, rubber and other polluting industries which need financial and technical assistance from the Central Government to tackle the pollution issue.

The allocation of budget under NCAP for pollution control has slightly increased from Rs.460 crore last year to Rs.470 crore this year. I humbly request the Central Government to increase the budget allocation under NCAP to curb the pollution level and to ensure health for all.

डॉ. सुजय विखे पाटील (अहमदनगर): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं अपनी बात मराठी में कहना चाहता हूं।

*Hon. Chairman Sir, thank you very much for allowing me to speak in this Zero Hour. I would like to speak in Marathi. In my constituency Ahmednagar, under Kukadi Irrigation Project, Dimbhe Dam and Dimbhe Canal have been constructed. The capacity of Dimbhe Canal is 1240 cusec but only 350 cusesc of water is flowing through the canal as it is not renovated since long. Hence, there is a heavy loss of irrigation facility. To solve this problem the Maharashtra. Government had proposed to construct a 15 km long water tunnel from Dimbhe to Manikdoh with the total expenditure of Rs.300 crore. Considering the economic condition of our State Government, this project cannot be completed.

Hence, through you, I would like to request the Central Government to come forward to support this project under Accerated Irrigated Benefit Programme or Irrigation Sector improving programme for bridging the irrigation gap. This project can be completed if the Central Government sanction Rs. 300 crore under this head, and the farmers would also get additional 2 TMC water for irrigation in my Constituency Ahmednagar.

Thank you.

---

*English translation of the speech originally delivered in Marathi.

19.00 hrs

डॉ. जी. रणजीत रेड्डी (चेवेल्ला): माननीय सभापति जी, हमारे देश में जब राज्यों के बीच में काम्पटीशन होगा, 7 वर्ष का तेलंगाना राज्य 70 वर्षों के दूसरे राज्यों से कई मुकाबले में आगे है।

For example, GDP growth in Telangana is 1.3 per cent compared to the nation's GDP of -3.8 per cent. If you look at *per capita* income, it is Rs. 2,27,000 in Telangana against the national figure of Rs. 1,27,000. If you look at *per capita* electricity consumption also, we have the highest electricity consumption and we are number one in power supply. हमारे हर ग्राम पंचायत में ट्रैक्टर है, डंपिंग यार्ड है, ग्रेव यार्ड है । Telangana is number one in water supply; Telangana is number one in IT sector; Telangana is number one in using CCTV cameras; Telangana is number one in irrigation sector; and Telangana is number one in restoring minor irrigation tanks. It is number one in providing the highest input subsidy for farmers. It is number one in giving sheep to the poor.

It is one of the top three States to produce solar power in the country. Telangana is among the top three in real estate, IT, pharma, hospital sector, and education. We have given Rs. 80 crore to the Army Fund. Rythu Bandhu Scheme of Telangana is recognised by the UN.

In spite of all these things, I would request now the hon. Finance Minister - hon. MoS Finance is sitting here - to please take care of our State which is really a growth engine for the country. Telangana has suffered due to Corona Pandemic. We were supposed to get additional Rs. 5,000 crore under

devolution in 2020-21, which has not been released. We request him to release that. The Finance Minister has proposed Rs. 13,990 crore for 2021-22. I would request him to give the allocated money to Telangana as early as possible.

The 15th Finance Commission has imposed a cut of Rs. 600 crore to GPs. I request the hon. Minister to restore it. The 15th Finance Commission is supposed to give us Rs. 723 crore as special grant for Telangana for 2020-21. We request him to release this amount also.

Thank you.

माननीय सभापति : श्री महाबली सिंह जी।

श्री महाबली सिंह (काराकाट): माननीय सभापति जी, बिहार के बिहटा, औरंगाबाद रेलवे लाइन के निर्माण के लिए 40 साल से बिहार की जनता आरा, जहानाबाद, औरंगाबाद की लाखों जनता धरना-प्रदर्शन और आंदोलन करती आ रही है। यहां तक की दिल्ली में जंतर-मंतर पर भी लोगों ने धरना-प्रदर्शन किया है। इस महत्वपूर्ण मांग को देखते हुए, वर्ष 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव ने उसका शिलान्यास किया था। इसके लिए सर्वेक्षण का काम भी पूरा हो चुका है। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने जैसे श्री राम कृपाल यादव, श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा, श्री सुशील सिंह जी ने भी इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया था। इसके सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। आज इसके शिलान्यास होने के बाद 14 साल बीत गए हैं, लेकिन वह काम आज तक जमीन पर नजर नहीं आ रहा है।

माननीय सभापति: आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री महाबली सिंह : माननीय सभापति जी, वर्ष 2019-20 के बजट में केन्द्र सरकार ने भूमि के अधिग्रहण के लिए 25 करोड़ रुपये आबंटित किए थे, लेकिन आज भी भूमि-अधिग्रहण का काम पूरा नहीं हुआ है। इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि उस रेलवे लाइन के बनने के लिए

वहां की जनता आस लगाए हुई बैठी है कि किसी तरह यह परियोजना पूरी हो जाए । इस परियोजना के लिए आंदोलन करने वाले बहुत से लोग चले गए और कुछ आज भी आस लगाए बैठे हुए हैं । महोदय, यह 118 किलोमीटर है ।…(व्यवधान) इससे जनता को बहुत बड़ा लाभ होगा । …(व्यवधान)

माननीय सभापति : महाबली जी, आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: विजय जी, आप अपनी बात रखिए, इनकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप अपनी बात टेबल पर रख दीजिए।

…(व्यवधान)

श्री महाबली सिंह : आप लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है और आज तक इस पर कुछ नहीं हो रहा है।

माननीय सभापति: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री महाबली सिंह : इसलिए इस योजना का निर्माण जल्द-से-जल्द कराया जाए।

श्री विजय कुमार दुबे (कुशीनगर): माननीय सभापति जी, मेरा विषय खेल से संबंधित है। चूंकि इस आधुनिक परिवेश में खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। शायद इसीलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री या हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी खेल और खिलाड़ियों को हमेशा प्रोत्साहन देने के लिए देश-प्रदेश में एक अभियान-सा चलाए हुए हैं।

एक समय था, मैं खुद स्टेट लेवल का एक खिलाड़ी रहा हूँ, उस समय संभावनाएं कम हुआ करती थीं, लेकिन आज माननीय मोदी जी के कार्यकाल में खेल को इस तरह से प्रोत्साहन दिया गया है कि ग्रामीण अंचलों के भी किसी खिलाड़ी को यदि अच्छा प्रशिक्षक, अच्छा स्टेडियम और खेल के अच्छे उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, तो निश्चित रूप से ग्रामीण अंचलों से भी खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सकते हैं।

हमारे कुशीनगर लोक सभा क्षेत्र में बौद्ध सर्किट एरिया में पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण, जो लगभग डेड पड़ चुका था, उसे डेढ़ वर्षों में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी के आशीर्वाद से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्य नाथ जी के भगीरथ प्रयास से वह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आज उड़ान की कगार पर है।

उस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को व्यापारिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने के लिए और कुशीनगर के बौद्ध सर्किट एरिया को दुनिया के मानचित्र पर ले जाने के लिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि यदि लगभग मृत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा सकता है, तो कुशीनगर क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण भी कराया जा सकता है।

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): माननीय सभापति जी, मैं सरकार का ध्यान मिनिस्ट्री ऑफ रोड, ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज़ द्वारा जारी किए गए एक नोटिफिकेशन की ओर दिलाना चाहता हूँ। उस नोटिफिकेशन में एक नहीं दो अन्याय हुए हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस अन्याय को न्याय में बदला जाए। सर, उस नोटिफिकेशन के अनुसार जितनी टैक्सियाँ रजिस्टर्ड हैं, जो नौ या नौ से कम सीटों वाली टैक्सियाँ हैं, उनको एक कैटेगरी में डाल दिया गया है। उनकी परमिट फीस कई गुना बढ़ा दी गयी है। एसी गाड़ियों की परमिट को 25 हजार रुपए कर दिया गया है और नॉन-एसी गाड़ियों की परमिट फीस 15 हजार रुपए कर दी गई है। इसके अलावा, ऑथोराइजेशन फीस एक सीट वाली गाड़ी के लिए एक हजार रुपए कर दी गई है।

हमारे देश में ज्यादातर चार या पाँच सीटों वाली गाड़ियाँ चलती हैं। आप इसकी एक कैटेगरी बनाइए और जो ऑथोराइजेशन फीस है, उसको 400 रुपए प्रति सीट कीजिए और एसी गाड़ियों की परमिट फीस को 10 हजार रुपए तथा नॉन-एसी गाड़ियों की परमिट फीस को छ: हजार रुपए किया जाए।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): माननीय सभापति जी, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

देश के अन्दर एमएसडीपी योजना के तहत हजारों राजकीय कन्या विद्यालय हैं, जो बन गए हैं, अच्छी कंडिशन में हैं, लेकिन उनमें टीचर्स को नियुक्त नहीं किया गया है। जब यह सरकार आई थी, तो 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की बात करके आई थी। लेकिन एक ऐसी योजना, जो माइनोरिटी डॉमिनेटेड-कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स में शुरू की गई, वह अपना दम तोड़ रही है।

देश में ऐसी हजारों जगहें हैं। मैं अपने लोक सभा क्षेत्र की बात करता हूं। अमरोहा जिले में बास्कलां में राजकीय विद्यालय बन गया है, हस्तांतरित हो गया है, लेकिन वहां एक भी टीचर नहीं है। वहां केवल बिल्डिंग बनकर खड़ी है, लेकिन एक भी टीचर नियुक्त नहीं किया गया है। हापुड़ जिले में, मेरे लोक सभा क्षेत्र के गढ़मुक्तेश्वर ब्लॉक के अनूपपुर डिबाई गांव में मैं खुद जाकर देखकर आया हूं, वहां बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनी है, लेकिन कोई टीचर नहीं है। गढ़मुक्तेश्वर ब्लॉक के ही शेरपुर में एक भी टीचर नहीं है। …(व्यवधान)

माननीय सभापति जी, मैंने स्टॉपवॉच लगा रखी है, मेरा दो मिनट अभी पूरा नहीं हुआ है। …(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, माननीय एजुकेशन मिनिस्टर यहां बैठे हैं। माननीय मंत्री जी सदन को और पूरे देश को आश्वस्त करें कि ऐसी जो रुकी हुई योजनाएं हैं, जहां बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाना है, जहां कन्याओं को पढ़ाने का काम किया जाना है, वहां इस काम को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि आपकी सरकार का "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" का नारा है। आप कम से कम सदन को यह आश्वस्त करें कि जो ऐसे स्कूल्स हैं, उनमें टीचर्स नियुक्त होंगे और जो रुके हुए निर्माणाधीन कार्य हैं, उनको पूरा किया जाएगा। धन्यवाद।

کنور دانش علی (امروہہ): محترم چیرمین صاحب، آپ نے مجھے ایک بہت ہی اہم موضوع پر بولنے کا موقع دیا، اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ۔

ملک کے اندر ایم-ایس-ڈی-پی- یوجنا کے تحت ہزاروں راجکیہ کنیا وِدیالیہ ہیں، جو بن گئے ہیں، اچھی کنڈیشن میں ہیں، لیکن ان میں ٹیچرس کو تقرر نہیں کیا گیا ہے۔ جب یہ سرکار آئی تھی تو سب کا ساتھ سب کا وِکاس اور سب کا وِشواس کی بات کرکے آئی تھی۔ لیکن ایک ایسی یوجنا جو مائنوریٹی ڈومینیٹڈِ ضلعوں اور بلاکس میں شروع کی گئی، وہ اپنا دم توڑ رہی ہے۔ ملک میں ایسی ہزروں جگہہ ہیں۔ میں اپنے پارلیمانی حلقہ کی بات کرتا ہوں۔ امروہہ ضلع میں بانس کلا میں راجکیہ وِدیالیہ بن گیا ہے، ہستانترت ہو گیا ہے، لیکن وہاں ایک بھی ٹیچر نہیں ہے۔ وہاں صرف بلڈنگ بن کر کھڑی ہے، لیکن ایک بھی ٹیچر کا انتخاب نہیں کیا گیا ہے۔ ہاپوڑ ضلع میں میرے پارلیمانی حلقہ کے گڑھ مکتیشور بلاک کے انوپ پور ڈیبائی گاؤں میں، میں خود جا کر دیکھ کر آیا ہوں، وہاں بہت ہی خوبصورت بلڈنگ بنی ہے، لیکن کوئی ٹیچر نہیں ہے، گڑھ مکتیشور بلاک کے ہی شیر پور میں ایک بھی ٹیچر نہیں ہے (مداخلت)---

محترم چیرمین صاحب، میں نے اسٹاپ واچ لگا رکھی ہے، میرا دو منٹ ابھی پورا نہیں ہوا ہے (مداخلت) میں آپ کے ذریعہ سرکار سے یہ کہنا چاہتا ہوں،محترم وزیرِ تعلیم یہاں بیٹھے ہیں، محترم وزیرِ اس ایوان کو اور پورے ملک کو یقین دلائیں کی ایسی جو رُکی ہوئی اسکیمس ہیں، جہاں بچوں کو پڑھانے کا کام کیا جانا ہے، جہاں لڑکیوں کو پڑھانے کا کام کیا جانا ہے، وہاں اس کام کو سُنیشچِت کیا جائے، کیونکہ آپ کی سرکار کا بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ کا نارہ ہے۔ آپ کم سے کم اس ایوان کو یہ یقین دلائیں کہ جوایسے اسکولز، ان کے ٹیچرس منتخب ہوں گے اور جو رُکے ہوئےنِرمانادھین کام ہیں، ان کو پورا کیا جائے گا۔ شکریہ

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा): माननीय सभापति महोदय, मैं एक अत्यंत गंभीर और दु:खद मामला उठा रहा हूं । गत शुक्रवार, 19.03.2021 को मेरे गृह जिला सहरसा, बिहार के महिषी प्रखंड के जजौरी गांव से 11 गरीब मजदूरों को पंजाब के एक ठेकेदार पिक-अप गांडी संख्या – पीबी 13 बीजी 3648 से पंजाब ले जाया जा रहा था। पंजाब में रविवार को सुबह मौगा जिले से लगभग 15 किलोमीटर पहले थाना गंधावानी में गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चालक और ठेकेदार दोनों नशे में थे। दुर्घटना में दो मजदूरों की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई और अन्य नौ घायल हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर चार मजदूरों की हालत बहुत ही नाजुक बनी हुई है।

सभापति महोदय, मजदूर बबलू शर्मा और उनके 14 वर्षीय पुत्र चन्द्रदेव शर्मा की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि अन्य मजदूर भगवान झा, गौतम मिस्त्री, राजेश मुखिया, टूनाय मुखिया, कुलदेव मुखिया, शिवा मुखिया, अनिल मुखिया, जवाहर मुखिया एवं राजू मुखिया घायल हो गए । दुर्घटना के बाद ड्राइवर और ठेकेदार, दोनों घटना स्थल से गाड़ी छोड़कर भाग गए । बताया जाता है कि पंजाब का कोई ठेकेदार यह गाड़ी लेकर सहरसा गया था और इसी गाड़ी से मजदूरों को पंजाब लाया जा रहा था।

सभापति महोदय, मेरी पंजाब सरकार से मांग है कि ड्राइवर पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर जांच कराई जाए। ठेकेदार, जो एक नाबालिग को मजदूरी कराने के लिए पंजाब ले जा रहा था, उसके खिलाफ बाल मजदूरी कानून के तहत मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की जाए। गंभीर रूप से घायल एवं अन्य घायल मजदूरों को नि:शुल्क इलाज मुहैया कराया जाए। ठीक होने पर उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। मृतक बबलू शर्मा और नाबालिग चन्द्रदेव शर्मा के परिवार को कम से कम दस लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा दिया जाए।

सभापति महोदय, मैं अंत में आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री, बिहार से भी निवेदन करता हूं कि बिहार राज्य के दो मृतक गरीब प्रवासी मजदूरों के परिवार को चार लाख रुपये एवं घायल मजदूरों को भी आर्थिक सहायता दी जाए। धन्यवाद।

श्री नरेन्द्र कुमार (झुन्झुनू): सभापति महोदय, धन्यवाद । मैं आपके माध्यम से राजस्थान के झुन्झुनू जिले की सबसे बड़ी समस्या – ट्रेनों की कमी के विषय पर बोलना चाहता हूं । मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि नॉर्थ-ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12505/12506 कामख्या से आनंद विहार तक चलने वाली ट्रेन को लुहारू-झुन्झुनू-सीकर रिंग से होते हुए जयपुर तक बढ़ाया जाए।

मैं इस ट्रेन को दिल्ली से जयपुर तक बढ़ाने की मांग इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि झुन्झुनू जिले में वर्ष 2016 से पहले रेलवे लाइन ब्रॉड-गेज नहीं थी । उससे पहले हमारे यहां दिल्ली से जयपुर सैनिक एक्सप्रेस चलती थी, जो हमारे यहां रोजाना आती थी। वर्ष 2016 में ब्रॉडगेज लाइन बनने के बाद यह ट्रेन प्रतिदिन न चलकर सिर्फ तीन दिन ही चलती है । इसलिए, मैं उक्त ट्रेन की मांग कर रहा हूं कि इसे बढ़ाया जाए। यह ट्रेन कामख्या में 16 घंटे और आनंद विहार में 12 खड़ी रहती है । इस ट्रेन को जब मैं प्रतिदिन चलाने की मांग करता हूं, तो यह कहा जाता है कि ट्रेन को खड़ा करने के लिए जगह नहीं है। यदि इस ट्रेन को वहां तक भेजा जाएगा, तो शायद इसके रैक की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सांस्कृतिक मंत्रालय का ध्यान जम्मू शहर से 40 किलोमीटर दूर दो बहुत ही ऐतिहासिक और वर्षों पुराने तीर्थ स्थान पुरमंडर और उत्तर वेणी की ओर ले जाना चाहता हूं, जो कि देविका नदी के किनारे गुप्त गंगा नाम से जानी जाती है, बसे हुए हैं और बहुत ही महत्ता वाले स्थान हैं। उनके विकास के लिए वहां फंड्स की जरूरत है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इसे दूसरी काशी भी कहते हैं। पिछले दिनों संस्कृति मंत्रालय के मंत्री वहां गए थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, वहां अभिषेक भी किया और लोगों से कहा कि इसका विकास होना चाहिए। उसके बाद डीपीआर बनी और केंद्र सरकार के पास भेजी गई है। मेरी आपके माध्यम से संस्कृति मंत्रालय से प्रार्थना है कि डीपीआर को जल्द सैंक्शन किया जाए और पैसा रिलीज किया जाए, ताकि जो देश

की दूसरी काशी जानी जाती है, यहां विकास हो सके और लोग तीर्थ स्थान का आनंद ले सकें और दर्शन कर सकें।

श्रीमती अन्नपुर्णा देवी (कोडरमा): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं। मैं आपका ध्यान सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। झारखंड राज्य से संबंधित संस्कृति, पर्यटन तथा झारखंड राज्य के कृषि आदि की जानकारी देश के लोगों तक पहुंचे। इसके लिए झारखंड दूरदर्शन द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम बनाए जाते हैं तथा समय-समय पर प्रसारण भी किया जाता है लेकिन डीटीएच तथा क्षेत्रीय केबल ओपरेटरों द्वारा स्थानीय स्तर पर भी प्रसारण नहीं किया जाता है, जिससे झारखंड सहित देश के आम लोगों को दूरदर्शन झारखंड पर होने वाले प्रसारण का लाभ नहीं मिल पाता है और झारखंड प्रदेश में दूरदर्शन के दर्शक सांस्कृतिक पर्यटन, लोकगीत तथा कृषि आधारित कार्यक्रमों को देखने से वंचित रह जाते हैं तथा जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सदन के माध्यम से केंद्र सरकार के सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय से मांग करती हूं कि झारखंड दूरदर्शन का प्रसारण सभी डीटीएच एवं केबल ओपरेटर्स द्वारा सुनिश्चित करने हेतु विशेष दिशा निर्देश जारी किए जाएं।

श्रीमती भावना गवली (पाटील) (यवतमाल-वाशिम): महोदय, वर्धा, नांदेड, यवतमाल रेलवे लाइन वर्ष 2010 में स्वीकृति मिली थी। उसके बाद काम बहुत धीमी गति से चला। वर्ष 2014 में प्रधान मंत्री जी जब मेरे क्षेत्र में आए, तब रेलवे लाइन को बनाने में गति दे दी गई, लेकिन उसका काम मध्य रेलवे के माध्यम से चल रहा है, वहां जो कम्पनियां काम कर रही हैं, जो कम्पनियां पुल बना रही हैं, वहां पुल बनाते समय वह पुल गिर गया और ऐसी स्थिति में कोई जांच नहीं की गई। दोषी लोगों पर कार्यवाही नहीं की गई। मैं समझती हूं कि जो हर्षदा कम्पनी और आरबीआर कम्पनी हैदराबाद की कम्पनियां हैं। मध्य रेलवे ने भी कोई जांच नहीं की है। मेरी मांग है कि रेल बोर्ड, रेल मंत्रालय इसमें दखल दे और जांच हो। जो कम्पनियां गलत तरीके से, भ्रष्टाचार से काम

कर रही हैं और जो निर्माणाधीन पुल गिर गया था, उसकी जांच हो और ऐसी कम्पनियों को ब्लैक लिस्टेड किया जाए।

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना जिले में भरहुत में बौद्ध कालीन के प्राचीन अवशेषों का बहुत बड़ा भंडार है। उनमें से अनेक मूर्तियां कोलकाता, प्रयागराज, वाराणसी तथा अन्य स्थानों में रखी गई हैं। इस जिले में चित्रकूट में भागवान राम का एक लम्बा समय वनवास में कटा था। उनके पदचिह्नों की विरासत वहां मौजूद है तथा मैहर में उस्ताद अल्लाउद्दीन खां विश्व विख्यात संगीतकार की नलतरंग जैसी यादों को भावी पीढ़ियों के लिए रखने हेतु एक संग्रहालय की लम्बे समय से मांग की जाती रही है। सतना जिला भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय ने भारत दर्शन, बौद्ध दर्शन तथा रामायणा टूरिस्ट सर्किट में जुड़ा हुआ है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि सतना जिला मुख्यालय में एक संग्रहालय की स्वीकृति देने की कृपा करें।

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BEHRAMPUR): Sir, the Parlakimedi Light Railway was a two-foot six-inch gauge Railway. The Raja of Parlakimedi decided to connect his capital with Naupada, which was only 40 kms. away. With the Government giving its sanction in 1898, its work began fully. The line was opened to traffic in 1900. In the starting years, the Parlakimedi Railway had incurred losses, but after 1910 it started making marginal profits and after 1924-1925 the profits increased. This motivated the Raja to extend the line to Gunupur in two phases in 1929 and 1931.

After India’s Independence, it was merged with the North Eastern Railways. Surveys were undertaken for broad-gauge conversion. With effect from 1 April, 2003, it became a part of the newly formed East Coast Railways. The line was finally closed for gauge conversion on 9 June, 2004. Services

were restarted on 22 August, 2011 with the introduction of Puri-Gunupur Passenger.

The stations between Naupada and Parlakimedi are not upgraded so far and are still in old pattern, which Raja of Parlakimedi had developed. Parlakimedi is the main railway station of Gajapati District and people are demanding for the development of the railway station.

Therefore, through you, I would request the hon. Minister of Railways to upgrade the railway stations in this route, particularly, Parlakimedi. Our hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, has also written a letter to the hon. Railway Minister for development of all these stations. Thank you.

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Hon. Chairperson, Sir, thank you. The Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) is a scheme to bring about Blue Revolution through sustainable and responsible development of the fisheries sector in India at an estimated investment of Rs. 20,050 crore for holistic development of fisheries sector including welfare of fishermen.

Seeing the hardships of the members of the fishing community in Andhra Pradesh, our hon. Chief Minister, Shri Jagan Mohan Reddy Garu, had taken the decision to develop eight fishing harbours and a jetty in the State to ensure that fishermen do not migrate to other States for livelihood. The proposed project is estimated to cost about Rs. 3,000 crore.

In 2018-2019 period, India exported seafood worth USD 6.72 billion with a quantity of 13.92 lakh tonne. During the same period, exports from Andhra Pradesh were 3.1 lakh tonne with a value of $ 2.43 billion. The State contributed 36.16 per cent and 22.54 per cent in terms of value in dollar and quantity of Indian seafood exports during 2018-2019.

Hence, through you, hon. Chairperson, Sir, I would request the Central Government and especially the Fisheries Ministry to support the initiatives of our State Government and our hon. Chief Minister garu so that the exports from the country can grow rapidly. Thank you very much.

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहती हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए तथा इकोसिस्टम का ध्यान रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। कोरोना काल में कुछ ट्रेन्स को बंद कर दिया गया था। मेरा आपके माध्यम से माननीय रेलवे मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे क्षेत्र में कोटा-हिसार एक्सप्रेस और आनंद विहार-अगरतला त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस, जिनको मेरे संसदीय क्षेत्र-सिरसा तक एक्सटेंड किया गया था, उनको रिज्यूम किया जाए। इसके साथ-साथ जम्मूतवी-जोधपुर एक्सप्रेस का स्टॉपेज मंडी डबवाली में दिया जाए। मैंने उनसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने कहा था कि पूरे इंडिया के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि कहां पर स्टॉपेज होना चाहिए और कहां पर नहीं होना चाहिए। यह मेरी आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट है।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं कहना चाहती हूं कि एलनाबाद-सादुलपुर सैक्शन में जयपुर-दिल्ली की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ट्रेन सर्विस बढ़ानी चाहिए। अंत में, मैं कहना चाहती हूं कि हरियाणा एक्सप्रेस के नाम से केवल एक ट्रेन पूरे हरियाणा में है। उसको वापस रिज्यूम किया जाए, इसके साथ-साथ उसमें आईसीएफ रैक्स लगाए जाएं, क्योंकि सिरसा में वह ऑड ऑवर्स में चलती हैं और ऑड ऑवर्स में ही वहां पर आकर रुकती हैं। अगर इसमें आईसीएफ

रैक्स लगेंगे तो यात्रियों को यात्रा करने में थोड़ी आसानी होगी। मेरा संसदीय क्षेत्र कृषि प्रधान है। वहां के किसान भाइयों को इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। अत: जितनी भी ट्रेन्स मैंने आपको बताई हैं, अगर इनको रिज्यूम कर दिया जाएगा, तो मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद।

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज): महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री जो को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि आपने महाराजगंज जनपद में स्थित, उपलब्ध महत्वपूर्ण बौद्ध धरोहरों में अपनी अभिरूचि दिखाई है।

भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, जो मेरे संसदीय क्षेत्र से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान बुद्ध का लालन, पालन और पोषण उनके ननिहाल बनरसिया (देवदह) और महाराजगंज में हुआ, जिसकी पहचान भी पुरातत्व विभाग द्वारा हो चुकी है।

भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके अस्थि अवशेषों को आठ भागों में बांटा गया, जिसका एक भाग स्थानीय शासकों कोलियों ने, जिसकी राजधानी रामग्राम हमारे क्षेत्र महाराजगंज में है, वहाँ उन्होंने एक विशाल स्तूप बनवाया, जिसे कुषाण काल में ईटों का बनवाया गया था।

कन्हैया-बाबा-का-स्थान (रामग्राम) के संदर्भ में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्तूप के अतिरिक्त इस क्षेत्र में अन्य प्राचीन अवशेष जैसे गुप्त व कुषाण कालीन मिट्टी के बर्तन और तांबे के सिक्के इत्यादि भी प्राप्त हुए हैं। महाराजगंज के पुरातात्विक गजेटियर के अनुसार यहाँ एक प्राचीन शहर के निशान भी मिले हैं, जो मुख्य रूप से गुप्त काल के हैं।

इस संदर्भ में मुझे दृढ़ विश्वास है कि आगे के सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण होंगे।

कन्हैया बाबा के स्थान पर ईटों द्वारा निर्मित विशाल स्तूप को पुरातत्व विभाग द्वारा महत्वपूर्ण माना जा चुका है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि एएसआई से इस स्तूप का उत्खनन कराने की कृपा करें ताकि विश्व के पर्यटन मानचित्र पर रामग्राम को स्थापित किया जा सके। इससे जनपद के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय विकास को भी गति मिलेगी।

*SHRIMATI PRAMILA BISOYI (ASKA):** Sir, I thank you for giving me this opportunity to raise an important issue. At the outset I welcome the initiative of the Central Government to launch 'One Nation, One Ration Card' scheme to ensure food security to all. In my state, the Government had issued 'Rations Cards' to beneficiaries, especially labourers to have additional rations. Sir, from Ganjam district around 7 lakh Odia labourers have been working in Surat, Gujrat. They are working in different small, medium & large enterprises. These people are away from their native place and facing lots of difficulties to obtain ration. After examining the situation there, I want to draw your kind attention to their problem and requesting the Central Government to include them in the Public Distribution System. Sir, through you I am requesting the Hon. Minister to take steps for the distribution of additional ration for these Odia families residing in Surat.

* English translation of the speech originally delivered in Odia.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदय, मैं सदन का ध्यान पूर्व मध्य रेलवे जोन अंतर्गत सीतामढ़ी-परसौनी के बीच एलसी-56 के ऊपर निर्माणाधीन आरओबी की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। ज्ञात हो कि उक्त आरओबी का निर्माण कार्य विगत 13 वर्षों से लंबित होने के कारण यहाँ प्राय: जाम की समस्या रहती है तथा लोगों को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

वर्तमान परिस्थिति के अनुसार परियोजना में एलसी-56 के बदले आरओबी निर्माण का काम प्रस्तावित है, जिसमें रेलवे भाग का निर्माण रेलवे द्वारा तथा पहुंच पथ भाग का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा किया जाना है। पथ निर्माण विभाग बिहार के साथ कॉस्ट शेयरिंग पर कुल 85 करोड़ 71 लाख रुपये की लागत से इस परियोजना को पूरा करने के लिए महाप्रबंधक, पूर्वी मध्य रेलवे द्वारा एक संयुक्त विस्तृत प्राक्कलन तैयार करके स्वीकृति हेतु रेलवे बोर्ड को भेजा गया है।

अत: मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह होगा कि उपरोक्त विषय को अपने संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए, जिससे कि वर्षों से लंबित इस महत्वपूर्ण परियोजना का निर्माण सम्भव हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): I would like to draw the attention of this House to a very important issue related to the tribes of Maharashtra. The President of India issued the Scheduled Area Maharashtra Order, 1985, under the Fifth Schedule of the Indian Constitution which provides for specification of scheduled areas in relation to the State after consultation with the State Government concerned. Parliament in 1996 had enacted the Panchayat Extension of Scheduled Area (PESA) Act to extend the Panchayati Raj system to the areas under the Fifth Schedule. However, the 1985 Order has not been updated for the last 36 years as a result of which, several newly formed villages in gram panchayats have not been included

under the scheduled area. Therefore, they are not governed by the PESA Act which results in denial of several benefits to the substantial tribal population residing in these areas. I request the Government to immediately issue orders to the State of Maharashtra to send the proposal for eligible villages and gram panchayat and kindly pass necessary orders to update the 1985 Order at the earliest for inclusion of these villages in gram panchayats as scheduled areas.

19.32 hrs (Shrimati Rama Devi *in the Chair*)

SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): We all know that India faced a great economic crisis and loss of lives due to the colonial rule of British and the World War-I. In 1921, in order to overcome this crisis, the Imperial Bank was established but it failed to fulfil its role.

Dr. B. R. Ambedkar unstoppably fought the British and won by making them realise the diminishing value of rupee and its effect on the common man and on the economy. The Reserve Bank of India was conceptualised by Dr. B. R. Ambedkar based on his book “The Problem of the Rupee - Its origin and its Solutions". He had made a representation to form the Reserve Bank and submitted a book called ‘History of Indian Currency and Banking' to Hilton Commission. The British Government handed over its responsibility to the Simon Commission which was formed in 1927. The Simon Commission had organised three Round table Conferences and it approved of the need of the formation of the Reserve Bank of India. Eventually, the Central Legislative

Assembly passed the RBI Act, 1934. So, the Reserve Bank of India was established and has been functioning without interruption.

Subsequently, the Banking Regulation Act, 1949 was enacted in India to regulate all the banking firms and the RBI was nationalised. Through you, Madam, we are requesting to the Government to immediately make necessary arrangements to print Dr. B. R. Ambedkar portrait on any of the denomination of the Indian Currency on par with the Father of the Nation, Mahatma Gandhi ji, which is a delight for Indian Civilians.

KUMARI GODDETI MADHAVI (ARAKU): Madam, in the State of Andhra Pradesh, pending dues have not been released under MGNREGS. Apart from this, the State Government had requested for enhancement of wage employment duration from 100 days to 150 days. In this regard, through you, Madam, I request for the early release of the pending amount of Rs 3,077.77 crore and also to increase the wage employment duration under MGNREGA from 100 to 150 days.

19.35 hrs

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Alleged inflated medical bill for a poor patient in Bihar

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): महोदया, मैं जिस विषय को रख रहा हूँ, औसतन आज तक मैंने अपने पॉलिटिकल इतिहास में इस प्रकार का विषय सदन में नहीं रखा और इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैं हमेशा अपने जीवन में अत्याचार, गलत और धोखे के खिलाफ लड़ता रहा हूँ और आगे भी ऐसी ही परिस्थिति आई है। हमारे क्षेत्र का एक नौजवान है, जिसका नाम संजीव कुमार है और गोरखनाथ चौबे जो ताराअमनोर गांव है मकेर में, उसके निवासी हैं। उसके बच्चे की तबियत खराब थी और दिल्ली में बीएलके अस्पताल में है। महोदया, सब लोग जानते हैं कि बीएलके देश का बहुत बड़ा अस्पताल है। अच्छा अस्पताल है, वहां अच्छे डॉक्टर्स हैं और सब व्यवस्था अच्छी है और मैं डॉक्टरों की बहुत कद्र करता हूँ। वहां पर इस बच्चे की ब्रेन सर्जरी के लिए चार लाख रुपये का एस्टिमेट बना कर दिया गया। चार लाख रुपये का एस्टिमेट बना कर दिया। हमने बिहार के माननीय मुख्य मंत्री से आग्रह किया और चार लाख रुपये उस बच्चे के ऑपरेशन के लिए भिजवा दिए। बच्चे का ऑपरेशन भी हो गया। उसे वहां 12 दिन रखना था। पांच दिन के बाद साढ़े पांच लाख रुपये का बिल दे दिया गया। महोदया, वह बच्चा डेढ़ लाख रुपये अब कहां से ले कर आएगा? अस्पतालों में जब एस्टिमेट बना कर दिया जाता है और उसके बाद मरीज को छोड़ने के समय उसे डेढ़ लाख रुपये और ज्यादा देने के लिए कहा जाता है तो यह अपने आप में एक धोखा है, एक अपराध है। …(व्यवधान) यह मामला बहुत सीरियस है। महोदया, यह देश के अस्पतालों में हो रहा है। आप अगर उसको कहते कि इसको छह लाख रुपये लगेंगे तो बिहार के मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री उसको छह लाख रुपये देते। लेकिन जब एक गरीब उपचार के लिए अस्पताल में उस एस्टिमेट के साथ भर्ती हो गया और उसके बाद उस पैसे को जमा करने के बाद, उसमें और बिल बन कर आता है, उसमें दवाइयों पर अलग से 24 हजार रुपये होते हैं। उस बच्चे को क्या पता है कि यह अतिरिक्त 24 हजार रुपये लगे कि नहीं। उसके बाद उसमें सामान के बारे में, सर्जरी

के ढाई लाख रुपये थे, और सर्जरी के बाद 2 लाख 78 हजार रुपये हो गए। महोदय, कैसे चलेगा? गरीब कैसे करेगा? जहां हम लोग एक तरफ आयुष्मान भारत से पांच लाख रुपये देते हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सबके संसदीय क्षेत्र में है और सभी के साथ ऐसा होता है। …(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी, यह जांच का विषय है । अगर इस प्रकार से देश में गरीबों के साथ अन्याय होगा । बड़े अस्पतालों और बड़े डॉक्टरों के खिलाफ हमारा कुछ विरोध नहीं है, लेकिन माननीय मंत्री जी, देश में गरीब के साथ इस तरह से अन्याय होगा, सरकार के खजाने से निकाल कर हम उन लोगों के पास जो पैसे पहुंचाते हैं, उसके बाद उनके साथ इस तरह से धोखा होगा तो यह अनुचित है। इस बच्चे को तुरंत उस अस्पताल से छुड़वाया जाए और इस प्रकार के काम जो अस्पताल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। …(व्यवधान) इसमें सबकी सहमति है। …(व्यवधान) मंत्री जी कुछ कह रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति जी, राजीव प्रताप रूडी जी ने जो यह विषय रखा है, वह विषय काफी गंभीर है। इनकी जो फीलिंग्स हैं और दूसरे सदस्यों ने जो भावनाएं प्रकट की हैं, हम संबंधित मंत्रालय को निश्चित रूप से कम्युनिकेट करेंगे। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: बहुत जल्दी कीजिएगा।

माननीय सांसद सी.पी. जोशी जी।

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): महोदया, सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होती हैं। मैं चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र की बात करूंगा। मेरे संसदीय में फोर लेन से सिक्स लेन बनाना हो, चाहे बायपास बनाना हो, प्रतापगढ़ में, चाहे केंद्रीय सड़क निधि की कई सड़कें देने का सरकार ने काम किया, लेकिन हमारे निमाड़ा से मगनवाड के बीच में फोर लेन करने का काम हो, चाहे कोटा से काटूंदा, रावतभाटा होते हुए, फोर लेन बनाना हो, चाहे कपासन, बादसोडा, ये तीन फोर लेन ऐसे हैं, जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग है और वहां के क्षेत्र की जनता की सबसे पुरानी मांग है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि ये तीनों नेशनल हाइवे जल्दी डिक्लेयर हों और उनका काम शुरू हो ताकि उस क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिले। धन्यवाद।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र) : महोदया, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र की एक प्रमुख समस्या की तरफ माननीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी साहब का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय मार्ग-30 जो मेरे संसदीय क्षेत्र के खेमनीचर, जगनपुरा, रामकृष्णा नगर और कई ऐसे मौहल्ले हैं, जिससे गुजरता है। आप सब लोगों को भी जाने का मौका मिलता होगा। आप तो उस तरफ जाती ही हैं। यह इलाका काफी घनी आबादी से बसा हुआ है। वहां पर कई संस्थान भी हैं। प्रतिष्ठित स्कूल भी वहां पर खुले हुए हैं। इन इलाकों में जाम की काफी समस्या है। आम तौर पर जब आप पटना से अपने संसदीय क्षेत्र जाती होंगी, मुजफ्फरपर या सीतामढ़ी या शिवहर, तब वहां भी आपको देखने का मौका मिलता होगा। वहां लगातार दो, तीन और चार घंटे जाम रहता है। इसके कारण मार्ग में ट्रैफिक बहुत धीमा रहता है। चूंकि यह सड़क दक्षिण पटना और कंकड़बाग के बीच से गुजरती है।

माननीय सभापति: आप अपनी डिमांड बताएं।

श्री राम कृपाल यादव : मैडम, यह बहुत अहम सवाल है। आपका थोड़ा को-ऑपरेशन चाहिए।

माननीय सभापति: जी, जी। पर, ज्यादा नहीं।

श्री राम कृपाल यादव : मैडम, जाम के कारण रोड क्रॉस करने में ट्रैफिक रुकता है और जाम लगता है।

महोदया, आप देखती होंगी कि इसी सड़क पर कई बार लोगों की जानें जाती हैं, नौजवानों की जान जाती हैं, जिसके लिए माननीय मंत्री जी चिंतित रहते हैं। दोनों तरफ सर्विस लेन भी हैं, पर ये ठीक से बने हुए नहीं हैं। जो अण्डरपासेज बनाए गए हैं, वे त्रुटिपूर्ण हैं व कामयाब नहीं हैं। लो-लैंड होने के कारण बरसात के दिनों में अण्डरपासेज में पूरा पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण रास्ता भी अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि राष्ट्रीय मार्ग - 30 के खेमनीचक, जगनपुरा और रामकृष्णा नगर के पास एक फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाए, जिससे जाम की समस्या खत्म हो सके, दुर्घटना कम हो सके और लोगों को राहत मिल सके।

माननीय सभापति: माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी।

बस दो-दो मिनट का समय लें, क्योंकि एक मिनट में अपनी बात कहने की बात कौन मानता है।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आज अन्तर्राष्ट्रीय जल दिवस है। आज के दिन एक ऐतिहासिक बिल भी आया है, इसलिए मैं इस माध्यम से बधाई देता हूं। चिंता इस बात की है कि आज भारत में 1700 क्यूसेक पानी सबको चाहिए, मगर उपलब्धता मात्र 1486 क्यूसेक की है। एक तरफ हम हर घर को नल का पानी देने जा रहे हैं और हमारी सरकार का संकल्प पहाड़ों तक पानी पहुंचाने का भी है। इसलिए पानी का चक्र जीवन के चक्र से जुड़ा हुआ है। वॉटर हार्वेस्टिंग की बात की जाती है, लेकिन जिस तरीके से आज सरफेस वॉटर की जगह पर बोरवेल से या ग्राउण्ड वॉटर से खेती हो रही है, निश्चित तौर से इस पानी का संरक्षण करने की मैं मांग करता हूं।

महोदया, आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि एक ऐसी स्कीम बनाई जाए, जिससे जल का संरक्षण हो। आज बोरवेल के पानी से खेती हो रही है। महाराष्ट्र की भावना जी यहां बैठी हैं। अहमदनगर में एक ढेबरी गांव है। उस गांव के लोग पलायन कर रहे थे। उन्होंने संकल्प लिया कि हम बोरवेल से खेती नहीं करेंगे। आज वह गांव देश का सबसे समृद्धशाली गांव हो गया है। वहां पर रोज 4,000 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है।

महोदया, आज 'विश्व जल दिवस' के अवसर पर मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि हम किस तरीके से पानी का संरक्षण करें, इसके लिए उपाय किए जाएं।

श्री कुलदीप राय शर्मा (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): महोदया, देश के दूसरे यू.टीज़. के साथ-साथ भारत सरकार ने यह फैसला किया कि अंडमान और निकोबार का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उसको भी प्राइवेटाइज करेंगे। मेरी आपके द्वारा सरकार से रिक्वेस्ट है कि अंडमान और निकोबार का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उसको प्राइवेटाइज न किया जाए। देश के दूसरे प्रांतों में जो करेन्ट का प्रोडक्शन होता है, वह थर्मल और हाइड्रोइलेक्ट्रिक द्वारा होता है, मगर अंडमान और निकोबार के दूरदराज के 19 द्वीपों में छोटे-बड़े 53 पावर हाउसेज के द्वारा 145 मेगावाट करेन्ट का प्रोडक्शन होता है, जो वहां के पूरे प्रोडक्शन का 93 प्रतिशत है। डीजल के द्वारा एक यूनिट को प्रोड्यूस करने का खर्च 19 रुपये आता है और उसके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में 8 रुपये का खर्च आता है। पूरा का पूरा एक यूनिट के लिए 27 रुपये लगता है। मगर, भारत सरकार उस पर सब्सिडी देती है और गरीब आदमी को 6 रुपये 90 पैसे में एक यूनिट बिजली मिलती है।

महोदया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अंडमान और निकोबार के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज न किया जाए। अगर आप प्राइवेटाइज करते हैं तो उससे न ही सरकार को फायदा होगा और न ही आम जनता को फायदा होगा क्योंकि जो बेनिफिट होगा, उसे प्राइवेट आदमी ले जाएगा। प्राइवेटाइज करने के बाद सारा का सारा बेनिफिट प्राइवेट आदमी को मिलेगा, क्योंकि आज जैसा कि मैंने कहा, वहां एक यूनिट करेन्ट 6 रुपये 90 पैसे का है और उसका एक्चुअल

प्रोडक्शन कॉस्ट 27 रुपये है। उदाहरण के लिए आज एक गरीब आदमी बिजली के लिए एक महीने में 500 रुपये देता है तो अगर वह प्राइवेट के पास चला गया तो उसे 500 रुपये के बदले दो हजार रुपये महीने देना पड़ेगा।

दूसरा, अगर आप प्राइवेटाइज़ करेंगे तो वहाँ 3000 लोगों की नौकरी चली जाएगी। अंडमान निकोबार में जो सबसे बड़ा इश्यू है, वह अन-इम्प्लाएमेंट का है। इससे और 3000 लोग अन-इम्प्लाएड हो जाएंगे। अत: मेरी आपके माध्यम से सरकार से यही माँग है कि अंडमान निकोबार का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उसको प्राइवेटाइज़ नहीं किया जाए।

माननीय सभापति : माननीय सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर जी -- उपस्थित नहीं।

श्री सुनील कुमार पिन्टू (सीतामढ़ी): सभापति महोदया, सबसे पहले मैं अपने लोक सभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी के जल्द स्वस्थ होने की माँ जगत जननी सीता जी से कामना करता हूँ।

महोदया, मैं सीतामढ़ी क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ माँ जगत जननी सीता जी धरती से प्रकट हुई है। आप भी उसी क्षेत्र की पड़ोसी हैं। मैं आपके सामने जो समस्या रखना चाह रहा हूँ, हमारा क्षेत्र नेपाल की सीमा से होते हुए बॉर्डर पर जाकर समाप्त होती है। कोविड-19 के बाद भारत-नेपाल की सीमा को बंद कर दिया गया। यह आप अच्छी तरह से जान रही हैं कि बिहार और नेपाल के लोगों का बेटी-रोटी का संबंध है। हमारे सीतामढ़ी की हजारों बच्चियों की शादी नेपाल में हुई है और नेपाल की हजारों बच्चियों का संबंध सीतामढ़ी के आसपास के क्षेत्रों से है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वहाँ आवागमन बंद कर देने से शादियों में भी बहुत परेशानियाँ हुई हैं और लोग शादियों में नहीं आ सके हैं। कितने लोगों के रिलेशन में शादी थी, लेकिन वे लोग नेपाल से इंडिया नहीं आ सकें और इंडिया वाले नेपाल नहीं जा सकें। उनके घर में शादी होने के बावजूद भी वे नेपाल नहीं जा सकें। यह जो रोक लगा दी गई है, हमारा ओपन बॉर्डर है, लेकिन वहाँ पर सरकार ने रोक लगा दी है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह, विनती तथा निवेदन है कि इस बॉर्डर को तुरंत चालू कराया जाए। सीतामढ़ी

जिले के सारे बॉर्डर्स को, चाहे वह बिहटा मोड़ हो, सोनबरसा हो, गौर बाजार बरगेनिया हो, इन सभी को तुरंत चालू कराया जाए। वहाँ पर कोरोना का रैपिड टेस्ट होना चाहिए। रैपिड टेस्ट करके आने-जाने वाले लोगों के लिए यह सुविधा चालू करायी जाए, क्योंकि हमारा संबंध बेटी-रोटी का है।

महोदया, आज हमारे घर की बच्चियाँ न अपने संबंधी के यहाँ नेपाल जा पा रही हैं और न ही वहाँ से यहाँ पा रही हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, सरकार यहाँ मौजूद है, वह इसका संज्ञान ले और बॉर्डर को तुरंत चालू करा दे।

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Hon. Chairperson, about 80,000 daily-rated workers, casual workers, contractual workers, need-based workers are awaiting regularisation for the last 10 years. जम्मू-कश्मीर के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है। इनमें से 30,000 बीजेपी गवर्नमेंट ने ही भर्ती की हुई है। आज यह पोजिशन है कि उनको रेगुलर वेजेज़ नहीं मिल रहे हैं। सारे के सारे ये जो वर्कर्स हैं, वे तकरीबन सालों सड़कों पर रहते हैं। इस रेगुलराइजेशन को एक्स्पिडाइट करने की मेरी गुज़ारिश है। इसके अलावा, जो नई तालीमी पॉलिसी है, उसके तहत जो भी इनके लक्ष्य है, किसी कॉलेज में कोई भी परमानेंट टीचर नहीं है। उनकी जो तादाद है, उन सारे की अकादमिक सेशन बेस्ड नियुक्ति होती है, वे रेगुलराइजेशन का इंतजार कर रहे हैं। इतनी बड़ी परेशानी है, इतनी बड़ी पीड़ा है, हजारों के करीब कुनबे मुतास्सिर हैं। वैसे तो यह सवाल फाइनेंस मिनिस्टर से था, वह भी यहाँ पर तशरीफ़ रख देते, अभी यहाँ हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। ये जो सारे मुलाज़िम कॉन्ट्रैक्ट रीलेटेड वर्कर्स हैं, इनकी रेगुलराइजेशन का कोई प्रोविज़न बनाइए, कोई प्लान बनाइए, कोई स्कीम बनाइए, ताकि इनको राहत मिले। इन पर जो निर्भर करते हैं, उनकी जो फैमिली है, उन फैमिलीज़ को भी कोई राहत मिले। उनकी एजुकेशन वगैरह की भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

इसके अलावा, 15,000 के करीब हमारे मेडिकल स्टूडेन्ट्स हैं, जो एनरोल्ड हैं, पिछले साल पाँच अगस्त को कानून में परिवर्तन किया गया, फार्मसिस्ट एक्ट में तरमीम लाई गई और इनको इनेलिजिबल बनाया गया। उनको वन टाइम एग्जेम्प्शन दिया जाए। इस वक्त इन सारे

इंस्टिटयूशंस में जो भी मेडिकल स्टूडेन्ट्स एनरोल्ड हैं, उनको वन टाइम एग्जेम्प्शन दिया जाए। उनको भी फार्मसिस्ट के रूप में रेगुलराइजेशन करने के लिए अवसर दिया जाए। यही मेरी दो माँग हैं।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद । आज जल दिवस के अवसर पर मैं भी अपने क्षेत्र की जल से संबंधित समस्या को आपके माध्यम से सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। हाल ही में हर घर जल एक स्कीम लाँच की गई है, जिसके लिए एक बहुत ही बड़े धन का आबंटन बजट में भी किया गया है। यह स्कीम पिछले साल भी थी। इस बार भी इसमें बहुत बड़ा आबंटन किया गया है। स्थिति यह है कि मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर में, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत मैंने जिन ग्रामों को चुना था, वहां पर पानी की व्यवस्था को और सुदृढ़ होना चाहिए था, वहां तक इस योजना का लाभ नहीं पहुंच पाया है। मेरे क्षेत्र में हजारों की तादाद में रोज लोग आते हैं और फोन करते हैं कि हमें एक नल की व्यवस्था कराई जाए। मैं बार-बार हर घर नल की स्कीम के बारे में बताता हूं, लेकिन मेरे क्षेत्र के स्थानीय प्रशासन द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का कोई भी प्लान या एक रोड मैप बनाकर ब्लू प्रिंट यहां मंत्रालय को नहीं भेजा जा रहा है। बार-बार मंत्री जी के बोलने के बाद भी उसके ऊपर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाये जा रहे हैं।

मैडम, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि आप माननीय मंत्री जी को निर्देशित करें कि वहां लोकल अथॉरिटी या लोकल प्रशासन से बात करें, उत्तर प्रदेश शासन से बात करें और इस योजना का सबसे पहले मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश में लाभ मिलने का काम हो, बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): आदरणीय महोदया, मुझे समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं बागपत की पुरानी देवभूमि का और बाद की बागी भूमि का, इतिहास का, राष्ट्रीय विरासत का, एक अद्भुत नेतृत्व, वीरता और शहादत का, अंग्रेजों की क्रूरता का और आधुनिक इतिहासकारों की आपराधिक उदासीनता के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर भारत सरकार का ध्यान

आकृष्ट करना चाहता हूं। विशेष रूप से हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं, मैं उनसे इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिसकी कोई रियासत नहीं थी, जिसका कोई राज्य नहीं था, बागपत के बाबा सामल ने 6 हजार किसानों को इकट्ठा करके अंग्रेजों के दांतों तले चने चबवाये। 18 जुलाई को उनकी शहादत हो गई। उनके 22 साथियों को फांसी पर लटका दिया गया, उनके 32 साथियों को पत्थर के कोल्हू से पिसवा दिया गया, 27 गांवों को बागी बनाया गया और लगभग 300 लोगों को उस जमाने में काला पानी भेजा गया।

मैं भारत सरकार से यह निवेदन करता हूं कि बाबा सामल के नाम पर एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए और इन बहादुरों, नौजवानों और शहीदों की शहादत को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया जाय।

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे (रावेर): महोदया, धन्यवाद। मैं मराठी में बोलना चाहती हूं।

*Madam Chairperson, thank you for giving me an opportunity to speak in this Zero Hour. I would like to speak in Marathi. Madam, all the major Central Government welfare schemes for personal benefit are implemented through Banks and it is government's duty to ensure that the benefits are extended to all the eligible persons.

But in the rural areas, the condition is very pathetic. There is no adequate number of staff in the banks and it is hampering smooth availability of the benefits of schemes as the people have to stand in queue before the branches for days together. There is no uninterrupted internet connection in rural areas too.

---

* English translation of the speech originally delivered in Marathi

All the major Central Government schemes like Pradhan Mantri Krishi Samman Yojana, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana for Farmers, Mudra Yojana, Stand Up Scheme for Students and Self Help Group Schemes for Women are being implemented through the DBT and hence there is an urgent need to review the bank transfer facility. The number of bank employees and branches should be increased to give the maximum benefits to the eligible beneficiaries within time. Thank you.

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (आगरा): सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद । अमेरिका के लोकप्रिय राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी ने कहा था कि अमेरिका पैसे वाला देश है, इसलिए उसने सड़कें नहीं बनाईं। उसने पहले सड़कें बनाईं, इसलिए वह बाद में पैसे वाला देश हो गया। सड़कों का बड़ा महत्व है।

मैडम, सड़क परिवहन मंत्री 10 दिसम्बर, 2016 को आगरा आए थे। आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, मार्ग व बाईपास का उन्होंने शिलान्यास किया। वह बाईपास बन गया, फर्राटे से उस पर गाड़ियां चल रही हैं। उसी दिन उन्होंने मेरे निवेदन पर एक घोषणा की थी कि फिरोजबाद, जलेसर होते हुए हाथरस सड़क को चौड़ा किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस पर अभी कोई काम नहीं हुआ है। इसी प्रकार से 23 जनवरी, 2019 को माननीय मंत्री जी ने आगरा-जलेसर मार्ग का शिलान्यास किया, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। आगरा-अलीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुत जाम लगता है, हम उसके लिए फोर लेन बनाने की मांग करते हैं। इसी प्रकार माननीय मंत्री जी ने आगरा उत्तरी बाइपास के लिए घोषणा की थी।

दुनिया के दस सबसे प्रदूषित शहरों में से आगरा एक है, लेकिन उसका कारण उद्योग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने टीटीजेड की वजह से उद्योग पर रोक लगा रखी है। जो उद्योग हैं, वे गैस पर आधारित हैं। हमारे यहां प्रदूषण का कारण तमाम राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्ग आगरा से होकर

गुजरते हैं, जिससे हजारों ट्रकों को, जिन्हें आगरा नहीं आना होता है, लेकिन आगरा से होकर निकलते हैं, अगर उत्तरी बाइपास बन जाएगा तो हजारों ट्रक आगरा के बाहर निकल जाएंगे और प्रदूषण कम हो जाएगा।

मैं उत्तरी बाइपास के शीघ्र बनाने के लिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI KOMATI REDDY VENKAT REDDY (BHONGIR): Hon. Chairperson, Madam, thank you for giving me an opportunity to speak today.

I would like to bring to your kind notice that the AIIMS hospital is going to be constructed at Bibinagar in Yadadri Bhongir District, which falls in my Bhongir Parliamentary Constituency in Telangana State.

For this purpose, an MoU was entered into between the State Government concerned and the Union Government in 2017-18. In the said agreement, the Government of Telangana stated that after acquiring 210 acres of land for this purpose, the same will be allotted to AIIMS. But there is no proper blueprint and also no clear title is given for the same. It is also stated that if the clearance certificate is available with AIIMS, they will construct the pending part of the building. The Central Government has already released funds to construct the AIIMS building, but under the circumstances, the construction work of AIIMS has not been proceeded further. Moreover, in AIIMS campus, out of sixteen lifts, only three lifts are working. The lifts have already been structured, but have not been constructed fully, which is causing a lot of inconvenience to the people and especially to the patients.

Apart from that, there are high tension electricity wires which are running via AIIMS compound, due to which people are facing many problems. These types of hazardous wires are not suitable for hospital premises as they pose a great danger to the lives of the public.

Therefore, I request the hon. Minister of Health to kindly intervene in the matter and instruct the authorities of the State Government concerned to make a review on the construction of AIIMS building properly and to issue a clear title and a blueprint to AIIMS to proceed further and to complete the pending construction without any further delay, which is very useful for the people. Thank you, Madam.

श्री रामाकान्त भार्गव (आगरा) : सभापति महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र विदिशा मध्य प्रदेश में करीब 60 करोड़ की लागत से डीजल लोकोमोटिव के ट्रैक्शन आल्टरनेटर कारखाना के निर्माण हेतु वर्ष 2015 में शिलान्यास किया गया था। यहां यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त परियोजना को 3 वर्ष में पूर्ण किया जाना था, इसके साथ ही उपरोक्त कारखाने से लोगों को सीधे रोजगार से लाभान्वित होना है।

रेल में लगाए जाने वाले ट्रैक्शन आल्टरनेटर का उत्पादन प्रारंभ होने से अत्याधिक आर्थिक बचत हो सकेगी। अभी यह आल्टरनेटर विदेश से मंगाए जाते हैं जो अपेक्षाकृत काफी महंगे रहते हैं। इस कारखाने से लगभग 100 ट्रैक्शन आल्टरनेटर प्रतिवर्ष उत्पादन किया जाना है एवं प्रति वर्ष मरम्मत का कार्य किया जाना है। वर्तमान में यह कार्य दो वर्षों से बंद है। कारखाना प्रारंभ होने से स्पष्ट है कि इस कारखाने से विदिशा जिले के लोगों को रोजगार मिलेगा।

मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री महोदय से अनुरोध है कि संसदीय क्षेत्र विदिशा मध्य प्रदेश में रेल ट्रैक्शन कारखाने को शीघ्र पूर्ण कराएं ताकि विदिशा जिले के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

20.00 hrs

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): This is with regard to the State of Telangana. There are various schools, colleges and hostels run for the SC, ST and OBC. That is called as Telangana Social Welfare Residential Education Society – TSWRES. Though that is the organization which is entirely run with the funds of the State Government, the Secretary of that particular organization is an IPS Officer whose name is *... *.* He is a 1995 batch officer. He has been continuing there for the last ten years in the same post. He started a private organization and a private society with the name SWAERO. Indirectly, that is operating the entire school's administration and they were having their own anthem. They teach or preach against the Hindu Gods which is totally disturbing the fabric of secularism of our country. They do not allow Hindu festivals to be celebrated and they say 'Narakasura' is our ancestor. We should not celebrate Deepavali. These kinds of preaching are being taught and they are creating their own empire. There are several incidents of rapes and abductions but there was no proper police inquiry.

Recently, I had submitted one representation to the hon. President of India personally to ensure that as per the business rules, they are not supposed to have a private organization. Any Government officer is not supposed to run a separate private organization. Subsequent to my meeting with the President of India, I got several threatening calls. I have been

---

* Not recorded.

continuously getting calls. Since I am in the Parliament, I am not getting calls. I would have got more than 300-400 calls. Recently, one of my Parliament colleagues, Mr. Sanjay's vehicle has been attacked. This is a very important issue. His vehicle has been attacked. So, these kinds of incidents are happening. I urge the Home Ministry to entrust this work to NIA or some agency and investigate the real activities and who is there behind …[*] and since he has been there for the last ten years, shift him to some other post. Let us preserve the fabric of our secularism and protect the students.

माननीय सभापति : यहां जितने सदस्गयण हैं, हम उनसे अनुमति मांग रहे हैं, जब तक शून्य काल समाप्त न हो, तब तक के लिए समय बढ़ाया जाए?

कुछ माननीय सदस्य: जी, हां।

माननीय सभापति: ठीक है।

श्री दिलेश्वर कामैत।

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल बिहार में कोसी नदी पर एनएच-57 पर कोसी पुल है। उस पुल से लेकर बाराहरा तक जोभूति, संपथा, डुमरिया, एकडारा, आरा, जोका, पीपलपाती आदि गांवों तक लगभग दस किलोमीटर तक गाइड बांध का निर्माण कराना बहुत आवश्यक है। उक्त क्षेत्र में लाखों लोग निवास करते हैं और प्रत्येक वर्ष जान-माल की क्षति होती है, इसलिए जनहित में गाइड बांध अति आवश्यक है।

मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि उक्त गाइड बांध का निर्माण कराकर इस क्षेत्र के लाखों लोगों की जान-माल की रक्षा करने की कृपा करें।

---

[*] Not recorded.

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): माननीय सभापति जी, मैं ज्वलंत प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। हमारी मातृभाषा हिंदी है और हम सब लोग हिंदी में अध्ययन करते हैं, अगर बहुत हुआ तो अंग्रेजी या लोकल भाषा राजकाज का उपयोग होता है। देखने में आ रहा है कि आजादी के 70 साल के बाद अभी भी पुलिस विभाग लकीर का फकीर है और रोज के काम में उर्दू भाषा का इस्तेमाल होता है। नए बच्चे पढ़कर पुलिस की नौकरी में आते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है कि उर्दू भाषा में क्या शब्द लिखे हैं। नए मजिस्ट्रेट के सामने जब जानकारी जाती है तो उसको भी समझ में नहीं आता। अस्तपाल में डॉक्टरों की समझ में नहीं आता है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 70 साल की आजादी के बाद अब कम से कम पुलिस विभाग, राजस्व विभाग या अन्य विभाग हिंदी भाषा का उपयोग करें। इसके साथ ही वे राज्य जहां हिंदी भाषा के साथ मातृभाषा का अध्ययन होता है, इसी भाषा में लिखें तो सामान्य भाषा शिकायतकर्ता को भी समझ में आएगी और संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को भी समझ में आएगी। मेरी मांग है कि मातृभाषा हिंदी या लोकल भाषा में लिखापढ़ी की जाए।

SHRI ARVIND DHARMAPURI (NIZAMABAD): Hon. Chairperson, Nizamabad parliamentary constituency is home to the legacy of Shri Ambati Shanker Garu, a prominent freedom fighter who drove away the Razakars, the private military of the Nizams of the erstwhile Hyderabad State and upheld his Rashtra Dharma. But today, sadly, Nizamabad has become a hub of anti-India activities supported by the … * Recently, more than 72 Rohingya immigrants acquired Indian passports, out of which about 32 of them were obtained from a single address in Bodhan town of my parliamentary constituency. Upon initial

* Not recorded.

investigation it was found that all these illegal Rohingya immigrants initially obtained Aadhaar Cards in West Bengal. Further investigation pointed towards the fact that the State police Department was hand-in-glove with these illegal Bangladeshi Rohingya immigrants and that a few police officers who went for police verification for the purpose of issuance of passports did not perform their rightful duty.

According to various media reports, it has also been discovered that even voter identity cards have been found in possession of these illegal Bangladeshi Rohingya immigrants. In addition to this, it has also been discovered that around 46 Rohingyas were detained in Jammu earlier this month and at least three legislators of *… ** political party whose presence is largely confined to Hyderabad, Telangana are under scanner after the names of these three legislators have surfaced during questioning of these Rohingyas for facilitating their entry to Jammu after infiltrating into India from Myanmar *via* Bangladesh. It can also be construed from this fact that the police department was acting at the behest of*…** against peace and harmony. This is a serious issue and the Telangana State Government is compromising on our national security.

मैडम, यही रोहिंग्या ने भैन्सा में जाकर कम्युनल राइट्स क्रिएट किया था। यही रोहिंग्या पूरी तेलंगाना में स्प्रेड होकर कम्युनल राइट्स क्रिएट कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि वहां की सरकार किस बात की सरकार है? वहां हिन्दुओं का मर्डर हो रहा है, हिन्दुओं का घर जल

---

* Not recorded.

रहा है और हिन्दुओं को ही जेल में डालते हैं। ऐसी सरकार, केसीआर सरकार तेलंगाना में चल रही है। Therefore, hon. Chairperson, through you, I would request the Central Government to initiate a fair inquiry and punish everyone involved in accordance with the relevant laws in this regard.

Thank you.

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल (जलगाँव): धन्यवाद सभापति महोदया, मैं अपनी बात मराठी में कहना चाहूंगा । *I hail from Maharashtra and represent Jalgaon Lok Sabha Constituency. My northern Maharashtra area and Marathwada region were lashed by heavy hailstorms day before yesterday. Last year, when Rabi crops were about to harvest, farmers had to suffer losses due to Covid pandemic.*

माननीय सभापति: आपने नोटिस नहीं दिया है।

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल : मैंने कहा था कि मैं मराठी में बोलूंगा।

माननीय सभापति: आपने अभी कहा है। पहल देंगे, तभी ट्रांसलेशन होगा।

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल : मैंने पहले नोटिस दिया है कि मैं मराठी में बोलूंगा।

माननीय सभापति: लेकिन, ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है। आप हिन्दी में ही बोल दीजिए।

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल: मैडम, ठीक है।

दो दिन पहले महाराष्ट्र में, जिस एरिया से मैं आता हूं, वहां पर बड़ी मात्रा में ओलावृष्टि हुई है। पिछले साल कोरोना के कारण, जो रबी की फसल हाथ में आई थी, किसान उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाए, तो उस समय किसान बेहाल हो गया। इस साल बड़े पैमाने पर जो ओले गिरे हैं, उससे वे काफी डिस्टर्ब हुए हैं। स्टेट गवर्नमेंट तो … ** में बिजी है। पंचनामा करने के लिए उनके पास समय नहीं है। मिनिस्टर … ** रहे हैं, … ** कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से विनती करता

---

* ….. * English translation of this part of the speech was originally delivered in Marathi

** Not recorded.

हूं कि जो स्टेट डिजॉस्ट्र रिलीफ फंड और नेशनल डिजॉस्टर रिलीफ फंड है, जल्द से जल्द पंचनामा करके, उनका जो भी नुकसान हुआ है, उनकी रबी की जो भी फसल है, उनका जो भी नुकसान हुआ, उसका जल्द से जल्द से भुगतान कराने का आदेश दें।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : माननीय सभापति महोदया, मैं यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूं। संसद सत्र के दौरान संसद का काम सुचारू रूप से चलाने के लिए संसद में सभी मोबाइल कंपनियों का नेटवर्क और फोन न लग सके, इसलिए यहां पर जैमर लगाया गया है। इस जैमर को लगाने के बाद भी संसद में एक मोबाइल कंपनी का नेटवर्क चलता है।

माननीय सभापति महोदया, जो यह भारत सरकार की बीएसएनएल और एमटीएनएल कंपनी है, देश भर में भी इसका नेटवर्क ठीक तरह से नहीं चलता है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप इस विषय को नहीं उठा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय को समझेंगे।

…(व्यवधान)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : महोदया, लेकिन केवल जियो कंपनी का ही फोन लगता है, एमटीएनएल का नहीं लगता है, बीएसएनएल का नहीं लगता है और अदर कंपनियों का नेटवर्क नहीं लगता है। यहां पर सिर्फ एक ही कंपनी यानी जियो का नेटवर्क चलता है। यह बात ठीक नहीं है।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय इस विषय को संज्ञान में लेंगे।

…(व्यवधान)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : माननीय सभापति महोदया, क्या इस कंपनी को जैमर से बाहर रखा गया है? यह बात ठीक नहीं है। यह एक कंपनी को पूरी तरह से सपोर्ट करने वाला है।

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी) : माननीय सभापति महोदया जी, गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां आम तौर पर कंपनी एक्ट और दूसरे ऐसे रूल्स और रेग्युलेशन्स हैं, जिनसे संचालित होती हैं। लेकिन उनको रेग्युलेट करने की जिम्मेदारी आरबीआई एक्ट, 1934 के अनसुार रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की है। आज ही एक प्रश्न के उत्तर में आरबीआई ने, जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह इन

कंपनियों के सुपरविज़न के साथ-साथ असेट्स की समीक्षा करे। उन्होंने आज ही एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि पांच वर्ष से ऐसी कंपनियों की कोई समीक्षा नहीं की गई है। इन कमियों का लाभ उठाकर ऐसी कंपनियां छोटे-छोटे शहरों में अपनी शाखाएं खोलकर स्थानीय लोगों को नौकरियां और बड़े कमीशन का लालच देकर उनका पैसा जमा करा लेती हैं और इसके बाद वे भाग जाती हैं।

ऐसी ही एक घटना मेरे लोकसभा क्षेत्र में हुई है, जिसमें पंजाब के कांग्रेस पार्टी के एक प्रभावशाली विधायक, जो कि इस समय मौजूदा विधायक हैं, उनकी पांच कंपनियों ने हमारे लखीमपुर जिले के स्थानीय नवयुवकों को फंसाकर, वहां के लोगों का पैसा जमा कराया और फिर वे भाग गए हैं। लेकिन प्रक्रिया संबंधी कमियों के कारण वे लड़कें तो पकड़े जाते हैं, लेकिन इन कंपनियों और उनके मालिकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि एनबीएफसी कंपनियों की धोखाधड़ी रोकने व जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित रखने तथा वास्तविक दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्रक्रिया संबंधी सुधार, असेट्स का लगातार सुपरविज़न व समीक्षा तथा व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व सेबी के अंतर्गत लाया जाए। ऐसी डिफॉल्टर कंपनियों व उनके मालिकों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करने के साथ ही साथ निवेशकों का पैसा लौटाया जाए।**…(व्यवधान)**

SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): Madam, thank you. In my Zahirabad Parliamentary constituency, there is a fort known as Koulas Fort which was constructed in 14th Century by Kakatiya rulers.

It has a rich history. It was built by the Kakatiyas, and later on conquered by the Muslim rulers, the Bhamani rulers, the Kutubshah rulers followed by the Nizam rulers. In 1857, this Fort was used for the freedom struggle by King Rajdeep Singh against the British rulers.

The Fort has 55 bastions and 12 Mahadwar entries. Such historic Fort is in a dilapidated condition. Neither the Archaeological Department nor the Tourism Department is showing any interest to maintain it.

Tourists coming to this Fort have almost stopped. I have repeatedly requested the Ministry concerned regarding the development of this Fort. But I did not receive any positive response.

Through the hon. Chair, I once again request the hon. Minister to look into the matter and save the important and historical Fort located in my Parliamentary constituency at the earliest. Thank you.

श्री रवि किशन (गोरखपुर) : सभापति महोदया, आपने मुझे आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदया, यह मुद्दा गरीबों और मिडिल क्लास परिवारों से जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा मुझसे भी जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के मुंबई में एक बहुत बड़ा बैंक स्कैम हुआ है। पंजाब महाराष्ट्र बैंक है, जिसमें मेरे भी पैसे थे। उसमें मेरी मेहनत और फिल्म इंडस्ट्री की सारी इनिशियली जमापूंजी थी। उसमें नौ लाख परिवारों के पैसे डूब गए हैं। कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया है। 18 महीने हो गए हैं, पहले कैप लगा, फिर अचानक कहा कि आपके पैसे नहीं मिलेंगे। मैं यह जानता हूं कि यह विषय राज्य सरकार के जिम्मे आता है। लेकिन मैं कहां गुहार लगाऊं? एक सांसद के रूप में और एक नागरिक होने के नाते, वे सभी बैंक खाताधारक मुझे ट्वीट कर रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं। बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, छोटे कलाकार हैं, गरीब कलाकार हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पूरे देश में जितने भी बैंक फ्रॉड्स होते हैं, यह एक वेल प्लान्ड साजिश होती है। बैंक का एक मैनेज़र होता है, उसके किसी बिल्डर के साथ निजी संबंध होते हैं, निजी स्वार्थ होता है और वह उनके बड़े अमाउंट को एग्री करता है। उसके एवज़ में उसको बहुत कुछ मिलता है और उनकी बहुत प्रॉपर्टीज़ होती हैं।

इनको जेल भी हो और साथ ही इनकी प्रॉपर्टीज को अटैच भी किया जाए। आरबीआई अरेस्ट करने के साथ इनकी प्रॉपर्टीज को अटैच करे। महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से वसूली कर रही है, उसी तरह से हम गरीबों की या उन खाताधारकों की भी वसूली हो। उनका पैसा लौटाया जाए। यह मेरा निवेदन है। मैं इसके लिए बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि लोग रोज मर रहे हैं। वहां पर गरीब बर्बाद हो गया है। यह बहुत सीरियस मुद्दा है। इस देश में बैंक फ्रॉड तभी रुकेगा, जब जिन मैनेजर्स के द्वारा यह करवाया जा रहा है, उनके घर को अटैच किया जाएगा। इनकी प्रॉपर्टी बेची जाएगी और बेचकर सब गरीबों को, जो दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, उनको वह पैसा लौटाया जाए। आप इस पर जरूर गौर करें। महाराष्ट्र सरकार इनकी वसूली करवाकर हमारा पैसा लौटा दे।

श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन): सभापति महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं सबसे पहले बाबा महाकाल से प्रार्थना करूंगा कि हमारे अध्यक्ष जी स्वस्थ होकर जल्दी से जल्दी सदन में आएं। मेरे क्षेत्र उज्जैन-झालावाड़ सड़क का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। माननीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय गडकरी जी ने उसे स्वीकृत तो किया है, लेकिन टू लेन का स्वीकृत किया है। मेरी बार-बार यही मांग थी और आज फिर मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि उसको टू लेन की जगह फोर लेन किया जाए। वह बहुत कंजेस्टेड है। मैं वर्ष 2016 में विधायक था तो प्रश्न लगाया था और उस समय एक्सीडेंटल मौतों के आँकड़े कम से कम 700 थे। अब वर्ष 2021 चल रहा है तो हजारों लोग असमय काल के गाल में जा चुके हैं। बहुत से परिवार बर्बाद हो गए हैं। गडकरी जी और माननीय प्रधान मंत्री जी चाहते हैं कि एक्सीडेंट्स कम हों। मैं जब उस क्षेत्र में दौरा करने जाता हूँ तो मुझे राम-राम बोलकर यह सोचते हुए जाना पड़ता है कि मैं जिंदा लौटूंगा या नहीं लौटूंगा, यह स्थिति है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि उसको फोर लेन किया जाए, क्योंकि उज्जैन में सिंहस्थ मेला भी लगता है। वह एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है।

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे (हातकणंगले): सभापति महोदया, मैं आपका तहेदिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने के लिए मौका दिया । मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । इस देश में सरकार हमेशा कहती रहती है कि यह संवेदनशील सरकार है । सर्वसमर्पित सरकार है और उनका सबको साथ लेकर चलने में विश्वास है । इसी देश में ऐसे भी सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनकी आज उपेक्षा हो रही है । वे कड़ाके की ठंड में खुद की पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं । ईपीसी 95 पेंशन योजना लागू की गई थी, उसके लिए 67 लाख पेंशनर्स प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं । चाहे कड़ाके की ठंड हो, धूप हो या बारिश हो, वे अपने हक के पैसे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं । पहले एक हजार रुपये की पेंशन दी जाती थी । उसको बढ़ाकर 3 हजार रुपये किया गया और उनको कहा गया कि आप तीन हजार में अपना घर चलाओ और अपने बच्चों का ख्याल रखो । आज ऐसी स्थिति हो गई है कि बहुत से लोगों ने पेंशन की राह देखते-देखते अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला । मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा और अगर यह संवेदनशील सरकार है, अपना प्रमाण देना चाहती है तो निश्चित रूप से जो 67 लाख पेंशनर्स काम कर रहे हैं, जिन्होंने सरकार को बल प्रदान किया है, सरकारी योजनाओं में काम किया है, उनकी पेंशन बढ़ाई जाएगी । 'कोश्यारी कमेटी' की एक रिपोर्ट भी आ गई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है कि उनके लिए 9 हजार रुपये की पेंशन लागू की जाए और उनकी हेल्थ सर्विसेज की योजनाओं में भी काम किया जाए । उनको आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए सरकार की तरफ से सहायता दी जानी चाहिए । मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि 'कोश्यारी समिति' की रिपोर्ट के हिसाब से यह योजना लागू की जाए ।

श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर): धन्यवाद, सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया ।

सबसे पहले मैं श्री ओम बिरला जी के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि वे जल्दी स्वस्थ हों और जल्दी लोक सभा में लौटें ।

सभापति महोदया, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अमृतसर ने बहुत बड़े-बड़े खिलाड़ी पैदा किए हैं। दूसरे खेलों के साथ-साथ क्रिकेट में बहुत बड़े खिलाड़ी पैदा किए हैं, जिनका जन्म अमृतसर में हुआ, जैसे कमरूद्दीन भट्ट जी 1914 में जन्मे, अब्दुर रहमान 1917 में, बदरुद्दीन मलिक जी 1922 में, मकसूद अहमद 1925 में, विजय राजेन्द्र नाथ जी 1928, स्वर्णजीत सिंह जी 1932 में, वकार हसन जी 1932 में, खुर्शीद अहमद जी 1934 में, सेत्तार राणा जी 1936 में, जियाउल्ला जी 1936 में, विजय मेहरा जी 1938 में, बिशन सिंह बेदी जी 1946 में, फजलुर रहमान जी 1935 में देश की आज़ादी से पहले वहां पैदा हुए। आज़ादी के बाद जसबीर सिंह जी 1950 में, अरुण शर्मा जी 1958 में, मदन लाल जी 1951 में, अशोक ओम प्रकाश मल्होत्रा जी 1957 में, राजू सेठी जी 1962 में, गुरशरण सिंह जी 1963 में, हरविंदर सिंह जी 1977 में, शरणदीप सिंह जी 1979 में, रेनू मारग्रेट जी 1975 में, रवनीत रिक्की जी 1980 में, मनीष शर्मा जी 1981 में, शरद लाम्बा जी 1989 में, विनय चौधरी जी 1993 में, मोहित ढांडा जी 1993 में, राहुल कनौजिया जी 1994 में और नवजोत सिंह सिद्धू जी, जो तीन बार सांसद रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी इतने बड़े खिलाड़ियों को जन्म देने वाले अमृतसर शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम होना चाहिए। वहां-वहां स्टेडियम बन चुके हैं, जहां किसी खिलाड़ी ने जन्म नहीं लिया, लेकिन अमृतसर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होना चाहिए। गांधी ग्राउण्ड, जहां क्रिकेट स्टेडियम है, उसकी रिपेयर के लिए, मैं आपके माध्यम से स्पोर्ट्स मिनिस्टर और सरकार से कहना चाहता हूं कि यह देश का गौरवमयी इतिहास है। वे देश की आज़ादी से पहले भी अपना योगदान देते रहे हैं। इनका योगदान सुनिए – रणजी ट्रॉफी में, वन डे इंटरनेशनल मैच में, इंटरनेशनल टेस्ट मैंच में, अंडर 18 में, आईपीएल में भाग लेने वाले अम्पायर और कोचेज यहां पैदा हुए।

माननीय सभापति : आपकी बात आ गई है।

श्री गुरजीत सिंह औजला: कृपया करके एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अमृतसर में जरूर दीजिए।

एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): सभापति महोदया, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय स्पीकर साहब के जल्दी स्वस्थ होने की प्रभु से प्रार्थना करता हूं।

महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र नैनीताल-ऊधमसिंह नगर के नैनीताल जिले के अंतर्गत हल्द्वानी शहर में बनभूलपुरा नाम की एक जगह है, उसके रेलवे क्रॉसिंग के गेट नम्बर 52सी पर एक फ्लाईओवर ब्रिज का होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि यह जो सड़क रेलवे क्रॉसिंग को पार करके जाती है, वह चोरगलिया, गोलापार के अतिरिक्त सितारगंज, नानकमत्ता, खटीमा, टनकपुर, चम्पावत, पिथोरागढ़ होते हुए चाइना बॉर्डर और दूसरी तरफ नेपाल बॉर्डर तक जाती है। इसकी वजह से हमारी बहुत सी आपातकालीन सेवाएं भी बाधित हो जाती हैं। वहां तीन-तीन, चार-चार घण्टे जाम लगा रहता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि तुरंत यह फ्लाईओवर ब्रिज बनाया जाना चाहिए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके।

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): धन्यवाद, सभापति महोदया।

महोदया, मैं अपने संसदीय क्षेत्र जिला गोपालगंज को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट में जोड़ने के लिए आपके माध्यम से सरकार से आग्रह कर रहा हूं। गोपालगंज एक कृषि आधारित क्षेत्र है। किसान भाई एवं बहुत सारे परिवार केवल कृषि एवं गन्ने की खेती पर आश्रित हैं। वहां युवा वर्ग के लिए रोजगार की भी समस्या है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन एवं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। हर साल जिले में बाढ़ की विभीषिका से जान-माल एवं सम्पत्ति का नुकसान एक बहुत ही दयनीय स्थिति पैदा कर देती है। इन सब समस्याओं एवं इन्डेक्स के पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए, मैं आपके माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग और नीति आयोग से आग्रह करता हूं कि गोपाल गंज जिले को एस्पिरेशनल जिलों की लिस्ट में शामिल किया जाए, ताकि इस अविकसित जिले का विकास हो सके।

श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा): सभापति महोदया, मैं सबसे पहले माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के लिए शुभकामना व्यक्त करना चाहूंगा कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी उनको आशीर्वाद दें, जिससे वे जल्दी ही स्वस्थ होकर, कोविड को हराकर हमारे साथ इस सदन में आएं।

मैडम, सुना है और कहा जाता है कि कई जन्मों के तप के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। भगवान ने भी जब-जब अवतार लिया है, तब-तब उनको अपना शरीर त्यागना पड़ा है। हम लोग मनुष्य हैं और जो पैदा होता है, उसको एक न एक दिन जाना भी है।

मैं आपके माध्यम से एक ऐसे विषय की मांग रखना चाहूंगा और पूरे सदन में जितने भी साथी मौजूद हैं और जो साथी नहीं भी हैं, वह विषय यह है कि अंग दान एक बहुत बड़ा दान होता है। हिन्दुस्तान में आज की तारीख में अंगदान से एक बॉडी से 40 मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए मिलता है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिलता है, जबकि वह 1:5 होने से उनको अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी और वे नए-नए तरीके के एक्सपेरिमेंट्स कर पाएंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले साल 26 नवंबर को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे था, तब मैंने खुद को as an organ donor रजिस्टर किया था। I am a proud organ donor. मैंने अपने ऑर्गन्स डोनेट किए हैं। इसी सदन में जब एक बार इस पर सवाल चल रहा था तो मेरा मन किया कि मैं माननीय मंत्री हर्ष वर्धन जी को जाकर प्रस्ताव दूं कि इसको कैसे लागू करें और मेंडेटरी करें तथा इस पर कोई प्राइवेट मैम्बर बिल लाएं।

मैडम, आप सबको जानकर खुशी होगी कि माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी और उनकी अर्धांगिनी दोनों ने कई सालों पहले अपने ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए रजिस्टर करवाया है। उससे कुछ दिन पहले, एक-दो महीने पहले ही, वे अपनी माता जी के देहांत के बाद अपनी मां का शरीर मेडिकल कॉलेज में देकर आए थे। हमारे लिए इससे बड़ी क्या इंस्पिरेशन हो सकती है। मैं आपके माध्यम से सभी को यह बोलना चाहूंगा कि हम दुनिया में आए हैं तो जाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम अपना अंगदान करें तो इस सोच के साथ जी सकते हैं कि मरने के बाद भी हम किसी के अंदर जिंदा हैं और हम किसी को खुशी दे सकते हैं।

माननीय सभापति : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोग भी पूरे ऑर्गन्स दो साल पहले दान कर चुके हैं।

श्री अनुभव मोहंती: मैडम, थैंक्यू सो मच, क्योंकि आपने भी ऑर्गन्स दान किए हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। आप इस क्षेत्र में आगे आई हैं, हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और गर्व की बात क्या हो सकती है। मैं आपके माध्यम से सभी सांसद साथियों को बोलना चाहूंगा कि हम सब आगे आएं और खुद को अपना ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए रजिस्टर करें। पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करें कि हिंदुस्तान के सांसदों ने अपने ऑर्गन्स डोनेट करके लोगों के जीवन को बचाया है। मैडम, एक इंसान अंगदान से आठ लोगों को जीवनदान दे सकता है। यह बात सभी को जानना जरूरी है।

माननीय सभापति : आप किसी और के लिए समय दान कीजिए।

श्री अनुभव मोहंती: मैडम, धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।

श्री प्रिंस राज (समस्तीपुर) : मैडम, आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज बिहार दिवस है और मैं सभी बिहारवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। बिहार की कई विशेषताएं हैं और हमारा काफी गौरवशाली इतिहास रहा है। यहां की धरती भगवान गौतम बुद्ध जी की धरती है, भगवान महावीर जी की धरती है, बिहार की धरती माता सीता जी की धरती है, गुरू गोविंद सिंह जी की धरती है, यह धरती सम्राट अशोक और सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य की धरती है। जब पूरे देश में आजादी का बिगुल छेड़ा गया तो चम्पारण सत्याग्रह से ही छेड़ा गया था। जब स्वतंत्र भारत का निर्माण हुआ तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी बिहार से थे। हम लोगों का इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन दुख तब होता है, जब इतने सालों बाद भी बिहार कहीं न कहीं पिछड़ जाता है। हमारे बिहार में कई नदिया हैं, इनमें पुनपुन, कोसी, गंगा, गंडक नदियां हैं। अभी भी आधा बिहार सुखार में रहता है और आधा बिहार बाढ़ में रहता है।

मैडम, आप भी बिहार से आती हैं और आप बखूबी इस बात को जानती हैं । क्यों न इन नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, ताकि जहां बाढ़ का पानी है, उसे सुखार तक पहुंचाया जाए। यदि ये एक दूसरे से मिल जाएं तो यह समस्या दूर हो जाएगी। झारखण्ड के बिहार से अलग होने से और जितने भी खनिज बाहुल्य क्षेत्र हैं, उनके झारखण्ड में जाने की वजह से बिहार में ज्यादातर कृषि भूमि बच गई है। बिहार ज्यादातर बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं, इसी वजह से यहां उद्योग भी कम लगे हैं। …(व्यवधान) मैं एक मिनट और लूंगा।

मैडम, मैं आग्रह करूंगा और मैंने पहले भी सदन में यह बात उठाई थी। मैं समस्तीपुर से आता हूं। वहां पर कई उद्योग थे। वहां चीनी मिल, जूट मिल और अशोक पेपर मिल थी। हम ने जूट मिल का मामला पहले भी उठाया था। अशोक पेपर मिल की बहुत बड़ी जमीन का कोई यूज नहीं हो रहा है, उसका कोई उपयोग नहीं है। हम ने पहले भी केन्द्र सरकार से आग्रह किया था और दोबारा आग्रह करता हूं कि वहां पर कुछ न कुछ व्यवस्था की जाए, ताकि वहां पर रोजगार की संभावना बढ़ सके। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : शून्य काल में एक ही विषय उठाया जाता है।

SHRI HEMANT TUKARAM GODSE (NASHIK): Thank you, Madam Chairperson, for giving me this opportunity.

I would like to raise an important issue relating to opening of Central Government Health Scheme Unit with Wellness Centres at Nashik.

In my Nashik district, there are thousands of Central Government employees, and retired workers and officers who have to go to Mumbai or Pune several times for their health claim and compliance, which leads to wastage of their time and money.

It is pertinent to say that in Nashik district, the total Central Government Health Scheme card holders are near about 26,000, and the beneficiaries would be around one lakh.

So, through you, hon. Chairperson Madam, I would like to request the hon. Health Minister to take immediate steps to start Central Government Health Scheme unit with some Wellness Centres in Nashik at the earliest.

Thank you.

श्री सुब्रत पाठक (कन्नौज): सभापति महोदया, मेरे लोक सभा कन्नौज में आलू, सुगंधित फूल एवं सुगंधित फसलों की खेती प्रमुख रूप से होती है। हमारे क्षेत्र में आलू के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था है। किन्तु प्रत्येक पांच साल में दो-तीन साल आलू की फसल अधिक हो जाने के कारण आलू की कीमत कम हो जाती है और आलू फेंकने की स्थिति बन जाती है, जिससे किसानों की लागत नहीं निकलती है और न ही आलू का भंडारण करने वाले व्यापारियों को भाड़ा ही मिल पाता है। किसानों और व्यापारी दोनों को ही भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि कन्नौज के आस-पास के जनपद भी आलू उत्पादक हैं, कन्नौज में एक कलस्टर बनाया जाए, ताकि यहां आलू आधारित उद्योगों को लगा कर किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम दिलाया जा सके। इस बार आलू का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हुआ है और भंडारण भी लगभग पूर्ण हो चुका है। अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसानों की आलू खरीद कर निर्यात की व्यापक व्यवस्था बनाई जाए।

कन्नौज पूरी दुनिया में इत्र और सुगंध के लिए जाना जाता है। अत: कन्नौज में अरोमा यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए, ताकि यहां सुगंधित फसलों पर शोध हो, जिससे यहां के किसानों की आय बढ़ाई जा सके और दुनिया भर में बढ़ रहे सुगंध के व्यापार का लाभ कन्नौज सहित उत्तर प्रदेश और देश को भी मिल सके।

श्री संजय सेठ (राँची): सभापति महोदया, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आर्शीवाद से झारखंड अलग राज्य बना, हम बिहार से अलग हुए और इसके बीस साल हो गए हैं। बीस साल के बाद अब हमारी आबादी सवा तीन करोड़ हो गई है। अभी हमारे हमारे 81 विधायक हैं, लेकिन क्षेत्र बड़ा है। क्षेत्र बड़ा होने के कारण उन पर विकास का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। झारखंड की विधान सभा ने भी कई बार यह सहमति प्रदान की है कि वहां के विधान सभा की सीटों की बढ़ोतरी होनी चाहिए। सभी राजनीतिक दल इसके लिए सहमत हैं।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम झारखंड विधान सभा में 120 सीट्स किए जाएं, ताकि विधायकों पर ज्यादा प्रेशर न हो और समुचित विकास हो सके।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि सभापति महोदया जी, आप रांची गई होंगी। पहाड़ी बाबा, यहां शंकर भगवान जी का बहुत बड़ा मंदिर है, वे हमारे गार्जियन हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे अध्यक्ष स्वस्थ हों और इस सदन में मौजूद हों।

श्री रमेश चन्द्र माझी (नबरंगपुर): सभापति महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र नबरंगपुर है। नबरंगपुर ट्राइबल सब-प्लान एरिया है, नक्सल अफेक्टेड है और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है। वहां ज्यादा बच्चे केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं। वहां एक केन्द्रीय विद्यालय है। एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरी डिमांड है कि नबरंगपुर जिले के उमरकोट इलाके में, कोराकुट जिले के कुटपाड़ इलाके में और मालकानगिरी इलाके में एक-एक केन्द्रीय विद्यालय सैंक्शन किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़): सभापति महोदया, सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी के लिए मां शीतला से यही कामना करता हूं कि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हों और हम सभी के बीच में आएं।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से अपने लोक सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ अंतर्गत स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 96, प्रयागराज से अयोध्या जाने वाले मार्ग पर, अयोध्या-प्रयागराज रेलवे लाइन के कुसमी रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज न होने के कारण घंटो लगने वाले जाम की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

यह राष्ट्रीय राजमार्ग कहीं न कहीं रामायण सर्किट से जुड़ा होने के कारण उतरौला, फैज़ाबाद, बस्ती, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर, सुल्तानपुर आदि जनपदों से होता हुआ, प्रयागराज जाने वाला एकमात्र महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है। जिसमें प्रतापगढ़ जंक्शन से भूपियामऊ रेलवे स्टेशन के बीच कुसमी रेलवे क्रासिंग पर रेलवे ओवरब्रिज नहीं होने की वजह से गाड़ियों के आवागमन के समय क्रॉसिंग बंद होने से 3 से 4 किलोमीटर लंबे जाम से लोगों को जूझना पड़ता है। इसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं भी होती हैं और आवागमन बाधित होने से पुलिस को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदया जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के रेल मंत्रालय से यह आग्रह करना चाहता हूं कि अयोध्या से प्रयागराज तक जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 96 के कुसमी रेलवे फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज तत्काल बनाए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): सभापति महोदया, आज अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस है और मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे बुंदेल वासियों की तरफ से आभार प्रकट करना चाहता हूं। केन - बेतवा नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट देश का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट कहूंगा। इन दोनों नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट बहुत ही लंबे समय से प्रतीक्षित था। इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में साइन करवाकर इसे अप्रूव किया गया है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि यह बुंदेलखंड में बन रहा है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से यह निवेदन है कि उस डैम और कनाल, से जो केन नदी को बेतवा नदी से जोड़ रही है, उसे हमारे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर और महोबा, दोनों जनपदों के बांध और तालाब को नहरों से जोड़ कर उन्हें पानी उपलब्ध करवाया जाए।

हर घर जल की योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी वर्ष 2022 तक पूरे बुंदेलखंड के एक-एक घर में पानी पहुंचाने में लगे हुए हैं। उन्हीं तालाबों से पाइपलाइन पहुंचाई जा रही है। अगर केन-बेतवा से उसका डिजाइन होगा,

क्योंकि पानी की कमी को देखते हुए बहुत लंबे समय के बाद यह स्थिति आएगी कि उन जलाशयों में पानी कम होगा, तब यह केन-बेतवा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और हमारे क्षेत्र बुंदेलखंड के एक-एक घर में पानी की उपलब्धता होगी।

श्री विजय कुमार (गया): माननीय सभापति महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र गया के अंतर्गत आवाम की लाइफ-लाइन कही जाने वाली सड़क बाराचट्टी जीटी रोड एन.एच 2 से मोहनपुर होते हुए रजौली तक करीब 50 किलोमीटर है, जिस पर प्रतिदिन हजारों छोटी-बड़ी गाड़ियां चलती हैं। यह गया जिला का मुख्य मार्ग है, इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने से आवागमन सुगम हो जाएगा। नवादा और झारखंड की दूरी कम हो जाएगी तथा इसके दोनों तरफ बसावट तेजी से विकास करेगी।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री श्री गडकरी जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि बाराचट्टी से रजौली तक को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने की कृपा करें। मैं पूर्व में भी माननीय मंत्री जी को इसके लिए पत्र लिख चुका हूं और उसके जवाब में यह आया था कि इसे प्राधिकार में भेजा जा चुका है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि इस काम को जल्द से जल्द किया जाए।

श्री संतोष पान्डेय (राजनंदगाँव): माननीय सभापति महोदया, छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता है और छत्तीसगढ़ अशांत होता जा रहा है। ऐसा न हो कि एक प्रदेश को जिस प्रकार से कहते हैं, छत्तीसगढ़ को भी उड़ता छत्तीसगढ़ कहने लगें। आज नशाखोरी जिस प्रकार से बढ़ी है और जिस प्रकार से लूट और हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं, यह पूरे छत्तीसगढ़वासियों के लिए चिंता की बात है। अभी छत्तीसगढ़ में बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। विगत हफ्ते दुर्ग जिले के बठेना गांव में एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या हुई है। एक चिता बनाई गई और मां-बेटी को तार से बांधकर उस पर जलाया गया और पिता तथा पुत्र के शव फांसी से लटके हुए मिले थे, किन्तु वास्तव में उनके हाथ पर फफोले थे और शरीर के कई अंग जले हुए थे।

यह ऐसी लोमहर्षक घटना है, यह आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है और यह पूरे छत्तीसगढ़ का कहना है। वह क्षेत्र हमारे प्रदेश के सम्माननीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। इसके साथ-साथ, दो दिन पहले फिर एक घटना हुई। मेरे लोक सभा क्षेत्र के कवर्धा जिले में अवरोल के अंतर्गत हुई है, जिसमें एक आदिवासी युवती अम्बिका प्रत्यय जली हुई अवस्था में मिली। उनकी भी हत्या हुई है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस घटना की उच्चस्तरीय जाँच की जाए। वहाँ की जनता, जो व्यथित है, आक्रोशित है, उनको यह विश्वास दिलाया जाए कि न्याय होगा। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ।

श्री अरूण कुमार सागर (शाहजहाँपुर): माननीय सभापति महोदया, मैं सबसे पहले प्रभु श्रीराम से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे लोक सभा स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी को जल्दी स्वस्थ करें।

महोदया, मैं आपका ध्यान मेरे लोक सभा क्षेत्र जनपद शाहजहाँपुर की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहाँपुर में नगर विधान सभा आती है। वहाँ पर रेल लाइन लगभग 40 वर्षों से जर्जर पड़ी है। उस पर अवैध कब्जा हो रहा है। माननीय रेल मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि नगर निगम को अनुमति दी जाए ताकि वह भारी जाम से मुक्त हो सके और वहाँ का आवागमन सुचारू रूप से चल सके।

श्री गोपालजी ठाकुर (दरभंगा): माननीय सभापति महोदया, माननीय लोक सभा अध्यक्ष जी स्वस्थ हो जाएं, मैं इसके लिए जगत-जननी माँ जानकी सीता जी से प्रार्थना करता हूँ।

महोदया, आज बिहार दिवस के अवसर पर समस्त बिहारवासियों सहित देशवासियों को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। आज राष्ट्रीय जल दिवस भी है। आपने मुझे मिथिला में स्थायी बाढ़ की समस्या से निदान के विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

महोदया, मिथिला क्षेत्र में कोसी, कमला, गंडक, बलान, भूतही, करेह, अधवाड़ा आदि नदियाँ बहती हैं। बरसात के समय में ये नदियाँ उफान पर होती हैं और पूरे मिथिला में भारी विनाश करती हैं, जिस कारण इस क्षेत्र की लाखों की आबादी प्रभावित होती है और जान-माल का भी नुकसान होता है और किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है।

महोदया, मिथिला क्षेत्र से आप भी आती हैं। यह क्षेत्र कृषि पर आधारित है, लेकिन बाढ़ और सुखाड़ के कारण लगभग प्रति वर्ष फसलें बर्बाद होती रहती हैं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। इन्हीं कारणों से उत्तर बिहार के करोड़ों लोगों को पलायन करना पड़ता है।

माननीय सभापति: आपकी क्या मांग है, वह बताइए।

श्री गोपालजी ठाकुर : यह बिहार की बहुत भारी समस्या है।

आजादी के समय से अब तक करोड़ों लोग विभिन्न महानगरों को पलायन कर चुके हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में नदी से नदी को जोड़ने की परिकल्पना की गई थी, जिसका क्रियान्वयन इस क्षेत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ-साथ, नदियों का उड़ाहीकरण, नदियों पर डैम बनाकर पानी का उचित प्रबंधन करके बाढ़ और सुखाड़ जैसी विभीषिकाओं से मिथिला क्षेत्र को बचाया जाए।

मैं आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, नवभारत के विश्वकर्मा, जिन्होंने मिथिला क्षेत्र में एम्स, एयर पोर्ट और कोसी नदी पर महासेतु देकर और मिथिला के सर्वांगीण विकास में एक नया अध्याय लिखने वाले आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी और आदरणीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी से आठ करोड़ मिथिलावासियों को बाढ़ की समस्या से स्थायी निदान दिलाएं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। यह मैं आपसे आग्रह करता हूँ।

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): माननीय सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान ग्वालियर विमान तल पर पर्याप्त कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों की संख्या न होने के कारण, उनका अभाव होने के कारण उड़ानों पर पड़ रहे प्रभाव की ओर दिलाना चाहता हूं। लगभग ढाई वर्ष पूर्व ग्वालियर से मात्र एक उड़ान संचालित होती थी, लेकिन अब उस स्थान से करीब आठ-दस उड़ानें संचालित हो रही हैं। कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने हेतु अनेकों बार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिखा गया है, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

वहां पर एक शिफ्ट के कर्मचारियों से दो शिफ्टों का काम लिया जा रहा है। यह गंभीर बात है और यह जानकारी भी मिली है कि पर्याप्त कर्मचारी न होने के कारण अहमदाबाद की उड़ान बंद की जाने वाली है। मुंबई के लिए जो उड़ाने प्रारंभ होने वाली थीं, वे उड़ानें भी अब प्रारंभ नहीं हो रही हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी से निवेदन है कि ग्वालियर विमान तल पर पर्याप्त कर्मचारियों की संख्या तैनात करें, जिससे वहां पर जो सुविधाएं हैं, वे यथावत रहें और अन्य अनके बड़े शहरों में नागरिकों को हवाई सुविधाएं प्राप्त हों। यह सुनिश्चित करने की कृपा करें। धन्यवाद।

डॉ. उमेश जी. जाधव (गुलबर्गा): सभापति महोदया, धन्यवाद।

महोदया, कर्नाटक में गुलबर्गा बैकवर्ड एरिया है। वहां माइनॉरिटी पॉप्युलेशन वर्ष 2011 के सेन्सस के मुताबिक 53,03,000 है। अभी की पॉप्युलेशन साढ़े छ: लाख है। आपके माध्यम से मेरी यह रिक्वेस्ट है कि पीएमजेवीके प्रोग्राम मेरे क्षेत्र में लागू किया जाए। कर्नाटक में हाइएस्ट माइनॉरिटी पॉप्युलेशन मेरे एरिया में है। ये बहुत बैकवर्ड लोग हैं। मैं ऑलरेडी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर से पर्सनली मिल चुका हूं। I have requested him to include Gulbarga in this scheme because this is the most neglected area.

Madam, I sincerely request that through you, this message should go to the hon. Minister.

Thank you.

श्री प्रवीन कुमार निषाद (संत कबीर नगर): सभापति महोदया, धन्यवाद।

मैं सबसे पहले भगवान निषादराज जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे लोक सभा अध्यक्ष माननीय बिरला जी को स्वस्थ्य कर हम सबके बीच जल्द से जल्द भेजने का काम करें।

मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश में नदी, ताल और घाट के किनारे रहने वाली उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक आबादी, तकरीबन 14 प्रतिशत निषाद समुदाय, केवट, मल्लाह, बिंद, कश्यप, कहार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

सेन्सस मैन्युअल पार्ट-1 फॉर उत्तर प्रदेश, 1961 जाति जनगणना, 1961 के अनुसार और उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति संविधान, 1950 के अनुसार क्रमांक चार पर रघुवंशी ठाकुर को बहेलिया का, क्रमांक 18 पर बेलदार की उप-जातियों का, क्रमांक 24 पर जाटव की उप-जातियां – मोची, रैदास, रविदास, उतरहा, दखिनहा, अहिरवार, गाहरवार का, क्रमांक 53 पर बरेठा, रजक और कन्नौजिया को इसी प्रकार से धोबी का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलता है।

उसी सूची में क्रमांक 53 पर मझवार की उप-जातियां केवट, मल्लाह, बिंद, कश्यप, कहार, माझी, निषाद, गोंड, राजगोंड को भी मिलना चाहिए। इसी तरह क्रमांक 18 पर बेलदार के साथ बिंद भी है, क्रमांक 36 पर गोंड के साथ कहार, कश्यप, बाथम, रैकवार, क्रमांक 56 पर तुरैहा के साथ तुरहा धीवर, क्रमांक 59 पर पासी तरमाली के साथ भर और राजभर को भी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए।

महोदया, आज इस सदन के माध्यम से आपसे विनम्र निवेदन है कि न्याय और उम्मीद के साथ भारत सरकार की जाति जनगणना, 1961 और उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, 1950 के अनुसार अगर इन जातियों को प्रमाण पत्र मिल रहा है, तो क्रमांक 53 पर मझवार की उप-जातियां निषाद, केवट, मल्लाह, बिंद इन लोगों को भी प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए, क्योंकि ये लोग नदी-ताल के किनारे मछली मारकर जीवन यापन करते हैं। इनकी रोजमर्रा की जिंदगी डेली-बेसिज़ पर कमा कर खाने की है। अगर इनको कांस्टिट्यूशनल सेफगार्ड, संवैधानिक आरक्षण मिल जाए, तो इसके लिए हमारा समाज इस सदन के प्रति बहुत-बहुत आभारी रहेगा। धन्यवाद।

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): चेयरमैन साहिबा, आपका धन्यवाद।

मैं मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मल्लावां-बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। वह गंगा नदी का बाढ़ प्रभावित इलाका है। वहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। कटरी, परसोला, छिबरामऊ सहित काफी गांव बर्बाद हो जाते हैं, वहां की फसलें नष्ट हो जाती हैं, किसान आवासविहीन हो जाते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि गंगा नदी की बाढ़ से प्रभावित ग्रामों का उच्चीकरण कराया जाए। जो आवासविहीन ग्रामीण लोग हैं, उनके लिए आवास की

व्यवस्था कराई जाए । बाढ़ से बचाव के लिए मेहंदीघाट से होते हुए राजघाट सड़िया पुल तक केन्द्रीय आवंटन से एक बांध जरूर बंधवाया जाए । जब तक बांध नहीं बन रहा है, तब तक वहां छोटी-छोटी ठोकरें बनवाने का आवश्यक कार्य किया जाए, ताकि लोगों का बचाव हो सके । धन्यवाद ।

LIST OF MEMBERS WHO ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Shri Narendra Kumar	Dr. Sujay Vikhe Patil Shri Kuldeep Rai Sharma Shri Sumedhanand Saraswati Shri C. P. Joshi
Dr. Heena Vijaykumar Gavit	Dr. Sujay Vikhe Patil Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Rajiv Pratap Rudy	Dr. Sujay Vikhe Patil Shri Shrirang Appa Barne Shri Kuldeep Rai Sharma Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri C. P. Joshi	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Ram Kripal Yadav	Shri Kuldeep Rai Sharma
Kunwar Danish Ali	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Girish Chandra	Shri Kuldeep Rai Sharma
Dr. Beesetti Venkata Satyavathi	Shri Kuldeep Rai Sharma
	Shri Kuldeep Rai Sharma

Shri Jugal Kishore Sharma	Dr. Sujay Vikhe Patil Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri C. P. Joshi
Shrimati Annpurna Devi	Shri Kuldeep Rai Sharma Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri C. P. Joshi
Shrimati Bhavana Gawali (Patil)	Shri Kuldeep Rai Sharma Dr. Sujay Vikhe Patil Shri Shrirang Appa Barne
Shri Ganesh Singh	Shri Kuldeep Rai Sharma Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri C. P. Joshi
Shri Chandra Sekhar Sahu	Shri Kuldeep Rai Sharma
Sushri Sunita Duggal	Shri Kuldeep Rai Sharma Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri C. P. Joshi
Shri Pankaj Chaudhary	Shri Kuldeep Rai Sharma Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shrimati Pramila Bisoyi	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shrimati Rama Devi	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shrimati Chinta Anuradha	Shri Kuldeep Rai Sharma
Kumari Goddeti Madhavi	Shri Kuldeep Rai Sharma

Shri Jagdambika Pal	Dr. Sujay Vikhe Patil Shri Shrirang Appa Barne Shri Dhairyasheel Sambhajirao Mane Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Mahabali Singh	Shri Ram Kripal Yadav Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Vijay Kumar Dubey	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri C. P. Joshi Shri Kuldeep Rai Sharma
Shrimati Navneet Ravi Rana	Shri Malook Nagar
Dr. Umesh G Jadav	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Praveen Kumar Nishad	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Ashok Kumar Rawat	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Vivek Narayan Shejwalkar	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Subrat Pathak	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Sanjay Seth	Kunwar Pushpendra Singh Chandel

Shri Ramesh Chandra Majhi	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Sangam Lal Gupta	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Santosh Pandey	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Arun Kumar Sagar	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Gopal Jee Thakur	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Kunwar Pushpendra Singh Chandel	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Vijay Kumar	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri B.B. Patil	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Ravi Kishan	Shri Kuldeep Rai Sharma Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Anil Firojiya	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Dhairyasheel Sambhajirao Mane	Shri Kuldeep Rai Sharma Shri Anubhav Mohanty Shri Prince Raj Shri Shrirang Appa Barne
Shri Gurjeet Singh Aujla	Shri Kuldeep Rai Sharma

Adv. Ajay Bhatt	Shri Kuldeep Rai Sharma
Dr. Alok Kumar Suman	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Anubhav Mohanty	Shri Kuldeep Rai Sharma Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Prince Raj	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Hemant Tukaram Godse	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Dileshwar Kamait	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Dr Dhal Singh Bisen	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Arvind Dharmapuri	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Ajay Misra Teni	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Komati Reddy Venkat Reddy	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Ramakant Bhargava	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Raghu Rama Krishna Raju	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Hanuman Beniwal	Shri Kuldeep Rai Sharma
Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki	Shri Kuldeep Rai Sharma

Shri Ramshiromani Verma	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Kotha Prabhakar Reddy	Shri Kuldeep Rai Sharma
Dr. Sujay Vikhe Patil	Shri Kuldeep Rai Sharma
Dr. G. Ranjith Reddy	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Jasbir Singh Gill	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shrimati Raksha Nikhil Khadse	Shri Kuldeep Rai Sharma Kunwar Pushpendra Singh Chandel Dr. Sujay Vikhe Patil Shri Shrirang Appa Barne Shri Dhairyasheel Sambhajirao Mane
Shri Sunil Kumar Pintu	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Hasnain Masoodi	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Ritesh Pandey	Shri Kuldeep Rai Sharma
Dr. Satya Pal Singh	Shri Kuldeep Rai Sharma Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Prof. S.P. Singh Baghel	Shri Kuldeep Rai Sharma Kunwar Pushpendra Singh Chandel

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 23 मार्च, 2021 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

20.51 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, March 23, 2021/ Chaitra 2, 1942(Saka).